नवम माला, खंड 9, अंक 19

बुधवार, 5 सितम्बर, 1990
14 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 9, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 19, बुधवार, 5 सितम्बर, 1990/14 भाद्र, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 387 से 390 और 392	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—244
तारांकित प्रश्न संख्या : 391 और 393 से 406	22—32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4464 से 4576, 4578 से 4622, 4624 से 4689, 4691 से 4704 और 4704-क	32—244
सभा पटल पर रखे गए पत्र	244—249
राज्य सभा से सन्देश	249—250 और 335—336
प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1990	236—237
राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित—सभा पटल पर रखा गया	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	250
दसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	250—251
अध्ययन दलों के दौरों के प्रतिवेदन और विवरण—सभा पटल पर रखे गए	
याचिका समिति	251
पहला प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
दिल्ली में श्रम न्यायालयों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 31 के 8 अगस्त, 1990 को दिए गए उत्तर के हिन्दी संस्करण में शुद्धि करने वाला विवरण	
श्री नीतीश कुमार	251—252

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले 252—255

(एक) हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग

श्री के० डी० सुल्तानपुरी 252

(दो) आगरा, उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की मांग

श्री रामजी लाल सुमन 252

(तीन) मुम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर गन्दी बस्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नागरिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग

श्री राम नाईक 253

(चार) राजस्थान के डेरी मालिकों को दूध का उचित मूल्य सुनिश्चित किए जाने की मांग

श्री शोपत सिंह मक्कासर 253

(पांच) बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद के सम्बन्ध में उत्तेजक प्रचार पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग

श्री जी० एम० बनातवाला 254

(छः) सिकन्दराबाद छावनी क्षेत्र के विकास के लिए "मास्टर प्लान" का अनुमोदन और कार्यान्वयन किए जाने की मांग

श्री येल्लैया नन्दी 254

(सात) बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र की खानों में लगी आग बुझाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की मांग

श्री कमल चौधरी 255

(आठ) अहमदाबाद हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में तेजी से विकास किए जाने की मांग

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट 255

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1990-91 255—283

श्री इन्द्रजीत गुप्त 256

श्री सन्तोष मोहन देव 259

श्री कृपाल सिंह 262

श्री नाथू राम मिर्धा 265

डा० तम्बि दुरै 265

श्रीमती बिमल कौर खालसा 268

श्री पी० आर० कुमारमंगलम 270

विषय	पृष्ठ
श्री कमल चौधरी	270
प्रो० एन० जी० रंगा	271
श्री हरभजन लाखा	271
चौ० राम प्रकाश	273
प्रो० मधु दण्डवते	274
पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक	283—284
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु दण्डवते	283
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु दण्डवते	283
खण्डवार विचार	284
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु दण्डवते	284
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91	284—287
श्री राम नाईक	286
श्री मनोरंजन भक्त	286
श्री मित्रसेन यादव	286
प्रो० मधु दण्डवते	286
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक	287—289
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु दण्डवते	287
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु दण्डवते	287
श्री सन्तोष मोहन देव	288
खण्डवार विचार	288
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु दण्डवते	288
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1990-91	289—293
श्री अनिल बसु	290
डा० तम्बि दुरै	290

श्री पी० ए० एन्टनी	291
श्री धर्म पाल शर्मा	291
श्री बनवारी लाल पुरोहित	291
श्रीमती सुभाषिनी अली	292
श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन	292
श्री राम लाल राही	292
श्री जार्ज फर्नान्डीज	292
विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक	293—295
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	293
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	294
खण्डवार विचार	294
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	294
नियम 193 के अधीन चर्चाएं	295—334 और 337—340
मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अतिरिक्त युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय	
श्री राम नाईक	295
श्री जनार्दन पुजारी	302
श्री राम धन	308
श्री वसन्त साठे	318
श्री सोमनाथ चटर्जी	328
श्री जनेश्वर मिश्र	337

लोक सभा

बुधवार, 5 सितम्बर, 1990/14 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11.03 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मादीपुर, नई दिल्ली में डी० डी० ए० फ्लैट

[हिन्दी]

*387. **श्री हरीश रावत** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के "स्लम विंग" द्वारा निर्धन और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए मादीपुर, नई दिल्ली में निर्मित फ्लैटों की मासिक किस्त की राशि निम्न आय वर्ग के आवंटितियों की क्षमता से बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो किस्त की कितनी राशि निर्धारित की गई है और इतनी राशि निर्धारित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आवंटितियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने किस्तों की अदायगी की अवधि 15 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करने तथा इन किस्तों की राशि उतने ही अनुपात में कम करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण को मादीपुर जनता फ्लैट्स (414 लाल क्वार्टर्स) के आवंटियों की रेजिडेन्ट्स वैलफेयर एसोसियेशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

जनता फ्लैटों के सम्बन्ध में किराया-खरीद आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार प्रारम्भिक जमा राशि के अलावा 20 वर्ष के लिए निर्धारित की गई किस्त की राशि 325.20 रुपए प्रतिमाह है।

अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ-साथ प्रारम्भिक जमा की शेष राशि की वसूली एक वर्ष की अवधि में 6 किश्तों में तथा शेष राशि 20 वर्ष की अवधि में किश्तों में वसूल करने के लिए कहा गया।

विद्यमान शर्तों में 20 वर्ष में मासिक किस्तों में भुगतान की पहले ही व्यवस्था है। प्रारम्भिक जमा के बारे में मांग पत्र का जहां तक सम्बन्ध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रथमतः मांगी गई राशि का 1/3 भाग स्वीकार करने का पहले ही प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैंने मन्त्री जी के उत्तर में देखा है कि मिनिस्टर साहब को उनके आफिशियल्स ने इस मामले में जो ब्रीफ किया है वह ठीक से नहीं किया है, उनसे गलत कहलवाने की कोशिश की गई है। मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि यह जनता फ्लैट्स हैं जबकि उनकी क्वालिटी किसी भी घटिया से घटिया स्लम ऐरिया से भी रद्दी है। इसलिए मन्त्री जी से आग्रह है कि अपने इस उत्तर को करैक्ट करें। ये जनता फ्लैट्स नहीं हैं बल्कि स्लम फ्लैट्स हैं। उनकी संख्या के विषय में भी गलत कहा गया है। किश्तों के विषय में कहा गया है कि किश्त 325 रुपए है। यह 325 रुपए न होकर 468 रुपए पर मन्थ है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में कि यह वीकर सैक्शन्स आफ सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए दिए गए हैं, उनकी मासिक किश्त को कम करेंगे और उसका ड्यूरेशन और बढ़ाएंगे क्योंकि वरचुअली आप 15 साल में उनसे वसूल कर रहे हैं, 15 साल के बजाए 25 साल के विषय में क्या आप विचार करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्य के प्रश्न के अन्तिम भाग को लेता हूं। ये किस्तें 20 वर्षों की अवधि में अदा करनी होती हैं। अतः 20 वर्षों का समय दिया गया है।

श्री हरीश रावत : वास्तविक रूप में, मेरे विचार में आप 15 वर्षों में इस धनराशि को वसूल कर रहे हैं। कृपया इसका पता लगाइए। किस्त 325/- रुपए नहीं बल्कि यह 468/- रुपए प्रति मास है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब वह अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप कुछ पूछना।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : सम्पूर्ण दिल्ली में जनता अथवा निर्धन वर्ग के लिए सामान्य पैटर्न 15 वर्षों का समय है। इस श्रेणी विशेष में भी अर्थात् मादीपुर के जनता फ्लैटों के लिए भी वही मानदण्ड अपनाया जाएगा। गुणवत्ता के बारे में, यदि इस मादीपुर जनता फ्लैट्स विशेष में कोई निश्चित मामले हैं, तो स्वाभाविक है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण उनमें सुधार करेगा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, इन फ्लैट्स की जो हालत है, मुझे एक मीटिंग में वहां जाने का मौका मिला है। मैंने खुद देखा है कि वहां बहुत घटिया मैटिरियल यूज किया गया है। बल्कि वह टूटने की हालत में है। मजबूरी में वहां लोग रहते हैं। मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इन फ्लैट्स का और इन एरियाज का इन्सपैक्शन कराएंगे? वहां प्राइमरी नेसेसिटिज भी नहीं हैं। क्या आप उन्हें उपलब्ध करवाने की दिशा में विचार करेंगे? वहां जैसे शौचालय, बाथरूम, पानी और दूसरी कोई सुविधा नहीं है। आप क्या इनके विषय में कोई विचार करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : महोदय, उस क्षेत्र विशेष के रहने वालों ने एक याचिका दी है जिसमें वापसी अदायगी का समय 20 वर्षों तक बढ़ाने की मांग की गई है।

इसमें एक अच्छी बात यह है कि, वे अदायगी करने के इच्छुक हैं—वे वहां 1986 से रह रहे हैं लेकिन अब तक उन्होंने कोई किस्त जमा नहीं कराई है। अब, वे बहुत प्रसन्न हैं और किस्त देनी चाहते हैं। यह निश्चित है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के लोग उन मकानों का निरीक्षण करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री सन्तोष मोहन देव : देश का अन्य कमजोर वर्ग संसद सदस्य हैं।

तीन सहकारी आवास समितियों की स्थापना की गई थी और उन्हें भूमि का आवंटन किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उनको समाप्त कर दिया। मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन क्या सरकार दोनों सदनों से संसद सदस्यों को—जिन्होंने सहकारी समितियां बनाई थीं निकट भविष्य में वैकल्पिक भूमि देने पर विचार करेगी।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है वह सच है—ऐसा नहीं कि हम कमजोर वर्गों में हैं—कि हमने सहकारी समितियां बनायीं और जिस तरीके से वे बनाई गयीं और जिस तरीके से भूमि का आवंटन किया गया उसे बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया।

अत: नई सरकार ने एक नीति बनाई है कि आज के बाद 40 प्रतिशत भूमि केवल सहकारी समितियों को ही आवंटित की जाएगी।

महोदय, मुझे बहुत ही खुशी है कि लगभग 400 समितियों को पपनकला और अन्य क्षेत्रों में भूमि दी जाएगी और मुझे बताया गया कि चार अथवा पांच समितियां जिनमें माननीय सदस्य उनके सदस्य हैं उन्हें भूमि दी जाएगी क्योंकि वे इसके लिए योग्य हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री एक विद्वान् मंत्री हैं और शहरी विकास मंत्रालय जिसका वह काम देख रहे हैं··· (व्यवधान)

अब, मुझे यकीन है कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि प्रशासन के गन्दी बस्ती विभाग के अन्तर्गत, फ्लैटों की संख्या बहुत अधिक है—केवल एक श्रेणी जनता फ्लैटों के रूप में रखी गई है और विभिन्न कालोनियों, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में फ्लैटों की संख्या बहुत अधिक है और उन्हें उनके पक्ष में निर्धारण करने के लिए एक प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय के पास लम्बित था।

उनका इसे कब लागू करने का विचार है ? तब तक सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि उनकी ठीक तरह से मरम्मत हो। यह एक बात है।

दूसरे, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं क्या वह यह अनुदेश जारी करेंगे कि जब तक ये फ्लैट केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं—यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि उनकी मरम्मत करे तथा यह देखे कि स्वामित्व के प्रश्न को अविलम्ब हल किया जाए।

श्री मुरासोली मारन : इस प्रश्न को हमारे नोटिस में लाया गया था और श्री खुराना, प्रो० मल्होत्रा तथा श्री तारिफ सिंह जैसे माननीय सदस्यों तथा बहुत से अन्य सदस्यों ने अनेक अभ्यावेदन दिए हैं। (**व्यवधान**)

श्री एच० के० एल० भगत : मेरे प्रश्न के उत्तर में, उनके लिए आपका उल्लेख स्पष्ट कारणों से है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री भगत, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री मारन, श्री भगत के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री मुरासोली मारन : वे लोग जो इन्द्र लोक और अन्य क्षेत्रों में मकानों में रह रहे हैं कई वर्षों से कोई किराया नहीं दे रहे थे जबकि सरकार उन मकानों आदि की मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने उन्हें स्वामित्व वाले फ्लैटों में बदलने का निर्णय लिया था। लेकिन अदा की जाने वाली धनराशि, अदा किए जाने वाले ब्याज तथा निर्धारित किए जाने वाले मूल्य के बारे में बहुत-सी कठिनाईयां थीं। अब हम सम्पूर्ण समस्या पर पुनः विचार कर रहे हैं। शीघ्र ही हम ऐसा सही समाधान निकाल लेंगे जोकि लोगों को स्वीकार्य होगा।

श्री एच० के० एल० भगत : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : चुनाव से एक महीने पहले आप आर्डर निकाल दो··· (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

[हिन्दी]

श्री आरिफ बेग : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में पाण्डव नगर में झुग्गी झोपड़पट्टी का इलाका है, इसकी कम्पाउण्ड वॉल इतनी पुअर क्वालिटी की बनाई गई कि वह गिर गई और एक ही परिवार के तीन व्यक्ति उसमें मर गए। आज तक उस परिवार की झुग्गी नहीं बनी और मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : हम मादीपुर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस प्रश्न विशेष के लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले दस सालों के अन्दर डी० डी० ए० ने कुल कितने मकान बनाए, कितने एलॉट किए ? क्या यह सच है कि ऐसे मकान कई-कई सालों से बने हुए तैयार खड़े हैं लेकिन पानी, बिजली व अन्य सुविधाएं न होने के कारण वह हाउसेज 8-8 साल से, 6-6 साल से खाली पड़े हैं, एलाटमैंण्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो वे डेंजरस हैं या जो वहां आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए, वह नहीं हैं, ऐसे कितने मकान हैं ?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि कुछ फ्लैट खाली पड़े हुए हैं।

श्री मदन लाल खुराना : कितने फ्लैट ?

श्री मुरासोली मारन : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं क्योंकि यह प्रश्न मादीपुर के बारे में है। मैं ये आंकड़े बाद में दे दूंगा। वे इसलिए खाली पड़े हुए हैं क्योंकि कुछ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, आप मंत्री नहीं हैं। हमें मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, भूतपूर्व मंत्री और श्री खुराना के बीच एक-दूसरे से बातचीत नहीं होनी चाहिए।

श्री मुरासोली मारन : यदि हम मकानों का आबंटन करते हैं, तो माननीय सदस्य यह प्रश्न उठाएंगे कि आप बिना बिजली, बिना पानी और अन्य बातों की सुविधाओं के बिना मकान क्यों आबंटित करते हैं ? उसका उत्तर यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी है। यहां कोई बृहत् योजना अथवा सामान्य योजना नहीं है। इन चीजों को अब ठीक किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री छबिराम अर्गल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से जानना चाहूंगा कि इस वर्ष सरकार अम्बेडकर शताब्दी वर्ष मना रही है और इस उपलक्ष में सरकार ने अम्बेडकर आवास योजना के तहत 40 हजार प्लाट्स निम्न आय वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए निर्माण किए तो सरकार ने क्या वह उनमें बांट दिए या नहीं बांटे तो क्यों और कब तक बांट देगी ? दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहां बहुत सारे लोग चुनाव हारने के बाद हालत खराब हो जाने के कारण बंगले खाली नहीं कर रहे हैं तो क्या संसद् सदस्यों को भी इसमें कुछ प्रायोरिटी दी है, डी० डी० ए० के माध्यम से तो क्या उसको दोबारा शुरू करने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : शायद माननीय सदस्य ने अम्बेडकर आवास योजना का उल्लेख किया

है। योजना के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 20,000 फ्लैटों की योजना बनाई गई है।

किन्तु, दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालय ने पूरी कार्यवाही स्थगित की। अतः हम इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं कर सके।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, गरीबों के लिए ये जो फ्लैट्स बनाए गए, वे कमजोर फ्लैट्स थे। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, ये फ्लैट्स किसकी देख-रेख में, किस समय में और किस मंत्री की देख-रेख में बने और क्या सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : वह किन फ्लैटों का उल्लेख कर रहे हैं? मैंने उनकी बात ठीक तरह से नहीं सुनी। (व्यवधान) यह फ्लैट 1986 से पूर्व बनाए गए। (व्यवधान)

श्री बी० एन० रेड्डी : मैं तो स्थापत्य तथा भवन निर्माता रहा हूं और मैं भवन बनाने तथा निर्माण सम्बन्धी समस्याओं से अवगत हूं। यहां सरकार धन उपलब्ध करती है और नीति बनाती है। किन्तु कार्यान्वयन तो सदा अफसर और अभियन्ता ही करते हैं। अतः मैंने देखा है कि लोगों में न कोई दृढ़ धारणा है, न वचनबद्धता और न कोई सच्चाई है। वे केवल इसलिए काम कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया है। क्या सरकार अथवा मंत्री महोदय इन लोगों को बुलाकर कह सकते हैं कि वे इन लोगों का काम इस प्रकार कर रहे हैं जैसे कि यह उनका अपना मकान है? उन्हें किसी भी चीज की चिन्ता नहीं है। न वहां लोग ही रहते हैं और न ही कोई बिजली आदि है। मैं भी सलाहकार समिति का एक सदस्य हूं। इस बात का प्रस्ताव है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 2.7 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए 77,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अभी तक हमने क्या किया है? पहले ही दस महीने निकल गए हैं। क्या अभी तक हमने कुछ किया है?

श्री मुरासोली मारन : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं सही है। जब तक वचनबद्धता तथा कर्मनिष्ठा न हो इस प्रकार का काम सभी लोगों को सन्तुष्ट नहीं कर सकता है। किन्तु केवल अधिकारियों को बुलाने और उनसे बात करने के कुछ भी परिणाम नहीं निकलेंगे। सलाहकार समिति, प्राक्कलन समिति, बालकृष्णन समिति तथा अन्य बहुत सारी समितियों के प्रतिवेदन हैं। उन्होंने अपनी यही राय दी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। किन्तु अभी तक हमने कोई विशेष काम नहीं किया क्योंकि जब भी हम इस समस्या को उठाते हैं तो दिल्ली के पुनर्गठन का प्रश्न उठता है। अतः हमने इस मामले में कोई प्रगति नहीं की है। आवास की समस्या कुछ और है। अतः उसके लिए मुझे पूर्व सूचना देनी होगी।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी होगी कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि पट्टे पर दी जाने वाली भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में बदल देंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि इसे क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? क्या वे इसमें सुधार कर रहे हैं? वे कौन सी पद्धति अपना रहे हैं अथवा क्या वे समर्थन देने वाले दलों के कारण इस पद्धति के

सम्बन्ध में निर्णय नहीं ले सकते हैं ? हम पूछना चाहते हैं कि क्या पट्टे पर देने वाली भूमि को पूर्ण स्वामित्व में बदलने, पट्टे पर देने वाली पद्धति को समाप्त करने और पूर्ण स्वामित्व देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है।

श्री मुरासोली मारन : यद्यपि माननीय सदस्य के प्रश्न का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं क्योंकि भूतपूर्व सरकार ने पट्टे पर दी जाने वाली भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में बदलने का निर्णय लिया था।

श्री मदन लाल खुराना : चुनाव से एक महीना पहले।

श्री मुरासोली मारन : चुनाव से थोड़ा पहले। **(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : मैं मन्त्री के संरक्षण का निवेदन करता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मुरासोली मारन : यद्यपि यह निर्णय चुनाव से एक महीना पूर्व लिया गया था फिर भी इसे लागू नहीं किया गया था। यद्यपि उनके पास तीस दिन का समय था कि वे उसको अधिसूचित कर सकते, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है ? हमें मन्त्री की बात सुनने दीजिए।

श्री मुरासोली मारन : इनकी दरें दिल्ली के लोगों ने स्वीकार नहीं की।

श्री मदन लाल खुराना : यह जन-विरोधी था।

श्री मुरासोली मारन : वे लोगों को इस विचार के प्रति सहमत न कर पाए।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, कृपया अध्यक्ष की ओर देखिए।

श्री मुरासोली मारन : स्वभावतः, हमने उन सभी लोगों से सलाह लेनी है जिन्हें दिल्ली का अनुभव है और हमें दिल्ली में बहुत काम करना है। इसमें सुधार करना है। हम यह काम कर रहे हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं तारीखें जानना चाहता हूं। मैंने विशेष कर मन्त्री महोदय से पूछा है कि उन्हें इसमें कितना समय लग जाएगा। **(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : पचास वर्ग गज का निर्णय कांग्रेस का निर्णय है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : पचास वर्ग गज भुगतान के बिना है।

श्री मुरासोली मारन : हम यह थोड़ा-थोड़ा नहीं कर सकते हैं। हम शीघ्र ही इसे जारी करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : 10 साल तक खुद तो कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया श्री खुराना और श्री भगत आपस में बात न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली नगर में जो 10 लाख परिवार सबसे निम्नतम आय वाले हैं, क्या इनके लिए कोई ऐसी योजना बनाई है या इनमें से कितने लोगों को और कब तक नये फ्लैट का निर्माण कराके, चाहे चतुर्थ श्रेणी का ही फ्लैट क्यों न हो। क्या इन्होंने कोई ऐसी योजना बनाई है कि निम्नतम आय के लोगों को कम-से-कम अवधि के बीच में फ्लैट आबंटित किए जा सकें।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : सम्भवत: सदस्य महोदय झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। दिल्ली प्रशासन ने उन लोगों के पुनर्वास के लिए एक त्रिपक्षीय योजना बनाई है जो उस भूमि पर रहते हैं जो सरकारी काम के लिए तत्काल चाहिए, और इसका वर्ग उन लोगों का है जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां की भूमि की आठवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यकता नहीं है। उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन और सुविधाएं दी जाएंगी। और एक-तिहाई जनता जो उन क्षेत्रों में रहती है जहां परियोजनाओं के लिए भूमि पर्याप्त नहीं है उन्हें काश्तकारी के अधिकार दिए जाएंगे और आवास तथा नगर विकास निगम तथा अन्य बैंक उन्हें मकान बनाने और अन्य सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता देंगे।

बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

+

*388. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** :
श्री बी० कृष्ण राव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने लोग नौकरी की तलाश में हैं;

(ख) उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार को कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) अपेक्षित धनराशि किस प्रकार जुटाई जाएगी ?

[हिन्दी]

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) मई, 1990 के अन्त में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या 333.53 लाख थी। यह अनिवार्य नहीं कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी व्यक्ति बेरोजगार हों। ऐसे सभी पंजीकृत व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है तथा इसलिए अपेक्षित संसाधनों को मूर्त रूप देना समयपूर्व होगा।

[अनुवाद]

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : *अध्यक्ष महोदय,* मेरा पहला प्रश्न उन लोगों की संख्या के बारे में है जो इस देश में नौकरी की तलाश में हैं। इसके उत्तर में रोजगार केन्द्रों में चालू रजिस्टरों में पंजीकृत नामों के विषय में है। मेरे प्रश्न का भाग (क) देश में नौकरी की तलाश में लोगों की संख्या के बारे में है। खैर, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता था कि क्या वह संविधान के मौलिक अधिकारों में काम के अधिकार को शामिल करके इन सभी लोगों को रोजगार दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि हमारे पास जो कार्यालय में नाम दर्ज रहते हैं उन्हीं को हम सरकारी तौर पर बतला सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस देश में बेरोजगारों की फौज है और जहां तक माननीय सदस्य ने राइट टू वर्क के सम्बन्ध में कहा है, इसमें सरकार का यह कमीटमेंट है कि राइट टू वर्क को फण्डामेंटल राइट में जोड़ा जाए।

[अनुवाद]

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि वे "काम के अधिकार" को संविधान के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने जा रहे हैं। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे सभी बेरोजगार कृषि श्रमिकों, प्रशिक्षित श्रमिकों, बेरोजगार गरीबों, शिक्षित युवाओं तथा अन्य प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इस पर पूरी तरह से विचार हो रहा है और जैसाकि मैंने कहा कि राइट टू वर्क का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन जो हमने वर्क आउट किया है, योजना आयोग ने वर्क आउट किया है, इसके मुताबिक साल में कम से कम 12-13 हजार करोड़ रुपए, यदि हम सिर्फ मिनिमम वेजेज एक्ट के मुताबिक, न्यूनतम मजदूरी भी करें और अनस्किल्ड काम के लिए भी दें तो भी 12-13 हजार करोड़ रुपया लगता है और 1990-91 में कम से कम 9000 करोड़ रुपया लगेगा। तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि राइट टू वर्क की मंशा यही है कि जितने भी अनस्किल्ड हैं, उनको काम दिया जाए और इसका मतलब यह नहीं है कि जो शहर के बेरोजगार नवयुवक हैं, उनकी उपेक्षा की जाए, लेकिन यह जरूर है कि राइट टू वर्क का मकसद है, उसमें यह नहीं है कि जो लोग जो काम चाहेंगे वह काम उनको मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री बी० कृष्ण राव : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहले ही आर० एल० ई० जी० पी० नामक एक योजना है। पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों को काम दिलाने के लिए क्या कोई अन्य नई योजना भी है ? यदि हां, तो हमारे देश में ऐसे पुरुषों और स्त्रियों की संख्या क्या है जिन्हें आप काम दिलाने जा रहे हैं ? इसके लिए आप कितना पैसा खर्च करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो काम दिए जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई काम की गारण्टी नहीं है और जो संविधान का प्रावधान है, अभी तक राइट टू वर्क का प्रावधान फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी में है। इसमें सरकार की मंशा है कि इसको फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा जाए, जिससे प्रत्येक काम चाहने वाले नौजवान को काम दिया जाए और उनको बेरोजगारी या भुखमरी से बचाया जाए।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आपके चुनाव घोषणा पत्र में यह बात नहीं थी कि देश में जो पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार फिरते हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में जब जनता दल ने अपना चुनाव घोषणा पत्र बनाया तो श्री देवी लाल जी ने इस बात की घोषणा की कि 300 रुपए प्रति माह हर बेरोजगार नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो उसमें से कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है, खासकर हरियाणा में।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी पहले सवाल का जवाब देंगे, हरियाणा की बात नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी जानते हैं, मुख्य मन्त्री रह चुके हैं। जब हम काम के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स में जोड़ देंगे तो फंडामेंटल राइट्स में जोड़ने का मतलब ही है कि जो जस्टीफायबल होगा, जिन बेरोजगारों को काम नहीं मिलेगा, वे काम मांगेंगे तो उनको काम देना पड़ेगा, यदि नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ते का सवाल उठेगा, उसके बाद बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। जहां तक हरियाणा का मामला है, आपने सही कहा कि हरियाणा में दिया जा रहा है, कितने लोगों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, वह हमारा मामला नहीं है।

[अनुवाद)

श्री अजीत पांजा : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर की दूसरी पंक्ति में कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि रोजगार कार्यालयों में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं वे बेरोजगार ही हों। और जैसे कि मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह भी आवश्यक नहीं है कि जिन लोगों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज नहीं है उन्हें रोजगार मिला हुआ हो। जैसे कि मैंने पिछले सत्र में सुझाव दिया था मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई कदम उठाया गया है और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह इस पर गौर करेंगे। क्या किसी मद को जनगणना प्रपत्र में यह जानने के लिए रखा गया है कि कितने व्यक्ति बेरोजगार बचे हैं और रोजगार किस तरह का है ? यह सवाल मेरे निवास पर परसों उठा था लेकिन मुझे एक भी स्तम्भ जनगणना प्रपत्र में नहीं मिला। अब यह कार्यवाही जारी है। क्या माननीय मंत्री जनगणना के जरिए बेरोजगारों की संख्या का पता लगाने के लिए तुरन्त कदम उठाएंगे और यदि

उन्हें रोजगार मिला हुआ है तो किस तरह का रोजगार मिला हुआ है और यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके खर्चे का स्तर क्या है, कितना खर्चा है ताकि गरीबी की रेखा का पता लगाया जा सके क्योंकि इस समय इस सम्बन्ध में विवाद है ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इनका सजेशन नोट कर लिया गया है ।

श्री राम कृष्ण यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा नौकरियों में पूरा नहीं किया गया है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा पूरा करने के बाद दूसरों की भर्ती होगी और रिजर्वेशन लगाया जाएगा या नहीं ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, राइट टू वर्क का मतलब सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति नहीं है और अनुसूचित जाति-जनजाति का जो मामला है वह सरकारी नौकरियों में है । उसके लिए सरकार ने कहा है कि उनका जो बैकलाग है उसको पूरा करेंगे और अभी तक पूरा नहीं हो पाया है । इसके लिए हम लेजिस्लेशन बनाने जा रहे हैं। इसमें विधान रखा गया है, वह सरकारी नौकरियों में है । राइट टू वर्क वह सिर्फ नौकरियों में है । देश के जितने भी बेरोजगार लोग हैं तो उनके लिए काम की योजना का सवाल है ।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : मंत्री महोदय ने अभी कहा था कि संसद द्वारा काम के अधिकार सम्बन्धी कानून को पारित कर देने के पश्चात् इस देश के बेरोजगार युवक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे । इसे देखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि यह विधेयक इस सभा में कब पुरःस्थापित किया जाएगा और किस निर्धारित तिथि को इसे संसद द्वारा स्वीकृत कर लिया जाएगा ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जैसा मैंने कहा, यह कोई आसान चीज नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है । इसके लिए योजना आयोग विचार-विमर्श कर रहा है । आपको मालूम होगा पिछले दिनों हमने बता दिया था कि योजना आयोग की 90-95 के बीच में 3 करोड़ 57 लाख अतिरिक्त लेबर फोर्स की योजना बनाई है । उसको किस तरीके से किया जाए । योजना आयोग के मुताबिक तीन प्रतिशत एम्पलायमेंट की गारन्टी प्रति वर्ष देने की होगी । इन सारी चीजों पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है ।

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश कापसे : मन्त्री महोदय हर वक्त यही कहते जा रहे हैं कि यह साधारण कार्य नहीं है और हम इसे क्रमिक रूप से करेंगे । काम के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करने से पहले इस संदर्भ में पहला कदम क्या लिया जाएगा और वह कब लिया जाएगा ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमने यह कहा और आपने भी ठीक कहा कि यह

आसान काम नहीं है। ऐसा काम नहीं है कि इस बैलेंस से पीछे मुड़ेंगे। प्रथा पंचवर्षीय योजना में 1956 में एम्पलायमेंट एक्सचेंज में 7.5 लाख लोग दर्ज थे और आज यह है कि 1990 तक 3 करोड़ 33 लाख 53 हजार होंगे। सात लाख से बढ़कर अब 3 करोड़ 33 लाख 53 हजार हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार ने अपने ऊपर इसकी जवाबदेही नहीं ली कि जो बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। यदि शुरू में ही सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया होता तो यह सारी चीज देखने को नहीं मिलती। पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार ने इस बैलेंस को स्वीकार किया है और दृढ़ संकल्प होकर के राइट टू वर्क में फंडामेंटल राइट जोड़ा जाए जिससे भयावह स्थिति फेस करनी होगी। यह कठिन काम जरूर है और असंभव नहीं है। सरकार इस पर कार्यवाही करेगी।

प्रो० राम गणेश कापसे : मैंने यह सवाल पूछा है कि आप कब तक शुरू कर रहे हो।

[अनुवाद]

आपका पहला कदम क्या होगा और वह कब लिया जाएगा ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सरकार जब संसद में विधेयक लायेगी उसमें सारी की सारी चीजें आयेंगी, हम बहुत जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री कड़िया मुण्डा : जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पढ़े-लिखे नवयुवक हैं वे शहरों में रोजगार कार्यालय में नाम लिखाने के लिए 40-50 किलोमीटर पैदल आते हैं। इसलिए उन बनवासी क्षेत्रों के युवकों को बहुत कठिनाई होती है। क्या सरकार इस कठिनाई को देखते हुए बनवासी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र के प्रत्येक प्रखण्ड में नियोजनालय खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री राम विलास पासवान : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है, आदिवासी और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में अधिक से अधिक नियोजनालय ही नहीं खोलने पर सरकार विचार कर रही, बल्कि जो उनका कोटा बकाया है उनके नाम के लिए तो जरूरी नहीं कि उनका नाम रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही आये, वे सीधे भी एप्लीकेशन भेज सकते हैं, सरकार यह भी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

श्री बालगोपाल मिश्र : मैं आपके जरिये माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि रोजगार कार्यालयों में लगभग 3.3 करोड़ बेरोजगार युवकों के नाम दर्ज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि लोगों के पास आवश्यक आधारभूत अर्हतायें भी नहीं होती हैं अतः वे अपने नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज नहीं करा पाते हैं। हम पिछले नौ महीनों से कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराते रहे हैं और आज भी हम कह सकते हैं कि यह सब कांग्रेस सरकार की वजह से है। माननीय मंत्री से पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने उन बेरोजगार युवकों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए क्या किया है जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज है और जिनके नाम दर्ज नहीं हैं ? दूसरे, पिछले 40 वर्षों में सती अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, शारदा अधिनियम आदि जैसे कई अधिनियम बनाये गये हैं। इसलिए केवल काम के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल कर देने से क्या हम इस देश के लोगों का भरण कर सकते हैं ? मैं समझता हूं कि यह पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस की तरह धोखा देने बात नहीं होगी। क्या हम वास्तव में इसके बारे में चिन्तित हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, पहले हिस्से का जवाब दें।

श्री राम विलास पासवान : मैंने पहले सवाल के जवाब के बारे में पहले ही कहा था कि असेसमेंट कर लिया है और उसके आधार पर ही हमने कहा है कि मिनीमम वेजेज के अनुसार 12 हजार करोड़ प्रतिवर्ष लगेंगे और उसके मुताबिक ही जोड़कर कहा गया है। जहां तक चीटिंग का सवाल है तो जिस दिन हम आये थे उसी दिन हम इस कानून को संसद में लाकर रख देते, लेकिन यह सती प्रथा वाले एक्ट के समान नहीं है। संसद में इसे लाकर राइट टू वर्क को मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया जायेगा। कोई भी बेरोजगार युवक आता है तो उसे उस दिन का काम दिया जायेगा, नहीं तो जो सरकार भत्ता तय करेगी वह मिलेगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बालगोपाल जी बैठ जायें।

श्री सूर्य नारायण यादव : बाहर से अरब देशों से दिल्ली में बेरोजगार लोग आये हुए हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में या स्टेशन पर जो सोते हैं उन बेरोजगार नौजवानों को दिल्ली के नियोजनालय में नाम दर्ज कराने का प्रावधान क्या आप करना चाहते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : जो भी दिल्ली क्षेत्र के नियोजनालयों में नाम लिखाना चाहते हैं तो जो उनकी शर्तें हैं उसके अनुसार नाम लिखाया जा सकता है।

हृदय रोग का पता लगाने के उपकरण

[अनुवाद]

*389. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय रोग और इससे सम्बद्ध समस्याओं के उपचार के लिए कुछ नए उपकरणों का उपयोग आरम्भ किया गया है ताकि इस रोग का प्रभावी ढंग से और आसानी से पता लगाकर उसका विश्लेषण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी अस्पतालों द्वारा इन उपकरणों की व्यवस्था करने का विचार है ताकि उनके हृदय रोग का प्रारम्भिक अवस्था में पता लगा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. केन्द्र सरकार के निम्नलिखित अस्पतालों में हृदय रोगों के लिए नैदानिक व उपचार

सुविधाएं उपलब्ध हैं :

(i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

(ii) गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल, नई दिल्ली।

(iii) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़।

(iv) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली।

2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कार्डियोलाजी विभाग का स्तर नियमित आधार पर बढ़ाया जा रहा है।

3. राज्य सरकारों के नियन्त्रणाधीन अस्पतालों के कार्डियोलाजी विभागों को अत्याधुनिक बनाने की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों की है।

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, 'हर्ट केयर फाऊन्डेशन आफ इण्डिया' ने एक जांच उपकरण निकाला है जिसे 'हर्ट ट्रांसड्यूसर' कहते हैं तथा उनके मुताबिक यह एक सुरक्षित उपकरण सिद्ध हुआ है। इस उपकरण से हृदय में रसोली या छिद्रों और हृदय के विभिन्न प्रकोष्ठों में थक्कों का भी पता लगाया जाता है। उनका दावा है कि यह उपकरण भोजन नली में डालने की वजह से हृदय में डाले जाने वाले पारम्परिक उपकरण से ज्यादा फायदेमन्द है। उनका यह भी कहना है कि ये रोग इससे विशेष रूप से महिलाओं और अन्य लोगों में स्पष्ट रूप से पता लगाये जा सकते हैं। मैंने यह प्रश्न पूछा था लेकिन माननीय मन्त्री ने उत्तर नहीं दिया कि क्या इस उपकरण, जिसे हृदय विशेषज्ञों ने स्वागत किया है, के बारे में ध्यान दिया गया है और हमारे प्रमुख अस्पतालों में इसे लगाया गया है? मुझे इसका उत्तर नहीं मिला है।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : जो पहले सवाल में पढ़ा तो आपको अन्दाजा हो जायेगा कि खास मशीन के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया और अब जो आपने ट्रांस इकोफ्यूगल मशीन के बारे में पूछा है तो मुख्तलिफ तौर पर बताना चाहूंगा कि वह हमारे सब अस्पतालों में है और हमने यह जो ट्रांस इको-फ्यूषल प्रूब करने का है, उसको भी इण्ट्रोड्यूस करने का सभी अस्पतालों में सोचा है। अभी तक तो यह तजुर्बे के तौर पर चल रहा था।

श्री पी० एम० सईद : इसमें जो एडवाण्टेज बताया गया है?

श्री रशीद मसूद : उसमें जो एडवांटेज बताया गया है उसमें कुछ तो ठीक है। हार्ट के मरीजों में जो क्लोटिंग हो जाता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकता है।

श्री पी० एम० सईद : ट्यूमर के बारे में?

श्री रशीद मसूद : ट्यूमर के बारे में बहुत सर्टेनिटी नहीं है लेकिन जो न्यूमैटिक डिफैक्ट्स होते हैं, उसको अर्ली डिटेक्ट करने में यह कामयाब है। इसलिए हमने इण्ट्रोड्यूस करने की योजना में लिया हुआ है इससे बहुत फायदा होगा।

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद : महोदय, हमारे अस्पतालों में उपकरण की कोई कमी नहीं है। सवाल केवल विशेषज्ञों और तकनीशियनों की कमी का है। महोदय, आपको मालूम है कि अधिकांश अस्पतालों में हमारे यहां करोड़ों रुपए मूल्य के उपकरण हैं विशेषरूप से हृदय रोगों का पता लगाने के सम्बन्ध में जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, वहां भी इस तरह का उपकरण है लेकिन उसके उपयुक्त व्यक्ति वहां नहीं हैं। कुछ तकनीशियन होंगे लेकिन उनके ऊपर कोई विशेषज्ञ नहीं है। इसलिए उपकरण के दोषों को दूर करने के लिए वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नोट भेज सकते हैं। और वे उसे केवल आगे भेज सकते हैं। और जब तक कि वह नोट कार्यकारी अधिकारी के पास पहुंचता है तो यह केवल एक तरह का दैनिक कार्य जैसा हो जाता है और अन्ततः कोई हल नहीं निकलता है। महोदय, इसलिए यदि अस्पतालों में नागरिकों की एक प्रकार की परामर्शदायी समिति हो तो यह अधिक व्यावहारिक होगा ताकि दोषों का समय रहते पता लगाया जा सके और सम्बद्ध अधिकारी तत्काल कार्यवाही कर सकेंगे और इसकी सेवा लोगों को सुलभ करायी जा सकेगी।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : साहब, मैं अपने मोहत्तरम मैम्बराने पार्लियामेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उधर बैठकर इस बात को आज कबूल किया है कि हमारे हिन्दुस्तान में बहुत सारे इन्स्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं जिसको यूज नहीं किया गया है। मैं अपनी तरफ से यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस सरकार ने आते ही बेकार पड़े इन्स्ट्रूमेंट्स की मरम्मत कर के उसे काम में लेना शुरू कर दिया है। दूसरी बात इन्होने एक एडवाइजरी कमेटी के बारे में कही है तो इस पर हम गौर करेंगे और अगर यह मुमकिन हुआ कि इसमें फायदा होगा तो काफी हद तक इस पर गौर किया जायेगा।

श्री जे० पी० अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंटस हास्पीटल में कोई मरीज हार्ट आप्रेशन के लिए जाता है तो उसे 6-8-10 महीने की तारीख दी जाती है और उसे यह कहा जाता है कि पूरी इन्स्ट्रूमेंट्स नहीं हैं या मशीन नहीं हैं इस वजह से हम आपकी जल्दी मदद नहीं कर सकते हैं तो क्या सरकार इस बात पर ध्यान देगी और जो कमी है, इसके बारे में आपके नोटिस में लाया गया है? यदि लाया गया है तो कब और इसको कब से क्रियाशील बनाए जाने का विचार है?

श्री रशीद मसूद : यह बात सही है कि जो हार्ट के आप्रेशन कराने जाते हैं उनको काफी लम्बा वक्त दिया जाता है। लेकिन उसके दो कारण हैं : एक तो इतनी ज्यादा मशीनें हमारे पास हो नहीं सकतीं, किसी भी अस्पताल में कि सारे मरीजों को लगा दें। इसके लिए हमें मजीद अस्पताल बनाने पड़ेंगे और स्टेटस को भी मजीद अस्पताल बनाने पड़ेंगे। दूसरे जो प्राइवेट संस्थान हैं, उन्हें भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारे पास दिल्ली के अस्पतालों में जितनी व्यवस्था है, उनमें मरीजों को इसलिए लम्बे वक्त तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है क्योंकि ऑपरेशन्स ज्यादा होते हैं और हमारे पास उतने एक्सपर्ट और मशीनें नहीं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी वक्त मरीजों को दिया जा सके, वह उन्हें दिया जाए। वैसे प्राइवेट सैक्टर में भी इस तरह की मशीनें लगी हुई हैं। हमारे सरकारी अस्पतालों में, जो सैन्टर के हैं, हम इस कठिनाई को दूर करने की कोशिश करेंगे परन्तु यह एक स्टेट सब्जैक्ट है, हम स्टेटस को भी सजेस्ट करेंगे कि वे अपने यहां इस तरह की व्यवस्था करें ताकि मरीजों को लाभ हो सके, यही मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर से पता चलता है कि हृदय रोगों की जांच और निदान के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे देश में चार प्रमुख अस्पतालों में है, चार अस्पतालों में से तीन दिल्ली में है और चौथा चण्डीगढ़ में है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस सुविधा को श्री चित्रा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा आयुर्विज्ञान संस्थान त्रिवेन्द्रम में भी उपलब्ध कराएंगे ? महोदय, यह एक राष्ट्रीय संस्थान है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। और यदि मेरी सूचना सही है तो मैं समझता हूं कि दक्षिण भारत में केवल यही एक संस्थान है जिसे ख्याति मिली है। क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि क्या ये सभी सुविधाएं त्रिवेन्द्रम में इस तरह के प्रतिष्ठित संस्थान में भी उपलब्ध करायी जायेंगी ?

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष जी, जो मेडिकल कालेज हमारी मिनिस्ट्री के अधीन थे, मैंने अभी उनके बारे में आपको बताया, ये फैसिलिटीज जहां मौजूद हैं, उनकी संख्या 17 है, यदि आप कहें तो मैं उन इन्स्टीट्यूट्स के नाम पढ़ दूं अगर जरूरी समझें तो, क्योंकि उसमें प्राइवेट भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट के इंसटीट्यूट्स भी हैं।

श्री ए० चार्ल्स : क्या त्रिवेन्द्रम में भी हैं : यदि हैं तो उनके नाम बताइए।

श्री रशीद मसूद : हां, त्रिवेन्द्रम में भी दो संस्थान हैं, उनके नाम हैं, श्री चित्रा तिरूमल इंसटीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, त्रिवेन्द्रम, तथा मेडिकल कालेज एण्ड अस्पताल, त्रिवेन्द्रम। (**व्यवधान**)

श्री बाळू दयाल जोशी : अध्यक्ष जी, क्या मंत्री महोदय ऐसा नहीं सोचते कि हृदय रोगों के उपचार के लिए अत्याधुनिक उपकरणों के आ जाने के बावजूद स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है : मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की। क्या यह सत्य नहीं है कि अत्याधुनिक मशीनें आ जाने के बावजूद देश में हृदय रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और उसका एकमात्र कारण यह नहीं है, जो आयुर्वेद से सम्बन्धित ग्रन्थ के प्रथम श्लोक में कहा गया है :

अत्युष्ण गुर्वन्न कषाय तिक्त, श्रमाग्निघातातृध्यशन प्रसंगे।
संचिन्तने वेग विधारणेच्च, हृदामय: पंचविन्ध: प्रदिष्ट: ।।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भले ही कितने आधुनिक उपकरण मंगवा लीजिए, परन्तु जब तक जैसा आयुर्वेद की चिकित्सा से सम्बन्धित ग्रन्थ के पहले श्लोक में लिखा है, अत्याधिक गर्म चीजें खाने से हृदय रोग ज्यादा होते हैं, इसका प्रचार/प्रसार, क्या आप अपने भिन्न-भिन्न माध्यमों से, पम्फलैटस के द्वारा, सारे हिन्दुस्तान में करने की व्यवस्था करेंगे ताकि हृदय रोगों को रोकने की दिशा में कारगर कदम उठाए जा सकें।

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष जी, जोशी जी ने यहां दो सवाल उठाए हैं। एक सवाल तो यह है कि हृदय रोगों के बढ़ने की वजह क्या है। यह बात सही है कि आजकल हमारे लाइफ स्टाइल में जो परिवर्तन आ रहा है, हम अपने खाने-पीने में जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें एडल्टरेशन हो रहा है और उसकी वजह से हृदय रोग के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी यह बात अपनी जगह सही है। इसमें भी कोई दो राये नहीं कि आयुर्वेद में, हमारे पुराने इण्डियन सिस्टम में

कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो हृदय रोग के लिए अच्छी हैं, जैसे लहसुन है, और भी कई दवाइयां हैं । फिर भी, हृदय रोगों के बढ़ने की यही वजह नहीं है। हृदय रोगों को बढ़ने से रोकने के लिए हम कुछ प्रिवेंन्टिव तरीके अख्तयार करने और लोगों को हैल्थ एजूकेशन देने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें इन चीजों को भी शामिल करेंगे ताकि हृदय रोग बढ़ने न पायें ।

[अनुवाद]

डा० वेंकटेश काबड़े : महोदय, केन्द्र यह कह कर इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है कि यह राज्य का विषय है और उपकरण कुछ अस्पतालों में उपलब्ध हैं । मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं। हृदय रोगों का पता लगाने के लिए तीन उपकरण आवश्यक हैं। एक 'ट्रेड मिल एक्सरसाईज मशीन' है, दूसरी 'अल्ट्रासाऊंड मशीन' है और हृदय रोग की जांच के लिए 'न्यूक्लियर स्केनिंग' उपकरण है ।

मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि देश में ज्यादातर उपकरण आम आदमी के उपयोग के लिए नहीं है और केवल बड़े शहरों में ऐसे उपकरणों की संख्या ज्यादा है तथा अधिकांश मेडीकल कालेजों में यह मशीन नहीं है । इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि यदि दिल्ली में मशीनें हैं तो सारे देश में भी इसका लाभ मिलेगा। अतः क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए हम ऐसा नियोजन कर सकते हैं कि जिससे हृदय रोगों का पता लगाने के लिए तकनीकी सुविधाओं का विकेन्द्रीकरण हो सके? क्या मंत्री महोदय ने जांच करने के इन नए तरीकों को आम आदमी को उपलब्ध कराने सम्बन्धी समस्या और यह सुनिश्चित करने के लिए यह मशीन समान रूप रूप से सब जगह उपलब्ध हो, पर चर्चा करने के लिए कभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाया है ?

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : साहब, चूंकि हमारी जिम्मेदारी बेसिकली जिन हास्पिटल्स की है, हमने उनके बारे में बताया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो बाकी पापुलेशन है, उसके बारे में हम आंखें बन्द करके बैठे हैं। एक फाइव ईयर प्लान है, उसके तहत एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था, उसने एक कमेटी बनाई है, उसने अपनी सिफारिशात की हैं जिनमें हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और जो डिस्ट्रिक्ट में वेरियस आफिसेस हैं, उनमें किस तरीके से कितनी-कितनी डिटैक्शन मशीनें दे सकते हैं, यह कमेटी उसको देखेगी । हमने स्टेट्स के मिनिस्टर्स के साथ अभी इस बारे में कोई मीटिंग नहीं की है, लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट आती है, फाइनलाइज होती है, उसके बाद हम आगे देखेंगे ।

कपड़ा मिलों के श्रमिकों की सामान्य भविष्य निधि की राशि

[अनुवाद]

***390. श्री राम नाईक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्थित अनेक कपड़ा मिलें श्रमिकों से वसूल की गई भविष्य निधि की राशि सरकार के पास जमा नहीं करा रही है;

(ख) यदि हां, तो जून, 1990 की स्थिति के अनुसार ऐसी मिलों के क्या नाम हैं और उनसे कर्मचारियों के अंशदान और मालिकों के अंशदान की कितनी-कितनी धनराशि वसूल की जानी है;

(ग) सरकार द्वारा बकाया धनराशि वसूल करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी मिलों के प्रबन्धकों के विरुद्ध जिन्होंने बकाया राशि जमा नहीं कराई है, क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है ?

[हिन्दी]

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार, बम्बई की 13 कपड़ा मिलों ने कर्मचारियों की मजदूरी से काटे गए भविष्य निधि अंशदान के कर्मचारी के हिस्से को जमा नहीं कराया है। 03 जून, 1990 को चूककर्ता मिलों और उनकी ओर कर्मचारी तथा नियोजक के अंशदान के हिस्से की देय राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(रु० लाखों में)

क्रमांक मिल का नाम	कर्मचारी के अंशदान का हिस्सा	नियोजक के अंशदान का हिस्सा
1. मैसर्स इण्डिया यूनाइटिड मिल्स	1.78	68.99
2. मैसर्स भारत टैक्सटाइल मिल्स	0.44	14.51
3. मैसर्स दिग्विजय टैक्सटाइल मिल्स	1.12	9.70
4. मैसर्स जाम मैन्युफैक्चरिंग क० लि०	0.68	15.05
5. मैसर्स सायाजी मिल्स लि०	0.92	0.92
6. मैसर्स रघुवंशी मिल्स	4.91	6.44
7. मैसर्स न्यू इण्डिया रेयन मिल्स	3.62	10.22
8. मैसर्स किषको मिल्स प्राइवेट लि०	2.03	4.74
9. मैसर्स कोहीनूर मिल्स लि०	2.56	3.50
10. मैसर्स न्यू सिटी बम्बई मैन्युफैक्चरिंग मिल	0.88	0.85
11. मैसर्स ब्राडबरी मिल्स	56.97	79.74
12. मैसर्स रुकसारिया मिल्स	1.15	11.14
13. मैसर्स न्यू केसरी हिन्द मिल्स	7.32	8.83

क० भ० नि० प्राधिकारियों ने चूककर्ता मिलों के खिलाफ निम्नलिखित कारंवाई की है :—

(1) पांच मिलों के विरुद्ध भा० द० सं० की धारा 406/409 के अधीन मामले दायर किए गए हैं।

(2) आठ मिलों के विरुद्ध क० भ० नि० अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन मामले चलाए गए हैं।

(3) आठ मिलों के विरुद्ध क० भ० नि० अधिनियम की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली प्रमाणपत्र दायर किए गए हैं।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रॉविडेण्ट फण्ड में पैसा जमा होता है, यह मजदूरों की मेहनत का पैसा होता है और यह पैसा मालिकों को अपने कंट्रीब्यूशन के साथ केवल 7 दिन में प्रॉविडेण्ट ऑफिस में जमा करना चाहिए, ऐसा नियम है। ऐसा नियम होते हुए भी 3 करोड़ 20 लाख रुपया प्रॉविडेण्ट फण्ड ऑफिस में जो जाना चाहिए था वह इन 13 मिलों की ओर से नहीं गया है। इनमें इंडियन युनाइटेड मिल्स और मै० कोहीनूर मिल्स प्रा० लि० जैसी मिल्स हैं, ये तो एन० टी० सी० यानी सरकार की मिलें हैं। सरकार की मिलें होते हुए भी, ये मिलें प्रॉविडेण्ट फण्ड में पैसा न दें, यह बात ठीक नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी मिलें भी प्रॉविडेण्ड फण्ड में पैसा क्यों नहीं दे रही हैं और इनमें से कुछ मिलें बन्द हो गई हैं, तो वे कौन सी मिले हैं और मंत्री जी ने अपने जवाब में, अंत में कहा है कि 5 मिलों पर इण्डियन पीनल कोड के अन्तर्गत कारंवाई की गई है, तो इन मिलों के मालिक कौन हैं, मालिकों के नाम क्या हैं और उन पर केस कब दर्ज किया गया ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जितने समय का पैसा बकाया है, उसमें अधिकांश उस समय का बकाया है जब नैशनलाइजेशन नहीं किया गया था और उस समय का यह पैसा बकाया है। जब मिलें बन्द हो जाती हैं, तो मजदूर की सबसे पहली डिमांड यह होती है कि किसी तरह से मिल चले, जिससे रोजी-रोटी मिल सके। जब मिल खुलती है तो जो बकाया पैसा है, जो प्रॉविडेण्ट फण्ड के नाम पर जमा है, वह मिलना चाहिए, इसमें दो मत नहीं हैं और उसके लिए सरकार ने कारंवाई की है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि कौन-कौस सी ऐसी मिलें हैं जिनके खिलाफ कारंवाई की गई है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिन मिलों के खिलाफ 406 और 409 धारा के तहत कारंवाई की गई है, वे हैं—मै० जाम मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, मै० न्यू इण्डिया रेयान मिल्स, मै० कोहीनूर मिल्स लि०, मै० न्यू सिटी बम्बई मैन्यूफैक्चरिंग मिल, मै० ब्राडबरी मिल्स हैं। जिनके खिलाफ धारा 8 के तहत कारंवाई की गई है उनमें—भारत टैक्सटाइल मिल्स, मै० जाम मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, मै० न्यू इण्डिय रेयन मिल्स, मै० किषको मिल्स प्राइवेट लि० और मै० ब्राडबरी मिल्स, मै० इण्डिया युनाईटेड मिल्स, मै० रूकसारिया मिल्स और मै० न्यू केसरी हिन्द मिल्स हैं। इनके अलावा जिनके खिलाफ धारा 14 के अन्तर्गत कारंवाई की गई है उनमें मै० इण्डिया युनाइटिड मिल्स; मै० भारत टैक्सटाइल मिल्स, मै० जाम मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, मै० सायाजी मिल्स लि०, मै० रघुवंशी मिल्स, न्यू इण्डिया रेयन मिल्स, मै० किषको मिल्स प्राइवेट लि० और मै० ब्राडबरी मिल्स हैं। यदि आप जानना चाहेंगे कि कब से कार्यवाही की गई है तो वह भी मेरे पास मौजूद है। इण्डिया यूनाईटेड मिल्स के खिलाफ 1975 से कार्यवाही शुरू कर दी गई है, न्यू इण्डिया रेयन मिल्स की 1979 से कार्यवाही शुरू कर दी गई है, दिगविजय टैक्सटाइल मिल्स की 1978 से कार्यवाही शुरू है। ···(व्यवधान)

श्री राम नाईक : मजदूरों का जो पैसा मालिकों को देना चाहिए वह समय पर मिलना चाहिए। इसके लिए प्रौवीडेंट फण्ड आफिस को भी ख्याल करना चाहिए। प्रौवीडेंट फंड के मुम्बई आफिस में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि कोई इस प्रकार के काम पर ध्यान ही नहीं देता है। मजदूर रिटायर हो जाता है और सालों-साल उनका पैसा नहीं मिलता है, बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। मेरा सवाल है कि मुम्बई के प्रौवीडेंट फण्ड आफिस में जो भ्रष्टाचार है उसे समाप्त करने के लिए मुम्बई शहर और उसके आस-पास क्या कोई इनवेंस्टीगेशन कमेटी बनाकर इस कार्यालय में सुधार करने के लिए सरकार तैयार है ?

श्री राम विलास पासवान : यदि आप देखेंगे तो प्रतिवर्ष प्रौवीडेंट फंड से 2500 करोड़ रुपया कलैक्शन होता है। अभी हमारे प्रौवीडेंट फंड में टोटल राशि 30,000 करोड़ है जो कम रकम नहीं है। जो हमारे प्रौवीडेंट फंड के सदस्य हैं वे एक करोड़ 45 लाख हैं। हमारे पास टोटल फर्म और कम्पनी 1,95,000 हैं, टोटल बकाया राशि 215 करोड़ रुपए है। 30,000 करोड़ रुपया हमारे पास जमा है, उसमें से केवल 215 करोड़ रुपया बकाया राशि है। इसलिए यह कहना कि प्रौवीडेंट फंड कार्यालय तत्परता से काम नहीं कर रहा है, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। जहां तक बम्बई का सवाल है, बम्बई में 25 कपड़ा मिल्स हैं जिसमें से 8 ऐगजेंम्पटेड हैं और 17 अनऐगजेंम्पटेड हैं और बकाया राशि केवल 4.79 लाख है। मेरे पास महाराष्ट्र का भी पूरा है कि छोटा-बड़ा कितना है। इसके अलावा हमने 1 जुलाई से अपनी रिकवरी मिशनरी भी तैयार कर ली है, अब हम राज्य सरकारों पर भी निर्भर नहीं करने वाले हैं क्योंकि मजदूर का एक-एक पैसा उसकी पसीने की कमाई होता है और पसीने की कमाई को पैसे वालों के द्वारा लूटा नहीं जा सकता है। इसलिए हमने अपनी मिशनरी तैयार कर ली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रौवीडेंट फंड के मामले में कहीं कोई ढ़िलाई नहीं की जाएगी और हम उसका उपयोग करके मजदूरों के हक को दिलाकर रहेंगे, आप सिर्फ हमारी नौलेज में लाते रहें। लाचारी तब हो जाती है जब कोई स्टे आर्डर हो जाता है, कोर्ट का मामला हो जाता है। चार में लीक्वीडेशन का आदेश हो चुका है लेकिन जब कहीं से स्टे आर्डर मिल जाता है तो हमारे सामने लाचारी हो जाती है। लेकिन हम कार्यवाही करने में नहीं हिचक रहे हैं, न ही हिचकेंगे।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, भविष्य निधि के जमा करा दिए जाने की आशा है और एक लम्बे अरसे से यह जमा नहीं कराया गया। श्रमिकों से जो भी भविष्य निधि ली गई थी, उसका भी पता नहीं चला है और भविष्य निधि अधिकारियों से इस सम्बन्ध में उनका मत प्राप्त करना होगा। जो कुछ हुआ है उसके लिए वे भी जिम्मेदार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री कुमारमंगलम।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं अपने प्रश्न पर जोर नहीं दे रहा हूं।

टेट्रासाइक्लिन का दांतों पर कुप्रभाव

+

*392. **श्री अम्बारासु इरा :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेट्रासाइक्लिन के प्रयोग से दांतों के असली रंग में परिवर्तन हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का टेट्रासाइक्लिन के प्रयोग के प्रति लोगों को सावधान करने का कोई विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 23 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या 578 (ई) के तहत टेट्रासाइक्लीन के तरल मुखसेव्य औषध के विनिर्माण और बिक्री पर पहले ही प्रतिबन्ध लगा दिया है।

[अनुवाद]

श्री अन्नारासु इरा : महोदय, मेरा प्रश्न यह है :

"(क) क्या टेट्रासाइक्लिन के प्रयोग से दांतों के असली रंग में परिवर्तन हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का टेट्रासाइक्लिन के प्रयोग के प्रति लोगों को सावधान करने का कोई विचार है;"

उत्तर है, "जी हां।"

मैंने आगे पूछा था : "अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?" उत्तर यह है, "केन्द्र सरकार ने टेट्रा-साइक्लिन के तरल मुखसेव्य औषध के विनिर्माण और बिक्री पर पहले ही प्रतिबन्ध लगा दिया है।"

अब जबकि सरकार ने इसके विनिर्माण पर रोक लगा दी है, यह यहां उपलब्ध है। मुझे ये गोलियां संसदीय सौध स्थित चिकित्सा केन्द्र से मिली हैं। जब सरकार यह कहती है कि उन्होंने इस तरल मुखसेव्य औषधि के विनिर्माण पर रोक लगा दी है, तो हम संसद सदस्यों को यह यहां मिल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की इसपर प्रतिक्रिया क्या है और क्या वे इन दवाओं के विनिर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय सदस्य ने जवाब ध्यान से नहीं पढ़ा है। मैंने साफ कहा है कि लिक्विड जो वह बच्चों के लिए ले जाते हैं, उसके ऊपर हमने पाबन्दी लगा दी है। जो निर्माता हैं, वे खुद कंपसूल पर वार्निंग लगाते हैं। यह मेरे पास मौजूद है और वह इसको देख सकते हैं। इसमें वार्निंग के साथ लिखा हुआ है'''**(व्यवधान)**

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

क्लोरीन की गोलियों की खरीद

[अनुवाद]

391. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने हैजा फैलने की सम्भावना वाले क्षेत्रों में लोगों को क्लोरीन की गोलियां वितरित करने के लिए उनकी भारी मात्रा में खरीद की थी, ताकि दिल्ली में हैजा महामारी को फैलने से रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या खरीदी गई इन गोलियों पर आई० एस० आई० का चिह्न अंकित था;

(ग) क्या यह खरीद सरकारी खरीद के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंसशुदा निर्माताओं/सप्लायरों से ही की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इनकी खरीद में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अप्रैल, 1990 में (i) आई० एस० आई० चिह्न वाली 40 मि० ग्रा० क्लोरीन की गोलियों के 40 गहरे रंगों, विशेषकर काले रंग की प्लास्टिक की थैलियों में 25-25 गोलियों वाले 1000 पैकेटों तथा (ii) इसी तरह की पैकिंग में आई० एस० आई० चिह्न वाली 25 मि० ग्रा० क्लोरीन की गोलियों की खरीद के लिए निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं। निविदाएं प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 8 मई, 1990 थी। निविदा पूछ-ताछ के उत्तर में छह फर्मों ने अपनी कोटेशनें भेजी जिनमें से 3 फर्मों की कोटेशनें विशिष्ट विवरणों, जिसमें आई० एस० आई० चिह्न शामिल है, के अनुरूप थीं। क्लोरीन की 34 लाख गोलियों का सप्लाई आर्डर मैसर्स वाटर-केम लेबोरेटरीज, हैदराबाद, जिन्होंने न्यूनतम दर कोट की थी, को दे दिया गया। इस आर्डर के मुताबिक मैसर्स वाटर-केम लेबोरेटरीज ने जून, 1990 में क्लोरीन की 8 लाख गोलियों की पहली खेप सप्लाई की, लेकिन इन गोलियों पर आई० एस० आई० चिह्न नहीं था। अतः दिल्ली प्रशासन ने मैसर्स वाटर-केम लेबोरेटरीज को दिए गए आर्डर को रद्द करने का निर्णय लिया। तदुपरान्त क्लोरीन की 34 लाख गोलियों का नया आर्डर द्वितीय न्यूनतम निविदाकार मैसर्स ओमन ड्रग्स प्रा० लि०, भोपाल को दे दिया गया। मैसर्स ओमन ड्रग्स प्रा० लि० ने आई० एस० आई० चिह्न वाली तमाम 34 लाख गोलियों की मात्रा सप्लाई कर दी है। इस फर्म के पास आई० एस० आई० विनिर्देशन के अनुसार क्लोरीन गोलियों का विनिर्माण करने के लिए औषध विनिर्माण लाइसेंस है। दिल्ली प्रशासन ने उपर्युक्त खरीद करते समय खरीद कार्यपद्धति का पालन किया है।

भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्यों को सहायता

[हिन्दी]

*393. श्री राजवली : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में, विशेषरूप से मध्य प्रदेश में नीचे जा रहे भूमिगत जल स्तर को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का भूमिगत जल स्तर को ऊपर लाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई सिंचाई योजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस अनुदान के लिए किन-किन राज्य सरकारों ने अनुरोध किया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने देश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर एक स्कीम तैयार करने की योजना बनाई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जमाखोरों पर छापे

[अनुवाद]

*394. **श्री आर० गुन्डू राव :**
श्री जी० एस० बासवराज :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि देश भर में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम करने के लिए जमाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए;

(ख) यदि हां, तो राजधानी और देश के अन्य भागों में जून से अगस्त, 1990 तक की अवधि के दौरान जमाखोरों पर कितने छापे डाले गए;

(ग) डाले गए छापों का ब्यौरा क्या है और क्या इन छापों के परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कोई कमी हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्य क्या उपाय किए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें दिल्ली शामिल है, से प्राप्त सूचना के अनुसार, जून, 1990 के दौरान 19472 छापे मारे गए, 529 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 224 लाख रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। जुलाई के बारे में 16 राज्यों द्वारा 15893 छापों, 342 गिरफ्तारियों तथा लगभग 75 लाख रुपए मूल्य की वस्तुओं के जब्त किए जाने की सूचना दी गई है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में जून से अगस्त, 1990 के दौरान 60 छापे मारे गए

और 9 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अगस्त, 1990 के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

मूल्यों पर कई बातें मिलकर हितकारी प्रभाव डालती हैं। मारे गए छापे इन्हीं बातों में से एक है।

(घ) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने और आवश्यक वस्तुओं को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए किए गए अन्य उपायों में से ये उपाय शामिल हैं—आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना, खाद्यान्नों की कारगर अधिप्राप्ति करना और उनका सुरक्षित भण्डार बनाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना, आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों तथा अन्य नियामक उपायों को कड़ाई से लागू करना और विदेशी मुद्रा के संसाधनों की समग्र कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आयातों (उदाहरण के रूप में खाद्य तेल) के जरिए देश के भीतर आपूर्ति में वृद्धि करना।

दक्षिण दिल्ली में मेडिकल स्टोर डिपो

*395. **श्री कालेश्वर यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण दिल्ली में सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो में सामान्यतः कुल कितने मूल्य की दवाइयों का भण्डारण किया जाता है;

(ख) क्या इन दवाइयों को मौसम इत्यादि के प्रभावों से होने वाली क्षति से बचाने के लिए इस डिपो में आवश्यक वातानुकूलन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) अपर्याप्त भण्डारण क्षमता एवं अन्य कारणों से प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य की दवाइयां बेकार हो जाती हैं तथा इन्हें नष्ट करना पड़ता है; और

(ङ) इन दवाइयों के सुरक्षित भण्डारण हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो, दिल्ली में किसी भी समय सामान्यतया लगभग 50 लाख रुपए की कुल लागत की औषधें भण्डार में रहती हैं।

(ख) जी हां।

(ग) 1. जहां एण्टी बायोटिक और इन्जेक्शन से दी जाने वाली औषधियों को भण्डार में रखा जाता है वहां गोदामों में एयर कन्डीशनर्स और रेफरीजिरेटर लगाए जाते हैं।

2. सभी औषधों को छतदार स्थानों पर रखा जाता है। किसी भी औषध को खुले में नहीं रखा जाता है।

3. सामग्रियों को रखने के लिए सभी गोदामों में लोहे की सीढ़ियां प्रदान की जाती हैं।

4. गैरेजों और गोदामों में कुरसी क्षेत्र को भू-स्तर से चिना जाता है।

(घ) शून्य ।

(ङ) (ख), (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता । तथापि, भण्डारण की स्थितियों में सुधार करने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं ।

कमला नदी के आर-पार साइफन का निर्माण

[हिन्दी]

*396. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पश्चिम कोसी में कमला नदी के आर-पार साइफन के निर्माण का कार्य नेशनल प्रोजेक्टस कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य को शुरू करने तथा इसे पूरा करने के लिए कोई सीमा निर्धारित की गई है और उस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जयनगर के निकट कमला नदी की पूर्वी और पश्चिमी सहायक नदियों के आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) कोसी नदी पर बराह क्षेत्र में, कमला नदी पर शीशपाणी क्षेत्र में तथा बागमती नदी पर नून्थर क्षेत्र में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण की स्थिति क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में जनवरी, 1990 से अगस्त 1990 के दौरान नेपाल सरकार के साथ कितनी बार बातचीत हुई और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राज्य सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कारपोरेशन को कोई निर्णय नहीं भेजा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना में कमला सिंचाई आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) नेपाल के साथ जल संसाधनों पर भारत-नेपाल उप-आयोग की दिसम्बर, 1988 में आयोजित बैठक में अन्तिम बार विचार-विमर्श किया गया था ।

(ङ) उसके बाद इस अवधि के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी ।

छोटे बांध

[अनुवाद]

*397. **श्री ए० के० राय** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पर्वतीय क्षेत्रों अथवा छोटा-नागपुर जैसे क्षेत्रों में छोटे बांध बड़े बांधों की अपेक्षा अधिक प्रभावी है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र में ऐसे बांधों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) बांधों का निर्माण मूल रूप से स्थिति से सम्बन्धित विशेष मुद्दा है तथा हाइड्रोलिक संरचनाओं का आकार जल विज्ञान, स्थलाकृतिक, भू-वैज्ञानिक स्थितियां, किसानों की आवश्यकताएं, परियोजना का पर्यावर्णीय महत्व तथा आर्थिक व्यवहार्यता जैसे अनेक उपयुक्त घटकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस मामले में कोई सामान्यीकरण संभव नहीं है। बेसिन की मास्टर योजना में क्षेत्र की भू-आकृति-विज्ञान तथा जलवायु सम्बन्धी विशेषताओं के आधार पर इनका उपयुक्त मिश्रण शामिल होना है। बिहार सरकार ने अपनी घाटियों की मास्टर योजनाओं को अन्तिम रूप देने के वास्ते भी अनुरोध किया गया है।

सफदरजंग अस्पताल में नर्सिंग होम

* 98. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सफदरजंग में नए बहिरंग रोगी विभाग खंड के सम्बन्ध में 2 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 7184 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में एक नर्सिंग होम का निर्माण करने विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग खण्ड के निर्माण के सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) इस समय सफदरजंग अस्पताल में एक उपचर्या-गृह के निर्माण के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) ओ० पी० डी० ब्लाक, फेज-3 (केन्द्रीय खण्ड), सफदरजंग अस्पताल का निर्माण-कार्य अप्रैल, 1989 में शुरू किया गया। यह कार्य चल रहा है और अब तक 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इस कार्य को पूरा करने की लक्षित तारीख 30-4-1991 है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भविष्य निधि और परिवार-पेंशन के अनिर्णीत मामले

*399. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में भविष्य निधि और परिवार पेंशन के मामले कई वर्षों से अनिर्णीत पड़े हुए हैं, जिसके कारण गरीब अंशदाताओं और नामित व्यक्तियों

को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनिर्णीत पड़े दावों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस बढ़ती हुई बुराई को दूर करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने का विचार है?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा भविष्य निधि और परिवार पेंशन के दावों के निपटान को उचित प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान प्राप्त हुए और निपटाए गए दावों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

	मामलों की संख्या				
	प्राप्त हुए (पिछले वर्ष के अन्त तक लम्बित दावों सहित)	अस्वीकृत	निपटाए गए	वर्ष के अन्त तक लम्बित	एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित
1. भविष्य निधि					
1986-87	7,24,200	1,09,495	5,48,813	65,972	6
1987-88	7,60,691	1,10,596	5,92,002	50,093	6
1988-89	7,50,475	1,14,044	5,81,360	54,271	5
2. परिवार पेंशन					
1986-87	20,046	6,363	9,206	4,477	93
1987-88	24,906	7,205	13,109	4,592	171
1988-89	27,825	8,530	14,934	4,361	15

दावों के निपटान में विलम्ब मुख्यत: निम्न कारणों से होता है :—

(i) अपूर्ण तथा दोषपूर्ण दावे प्रस्तुत करना;

(ii) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दावा प्रपत्रों का अनुप्रमाणन न करना;

(iii) नियोजकों द्वारा अनिवार्य विवरणियां न भेजना; और

(iv) नियोजक द्वारा भविष्य निधि अंशदान की अदायगी न करना।

सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात

[हिन्दी]

*400. प्रो० रासा सिंह रावत :
श्री नकुल नायक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 से दौरान, सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) किन-किन देशों को इन वस्त्रों का निर्यात किया जाता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितने मूल्य के और किस-किस किस्म के सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात और आयात किया गया; और

(घ) भविष्य में इस व्यापार में वृद्धि की क्या सम्भावनाएं हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान सिले सिलाए परिधानों के निर्यात के लिए 3900 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) सिले सिलाए परिधानों के निर्यात लगभग सभी देशों को किए जाते हैं। जिनमें से मुख्य गन्तव्य देश हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देश, संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, जापान, स्विटजरलैंड तथा कनाडा।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित परिधानों के किस्म-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(मूल्य करोड़ रु० में)

	1987-88	1988-89	1989-90
सूती परिधान	1606.55	1697.98	2284.88
सिंथेटिक परिधान	321.45	497.79	1066.77
ऊनी परिधान	71.54	82.31	120.52
रेशमी परिधान	51.90	54.03	77.83
योग :	2051.44	2332.11	3650.00

(घ) भारत से परिधानों के निर्यात की सम्भावना बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं आधुनिकीकरण के जरिए उत्पादन आधार तथा उत्पाद स्तर का विकास करना, आयात निर्यात नीति में सुधार करना, इन्फास्ट्रक्चर की कठिनाइयों को दूर करना, जिन गैर-परम्परागत

उत्पादों और बाजारों को हथियाया नहीं गया है उनकी सम्भावना का पता लगाने की दृष्टि से विपणन नीति बनाना तथा गहन व समन्वित बाजार आसूचना प्रणाली का विकास करना।

वस्त्र-निर्यात

[अनुवाद]

*401. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने आठवीं योजना में निर्यात संवर्धन के लिए कोई नई नीति तैयार की है जिसके अन्तर्गत विमान द्वारा माल की ढुलाई के क्षेत्र में गैर-सरकारी उद्यमियों को अनुमति दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नीति वस्त्र-निर्यात में कहां तक सहायक सिद्ध होगी ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अन्नानास के पत्ते के रेशे से धागा

*402. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारतीय वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, कोयम्बटूर ने शत-प्रतिशत अन्नानास के रेशे से धागे का उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ ने यू० एन० डी० पी० की सहायता से क्रियान्वित की जा रही एक अनुसंधान परियोजना में संशोधित रुई कताई प्रक्रिया से 100 प्रतिशत अन्नानास के लीफ फाईबर से 1 लेके 10 काउन्टों तक के यथोचित संतोषजनक क्वालिटी के यार्न का उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की हैं। सिटरा के पास पटसन और बस्टिड कताई प्रक्रिया में लम्बे रेशे के सीसल, पटसन और ऊन से बने अन्नानास के लीफ फाईबर के स्पन ब्लेंड भी हैं।

(ग) सरकार परियोजना से अब तक प्राप्त परिणामों से संतुष्ट है तथा उसे आशा है कि सिटरा अन्नानास लीफ फाईबर के एक्सट्रेक्शन की लागत को कम करके प्रतियोगी स्तर तक लाने में सफल होगा ताकि इसका प्रयोग वस्त्र उद्योग द्वारा किया जा सके।

महाराष्ट्र और राजस्थान में जल का अभाव

[हिन्दी]

***403. श्री हरि शंकार महाले : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और राजस्थान को वर्ष 1990 के दौरान सिचाई के लिए सम्भवतः जल के भारी अभाव का सामना करना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान का प्रबन्ध ग्रहण

[अनुवाद]

***404. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है, जैसाकि 12 जून, 1990 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रबन्ध ग्रहण के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सरकार को ऐसी बहुत-सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान (सी० आर० आई० वाय) के वर्तमान निदेशक द्वारा धन के इस्तेमाल तथा प्रबन्धकीय कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। योग कर्मचारी संघ के सदस्य भी निदेशक द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने के विरुद्ध आन्दोलन करते रहे हैं। कर्मचारियों को जनवरी, 1990 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की है कि यदि वर्तमान निदेशक को धन दिया गया तो वह उसे अन्य प्रयोजनों में लगाएंगे।

केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान के निदेशक से इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए शासी निकाय की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं किया। इन परिस्थितियों में सरकार इस संस्थान के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस मामले में कोई निश्चित तारीख नहीं बतलाई जा सकती।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री के लिए सस्ते मूल्य वाला कपड़ा

***405. श्री नन्दलाल मीणा : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के निर्धन/कमजोर वर्गों के लोगों के लिए सस्ते मूल्य वाला कपड़ा उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री हेतु विभिन्न किस्मों के सस्ते मूल्य वाले कपड़ों की कितनी मात्रा दी गई;

(ग) क्या इस कपड़े की मांग को पूरा करने के लिए सप्लाई की गई मात्रा पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो इस मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बिक्री के लिए कपड़े की कुछ और किस्में शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा उत्पादित कन्ट्रोल के कपड़े का वितरण अन्य माध्यमों के अलावा सार्वजनिक प्रणाली से भी किया जाता है।

(ख) वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान राजस्थान में वितरण कार्य में लगी एजेंसियों को एन० टी० सी० द्वारा उपलब्ध कराई गई कन्ट्रोल के कपड़े की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	उपलब्ध कराई गई मात्रा	
	सूती किस्में (लाख वर्ग मीटर में)	पालिएस्टर सूत्री किस्में (लाख मीटर में)
1987-88	69.04	2..7
1988-89	66.03	3.19
1989-90	38.86	3.38

(ग) और (घ) सरकार को राजस्थान में कन्ट्रोल के कपड़े की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) इस समय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अधिक किस्म के कपड़े को शामिल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। एन० टी० सी० मिलों द्वारा उत्पादित कन्ट्रोल के कपड़े तथा हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादित जनता कपड़े का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए किया जाता है ताकि समाज के गरीब वर्गों की मांग को आंशिक रूप से पूरा किया जा सके।

जूट उद्योग का आधुनिकीकरण

*406. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 150 करोड़ रुपए की जूट आधुनिकीकरण कोष योजना का जूट मिल उद्योग में चल रहे वर्तमान आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर अब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कच्चा जूट स्तर से अन्तिम उत्पाद स्तर तक उत्पादकता और किस्म में सुधार लाने के लिए तैयार किए गए आधुनिकीकरण पैकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि इस योजना ने पटसन मिल उद्योग में चल रहे आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं डाला है। 31 जुलाई, 1990 की स्थिति अनुसार वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राप्त 37 आवेदन पत्रों में से 19 मामलों में कुल 72.64 करोड़ रु० की राशि के ऋण की स्वीकृति दी गई है। अब तक 18 करोड़ रु० की राशि वितरित की जा चुकी है। इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं है कि अच्छे तथा सुव्यवस्थित एकक योजना का फायदा उठा रहे हैं जबकि अधिकांश मिलों ने जोकि कमजोर हैं लेकिन संभाव्य रूप से अर्थक्षम हैं, योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया है। योजना की धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कुछेक कारण नीचे दिए गए हैं :—

(1) मिलों के बुनाई अनुभागों में प्रौद्योगिकी के चयन के बारे में निर्णय लेने में एककों द्वारा लिया गया समय।

(2) उन कुछ पटसन मिलों से सम्बन्धित बी० आई० एफ० आर० की प्रक्रिया को पूरा करने में आवश्यक समय लगना जिनके मामलों को वित्तीय संस्थानों ने आरम्भ में अनुमोदित कर दिया था।

(3) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने तथा ऋणों की स्वीकृति के बाद भी कुछ प्रबन्धक इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ उठाने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ अपने मामलों को सक्रिय रूप से नहीं उठाते।

(ग) सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करके गठित की गई समिति ने योजना के कार्यचालन की जांच की है तथा योजना के प्रचालन में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाने का सुझाव दिया है। संशोधित पैकेज बनाने के लिए इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

खुदरा कोयला लाइसेंस धारकों द्वारा कोयला न उठाया जाना

4464. **श्री रबिनारायण पाणि** :
श्री के० मानवेन्द्र सिंह :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** खुदरा कोयला लाइसेंसों को रद्द किए जाने के बारे में 21 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1511 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान जिन खुदरा कोयला लाइसेंस धारकों ने उन्हें आवंटित सॉफ्ट कोक नहीं उठाया था उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) 63 कोयला लाइसेंसधारियों, जिन्होंने गत तीन वर्षों में साफ्ट कोक नहीं उठाया, में से 23 के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया। बाकी 40 के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

आयातित होम्योपैथी की दवाइयों का परीक्षण

4465. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयात की जाने वाली होम्योपैथी की दवाइयों का, निर्माता द्वारा दिए गए विशिष्ट विवरण के अनुसार परीक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन मदों/उत्पादों के निर्माताओं द्वारा दिए गए विशिष्ट विवरण में परिवर्तन किया गया है, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) औषध एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित मानकों के अनुसार आयातित होम्योपैथिक औषधों की जांच की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी विनिर्दिष्टि का संशोधन नहीं किया गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

4466. **श्री बी० एन० रेड्डी** :
श्री शिव शरण वर्मा :
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई अनुवर्ती कारंबाई की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) पिछले 3 वर्षों, अर्थात् 9८7-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा किए गए निम्नलिखित व्यापारिक सौदों के विरुद्ध दायर किए गए मामालों की जांच की है :—

(1) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा 1975 में 3,000 मी० टन छुहारों के आयात और बिक्री में की गई अनियमितताएं, जिसे दिनांक 30-10-87 को सं० 2/एस/87-डी० एल० आई० के तहत आरम्भिक जांच के मामले के रूप में दर्ज किया गया;

(2) मैसर्स आदर्श बाजार, पटना को राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा अनियंत्रित कपड़े की सप्लाई में हुई अनियमितताएं, जिसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम के सम्बद्ध अधिकारियों तथा अन्य पार्टियों के अलावा मुख्य विपणन सलाहकार (निलम्बित), एक भूतपूर्व प्रबन्धक, एक सहायक प्रबन्धक (निलम्बित) के विरुद्ध दिनांक 19-10-1988 को सं० आर० सी० 2/89/ए० सी० यू० आई० के तहत नियमित मामले के रूप में दर्ज किया गया; और

(3) खिल्चीपुर स्टोर, राजगढ़ (मध्य प्रदेश) को राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा नियंत्रित कपड़े की सप्लाई में हुई अनियमितताएं, जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के सहायक प्रबन्धक और एक लेखाकार के विरुद्ध दिनांक 31-7-89 को सं० आर० सी०-23(ए)/89 के तहत नियमित मामले के रूप में दर्ज किया गया।

(ख) उपर्युक्त तीन मामलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच का कार्य चल रहा है और उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेलों के लिए "मार्केट इन्टरवेन्शन आपरेशन"

4467. श्री कैलाश मेघवाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को मूल्य नियन्त्रण तथा मूंगफली और सरसों जैसे खाद्य तेलों की सप्लाई करने के लिए "मार्केट इन्टरवेन्शन आपरेशनों" पर निगरानी रखने हेतु क्या भूमिका सौंपी गई है;

(ख) क्या खाद्य तेल के मूल्यों और इनकी सप्लाई के सम्बन्ध में फील्ड स्टाफ से यथार्थ बाजार जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है;

(ग) क्या खरीद, उपलब्धता, आपूर्ति और मूल्यों के सम्बन्ध में जानकारी आदान-प्रदान करने के मामले में उनके मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच नियमित समन्वय स्थापित किया जाता है; और

(घ) "मार्केट इन्टरवेन्शन आपरेशनों" को अधिक प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) बाजार दखल

कार्यवाही की परिवीक्षा मन्त्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में गठित तिलहन नीति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाती है। खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में नागरिक पूर्ति विभाग के सचिव इस समिति के सदस्यों में से एक हैं।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) बाजार दखल कार्यवाही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा चलाई जाती है जो कृषि मंत्रालय के प्रशासकीय नियन्त्रण में है।

केरल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहन देना

4468. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए केरल राज्य को इस वर्ष कोई विदेशी सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहन देने के लिए आरम्भ की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) केरल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने की अन्य क्या योजनाएं हैं; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितना वित्तीय आवंटन किया है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) समुद्र में मछली पकड़ने की केरल से सम्बन्धित अनेक परियोजनाएं विदेशी सहायता के लिए सरकार को मिली हैं। इनमें से एक परियोजना "डाइवर्सीफिकेशन आफ आर्टीसिनल फिसिंग" है जिसमें जापान से फण्ड और प्रौद्योगिकी सहायता लेकर 24.9 मीटर के दो स्क्विड जिगर और 19.9 मीटर के चार प्रशिक्षण जलयान मछली पकड़ने के आवश्यक साज-सामान के साथ प्राप्त किए जाएंगे और देश के अन्दर की आपूर्ति और निर्यात को बढ़ाने के लिए तट से दूर समुद्र में मात्स्यिकी संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।

केरल के अन्तर्गत कोचीन में 493.60 लाख रुपए की लागत पर एक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का बन्दरगाह चालू कर दिया गया है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का दूसरा बन्दरगाह ९82 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर विझिन्जन में स्वीकृत किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास की वर्ष 1990-91 के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं। परन्तु केरल राज्य के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया है।

अनुसूचित जातियों के पुनर्वास के लिए नई योजना

[हिन्दी]

4469. **श्री साइमन मरांडी : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई ऐसी नई योजना तैयार करने का विचार है जिससे अनुसूचित जातियों का किसी भी कारण से विस्थापन न हो और यदि उनका विस्थापन हो जाए तो उनका पुनर्वास कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना की कब तक घोषणा कर दी जाएगी ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास की एक राष्ट्रीय नीति सक्रिय रूप से भारत सरकार, के विचाराधीन है । तथापि विकास परियोजनाओं से विस्थापित अनुसूचित जातियों के पुनर्वास के लिए ऐसी कोई नई नीति/योजना बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

नांगलोई, दिल्ली के निकट के गांवों को पेयजल सप्लाई

[अनुवाद]

4470. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र के किराड़ी तथा अन्य गांवों में पिछले चार/पांच वर्षों से पेयजल की सप्लाई रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन गांवों में पेयजल की पुनः सप्लाई प्रारम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण

4471. **श्री अनादि चरण दास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भर्ती-पूर्व और पदोन्नति-पूर्व दिए जाने वाला प्रशिक्षण पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) इन प्रशिक्षणों की अवधि कितनी है; और

(घ) क्या इन सरकारी उपक्रमों में भर्ती-पूर्व और पदोन्नति-पूर्व, दोनों स्तर पर दिए जाने वाले प्रशिक्षणों को उपयुक्त और अर्थपूर्ण बनाने हेतु प्रशिक्षण अवधि बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिल्पकारों के उत्थान के लिए केन्द्रीय योजना

4472. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शिल्पकारों के उत्थान के लिए कोई केन्द्रीय योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान में केन्द्र द्वारा प्रायोजित ऐसी कोई योजना प्रारम्भ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं योजना में इस योजना से कितने शिल्पकार लाभान्वित होंगे ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां। उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित 14 योजनाओं में से केवल एक योजना ही केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना है जिसे राजस्थान सहित सभी राज्यों में शुरू किया गया था।

(घ) उपरोक्त योजना आठवीं योजना के दौरान समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए आठवीं योजना के दौरान इसके लाभ भोगियों की संख्या का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(ख) सातवीं योजना के दौरान योजना के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

क्रमांक	योजना का नाम	उद्देश्य
1	2	3
1.	पैतृक एवं शिल्प कौशल का संरक्षण	1. परम्परागत शिल्पों का संरक्षण एवं प्रलेखन। 2. उपरोक्त के सम्बन्ध में जानकारी का प्रसार करना। 3. नष्ट होते हुए शिल्पों को पुनर्जीवित करना।
2.	आर्थिक/शिल्प अनुसंधान सर्वेक्षण तथा बाजार अध्ययन आदि	1. शिल्प विशेष एवं क्षेत्र विशेष का सर्वेक्षण करना।
3.	प्रदर्शनी एवं प्रचार	1. प्रदर्शनी आयोजित करने में संगठनों (निगम, सरकारी समितियों, ऐच्छिक एसोसिएशन आदि) को सहायता देना।

1	2	3
		2. विज्ञापन, ब्रोशर, कैटलाग आदि सहित प्रचार अभियानों से सम्बन्धित बाजार चलाना।
4.	बिक्री केन्द्रों को खोलने तथा नवीकरण करने के लिए केन्द्रीय निगमों को वित्तीय सहायता	1. बिक्री केन्द्र खोलने तथा नवीकरण करने के लिए केन्द्रीय निगमों को सहायता देना।
5.	राज्य हस्तशिल्प निगमों तथा शीर्ष सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता	1. बिक्री केन्द्र खोलने तथा नवीकरण करने के लिए राज्य हस्तशिल्प निगमों तथा शीर्ष सहकारी समितियों को सहायता देना।
6.	औद्योगिक सहकारी समितियां	1. हस्तशिल्प के विकास एवं विपणन में औद्योगिक सहकारी समितियों को सहायता देना।
7.	केन्द्रीय राज्य हस्तशिल्प निगमों तथा विपणन सहकारी समितियों में शेयर भागीदारी	1. हस्तशिल्प के विपणन में लगे संगठनों का इक्विटी आधार मजबूत करना।
8.	विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र तथा अन्य विपणन कार्यक्रम	1. विशेषकर शिल्प संकेन्द्रित क्षेत्रों में शिल्पकारों को विपणन एवं अन्य सेवाएं प्रदान करना।
9.	डिजाइन तथा तकनीकी विकास	1. परम्परागत किस्मों को अभिज्ञात करके और नए डिजाइनों का नवीकरण करके दोनों प्रकार के डिजाइनों को विकसित करने और विक्रय के लिए शिल्पकारों को सहायता देना।
		2. उचित तकनीकी निवेश प्रदान करना।
10.	सामान्य सुविधा केन्द्र/कच्चा माल डिपो	1. उचित दरों पर कच्चा माल प्राप्त करने और खरीदने/परिष्करण की सुविधाओं के लिए शिल्पकारों को सहायता।
11.	प्रशिक्षण	1. उच्च कौशल विकसित करना और अधिक मांग/निर्यात अभिमुख शिल्पों और नष्ट होते हुए शिल्पों दोनों में प्रशिक्षण देना।
12.	हस्तशिल्प श्रमिकों से सम्बन्धित सहकारी समितियों के लिए राज्यों को सहायता	1. हस्तशिल्प में सहकारी समितियों को मजबूत बनाना।
13.	निर्यात संवर्धन/विनियमन	1. हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ाना।

1	2	3
14.	कल्याण एवं अन्य कार्यक्रम	1. शिल्पकारों में अपनी योग्यता के लिए मान्यता प्राप्त करने और वृद्धावस्था/दौर्बल्य में आगामी वित्तीय सुरक्षा दोनों के लिए सुरक्षा/विश्वास बढ़ाना।

पानी जमा होने की समस्या का वैज्ञानिक तरीके से समाधान

4473. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पानी जमा होने की समस्या का नवीनतम वैज्ञानिक तरीके से समाधान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सिंचाई कमानों में जल जमाव की समस्या को आठवीं योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय स्कीमों के माध्यम से निपटाने का प्रस्ताव है। उसमें चुनिंदा सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करना, जल-निकास के वास्ते योजनाओं तथा अभिकल्पों को तैयार करना शामिल है। केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सतही तथा भूजल के संयुक्त उपयोग के साथ खेत नालियों के निर्माण तथा जल संवाहक प्रणालियों को पक्का करने का कार्य भी चल रहा है।

पट्टे की जमीन की खरीद/बिक्री का नियमन

4474. **श्री कमल नाथ** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों को प्राप्त पट्टे वाली जमीन की खरीद और बिक्री के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें भूमि मूल्य में जो वृद्धि हुई है उसका नाममात्र का अनार्जित भाग वसूल करने के बाद पावर आफ अटार्नी धारकों को ऐसी सम्पत्ति की बिक्री नियमित करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अपर इन्द्रावती परियोजना के निर्माण के कारण गांवों का जलमग्न होना

4475. **श्री डी० अमात** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अपर इन्द्रावती बांध परियोजना के निर्माण के कारण कितने गांवों के जलमग्न होने की सम्भावना है;

(ख) क्या गांवों के जलमग्न होने से प्रभावित होने वाले सम्भावित परिवारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) 65 पूरी तरह से और 30 आंशिक रूप से।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रभावित परिवारों की संख्या 3725 है जिनमें लगभग 16,050 व्यक्ति हैं। उनमें से 538 परिवार अनुसूचित जाति के तथा 1,630 परिवार अनुसूचित जनजाति के हैं।

कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का निर्यात सौदा

4476. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या वस्त्र मन्त्री काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का निर्यात सौदा के बारे में 14 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिपोर्ट की जांच का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच कार्य पूरा करने के लिए और दोषी पाए गए सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से सी० बी० आई० की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश को खाद्यान्न तेल

4477. **श्री जगमोहन रेड्डी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने केन्द्रीय सरकार से राज्य को खाद्यान्न तेलों की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है ताकि तेल की ऊंची कीमतों में कमी लाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) जून, 1990 में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के खाद्य तेलों के आबंटन को बढ़ाकर 7,900 मी० टन प्रतिमाह करने का अनुरोध किया था। राज्य के आबंटन को जून, 1990 के 5,000 मी० टन से बढ़ाकर जुलाई,

1990 में 6,500 मी० टन कर दिया गया। अगस्त, 1990 में आवंटन में और वृद्धि कर उसे बढ़ाकर 8,000 मी० टन कर दिया गया और सितम्बर, 1990 के लिए वही स्तर बनाए रखा गया है।

कल्याण उपकर निधि की सहायता से लोहा, मैंगनीज, क्रोम की खानों के कामगारों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

4478. **श्री लोकनाथ चौधरी** : *क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) कल्याण उपकर निधि की सहायता से उड़ीसा में लोहा, मैंगनीज और क्रोम अयस्क खानों के कामगारों के लिए विभिन्न आवास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्वार्टरों के निर्माण हेतु खान मालिकों को सहायता/राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) वर्तमान स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में इन कामगारों के लिए कितने क्वार्टरों अथवा मकानों का निर्माण किया गया है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : लोह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के अधीन निम्नलिखित चार आवास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(i) **टाईप-I आवास योजना** : श्रम कल्याण संगठन द्वारा खान प्रबन्धतंत्रों को उनके कर्मकारों के मकानों के निर्माण हेतु 10,000/- रु० या वास्तविक लागत का 75% और 1500/- रु० प्रति मकान तक विकास प्रभार इमदाद के रूप में दिए जा रहे हैं।

(ii) **टाईप-II आवास योजना** : खान प्रबन्धतंत्रों को उनके कर्मकारों के लिए मकानों के निर्माण हेतु 20,000/- रु० या वास्तविक लागत का 75% और 2,250/- रु० प्रति मकान तक विकास प्रभार इमदाद के रूप में दिए जा रहे हैं।

(iii) **"अपना मकान स्वयं बनाओ योजना (बी० वाई० ओ० एच० एस०)** : कर्मकारों को अपनी स्वयं की भूमि पर मकान के निर्माण हेतु इमदाद के रूप में 1,000/-रु० और ऋण के रूप में 4,000/- रु० का भुगतान किया जाता है। यह ऋण ब्याज मुक्त होता है और 9 वर्ष की मासिक किस्तों में वापस लिया जाता है। उन कर्मकारों को 1,000/- रु० की अतिरिक्त इमदाद भी दी जाती है जिन्होंने छोटा परिवार मानदण्ड को अपनाया है।

(iv) **ग्रुप आवास योजना** : एक पंजीकृत सहकारी ग्रुप आवास सोसाइटी को, जिसके कम से कम 50 पात्र कर्मकार सदस्य हैं, अपने सदस्यों के लिए मकानों के निर्माण हेतु प्रति मकान 1,000/- रु० की इमदाद और 4,000/- रु० का ऋण दिया जाता है। यह ऋण 9 वर्ष की अवधि में वापस लिया जाता है।

(ख) खान मालिकों को टाईप-I आवास योजना और टाईप-II आवास योजना के अधीन सहायता/इमदाद के रूप में क्रमशः 71,88,622/- रु० और 66,57,169/- रु० की राशि रिलीज की गई है।

(ग) टाईप-I आवास योजना, टाईप-II आवास योजना और "अपना मकान स्वयं बनाओ" योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मकानों की संख्या क्रमश: 1470, 1190 और 34 है।

आदिवासी विकास खण्डों में कार्यान्वयनाधीन केन्द्रीय योजनाएं

4479. **श्री सुरेन्द्र सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आदिवासी विकास खण्डों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन खण्डों में कार्यान्वयनाधीन केन्द्रीय विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनमें कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) देश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 640 पूर्णतः समाविष्ट तथा 318 अंशतः समाविष्ट प्रखण्ड हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में इस समय चालू कुछ केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं तथा सातवीं योजनावधि के दौरान इनमें हुई प्रगति के ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत पूर्णतः/अंशतः समाविष्ट विकास प्रखण्ड

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्रखण्डों की संख्या	
		पूर्णतः समाविष्ट	अंशतः समाविष्ट
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	27	52
2.	असम	2	53
3.	बिहार	112	—
4.	गुजरात	64	—
5.	हिमाचल प्रदेश	7	—
6.	कर्नाटक	23	—
7.	केरल	—	25
8.	मध्य प्रदेश	181	44
9.	महाराष्ट्र	50	22

1	2	3	4
10.	मणिपुर	20	—
11.	उड़ीसा	118	—
12.	राजस्थान	22	1
13.	तमिलनाडु	4	16
14.	त्रिपुरा	4	13
15.	उत्तर प्रदेश	—	1
16.	पश्चिमी बंगाल	3	111*
17.	दमन एवं दीव	1	—
18.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	—
	कुल :	640	318

*अनन्तिम ।

विवरण-2

आदिवासियों हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रायोजित/केन्द्रीय केन्द्र की योजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना का नाम	सातवीं योजना अवधि के दौरान वास्तविक/वित्तीय प्रगति
1	2	3	4
1.	कल्याण मंत्रालय		
	1. कल्याण विभाग	आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	19 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आदिवासी उपयोजना हेतु 847.00 करोड़ रुपए की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में निर्मुक्त की गई।
		आदिवासी लड़कियों के वास्ते होस्टल	18296 अंतेवासियों की क्षमता वाले 429 होस्टल स्वीकृत किए गए और राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 823.34 लाख रुपए के सहायतानुदान का केन्द्रीय हिस्सा निर्मुक्त किया गया।
		स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान	आदिवासियों के प्रत्यक्ष लाभार्थ अभिप्रेत-बालवाड़ियों, क्रेचेज, स्कूलों, होस्टलों, उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान के रूप में 480.48 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए।
		अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु मैट्रिकोत्तर	इस योजना के अन्तर्गत आदिवासी छात्रों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 6119.37 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई।

1	2	3	4
	2. महिला एवं बाल विकास विभाग	समेकित बाल विकास योजना	यह योजना ब्लॉक आधार पर स्वीकृत की जाती है तथा आदिवासी ब्लाकों को प्राथमिकता दी जाती है। अन्य क्षेत्रों में 1,000 की जनसंख्या के मुकाबले, आदिवासी क्षेत्रों में 700 की जनसंख्या पर ही "आगनवाड़ी" खोली जा सकती है। आदिवासी क्षेत्रों में समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत 5.29 लाख महिलाएं, 28.73 लाख बच्चे लाभान्वित हुए तथा 14.49 लाख बच्चों हेतु स्कूल पूर्व शिक्षण की व्यवस्था की गई।
2. कृषि मंत्रालय			
	1. ग्रामीण विकास विभाग	शिफ्ट काश्त के नियंत्रण की प्रायोगिक परियोजना	शिफ्टिंग काश्तकारों को व्यवस्थित काश्त की ओर प्रवृत्त करने के लक्ष्य वाली यह योजना 9 राज्यों में चल रही है। इस योजना के 1991-92 तक चलने तथा इसमें 25,000 परिवारों के शामिल होने की सम्भावना है। सातवीं योजना का बजट प्रावधान 45 करोड़ रुपए था।
	2. ग्रामीण विकास विभाग	इन्दिरा आवास योजना	1985-86 से दिसम्बर, 1988 तक की अवधि में 589.36 करोड़ रुपए की लागत की 5,78,673 इकाइयां स्वीकृत की गईं तथा 425.48 करोड़ रुपए की लागत की 4,27,421 इकाइयां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए निर्मित की गई।
	3. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय (खाद्य विभाग)	आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों तथा आदिवासी बहुल राज्यों में रियायती दरों पर गल्ले की आपूर्ति की योजना	दिसम्बर, 1985 में इस योजना के प्रारम्भ से लेकर अगस्त, 1988 तक सम्बन्धित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर वितरणार्थ 55.77 लाख टन गल्ला निर्मुक्त किया गया था।

1	2	3	4
4.	पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय	औषधीय क्षुपों सहित प्रकीर्ण वनोपज वाले क्षुपों का रोपण	यह योजना फरवरी, 1988 में स्वीकृत की गई थी तथा सातवीं योजना की शेष अवधि हेतु 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।
5.	ग्रामीण विकास विभाग	समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 से 1988-89 तक 18,62,977 आदिवासी परिवारों को सहायता दी गई। ट्राइसेम के अन्तर्गत, उक्त अवधि के अन्तर्गत 3,07,996 अनुसूचित जाति/जनजाति युवकों को प्रशिक्षित किया गया।
6.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय	आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं संस्था की किस्म	1987-88 के अन्त तक आदिवासी क्षेत्रों तथा गैर-आदिवासी क्षेत्रों में लाभान्वित जनसंख्या इस प्रकार थी :—
			प्रति संस्था लाभान्वित जनसंख्या :
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	53,000 (गैर आदिवासी क्षेत्र में) 37,000 (आदिवासी क्षेत्र में)
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उप केन्द्र	6,800 (—तदैव—) 5,300 (—तदैव—)
			आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में 469 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां, 41 आयुर्वेदिक अस्पताल तथा 97 होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां 1987-88 के अन्तर्गत कार्यरत थी।
			समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम द्वारा पूर्णतः लाभान्वित 26 जिलों तथा अंशतः लाभान्वित 100 जिलों में से 16 पूर्णतः लाभान्वित तथा 61 अंशतः लाभान्वित जिलों को विश्व प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा चुका है।

यमुना नदी के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में बैठक

[हिन्दी]

4480. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने दिसम्बर, 1989 में यमुना बेसिन के राज्यों की बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो यमुना नदी के पानी के बंटवारे के बारे में इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया;

(ग) क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री ने उक्त राज्य को यमुना नदी का पानी उपलब्ध कराने की मांग दोहराई है; और

(घ) राजस्थान को यमुना नदी का पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) बैठक के बाद, यमुना जल के बंटवारे पर एक करार के मसौदे को सम्बन्धित राज्य सरकारों को टिप्पणियों हेतु परिचालित किया गया था।

(ग) और (घ) यमुना के मानसून प्रवाह का कुछ हिस्सा ओखला से राजस्थान को पहले ही उपलब्ध है। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यमुना जल के वितरण पर शीघ्र अन्तिम निर्णय लेने हेतु अनुरोध किए हैं।

भर्ती एजेंसियों द्वारा प्रतिभूति जमा राशि का वापस लिया जाना

[हिन्दी]

4481. श्री परस राम भारद्वाज : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को विदेश भेजने वाली भर्ती एजेंसियों को प्रतिभूति धनराशि जमा करनी पड़ती है और यदि हां, तो उन्हें कितनी धनराशि जमा करनी पड़ती है;

(ख) क्या कुछ एजेंसियों को, अपनी प्रतिभूति जमा राशि को वापस लेने के बावजूद भी भर्ती की अनुमति दी गई है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) विदेशों में लोगों को भेजने वाले भर्ती एजेन्टों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, बैंक गारन्टी के रूप में प्रतिभूति राशि

निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार जमा करनी पड़ती है :—

	व्यक्तियों की संख्या	बैंक गारन्टी की राशि (रु०)
(i)	100 तक……………………	1 लाख
(ii)	101 से 600 तक……………	3 लाख
(iii)	601 से 1000 तक…………	4 लाख
(iv)	1001 और उससे अधिक	5 लाख

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा की बड़ानाला मझोली सिंचाई परियोजना के लिए धनराशि

4482. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा बड़ानाला मझोली सिंचाई परियोजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष से विश्व बैंक द्वारा ऋण प्राप्त नहीं होगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए संसाधन जुटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) उड़ीसा सिंचाई II परियोजना के अन्तर्गत मार्च, 1988 तक उड़ीसा में बड़ानाला मध्यम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक सहायता उपलब्ध थी । यह परियोजना अब समाप्त है ।

(ख) राज्य सरकार से इस परियोजना के लिए और विश्व बैंक सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

ऊपरी कृष्णा परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

4483. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा ऊपरी कृष्णा परियोजना के लिए अब तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ अब तक उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) कर्नाटक में अपर कृष्णा सोपान II परियोजना के कार्यान्वियन के लिए जून, 1989 में विश्व बैंक द्वारा 325 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि देने का वायदा किया गया है । 31 जुलाई, 1990 तक सहायता का उपयोग 22.870 मिलियन अमेरिकी डालर है ।

शहरी विकास हेतु धनराशि

[हिन्दी]

4484. श्री हर्षवर्धन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान शहरी विकास हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए दी गई राशि का वर्ष-वार और योजना-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) इसके लिए निर्धारित मानदण्ड क्या है और क्या यह धनराशि राज्य की शहरी जनसंख्या के आधार पर मुहैया करायी जाती है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में शहरी विकास के अन्तर्गत शहरी विकास हेतु केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित प्लान स्कीमों से सम्बन्धित जारी की गई राशि और उसके आधार एवं राज्य सरकारों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

1. योजना का नाम : शहरी मूलभूत सेवा कार्यक्रम

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई राशियां

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उपलब्ध कराई गई राशियां		
		1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	13.60	11.80	11.80
2.	बिहार	6.80	—	7.60
3.	दिल्ली (स०रा०क्षे०)	3.00	6.70	3.00
4.	जम्मू व कश्मीर	2.00	2.10	2.40
5.	मेघालय	5.20	—	—
6.	उड़ीसा	20.18	23.81	17.20
7.	पंजाब	3.00	5.70	9.10
8.	पश्चिम बंगाल	2.00	—	2.30

1	2	3	4	5
9.	असम	—	3.40	3.40
10.	उत्तर प्रदेश	—	2.85	4.00
11.	कर्नाटक	—	3.70	7.80
12.	केरल	—	11.76	7.50
13.	राजस्थान	—	5.60	6.50
14.	हिमाचल प्रदेश	—	2.00	2.00
15.	त्रिपुरा	—	3.20	1.60
16.	मध्य प्रदेश	—	3.20	3.20
17.	हरियाणा	—	—	3.00
18.	पाण्डिचेरी (स०रा०क्षे०)	—	—	1.00
19.	मणिपुर	—	—	1.975
20.	गुजरात	—	—	10.90
21.	तमिलनाडु	—	—	3.00

(ख) विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रीय शासित प्रदेशों को जारी की गई राशि राज्यों के प्रत्येक नगर में स्लम जनसंख्या के आकार के अनुपात में थी।

II. स्कीमों का नाम : छोटे तथा मध्यम नगरों का एकीकृत विकास

(क) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान जारी राशियां

क्रम स०	राज्य	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	108.78	61.50	85.09
2.	असम	10.00	59.50	59.50
3.	बिहार	106.35	75.95	129.08
4.	गोवा	—	—	—
5.	गुजरात	103.13	191.60	59.50
6.	हरियाणा	—	76.00	86.50
7.	हिमाचल प्रदेश	1.70	—	—

1	2	3	4	5
8.	जम्मू व कश्मीर	28.00	8.00	1.82
9.	कर्नाटक	110.31	180.44	52.57
10.	केरल	66.43	61.25	5.00
11.	मध्य प्रदेश	62.00	130.32	182.23
12.	महाराष्ट्र	120.51	110.63	125.25
13.	मणिपुर	47.00	—	—
14.	मेघालय	—	46.00	63.50
15.	मिजोरम	73.00	—	3.50
16.	नागालैंड	—	24.00	24.00
17.	उड़ीसा	36.00	71.00	68.00
18.	पंजाब	80.28	46.00	89.64
19.	राजस्थान	80.00	36.00	89.64
20.	सिक्किम	10.00	20.00	29.75
21.	तमिलनाडु	208.01	64.29	248.62
22.	त्रिपुरा	20.00	27.00	20.00
23.	उत्तर प्रदेश	134.17	195.02	44.00
24.	पश्चिम बंगाल	137.50	110.06	82.69
25.	पाण्डिचेरी	20.00	25.00	23.75
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1.77	—	—
27.	दादर व नागर हवेली	23.23	23.23	23.75

(ख) इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी की जाती है। प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय आंकड़ों से नगरों की संख्या का चुनाव छोटे तथा मध्यम नगरों में रह रही जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया था।

III. योजना का नाम : नेहरू रोजगार योजना

वर्ष 1989-90 के दौरान जारी राशियां (लाख रुपए में)

क्र०सं०	राज्य/सं०रा० क्षेत्र का नाम	शहरी लघु उद्यम, शहरी मजदूरी रोजगार तथा प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक खर्च	आवास तथा आश्रय उन्नयन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	796.55	259.07
2.	बिहार	867.03	229.72
3.	गुजरात	760.32	126.54
4.	हरियाणा	163.49	35.05
5.	कर्नाटक	761.53	220.85
6.	केरल	323.74	99.18
7.	मध्य प्रदेश	1106.50	234.84
8.	महाराष्ट्र	922.03	233.41
9.	उड़ीसा	238.55	66.12
10.	पंजाब	280.65	68.11
11.	राजस्थान	598.60	134.81
12.	तमिलनाडु	813.15	270.47
13.	उत्तर प्रदेश	2338.84	576.55
14.	पश्चिम बंगाल	632.81	206.92
15.	गोवा	34.91	[illegible]5.14
16.	अरुणाचल प्रदेश	28.12	0.60
17.	असम	181.87	31.07
18.	हिमाचल प्रदेश	90.90	2.03
19.	जम्मू व कश्मीर	102.24	13.97
20.	मणिपुर	63.33	3.71
21.	मेघालय	30.78	0.60
22.	मिजोरम	34.85	0.03

1	2	3	4
23.	सिक्किम	34.73	0.60
24.	त्रिपुरा	65.98	3.13
25.	नागालैंड	37.72	2.03
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	10.72	0.58
27.	चण्डीगढ़	24.26	7.13
28.	दादर व नागर हवेली	8.02	0.30
29.	दमन व दीव	16.26	0.30
30.	लक्षद्वीप	18.36	0.30
31.	पाण्डिचेरी	36.06	5.14
32.	दिल्ली	52.04	9.70

देश में नेहरू रोजगार योजना अक्तूबर, 1989 में आरम्भ की गई थी। कालम 3 की राशियां यू० एम० ई०, यू० डब्लयू० ई० तथा ए० एण्ड ओ० ई० की योजनाओं के बारे में है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई थी। एच० एवं एस० यू० सम्बन्धी राशियां कालम 4 में दिखाई गई है। ये राशि वितरण के लिए हुडको को उसके द्वारा स्वीकृत योजनाओं के आधार पर दी गई है।

(ख) प्रत्येक राज्य का भाग, 1981 की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 38वें दौर के अनुसार प्रत्येक राज्य की शहरी जनसंख्या के हिसाब से निकाला गया है।

IV. योजना का नाम : महाराष्ट्र सरकार को बम्बई में आवास तथा स्लम की विकट समस्याएं दूर करने के लिए विशेष अनुदान

गत तीन वित्त वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार को जारी की गई राशियां

वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1986-87	10.00
1987-88	20.00
1988-89	20.00
1989-90	25.00

(ख) बम्बई की विकट समस्याओं से निपटने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा विशेष अनुदान दिया गया था ।

V. योजना का नाम : पश्चिम बंगाल में विस्थापितों की कालोनियों के विकास हेतु अनुदान

गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को जारी की गई राशियां

क्रम सं०	वर्ष	जारी की गई राशियां (लाख रुपए में)
1.	1987-88	25.00
2.	1988-89	16.00
3.	1989-90	20.00

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भूखण्डों के विकास के बारे में प्रगति रिपोर्ट के आधार पर राशियां जारी की गई थी ।

VI. केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को उपर्युक्त जारी राशियों के अतिरिक्त वित्त वर्ष 1989-90 के दौरान नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल सरकारों को क्रमशः बम्बई तथा कलकत्ता के शहरों में गन्दी बस्ती उन्मूलन, गन्दी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार तथा मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हेतु प्रत्येक को 50.00 करोड़ रुपए जारी किए गए थे ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग बच्चों के बारे में सर्वेक्षण तथा उनका पुनर्वास

[अनुवाद]

4485. **श्री हरीश पाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी विकलांगता किस तरह की है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विकलांग बच्चों के पुनर्वास हेतु यदि कोई सुविधाएं प्रदान की गई हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में अपंग और विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए और अधिक सुविधाएं देने एवं विशिष्ठ संस्थानों की स्थापना करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1981 में संचालित सर्वेक्षण के अनुसार देश तथा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दृष्टि, श्रवण, वाणी तथा सचल विकलांगता वाले बच्चों प्रति

(1,00,000) की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :—

	दृष्टि		श्रवण	वाणी	सचल	
	0-4	5-14	5-14	5-14	0-4	5-14
अखिल भारतीय	39	66	314	411	435	676
उत्तर प्रदेश	42	72	284	410	451	709

(ग) और (घ) बच्चों सहित विकलांगों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम तथा योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और उत्थान की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। फिर भी अपने समन्वय और गतिमान भूमिका में, केन्द्र, विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु राज्य सरकार और स्वयंसेवी संगठनों को सहायता करता रहा है। केन्द्रीय सरकार ने विकलांगता के सम्बन्धित क्षेत्रों में शीर्ष स्तर के संगठनों के रूप में निम्नलिखित 4 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की है :—

(1) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून।

(2) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता।

(3) अली यावर जंग श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई।

(4) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद।

इन संस्थानों के अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों को सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्य सेवा संस्थानों के रूप में दो निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना की है :—

(1) जन-विकलांग संस्थान, नई दिल्ली।

(2) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ओलतपुर, उड़ीसा।

केन्द्रीय सरकार विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित कर रही है :—

विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता योजनाएं :—

इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत संगठनों को सहायक-अनुदान दिया जाता है। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है जो विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करते हैं।

योजना के अन्तर्गत (i) विकलांगता का प्राथमिकता स्तर पर पता लगाना, उपचार करना और नियन्त्रण (ii) शिक्षा और/या प्रशिक्षण (iii) पुनर्वास, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक समाज और आर्थिक सेवाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

सहायक यन्त्रों/उपकरणों के खरीदने/लगाने के लिए विकलांगों को सहायता की योजना

इस योजना के अन्तर्गत 25/- रु० से 3600/- रु० मूल्य के बीच के सहायक यन्त्र (1) 1200/- रु० मासिक से कम आय वाले विकलांगों को मुफ्त (2) 1201/- रु० से 2500/- रु० मासिक आय वालों को 50% मूल्य पर दिलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं। यह योजना समूचे देश में फैली हुई स्वयंसेवी एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

योजना के अन्तर्गत नेत्रहीनों, श्रवण विकलांग और अस्थि विकलांग व्यक्तियों को सहायक यन्त्र और उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियां

भारत सरकार द्वारा विकलांग छात्रों जिसमें नेत्रहीन शामिल हैं, को कक्षा नौंवी से आगे शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। विकलांगों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण, पत्राचार पाठ्यक्रम और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। छात्रवृत्ति के अतिरिक्त जो पाठ्यक्रम के अध्ययन के आधार पर भिन्न होती हैं, दिवस छात्रों और होस्टलों के लिए, नेत्रहीनों को पाठक भत्ता भी दिया जाता है।

बच्चों की समेकित शिक्षा

योजना में आवश्यक सहायक यन्त्र, प्रोत्साहन और विशेष अध्यापकों सहित, सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्र सरकार से 100% सहायता की व्यवस्था है।

जिला पुनर्वास केन्द्र

जिला पुनर्वास केन्द्रों की योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गयी थी। इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग जनसंख्या को व्यावसायिक पुनर्वास सहित व्यापक और समन्वय सेवाएं प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। अब तक देश में 11 जिला पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

1989-90 के दौरान विकलांगों हेतु संगठनों को सहायता की योजना के अधीन उत्तर प्रदेश में विकलांगों के कल्याण के लिए कार्यरत निम्नलिखित संगठनों को अनुदान दिए गए :

1. प्रागनारायण मूक बधिर विद्यालय समिति, सासनी गेट, अलीगढ़।

2. मूक और बधिर विद्यालय, 221, अशोक पथ, सदन, मेरठ।

3. नेताजी सुभाष विद्या मन्दिर, मारमोली, शाहाबाद, रामपुर।

4. सूर स्मारक मण्डल, ई-113, कमला नगर, आगरा ।

5. राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, अलीगढ़ ।

6. अजर धाम महिला आश्रम ट्रस्ट, हरिद्वार ।

भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

4486. **श्री एम० बागा रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय किसी निजी आवास में चलाया जा रहा है तथा इसके लिए भारतीय खाद्य निगम को भारी किराया चुकाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों से कितना किराया दिया जा रहा है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकारियों का विचार हैदराबाद में अपना कोई कार्यालय खोलने का है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और;

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) भारतीय खाद्य निगम का हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय "प्रोग्रेसिव टावर" में स्थित है । यह एक प्राइवेट बिल्डिंग है । निगम द्वारा अदा किया जा रहा प्रति वर्ग फुट किराया महानगरीय शहरों के लिए निर्धारित की गयी सीमा-दर के अन्दर है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा किया गया किराया निम्नानुसार है :—

फरवरी, 1987 से जनवरी, 1988 तक	15.70 लाख रुपए
फरवरी, 1988 से जनवरी, 1989 तक	15.70 लाख रुपए
फरवरी, 1989 से जनवरी, 1990 तक	15.70 लाख रुपए

(ग) और (घ) हैदराबाद एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव एसोसिएशन आफ आन्ध्र प्रदेश द्वारा निर्मित किए जा रहे आफिस काम्प्लैक्स में निगम हैदराबाद में अपने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए कार्यालय स्थान खरीदने विषयक प्रस्ताव की जांच कर रहा है ।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की पदोन्नति

4487. **डा० देवी प्रसाद पाल** :
श्री सरजू प्रसाद सरोज :
श्री ए० अशोकराज :
श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य योजना (सी० जी० एच० एस०) के औषधालय में कार्यरत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के चिकित्सकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए उनके पदों का सृजन/उन्नयन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के चिकित्सकों को प्रोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए कुछ पदों का दर्जा बढ़ाने/सृजन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

केरल में आयल पाम फैक्टरी की स्थापना

4488. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का केरल में "आयल पाम" फैक्टरी लगाने के लिए आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) केरल में आयल पाम फैक्टरी शुरू करने के लिए हमें कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

4489. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों को भी अनुदान-राशि मन्जूर की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या-क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान उन्हें कितनी धनराशि मन्जूर की गई; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए एक ही प्रयोजन के लिए दोबारा अनुदान राशि न मन्जूर की जाए, सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहायता से दिल्ली में चलाए जा रहे कुछेक संगठन विभिन्न प्रयोजनों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) संस्थाओं को उस प्रयोजन के लिए अनुदान स्वीकृत नहीं किए गए जिसके लिए वे विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं ।

किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान स्वीकृत करने से पहले निम्नलिखित प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि संस्थाएं उसी प्रयोजन के लिए कोई अन्य सहायता प्राप्त नहीं करती :

(i) अनुदान मन्जूर करने से पहले, पिछले दो/तीन वर्षों के लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण की संवीक्षा की जाती है ।

(ii) संस्थाओं द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता के ब्यौरों सहित, सहायता के लिए अपने आवेदन-पत्र भेजने होते हैं और यदि यह पाया जाए कि उन्हें उसी प्रयोजन के लिए कोई अन्य वित्तीय सहायता मिली है तो उन्हें अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं समझा जाता ।

विवरण

क्रम सं०	संस्था का नाम	सहायता प्राप्त कार्यक्रम	स्वीकृत धनराशि		
			1987-88	1988-89	1989-90
1.	मोबाइल क्रेश डी-12, ऐरिया सेक्टर-4 राजा बाजार (गोल मार्किट के नजदीक) नई दिल्ली	(क) शिशुगृह	5,78,1000	6, 4,450	6,30,750
		(ख) अवकाश शिविर	10,400	10,400	—
2.	यंग विमन्स क्रिश्चन ऐसोसिऐशन आफ इण्डिया	परिवार परामर्श केन्द्र	28,880	42,240	43,008
3.	प्रेरणा एसोसिएट (सी०ई०डी०पी०ए०) ए-40, हौज खास नई दिल्ली	जागृति विकास परियोजनाएं	24,000	—	20,000
4.	अमर ज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट	(क) पोषाहार	22,950	22,950	38,250
		(ख) सामान्य सहायता अनुदान	3,000	—	5,000

तुगलकाबाद में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा

4490. **श्री आर० एम० भोए** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुगलकाबाद एक्सटेंशन, ओखला, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि तुगलकाबाद एक्सटेंशन ने इसकी 53 एकड़ भूमि का अतिक्रमण किया हुआ है । इसमें से 37 एकड़ भूमि विभिन्न न्यायालयों से स्थगनादेशों के अन्तर्गत है । शेष 16 एकड़ भूमि के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत कारवाई की जा रही है ।

हुडको की और अधिक मकानों के निर्माण की योजना

4491. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) ने देश में और अधिक लोगों को आवास उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो "हुडको" द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मकानों के निर्माण हेतु विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थियों को कितनी धनराशि का ऋण देने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भूमि अर्जन योजनाओं सहित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की सीमा तक ऋण स्वीकृत करने का हुडको का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, सरकार की कार्य योजना के भाग के रूप में तथा नेहरू रोजगार के अन्तर्गत पटरी पर रहने वालों के लिए रैन-बसेरे तथा शहरी निर्धनों के लिए आश्रय उन्नयन एवं 500 कस्बों में मल ढोने की प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए कम लागत की स्वच्छता योजनाओं के लिए हुडको राज्य अभिकरणों को ऋण और सहायता प्रदान करेगा । इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों, हथकरघा बुनकरों, बीड़ी बनाने वालों और काम-काजी महिलाओं को आवास योजनाओं के लिए भी हुडको सहायता दे रहा है ।

(ग) 1990-91 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के लिए मकानों के निर्माणार्थ आवास अभिकरणों

को ऋण स्वीकृत करने का हुडको का प्रस्ताव है जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	(करोड़ रुपए में)
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ग्रामीण)	82.50
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (शहरी)	82.50
निम्न आय वर्ग	137.50
मध्यम आय वर्ग	137.50
उच्च आय वर्ग	110.00

केरल में कामकाजी महिलाओं के हॉस्टलों के लिए केन्द्रीय राशि

4492. **श्री पी० सी० थॉमस :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐसे कितने कामकाजी महिला हॉस्टल हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती है;

(ख) कोट्टायम और एर्णाकुलम जिलों में स्थापित ऐसे हॉस्टलों के नाम तथा संख्या कितनी है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजनार्थ केरल के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) केरल में एक सौ दो होस्टल स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कामकाजी महिला होस्टलों के लिए धनराशि का राज्य-वार अग्रिम आवंटन नहीं किया जाता।

नए कामकाजी महिला होस्टलों के लिए सभी परियोजना प्रस्तावों पर, जो पात्र संगठनों से प्राप्त हों, सभी तरह से पूर्ण हों और जिसकी सिफारिश राज्य-सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा की गई हो, सरकार वित्तीय सहायता देने के लिए विचार करती है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

विवरण

केरल के कोट्टायम और ऐर्नाकुलम जिलों में संस्वीकृत कामकाजी महिला होस्टल

क्रम सं०	संगठन का नाम	कामकाजी महिला होस्टल का स्थान
1	2	3
1.	नायर सर्विस सोसाईटी, चंगनाचेरी	जिला कोट्टायम

1	2	3
	2. नाजरथ आश्रम, ओथारा, कोट्टायम	कोट्टायम
	3. सांथी सोशल वेल्वेयर महिला समाजम् चंगनाचेरी	—तदैव—
	4. अथूरा सेवा संगम, कोट्टायम	—तदैव—
	5. पवित्र सोशल सर्विस सोसाइटी करुक्काचल, कोट्टायम	—तदैव—
	6. जया महिला समाजम्, कोट्टायम	—तदैव—
	7. यंग वीमेन क्रिश्चन एसोसिएशन, कोट्टायम	—तदैव—
	8. एस० एन० वी० समाजम्, कोट्टायम	—तदैव—
	9. ग्रामीण विकास केन्द्र कुरिवालागंड कोट्टायम	—तदैव—
	10. नायर सर्विस सोसाइटी, चंगनाचेरी	जिला ऐर्नाकुलम
	11. मुस्लिम वीमेन्ज एसो०, एर्नाकुलम	—तदैव—
	12. अथूरा सेवा संगम, कोट्टायम	—तदैव—
	13. केरल कामकाजी महिला कल्याण सोसाइटी, त्रिवेन्द्रम	—तदैव—
	14. वेंगूर वनिथा समाजम्, आंगलमाली अरुणाचलम्	—तदैव—

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ठेका प्रणाली

[हिन्दी]

4493. डा० बंगाली सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ठेका देने की व्यवस्था अब भी विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) निर्माण कार्य का अधिकांश भाग तथा रख-रखाव सम्बन्धी कार्य का कुछ भाग ठेका प्रणाली के आधार पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सभी कार्य विभागीय स्तर से नहीं किया जा सकता है।

वस्त्रों का निर्यात

[अनुवाद]

4494. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है कि सीनेट द्वारा कपड़ों के आयात को प्रति वर्ष एक प्रतिशत तक सीमित करने हेतु संरक्षणवादी विधान को अनुमोदन दिए जाने से अमरीकी बाजार को भारत के बढ़ते हुए वस्त्र निर्यात पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस देश से अमरीका को होने वाले वस्त्रों और सिलेसिलाए वस्त्रों के निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार ने गत जुलाई में जनेवा में हुई सामान्य टैरिफ और व्यापार करार की बैठक के ऊरूग्वे दौर में इस मामले पर विचार किया था और ऐसा तब तक करती रहेगी जब तक इस बातचीत का अन्तिम दौर पूरा नहीं हो जाता है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) अमरीकी सीनेट द्वारा पारित विधेयक, अभी कानून नहीं बना है। जब कभी भी उक्त विधेयक कानून बन जाएगा सरकार अपने हितों की रक्षा करने के लिए सभी सम्भव उपायों का पता लगाएगी।

(ग) ऊरूग्वे दौर में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने अन्य निर्यातक देशों के साथ कोटाओं के विश्व न्यायीकरण का विरोध किया था जोकि अमरीकी प्रस्तावों का ही भाग है तथा जोकि उपरोक्त अमरीकी विधान की मुख्य विशेषता है।

केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

4495. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की केरल में भारतीय खाद्य निगम के नए गोदाम खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उन वर्तमान गोदामों का ब्योरा क्या है जिनकी क्षमता बढ़ाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) केरल में 5.25 लाख मीटरी टन की मौजूदा खाद्यान्न भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए, भारतीय खाद्य निगम 1990-91 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर 20,000 मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता का

निर्माण कर रहा है :—

क्रम सं०	केन्द्र	क्षमता
1.	करुणागापल्ली	10,000
2.	टिक्कोडी	5,000
3.	मवेलीकारा	5,000
	जोड़ :	20,000

अप्रवासी भारतीयों द्वारा खाद्य तेलों का आयात

[हिन्दी]

4496. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रवासी भारतीयों को खाद्य तेल का आयात करने देने की अनुमति देने का कोई सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से एक सुझाव प्राप्त हुआ है जिसमें खाद्य तेलों का आयात करने के वास्ते अनिवासी भारतीयों को अनुमति देने की सम्भावना पर इस शर्त के साथ विचार करने के लिए कहा गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आपूर्ति हेतु पूरी मात्रा राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों को उस मूल्य पर सप्लाई करें, जो राज्य व्यापार निगम द्वारा लिए जाते हैं । इस समय खाद्य तेल एक मार्गीकृत मद है और इसका आयात केवल राज्य व्यापार निगम के जरिए किया जाता है ।

पंजाब में गोदाम किराए पर लेना

[अनुवाद]

4497. **श्री कृपाल सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब में गैर-सरकारी पार्टियों से किराए पर लिए गए/खरीदे गए गोदामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन गोदामों को खरीदने/किराए पर लेने के लिए क्या मान-दण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार गोदाम खरीदने में उन लोगों को वरीयता देती है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण लेने के बाद गोदामों का निर्माण करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) भारतीय खाद्य निगम में प्राइवेट पार्टियों के गोदामों को खरीदने की कोई स्कीम नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में प्राइवेट पार्टियों से किराए पर लिए गए गोदामों के ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और सभा के पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम/राज्य की एजेन्सियों के गोदामों को किराए पर लेने को तरजीह दी जाती है, जहां इन गोदामों का निर्माण करने के लिए सरकारी धनराशि लगाई जाती है। इसके बाद ए० आर० डी० सी० योजना के अधीन निर्मित गोदामों को किराए पर लेने को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राइवेट पार्टियों द्वारा ए० आर० डी० सी० योजना के अधीन राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेकर बनाए गए गोदामों को गारंटीबद्ध अवधि के लिए सीधा ही किराए पर लिया जाता रहा था। गारंटीबद्ध अवधि के समाप्त हो जाने के बाद किराए के इन गोदामों को खाली कर दिया गया था। केन्द्रीय भाण्डागार निगम/राज्य भाण्डागार निगम/राज्य की एजेन्सियों के गोदामों को किराए पर ले लेने के बाद ही प्राइवेट पार्टियों के गोदामों को पुनः किराए पर लेने के बारे में विचार किया जाता है।

अल्पसंख्यक बहुल जिले

4498. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यक बहुल जिलों के निर्धारण के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) ऐसे जिलों की नवीनतम सूची क्या है; और

(ग) देश में रहने वाले प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय की कुल संख्या का कितने प्रतिशत इन जिलों में रहता है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत तैयार किए गए तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत कार्रवाई कार्यक्रम में 40 (अब 41) अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों की एक सूची शामिल है जिसे अल्पसंख्यक कल्याण के 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए अपनाया गया है।

(ख) सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 5 धार्मिक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। इन जिलों

में इन समुदायों का देश में उनकी कुल जनसंख्या (1981) का प्रतिशत क्रमश: 36.71, 8.[illegible]5, 1.91, 14.98 तथा 70.65 है।

विवरण

राज्य	जिले
1	2
उत्तर प्रदेश	1. रामपुर
	2. बिजनौर
	3. मुरादाबाद
	4. सहारनपुर
	5. मुजफ्फरनगर
	6. मेरठ
	7. बहराईच
	8. गोण्डा
	9. गाजियाबाद
	10. पीलीभीत
	11. देवरिया
	12. बाराबंकी
	13. बस्ती
पश्चिम बंगाल	14. मुर्शिदाबाद
	15. मालदा
	16. पश्चिम दीनाजपुर
	17. बिरभूम
	18. नादिया
	19. 24 परगना-उत्तर
	20. 24 परगना-दक्षिण
	21. कूच बिहार
	22. हावड़ा

1	2
केरल	23. मालापुरम
	24. कोझीकोड
	25. कन्नानौर
	26. पालघाट
	27. वयनानाद
बिहार	28. पूर्णिया
	29. कटिहार
	30. दरभंगा
कर्नाटक	31. बीदर
	32. गुलबर्ग
	33. बीजापुर
महाराष्ट्र	34. बृहत बम्बई
	35. औरंगाबाद
आंध्र प्रदेश	36. हैदराबाद
	37. करनूल
हरियाणा	38. गुड़गांव
मध्य प्रदेश	39. भोपाल
राजस्थान	40. जैसलमेर
गुजरात	41. कच्छ

सरकारी आवासों का आवंटन

4499. **श्री नन्दी येलेय्या :**
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1989 के दौरान सरकारी कर्मचारियों को पारी बाहर आधार पर स्वीकृत तदर्थ सरकारी आवास अभी तक आवंटित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह आवंटन कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर बिना-बारी के पुरानी स्वीकृतियों की पुनरीक्षा की जा रही है।

नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में वृद्धि

4500. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नियन्त्रित कपड़े के मूल्य में असामान्य रूप से वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) क्या इससे कुल बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर वर्गों के लोगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा नियंत्रित कपड़े के मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा जुलाई-सितम्बर, 1989 की तिमाही के बाद से उत्पादित सूती किस्म के कन्ट्रोल के कपड़े तथा नवम्बर, 1989 के बाद से उत्पादित पालिएस्टर सूती कपड़े की उपभोक्ता कीमतों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आरक्षण के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा हाल में की गई घोषणा को ध्यान में रखकर नेत्रहीनों के लिए रोजगार आरक्षण

4501. श्री कल्पनाथ राय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्रहीनों के राष्ट्रीय महासंघ ने रोजगारों में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में की गई घोषणा पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी इस आशंका को दूर करने का है कि सरकार सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1.5 प्रतिशत के मौजूदा कोटे के आरक्षण को समाप्त कर देगी; और

(ग) आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की हाल की घोषणा में उपरोक्त इन दो श्रेणियों के रोजगार आरक्षण के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विकलांगों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए विद्यमान आरक्षण को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रक्त बैंक

4502. श्री के० एस० राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रक्त बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) अस्पताल में रक्त बैंक स्थापित करने के क्या मापदण्ड/मार्गनिर्देश हैं; और

(ग) रक्त बैंकों के प्रबन्ध पर अर्थात् इनकी स्थापना और अन्य विविध व्ययों आदि पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) देश में 1018 रक्त बैंक हैं।

(ख) रक्त बैंक स्थापित करने का मानदण्ड औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में निर्धारित किया गया है। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ, रक्त बैंक के लिए स्थान हेतु अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र, रक्तदाता कक्ष के लिए अपेक्षित उपकरणों की किस्मों, प्रयोगशाला, आपाती उपकरणों और अपेक्षित न्यूनतम तकनीकी कर्मचारियों आदि का विशेष उल्लेख है।

(ग) रक्त बैंकों को स्थापित करने तथा उनकी प्रबन्ध-व्यवस्था करने पर होने वाला व्यय किसी वर्ष में हैंडल की गई रक्त यूनिटों के आकार और संख्या पर निर्भर करेगा।

केरल में छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों की समन्वित विकास योजना के तहत केन्द्रीय सहायता का उपयोग

4503. प्रो० के० वी० थामस : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में छोटे और मझले कस्बों के विकास के लिए छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों की समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की;

(ख) क्या समूची धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केरल के उन कस्बों के नाम क्या हैं जिनका निकट भविष्य में विकास करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में छोटे और मझले दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

1987-88	—	66.43 लाख रुपए
1988-89	—	61.25 लाख रुपए
1989-90	—	5.00 लाख रुपए

(ख) और (ग) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल राज्य को कुल 574.83 लाख रुपए की कुल केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1989 तक का संचयी व्यय 823.85 लाख रुपए है। इसमें परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा रिलीज की गई धनराशि शामिल है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और कस्बों को शामिल करना आठवीं योजना दस्तावेज के अन्तिम निष्कर्ष पर निर्भर करता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी) में आरक्षण

4504. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के चिकित्सकों सहित ग्रुप "सी" और "डी" के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को इन पदों पर आरक्षण सम्बन्धी सरकारी निर्देशों का भर्ती और पदोन्नति, दोनों मामलों में पालन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और दिल्ली के बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के चिकित्सकों सहित ग्रुप "सी" और "डी" के विभिन्न पदों पर नियुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को उच्च पदों पर, गत दो वर्षों के दौरान दी गई पदोन्नतियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजघाट परियोजना पूरी होने पर जलमग्न होने वाले गांव

[हिन्दी]

4505. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट परियोजना के पूरा होने पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुल कितना क्षेत्र और कितने गांव जलमग्न हो जाएंगे;

(ख) क्या सरकार ने विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को धन दिया है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) 69 गांवों से 24531 हेक्टेयर।

(ख) और (ग) जून 1990 तक 44 गांवों से 17057 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है और 45 पात्र गांवों में से 33 में पुनर्वास अनुदान दिया गया है।

(घ) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों को अपने स्वयं के संसाधनों से परियोजना की लागत बराबर-बराबर बांटनी है।

आयुर्वेदिक फिजीशियन के पद के लिए पैनल

[अनुवाद]

4506. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 में नई दिल्ली नगर पालिका में आयुर्वेदिक फिजीशियनों के पदों के लिए एक पैनल तैयार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो पैनल में कितने उम्मीदवारों को रखा गया था और इनमें से कितने उम्मीदवारों को उक्त पद पर नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या पैनल को इस बीच समाप्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन करने के कारण पैनल को समाप्त कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जी, हां। आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद हेतु एक पैनल 14-7-1987 को तैयार किया गया था। तीन उम्मीदवार पैनल में रखे गए थे। वरिष्ठतम उम्मीदवार पैनल की वैधता अवधि के दौरान नियुक्त किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) यह पैनल 1 वर्ष तक, अर्थात् 31-7-88 तक, वैध था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए केन्द्रीय सहायता

4507. **श्री मंगाराज मलिक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का तथा वर्ष 1990-91 के दौरान दी जाने वाली वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां । वर्ष 1990-91 में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का दर्जा बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना आरम्भ की गई है । वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान प्रत्येक राज्य को 8.4 लाख रुपए और उत्तर प्रदेश राज्य को 16.80 लाख रुपए जारी करने का प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी विभाग का विस्तार

4508. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी निदेशालय के अधिकारी के० लो० नि० वि० की नियम पुस्तिका के अनुसार कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व के मामले में के० लो० नि० वि० के सिविल और इलैक्ट्रिकल के अपने समकक्ष रैंक के अधिकारियों/इंजीनियरों के बराबर है, यदि नहीं, तो इन्हें बराबर का न समझने के क्या कारण हैं;

(ख) के० लो० नि० वि० के अनुभागीय अधिकारियों (बागवानी) और कनिष्ठ अभियन्ताओं की लम्बे समय से चली आ रही मांग, जिसके लिए वे वर्ष 1987 में 37 दिनों की हड़ताल पर थे, को हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या के० लो० नि० वि० के बागवानी स्कंध के विस्तार हेतु कोई योजना बनाई गई है जैसाकि सिविल और इलैक्ट्रीकल स्कंध के मामले में किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) बागवानी क्षेत्र एवं सिविल/वैद्युत क्षेत्र के कार्य की प्रकृति तथा अधिकारियों की सुविज्ञता भिन्न-भिन्न है और परस्पर परिवर्तनीय नहीं है । संगठनात्मक ढांचे के प्रयोजनार्थ बागवानी, सिविल/वैद्युत क्षेत्रों जैसे परिमण्डल, मण्डल और उप-मण्डल के लिए एक समान पद्धति अपनायी जाती है । इस सन्दर्भ में मैनुअल में ये प्रावधान बागवानी निदेशक/अपर निदेशक के सामान्य कार्य एवं उत्तरदायित्व के रूप में पढ़े जाते हैं तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी गण केवल अधीक्षक इंजीनियर, कार्यपालक इंजीनियर और सहायक इंजीनियर के समान है तथा उनके विशिष्ट कार्य नहीं हैं ।

(ख) कनिष्ठ इंजीनियरों के सम्बन्ध में आवश्यक ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । अनुभागीय अधिकारी (बागवानी) के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) बागवानी क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए केन्द्रीय

लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत नहीं किया है, क्योंकि कार्यभार मानदण्डों में संशोधन किया जा रहा है ।

विवरण

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों की मांगें जिनके लिए वे 1987 में हड़ताल पर गए थे और उन मांगों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

मांग	की गई कार्रवाई
1	2
1. पूर्व प्रभावी तारीख से वेतनमान में विद्यमान विसंगति को समाप्त करना तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों के लिए 1640-2900 रुपए का न्यूनतम वेतनमान (बेसिक ग्रेड)	यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।
2. कनिष्ठ इन्जीनियरों के संवर्ग का कोई विभाजन नहीं	वही
3. कम से कम 15 वर्ष की सेवा के बाद कनिष्ठ इंजीनियरों को वैयक्तिक पदोन्नति	वही
4. सेवाकाल में कम से कम दो पदोन्नतियां	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इन्जीनियरों और अनुभागीय अधिकारियों (बागवानी) की संवर्ग पुनरीक्षा के भाग के रूप में इस पर विचार किया जा रहा है । संवर्ग पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।
5. वरिष्ठता एवं फिटनेस आधार के माध्यम से संवर्ग पुनरीक्षा पदोन्नति का तत्काल कार्यान्वयन	कनिष्ठ इन्जीनियरों की प्रथम संवर्ग पुनरीक्षा के फलस्वरूप सृजित सहायक इन्जीनियरों के सभी 559 पदों को भर लिया गया है ।
6. निश्चित यात्रा भत्ता	यह मामला विचाराधीन है ।
7. आयोजना विशेष वेतन और डिजाइन विशेष वेतन में वृद्धि	इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं ।
8. स्टोर संचालन विशेष भत्ता/वेतन	इस मन्त्रालय की विभागीय परिषद (जे०

1	2
	सी० एम०) में एक मद के रूप में इस पर अलग से विचार किया जा रहा है।
9. (क) सी० ई० एस० तथा सी० ई० एस० श्रेणी-II के नियमावली के सीधी भर्ती नियम 3(क) श्रेणी-II को समाप्त करना और	यह मामला विचाराधीन है।
(ख) श्रेणी-I भर्ती पर रोक	वही
10. अपूर्व अवरोध को समाप्त करने के लिए विभाग का विस्तार, संवर्ग, बाह्य पदोन्नति इत्यादि।	निर्माण महानिदेशक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी सम्बन्धितों को इस आशय के आवश्यक निर्देश जारी किए गए कि अन्य विभागों में संवर्ग-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु कनिष्ठ इंजीनियरों को उदारतापूर्वक कार्यभार से मुक्त किया जाए।

फरक्का बांध परियोजना की फालतू भूमि को किराए पर देना

4509. **श्री जायनल अबेदिन : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध परियोजना की अप्रयुक्त पड़ी भूमि को किन्हीं गैर-सरकारी व्यापारिक संस्थानों, धार्मिक अथवा सामाजिक संगठनों आदि को पट्टे पर दिया गया है;

(ख) क्या प्राधिकरण ने तार विभाग, उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम और कलकत्ता राज्य परिवहन निगम के अभ्यावेदनों पर विचार ही नहीं किया जिनमें उन्होंने फालतू भूमि को उन्हें किराए पर/ठेके पर आबंटित किए जाने का अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना की फालतू भूमि को किराए पर देते समय क्या मानदण्ड अपनाए गए थे ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्य के साथ-साथ परियोजना के लाभ के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास तथा सम्बन्धित गतिविधियों हेतु विभिन्न राज्य और केन्द्रीय अभिकरणों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार किया गया है तथा उन्हें समय-समय पर समायोजित किया गया है।

पत्तनों और गोदियों में विभिन्न महासंघों की प्रामाणिक सदस्यता

4510. **श्री डी० पंडियन : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय स्तर पर पत्तनों और गोदियों में विभिन्न मान्यता प्राप्त महासंघों की प्रामाणिक सदस्यता कितनी है; और

(ख) भारत में सभी पत्तनों और गोदियों में पत्तन और गोदी-वार विभिन्न मजदूर संगठनों की प्रामाणिक सदस्यता कितनी है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सरकार ने पत्तन और गोदी कर्मकारों की फेडरेशनों को कोई औपचारिक मान्यता नहीं दी है। तथापि पत्तन और गोदी कर्मकारों की निम्नलिखित मुख्य फेडरेशनों के साथ विचार-विमर्श और बातचीत की जा रही है :—

(i) आल इण्डिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (एच० एम० एस०)

(ii) इण्डियन नेशनल पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (इंटक)

(iii) आल इण्डिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (वर्कर्स) (एच० एम० एस०)

(iv) पोर्ट, डॉक एण्ड वाटरफ्रंट वर्कर्स फेडरेशन आफ इण्डिया (एटक)

(v) वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इण्डिया (सीटू)

पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों का पुनर्गठन करने के लिए दस प्रमुख पत्तनों में पत्तन और गोदी कर्मकारों की यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। प्रमुख पत्तनों/गोदी श्रमिक बोर्डों में कार्यरत पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का पिछली बार सत्यापन 31-12-1988 को किया गया था। नौ प्रमुख पत्तनों के लिए सत्यापित सदस्यता परिणाम उपलब्ध हैं। कांडला पत्तन में यूनियनों के सम्बन्ध में सदस्यता का सत्यापन न्यायालय आदेशों के कारण पूरा नहीं हुआ है।

प्रत्येक ट्रेड यूनियन की सत्यापित सदस्यता के ब्यौरे और केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों/फेडरेशनों के नाम, जिनसे यूनियनें सम्बद्ध हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1532/90**]

सहकारी सामूहिक आवास समितियों द्वारा निर्मित फ्लैटों की लागत

4511. **श्री तेज नारायण सिंह** : **क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या सरकार ने सहकारी सामूहिक आवास समितियों द्वारा निर्मित फ्लैटों के सम्बन्ध में फ्लैटों की लागत/विकास शुल्क निर्धारण करने हेतु कोई मार्ग-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का सभी समितियों के लिए समान मूल्य नीति अपनाने हेतु तुरन्त मार्ग-निर्देश जारी करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, नहीं। सहकारी सामूहिक आवास समितियों द्वारा निर्मित फ्लैटों के सम्बन्ध में फ्लैटों की लागत/विकास प्रभारों की संगणना संबंधित सहकारी समिति का आन्तरिक मामला है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश

4512. **श्री रामदास सिंह** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि पंजाब एग्रोपेप्सी कम्पनी की तरह ही उन्हें भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है; और

(ग) खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग में प्रवेश हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में आरक्षित सीटें

[हिन्दी]

4513. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में प्रत्येक मेडिकल कालेज के स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेवारत सरकारी डाक्टरों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं तथा किन-किन विषयों में यह चिकित्सा शिक्षा दी जाती है;

(ख) इनमें से कितनी सीटें प्रत्येक मेडिकल कालेज में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध सेवारत डाक्टरों के लिए आरक्षित की गई हैं; और

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध सेवारत डाक्टरों ने उक्त कक्षाओं में अध्ययन करने के लिए आरक्षण की मांग की है, यदि हां, तो राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आर० के० पुरम में सरकारी क्वार्टरों में बिजली के तार लगाना

[अनुवाद]

4514. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नई दिल्ली के सरकारी रिहायशी आवासों में विशेष रूप से आर० के० पुरम में बिजली के तार पुराने हो गए हैं और इससे वहां के निवासियों के जीवन के लिए हमेशा खतरा बना हुआ है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आर० के० पुरम तथा अन्य क्षेत्रों के निवासियों द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अपने-अपने पूछताछ कार्यालयों को अनेक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या प्राधिकारियों ने इन मकानों का यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया कि किन-किन तारों के स्थान पर नए तार लगाए जाने की तत्काल आवश्यकता है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इन दोषी प्राधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन सरकारी रिहायशी आवासों, विशेषरूप से आर० के० पुरम में पुराने बिजली के तारों के स्थान पर नए तार लगाने के लिए क्या द्रुत कदम उठाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि सरकारी क्वार्टरों में, विशेषतः राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली में, बिजली की तारें पुरानी हो गई हैं अथवा निवासियों के जीवन के लिए खतरा बन गया है। राम कृष्ण पुरम तथा अन्य क्षेत्रों में अप्रैल, मई व जून, 1990 के दौरान प्राप्त शिकायतों की औसत संख्या प्रति तिमाही प्रति माह 0.46 शिकायतें आंकी गयीं, जिसे वाजिब समझा गया है। इनमें से, 92% उसी दिन और शेष अगले कुछ दिनों में निपटाई गई।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, पुरानी तारें बदलने के लिए चरणों में कार्रवाई की गई है। राम कृष्ण पुरम में 11,307 क्वार्टरों में से, 7109 क्वार्टरों में दुबारा वायरिंग की आवश्यकता पाई गई थी तथा यह कार्य 5241 क्वार्टरों में पूरा किया जा चुका है अन्य 496 क्वार्टरों में कार्य आरम्भ किया जा चुका है तथा शेष 1372 क्वार्टरों में बाद के वर्षों में चरणों में किया जाएगा। यह निवासियों की सुरक्षा के साथ-साथ सामंजस्य रखते हुए तथा निधियों की उपलब्धता एवं वायरिंग की हालत पर निर्भर करता है।

संजय सागर बांध परियोजना के लिए निविदाएं

[हिन्दी]

4515. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के गुना जिले में निर्माणाधीन संजय सागर बांध परियोजना के लिए आमन्त्रित विभिन्न निविदाओं की स्वीकृति में कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) यह एक मध्यम सिंचाई परियोजना है जिसकी मानीटरी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नहीं की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई मिलों के कामगारों को बकाया राशि का भुगतान

[अनुवाद]

4516. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 18 अक्तूबर, 1983 को मुम्बई की जिन 3 मिलों का अधिग्रहण किया गया था, उन मिल मालिकों ने कामगारों के वेतन से उपदान, भविष्य निधि आदि के रूप में काटी गई धनराशि का कामगारों को भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कामगारों को देय इस धनराशि का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किए जाने का विचार है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैस-प्रभावित बस्तियों में टेनीमेंटों का विध्वंस किया जाना

4517. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 14 जून, 1990 या इसके आस-पास अपने भोपाल दौरे के दौरान गैस प्रभावित बस्तियों में टेनीमेंटों को गिराए जाने पर रोष व्यक्त किया था;

(ख) क्या इन्हें गिराए जाने और दिसम्बर, 1984 की गैस-त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों पर भोपाल में प्राधिकारियों द्वारा की गई ज्यादतियों के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भेज दी गई है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस स्थिति को सही करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कोई निदेश जारी किए गए हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

[हिन्दी]

4518. **श्री जनार्दन यादव** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम, बांका (भागलपुर) इस क्षेत्र के लोगों की मांग को पूरा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निगम से इस क्षेत्र में गोदामों को खाली कराने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं ताकि इस क्षेत्र के लोग प्रभावित न हों ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम की परिचालन लागत को कम करने की दृष्टि से निगम द्वारा किराए की अधिशेष और अलाभकारी क्षमता को खाली किया जा रहा है । भागलपुर जिले की वितरण सम्बन्धी आवश्यकता को भागलपुर में ही स्थित गोदाम से पूरा किया जा सकता है और बांका में किराए की अधिशेष और अलाभकारी क्षमता को खाली करने का निर्णय किया गया है । राज्य के नामितों को भागलपुर मे स्थित डिपो, जिसकी क्षमता 22500 मीटरी टन है, से सुपुर्दगियां की जाएंगी ।

बाल वेश्याएं

[अनुवाद]

4519. **श्री बाल गोपाल मिश्र** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बाल वेश्याओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या एशियाई देशों में भारत में बाल वेश्याओं की संख्या सबसे अधिक है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी दयनीय अवस्था में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) इस विषय पर राष्ट्रव्यापी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य अभी नहीं किया गया है ।

(ग) समाज सुरक्षा का विषय, राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । किन्तु सरकार के कहने पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने मई, 1990 में वेश्याओं और उनके बच्चों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया । महिला एवं बाल विकास विभाग ने अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, बालिकाओं पर वेश्यावृत्ति के प्रभाव को कम करने और वेश्याओं के पुनर्वास के लिए कार्य योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए जुलाई, 1990 में एक बैठक आयोजित की थी । राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे सुधारगृहों को बेहतर बनाने, उनका मानकीकरण करने के लिए तथा परामर्श सेवाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करें ।

कोसी परियोजना की पुनरीक्षा

[हिन्दी]

4520. **श्री हुक्म देव नारायण यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोसी परियोजना की मॉडल परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन गलत तैयार किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप यह परियोजना उपयोगी सिद्ध नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूरी योजना को तकनीकी दृष्टि से पुनरीक्षा करने का है;

(ग) क्या सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी और पानी के बहाव के दूसरी ओर बांध के निर्माण के कारण बाढ़ और पानी का जमाव से खतरा उत्पन्न हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) केन्द्र ने 1955 में कोसी परियोजना की तकनीकी आर्थिक दृष्टि से जांच की थी तथा उसका अनुमोदन किया था।

(ख) केन्द्र के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) कोसी और गण्डक परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में जल निवास संकुलता की समस्या से निपटने के लिए 220 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर जल निकास स्कीमों के प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने हेतु विशेष कार्यबल नियुक्त किया गया था। योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा 8.38 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की पश्चिमी कोसी कमान की जल निकास स्कीम के आरम्भिक चरण पर विचार किया गया तथा उसकी सिफारिश की गई।

बाल शिशु के जन्म के लिए "सलेक्ट" कैप्सूल की बिक्री

[अनुवाद]

4521. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री शांताराम पोटदुखे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बाजार में "सलेक्ट" नामक एक कैप्सूल की बिक्री की जा रही है, जिसके निर्माता का दावा है कि इसके खाने से केवल बाल शिशुओं का ही जन्म होता है और इस प्रकार यह दहेज प्रथा के लिए समाजिक सुधार का साधन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की औषधियों की बिक्री के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) सरकार को बाल शिशु के जन्म के लिये "सलेक्ट" कैप्सूल के विपणन के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

बम्बई और दिल्ली स्थित प्रवासी संरक्षक कार्यालयों में भ्रष्टाचार

4522. **श्री लरंग साय** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई और दिल्ली स्थित प्रवासी संरक्षक कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी है जिसके बारे में समाचार राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या बम्बई स्थित इसके कार्यालय सहित विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों का स्थानान्तरण नियमित अन्तराल पर किया जाता है;

(घ) क्या सरकार को इन कार्यालयों से काम करने वाले कर्मचारियों की सम्पत्तियों पर निगरानी रखने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) दिल्ली और बम्बई स्थित उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालयों में तथाकथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई हैं। सरकार आवश्यक सुधारात्मक तथा दांडिक कार्रवाई कर रही है जैसेकि प्रक्रिया को सरल बनाना और दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करना।

(ग) जी, हां।

(घ) संगत आचार नियमों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा सम्पत्तियों के अधिग्रहण पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त उपबन्ध शामिल हैं। इन्हें लागू किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश की येरराकालवा और कव्वाडाकालवा बाढ़ नियन्त्रण परियोजना

4523. **श्रीमती जे० जमुना** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में येरराकालवा और कव्वाडाकालवा बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं की इस समय क्या स्थिति है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितीश कुमार) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि येरराकालवा बाढ़ नियन्त्रण स्कीम फरवरी, 1990 में स्वीकृति हुई है जबकि एक अलग कव्वाडाकालवा बाढ़ नियन्त्रण स्कीम पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह "इरोडिड मार्जिन को सुरक्षा देने तथा प्रोगादापाली, पोथावरम मण्डल में कव्वाडालवा के बाढ़ तटों को सुदृढ़ करने" नामक बड़ी स्कीम का हिस्सा है।

नकली योग विश्वविद्यालय

4524. **डा० सुधीर राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में धीरेन्द्र विश्व योग विद्यापीठ नाम का नकली विश्वविद्यालय है; और

(ख) यदि हां, तो नकली प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय चलाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) मानव संसाधनविकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने कहा है कि उनको दिल्ली में स्थित धीरेन्द्र विश्व योग विद्यापीठ नामक किसी नकली विश्वविद्यालय की स्थापना की जानकारी नहीं है। दिनांक 13 अगस्त, *1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के अंक में प्रकाशित एक विज्ञापन मानव संसाधन विकास मन्त्रालय* के ध्यान में आया है। उस विज्ञापन में दावा किया गया है कि विश्वायतन योगाश्रम द्वारा चलाए गए एक वर्षीय योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी गई थी। बाद में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग) ने एक प्रेस रिलीज के जरिए यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं दी थी। दिनांक 13-8-1989 के विज्ञापन के सम्बन्ध में विश्वायतन योगाश्रम के प्रबन्ध न्यास के खिलाफ पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली स्थित पुलिस स्टेशन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन 1 जून, 1990 को एक मामला दर्ज कर दिया गया है।

केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों के संवर्ग की समीक्षा

4525. **श्री जे० चोक्काराव** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि एक निर्धारित समय अन्तराल पर विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के संवर्ग की समीक्षा की जानी चाहिए, जिसे केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी थी;

(ख) क्या इस प्रकार की संवर्ग समीक्षा केन्द्रीय जल आयोग में विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गई है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न संवर्ग समीक्षा समितितों के प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) समूह क, ख और ग की सम्बन्धित संवर्ग पुनरीक्षण समितियों ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं। केन्द्रीय जल आयोग में समूह "घ" कर्मचारियों की संवर्ग पुनरीक्षण समिति ने अभी अपना कार्य पूरा करना है।

(ग) और (घ) प्राप्त रिपोर्टें कारंवाई के विभिन्न चरणों पर हैं।

रेशम कीट अण्डे

4526. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में वर्ष 1989-90 के दौरान कुल कितने रेशम कीट अण्डों की मांग है;

(ख) कितने प्रतिशत अण्डों की सप्लाई केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा की गई;

(ग) क्या गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा भी इन अण्डों की सप्लाई की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि राज्य में वर्ष 1989-90 के दौरान रेशम कीट अण्डों की कमी थी; और

(ङ) यदि हां, तो कर्नाटक में भविष्य में कीट पालकों की आवश्यकतानुसार अण्डों की सप्लाई करने हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान कर्नाटक को 23.50 करोड़ रेशम कीट अण्डों की कुल आवश्यकता है ।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा सप्लाई किए गए रेशम कीट अण्डों का प्रतिशत कुल आवश्यकता का लगभग 5 प्रतिशत था ।

(ग) लाइसेंसशुदा बीज निर्माताओं द्वारा भी रेशम कीट अण्डों की सप्लाई की गई ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) रेशम कीट अण्डों की आवश्यकता की पूर्ति कर्नाटक सरकार मुख्यतः अपने ग्रेनेज तथा लाइसेंसशुदा बीज निर्माताओं के जरिए करती है । फिर भी केन्द्रीय रेशम बोर्ड कुछ प्रतिशत में रेशम कीट अण्डों की सप्लाई करके राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा कर रहा है । राज्य में रेशम कीट अण्डों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 4 ग्रेनेज तथा राज्य सरकार के 8 ग्रेनेज की स्थापना करने का प्रावधान है ।

बावन्तहरि अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना

[हिन्दी]

4527. **श्री कंकर मुंजारे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बावन्तहरि अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत कुल कितनी छोटी नहरें बनायी जायेंगी;

(ख) बालाघाट जिले में इस परियोजना से कुल कितनी भूमि की सिंचाई होगी;

(ग) क्या बालाघाट जिले का कोई गांव इस परियोजना के जलमग्न क्षेत्र के अन्तर्गत आता है;

(घ) यदि हां, तो इससे किन-किन गांवों का कितना-कितना क्षेत्र प्रभावित होगा; और

(ङ) सरकार ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास और उन्हें मुआवजा देने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) बाया तट मुख्य नहर और 23 वितरणियां ।

(ख) 18615 हेक्टेयर ।

(ग) और (घ) कैरलांजी गांव की लगभग 57 हेक्टेयर भूमि ।

(ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पुनर्वास और पुनरस्थापन अधिनियम, 1986 के अनुसार पुनर्वास योजना तैयार की है।

केरल में तट संरक्षण कार्यों के लिए सहायता

[अनुवाद]

4528. **श्री ए० चार्ल्स :**
प्रो० के० वी० थामस :
श्री रमेश चेन्नीथाला :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में तट संरक्षण कार्य आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी सहायता दिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस राज्य के तटीय क्षेत्रों में भू-संरक्षण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान तटीय सुरक्षा कार्यों के लिए निर्मुक्त की गई केन्द्रीय ऋण सहायता निम्नवत है :—

1987-88	2.50 करोड़ रुपए
1988-89	2.50 करोड़ रुपए
1989-90	2.37 करोड़ रुपए

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रावधान 3.50 करोड़ रुपए है।

(ग) नई समुद्री दीवारों के निर्माण के अलावा, भूकटाव को रोकने के लिए पुरानी समुद्री दीवारों का सुदृढ़ीकरण भी किया गया है। समुद्रतट कटाव बोर्ड राज्य सरकारों को तटीय सुरक्षा कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार करने में सलाह भी देता है।

सोया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना

4529. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोयाबीन का देश में वितरण और/अथवा निर्यात करने के लिए सोया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु एककों/उपक्रमों को क्या-क्या सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(ख) सोया उत्पादों की कितनी मांग होने का अनुमान है; और

(ग) सोया उत्पादों की मांग और सप्लाई का अनुपात क्या है ?

वस्त्र मंत्री और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

लद्दाख में कतिपय समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा

4530. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख में कतिपय समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने सम्बन्धी राष्ट्रपति का आदेश कब जारी किया गया था;

(ख) क्या आदेश की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी गई थी;

(ग) लद्दाखी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के बाद इन समुदायों के लोगों को क्या लाभ हुए;

(घ) उक्त आदेश के जारी किए जाने के बाद इन समुदायों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए; और

(ङ) उक्त आदेश के अनुसार किन-किन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ङ) जम्मू तथा कश्मीर राज्य में निम्नलिखित 8 आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए राष्ट्रपति आदेश 7 अक्तूबर, 1989 को जारी किया गया था :—

1. बाल्टी
2. बेड़ा
3. बोट, बोटो
4. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
5. चांगपा
6. गारा
7. मोन
8. पुरिगपा

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार को आदिवासी उपयोजना तैयार करने तथा राज्य में अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। राज्य सरकार ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवश्यक नियम तैयार किए हैं। राज्य सरकार ने लेह तथा कारगिल के दो जिलों के लिए आदिवासी उपयोजनाएं भी तैयार की है।

लघु सिंचाई निर्माण कार्यों का पुनरुद्धार

[हिन्दी]

4531. **श्री राजवीर सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वरीयता के आधार पर लघु सिंचाई निर्माण कार्यों को पुनः आरम्भ करने, उनमें सुधार लाने और उन्हें प्रोत्साहन देने तथा इस समय चल रही योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) आठवीं योजना प्रस्तावों, जिन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, में पुनर्वास तथा टैंक सिंचाई में सुधार तथा लघु सिंचाई स्कीमों सहित चालू कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा करने पर ध्यान दिया गया है ।

हिमाचल प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

4532. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चालू सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए चालू वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) राज्य में एक बृहद तथा 7 मध्यम स्कीमें हैं नामशः शाहनहर, बालह घाटी, भावगुरसाहिब सोपान II. फिनासिंह, कृपालचन्द कुहल, सरवारी खुड, जिला उना का बीत इलाका तथा सिधाता सिंचाई परियोजना जिसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान 3 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है । योजना आयोग ने वर्ष 1990-91 के लिए राज्य में बृहद और मध्यम परियोजनाओं के लिए 2.7 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है ।

नई चीनी मिलें

[अनुवाद]

4533. **श्री बसन्त साठे** :
डा० वेंकटेश काबडे :
श्री बाल गोपाल मिश्र :
प्रो महादेव शिवनकर :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार दिनांक 31-7-1990 को केन्द्रीय प्राधिकरण के समक्ष नई चीनी मिलें लगाने हेतु विचारार्थ/संवीक्षा/अनुमोदन के लिए लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा महाराष्ट्र राज्य से पिछले छह महीनों के दौरान स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की सम्भावना है;

(ग) चीनी मिलों की रुग्णता के मामले पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इन पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) नई/चीनी मिलें स्थापित करने के लिए खाद्य विभाग में 31-7-90 को 92 प्रस्ताव लम्बित थे। ब्यौरा सलग्न विवरण-1 में दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य में पिछले छह महीनों के दौरान अर्थात् फरवरी से जुलाई, 1990 तक नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए जिन प्रस्तावों हेतु आशय पत्र जारी किए गए हैं उनको संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ख) अब सभी लम्बित प्रस्तावों की औद्योगिक विकास विभाग द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए घोषित लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जांच की जाएगी।

(ग) और (घ) चीनी इकाइयों की रुग्णता के मामले में सरकार ने कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की है। तथापि, छोटे आकार/अलाभकारी इकाइयों में, न्यूनतम आर्थिक स्तर तक विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा चीनी फैक्ट्रियों का उनके आधुनिकीकरण/पुनर्गठन/न्यूनतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार चीनी फैक्ट्रियों को उनके आधुनिकीकरण/पुनर्गठन/न्यूनतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार के लिए शर्करा विकास निधि से रियायती ब्याज दरों पर ऋण दिलवा रही है।

(3) सरकार ने एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है जिसके तहत पुनर्गठित इकाइयों को भी नई इकाइयों के समान प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

विवरण-1

31-7-90 को नई चीनी मिलें लगाने के लिए विचारार्थ/संवीक्षा/अनुमोदन के लिए खाद्य विभाग में लम्बित प्रस्तावों की राज्यवार, क्षेत्रवार सूची

क्रमसं०	राज्य	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	क्षेत्र			कुल
			सहकारी	सर्वजनिक	निजी	
1	2	3	4	5	6	7
1.	महाराष्ट्र	59	59	—	—	69

1	2	3	4	5	6	7
2.	उत्तर प्रदेश	78	3	—	75	78
3.	कर्नाटक	14	2	—	12	14
4.	पंजाब	11	6	—	5	10
5.	आन्ध्र प्रदेश	9	—	—	9	8
6.	तमिलनाडु	4	—	—	4	4
7.	हरियाणा	3	2	—	1	3
8.	मध्य प्रदेश	1	—	—	1	1
9.	राजस्थान	1	—	—	1	1
10.	गुजरात	2	2	—	—	2
11.	बिहार	10	4	—	6	10
	कुल :	192	78	—	114	190

विवरण-2

पिछले 6 महीनों (फरवरी से जुलाई, 1990) के दौरान महाराष्ट्र राज्य के प्रस्ताव, जिनके लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं

क्रम सं०	नाम और स्थान	क्षेत्र	आशय पत्र की तारीख
1	2	3	4
1.	मैं० श्रीमती सूर्यकांत पाटिल, जयवंत पाटिल एस० एस० के० लि०, प्रियदर्शनी, कैलाश नगर, नांदेड-431602, हदसानी, तह० हदगांव, जि० नांदेड़	सहकारी	21-3-90
2.	मैं० जाथ तालुक सेतकारी एस० एस० के० लि०, स्थान-तिपेहाली, ता० जाथ, जि० सांगली	सहकारी	26-3-90
3.	मैं० श्री संत तुकाराम एस० एस० के० लि०, हिंजावाडी, ता० मुलशी, जि० पुणे	सहकारी	26-3-90

1	2	3	4
4.	जय अम्बिका एस० एस० के० लि०, पास्ट-कुनटूर वाया-नईगांव, ता० बिलोली, जि० नान्देड (सोभथाना, तह० बिलोली, जि० नान्देड)	सहकारी	23-3-90
5.	इन्द्रि एस० एस० के० लि० पुसागांव, ता० हिंगोली तह० हिंगोली, जिला प्रभानी	सहकारी	28-3-90
6.	बालाघाट सेतकारी एस० एस० के० लि०, रघुकुल, महात्मा फूले नगर, तह० अहमदपुर, उजाना, जि० लटूर	सहकारी	28-3-90
7.	पुष्पावती एस० एस० के० लि०, स्थान पुसाद, जि० यवातमल (चिखाली, तह० पूसाद)	सहकारी	28-3-90
8.	इन्द्रि एस० एस० के० लि०, अकालकोट सोलापुर (मिराजागई, तह० इकालकोट, जि० सोलापुर)	सहकारी	28-3-90
9.	गढ़गंगा एस० एस० के० लि०, ता० सिरूर जि० पुनानहानारे, तह० सिरूर, जि० पूना	सहकारी	12-4-90
10.	भाउराव चौहान एस० एस० के० लि०, शिवाजी नगर, नान्देड (स्थान-मुग्डखेड, तह० व जि० नान्देड)	सहकारी	2-5-90
11.	श्री भागेश्वरी एस० एस० के० लि०, स्थान-परटूर, जि० जालना (रोहिनी/अम्बा, तह० परटूर, जि० जालना)	सहकारी	30-5-90

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में जल आपूर्ति की कमी

4534. **श्री गंगा चरण लोधी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में जल आपूर्ति की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में पानी की लगातार कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में स्थायी आधार पर सामान्य जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) दिल्ली में पानी की आपूर्ति की व्यापक कमी के कारण सरोजनी नगर में पानी की कमी है। ग्रीष्म ऋतु के महीनों में वोल्टता के उतार-

चढ़ाव, बिजली की खराबी, फिल्टरेशन संयंत्रों के बन्द होने, अग्निशमन परिचालनों के हेतु पानी को दूसरे काम में लाने इत्यादि के कारण कच्चे पानी की कम उपलब्धता के कारण स्थिति गम्भीर हो जाती है। सरोजनी नगर के कुछ भागों में इस कमी को अधिक महसूस किया जाता है चूंकि हसनपुर और पालम जलाशयों से पानी की निकासी तीव्र है और, इसलिए, इन जलाशयों में, जहां से इन क्षेत्रों को आपूर्ति नियमित की जाती है, अपेक्षित जलस्तर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका का इस क्षेत्र में 5 नलकूप खोदने का प्रस्ताव है जिसके प्रश्चात् पूर्वाह्न में कम से कम 3 घंटे और सांयकाल में 2½ घण्टे पानी की आपूर्ति जारी रखना सम्भव होगा।

विस्कोस स्टेपल रेशे का आयात

4535. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वदेशी विस्कोस स्टेपल रेशे की कीमतों को नियन्त्रित करने के लिए उसके मुक्त आयात की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने विस्कोस स्टेपल रेशे की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) विस्कोस स्टेपल फाइबर वास्तविक प्रयोक्ताओं को खुले सामान्य लाइसेंस पर आयात करने की अनुमति है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने विस्कोस स्टेपल फाईबर के लिए नई क्षमताओं का सृजन करने के लिए समय-समय पर आशय पत्र जारी किए हैं तथा साथ ही 1990-91 के बजट में आयात शुल्क 55 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया है ताकि विस्कोस स्टेपल फाईबर प्रतियोगी कीमतों पर और आसानी से उपलब्ध हो सके।

अनुसूचित जातियों का विकास

4536. **श्री शिवशरण वर्मा** :
डा० बंगाली सिंह :
श्री छेदी पासवान :
श्री कड़िया मुण्डा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इसी उद्देश्य के लिए कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए किन-किन संस्थाओं को धनराशि दी गई;

(ग) क्या इस आवंटित धनराशि का सही प्रकार से इस्तेमाल किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का त्रिपुरा में गठित की गई परिषद की भांति अनुसूचित जातियों के बाहुल्य क्षेत्रों में, अनुसूचित जातियों को अधिकार प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए परिषद गठित करने के बारे में राज्य सरकारों को निदेश जारी करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) चालू पंचवर्षीय योजना (1990-95) के दौरान, अनुसूचित जातियों के उत्थान, के लिए धनराधि के कुल आवंटन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनुसूचित जातियों के उत्थान पर व्यय की गई राशि संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) से (घ) उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याण मन्त्रालय की "अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना" के अंतर्गत धनराशि प्राप्त की है, संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं। उपभोग पर कल्याण मन्त्रालय तथा इसकी क्षेत्र एजेंसियों द्वारा नजर रखी जाती है तथा मानदण्डों के किसी भी उल्लंघन पर कारंवाई की जाती है।

(ङ) और (च) संविधान के अनुच्छेद 244 के पैरा 2 में कहा गया है कि छठी अनुसूची के उपबन्ध असम, मेघालय, त्रिपुरा, तथा मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन में लागू होंगे। त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषदें छठी सूची में अन्तर्विष्ट के उन उपबन्धों के अनुसार बनाई गई हैं जो केवल आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू हैं। छठी अनुसूची के उपबन्ध क्योंकि अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों के क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं अतः अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में, अनुसूचित जातियों के लिए परिषदें बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-1

पहली से पांचवीं योजना के दौरान पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रमों पर व्यय की गई धनराशि

(रु० करोड़ में)

योजना		व्यय की गई धनराशि
1		2
पहली योजना	—	30.00
दूसरी योजना	—	79.00
तीसरी योजना	—	99.14
1966-69	—	68.49
चौथी योजना	—	141.00

1		2
पांचवीं योजना	—	226.00
1978-79	—	99.94
1979-80	—	86.40

योजना	विशेष घटक योजना के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	निर्मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए राशि	केन्द्र सरकार द्वारा कल्याण मन्त्रालय की केन्द्रीय केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की गई राशि
छठी योजना	3533.00	600.00	242.82
सातवीं योजना	7081.00	875.00	360.76

विवरण-2

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान पाने वाले स्वैच्छिक संगठनों के नाम

क्रम सं०	स्वैच्छिक संगठन का नाम
1	2
1.	हरिजन सेवक संघ, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली।
2.	इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी, 1 रेड क्रास रोड, नई दिल्ली।
3.	सर्वेन्ट आफ इण्डिया सोसाइटी, पूना।
4.	हिन्द स्वीपरस सेवक समाज, 198 एच०, काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली।
5.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, रांची।
6.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, पुरी।
7.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर, 24-परगना, पश्चिम बंगाल।
8.	रामकृष्ण मिशन, विद्यापीठ, पोस्ट, विवेकानन्द नगर, जिला पुरूलिया, पं० बंगाल।

1	2
9.	सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेन्टर, तिलोनिया, मान गंज, अजमेर, राजस्थान।
10.	भारतीय समाज उन्नति मण्डल, भिवण्डी, जिला ठाणें, महाराष्ट्र।
11.	बंगाली शैड्यूल्ड कास्ट/शैड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन (रजिस्टर्ड), 22/13 पुष्प विहार, सेक्टर-I, नई दिल्ली।
12.	बंगाल ग्राम विकास केन्द्र, पानीसाला हार विलेज, वेस्ट दीनाजपुर जिला पश्चिम बंगाल।
13.	बंगाल शैड्यूल्ड कास्ट एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब डेवलेपमेंट सोसाइटी, पोस्ट-भाटूधाम, जिला-24 परगना (उत्तरी), पश्चिम बंगाल।
14.	समाज सेवा संघ (रजिस्टर्ड), नं० 69/10, गली नं० 16, ब्रह्मपुरी, दिल्ली।
15.	थियोसोफिकल सोसाइटी अड्यार, मद्रास।
16.	ईश्वर सरन आश्रम, इलाहबाद।
17.	राष्ट्रीय शोषित परिषद (रजिस्टर्ड), 167, पालिका बाजार, नई दिल्ली।
18.	कावारू चेरिटेबल ट्रस्ट, गुदीवादा, कृष्णा जिला, आन्ध्र प्रदेश।
19.	श्री लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन, 1, मोती लाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
20.	वेस्ट बंगाल शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स एण्ड माइनारटीस वेलफेयर एसोसिएशन, रविन्द्र नगर, पोस्ट तथा जिला मदीनापुर, पश्चिम बंगाल।
21.	जन जागरण परिषद्, सईदाबाद, इलाहाबाद।
22.	शोषण उन्मूलन परिषद्, 48-बी, चन्द्रलोक कालोनी, शाहदरा, दिल्ली।
23.	आल इण्डिया शैड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, 39, पटौदी हाउस कैनिंग लेन, नई दिल्ली।
24.	श्री मुक्तयार सिंह स्मृति शिक्षा समिति, पूंठकलां, दिल्ली।
25.	डा० बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय समाज विज्ञान संस्थान, इन्दौर, महू, मध्य प्रदेश।

आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन का दर्जा बढ़ाना

4537. **श्री के० प्रधानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) आठवें वित्त आयोग के पंचाट के अन्तर्गत, आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के उन्नयन हेतु राजस्व घाटे वाले राज्यों को निम्नलिखित तीन योजनाओं के वास्ते अनुदान दिए गए थे :

(i) आदिवासी क्षेत्रों में सेवार्थ तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को विशेष मुआवजा भत्ते की अदायगी;

(ii) आदिवासी क्षेत्रों में आवास-इकाइयों का निर्माण; तथा

(iii) चुनिंदा आदिवासी गांवों में अवसंरचात्मक विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय।

नौवें वित्त आयोग ने, वर्ष 1990-95 की अपनी दूसरी रिपोर्ट में, राजस्व-प्राप्तियां तथा व्ययों के आकलन में "मानवीय दृष्टिकोण" अपनाया है। आयोग ने सेवाओं के उन्नयन हेतु किसी विशिष्ट सहायतानुदान की सिफारिश नहीं की है, क्योंकि "जिन राज्यों में ये सेवाएं औसत से कम हैं वहां इनके उन्नयन की आवश्यकता का आयोग द्वारा अपनाए गए मानदण्डों में ही ध्यान रख लिया गया है।

विकलांग बच्चों के बारे में श्रेणी-वार सर्वेक्षण

4538. **श्री मणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री आर० एन० राकेश :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विकलांग बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया था और यदि हां, तो नेत्रहीन, बधिर, मूक, विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके पुनर्वास के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा नेत्रहीन, मूक तथा बधिर और अस्थि विकलांगों के सम्बन्ध में 1981 में एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-1, विवरण-2, विवरण-3 और विवरण-4 में दिया गया है। मानसिक विकलांगता इस सर्वेक्षण में शामिल नहीं थी।

(ख) उनके पुनर्वास के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन कार्यक्रमों और योजनाओं के ब्यौरे विवरण-5 में दिए गए हैं।

विवरण-1

चयनित राज्यों में दृष्टि बाधितार्थं आयुवार बच्चों की अनुमानित संख्या

(प्रति 1,00,000)

राज्य का नाम	ग्रामीण		शहरी	
	0-4	5-14	0-5	5-14
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	82	95	22	48

1	2	3	4	5
आसाम	19	24	सर्वेक्षण नहीं किया गया	
बिहार	21	82	24	75
गुजरात	21	58	19	8
हरियाणा	42	19	—	17
कर्नाटक	53	74	16	35
केरल	—	48	104	48
मध्य प्रदेश	33	61	49	42
महाराष्ट्र	29	69	17	51
उड़ीसा	47	74	54	219
पंजाब	18	60	—	39
राजस्थान	37	37	14	35
तमिलनाडु	56	53	42	426
त्रिपुरा	71	67	सर्वेक्षण नहीं किया गया	
उत्तर प्रदेश	42	72	11	38
पश्चिम बंगाल	37	48	32	38
अखिल भारत	39	66	25	87

विवरण-2

चयनित राज्यों में आयुवार श्रवण विकलांग बच्चों की अनुमानित संख्या

(प्रति 1,00,000)

राज्य का नाम	ग्रामीण	शहरी
	5—14	5—14
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	463	264
आसाम	359	297

1	2	3
बिहार	283	241
गुजरात	232	147
हरियाणा	449	299
हिमाचल प्रदेश	267	सर्वेक्षण नहीं हुआ।
जम्मू और कश्मीर	559	वही
कर्नाटक	385	240
केरल	309	224
मध्य प्रदेश	143	152
महाराष्ट्र	285	233
उड़ीसा	359	196
पंजाब	224	111
राजस्थान	213	156
तमिलनाडु	407	544
त्रिपुरा	354	सर्वेक्षण नहीं हुआ।
उत्तर प्रदेश	284	199
पश्चिम बंगाल	443	223
अखिल भारतीय	314	244

विवरण-3

चयनित राज्यों में आयुवार वाली विकलांग बच्चों की संख्या

(प्रति 1,00,000)

राज्यों का नाम	ग्रामीण	शहरी
	5—14	5—14
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	621	551

1	2	3
आसाम	406	सर्वेक्षण नहीं हुआ।
बिहार	379	322
गुजरात	265	220
जम्मू और कश्मीर	743	सर्वेक्षण नहीं हुआ।
कर्नाटक	449	474
केरल	604	604
मध्य प्रदेश	220	217
महाराष्ट्र	269	345
उड़ीसा	393	313
पंजाब	414	588
राजस्थान	344	428
तमिलनाडु	586	499
उत्तर प्रदेश	410	570
पश्चिम बंगाल	445	246
मिजोरम	553	सर्वेक्षण नहीं हुआ।
अखिल भारतीय	411	429

विवरण-4

चयनित राज्यों में आयुवार सचल विकलांग बच्चों की संख्या

(प्रति 1,00,000)

राज्य का नाम	ग्रामीण		शहरी	
	0—4	5—14	0—4	5—14
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	659	832	721	797
आसाम	78	335	94	217

1	2	3	4	5
बिहार	294	564	328	596
गुजरात	749	840	599	742
हरियाणा	681	1043	335	1413
हिमाचल प्रदेश	191	468	65	403
जम्मू और कश्मीर	346	815	358	740
कर्नाटक	472	624	503	542
केरल	374	586	561	653
मध्य प्रदेश	337	577	437	721
महाराष्ट्र	406	611	498	668
उड़ीसा	288	442	430	466
पंजाब	1072	1370	921	866
राजस्थान	582	884	764	1139
तमिलनाडु	450	784	793	815
त्रिपुरा	236	549	187	643
उत्तर प्रदेश	451	709	618	855
पश्चिम बंगाल	254	523	190	341
दिल्ली	सर्वेक्षण नहीं हुआ		426	500
अखिल भारतीय	435	676	540	718

विवरण-5

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और उत्थान की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। फिर भी अपने समन्वय और गतिमान भूमिका में, केन्द्र, विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु राज्य सरकार और स्वयंसेवी संगठनों को सहायता करता रहा है। केन्द्रीय सरकार ने विकलांगता के सम्बन्धित क्षेत्रों में शीर्ष स्तर के संगठनों के रूप में निम्नलिखित 4 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की है :

(1) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून।

(2) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता।

(3) अली यावर जंग श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई।

(4) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद ।

इन संस्थानों के अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों को सामान्य सेवायें प्रदान करने के लिए मुख्य सेवा संस्थानों के रूप में दो निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना की है :—

(1) विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली ।

(2) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ओल्टपुर, उड़ीसा ।

केन्द्रीय सरकार विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम को भी कार्यान्वित कर रही है :

विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता योजनाएं :

इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत संगठनों को सहायक-अनुदान दिया जाता है । ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है जो विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करते हैं ।

योजना के अन्तर्गत (i) विकलांगता का प्राथमिक स्तर पर पता लगाना, उपचार करना और नियन्त्रण (ii) शिक्षा और/या प्रशिक्षण (iii) पुनर्वास, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक समाज और आर्थिक सेवाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

सहायक यन्त्रों/उपकरणों के खरीदने/लगाने के लिए विकलांगों को सहायता की योजना :

इस योजना के अन्तर्गत 25/-रुपए से 3600/- रुपए मूल्य के बीच के सहायक यंत्र (1) 1200/- रुपए मासिक से कम आय वाले विकलांगों को मुफ्त (2) 1201/- रुपए से ‌2500/- रुपए मासिक आय वालों को 50% मूल्य पर दिलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं। यह योजना समूचे देश में फैली हुई स्वयंसेवी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं ।

योजना के अन्तर्गत नेत्रहीनों, श्रवण विकलांग और अस्थि विकलांग व्यक्तियों को सहायक यन्त्र और उपकरण प्रदान किए जाते है ।

विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियां :

भारत सरकार द्वारा विकलांग छात्रों जिसमें नेत्रहीन शामिल हैं, को कक्षा नौवी से आगे शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । विकलांगों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण, पत्राचार पाठ्यक्रम और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । छात्रवृत्ति के अतिरिक्त जो पाठ्यक्रम के अध्ययन के आधार पर भिन्न होती हैं, दिवस छात्रों और होस्टलों के लिए नेत्रहीनों को पाठक भत्ता भी दिया जाता है ।

बच्चों को समेकित शिक्षा

योजना में आवश्यक सहायक यन्त्र, प्रोत्साहन और विशेष अध्यापकों सहित, सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार से 100 प्रतिशत सहायता की व्यवस्था है ।

जिला पुनर्वास केन्द्र

जिला पुनर्वास केन्द्रों की योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गयी थी। इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग जनसंख्या को व्यावसायिक पुनर्वास सहित व्यापक और समन्वय सेवाएं प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। अब तक देश में 11 जिला पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

आंग्ल-भारतीयों के लिए आरक्षण

4539. **श्री ब्रोस फर्नाण्डीज :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी उपक्रमों में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए कोई आरक्षण किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उक्त समुदाय के लिए आरक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची

4540. **श्री सुदाम देशमुख :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की कोई सूची बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पिछड़े वर्गों की सूची भी तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अलावा कुछ अन्य जातियों को किस आधार पर आरक्षण सुविधा उपलब्ध है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियां, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशिक "चुनाव विधि नियमावली" के नवीनतम संस्करण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में 201 समुदाय हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फार्मेसी कालेजों को अनुदान

4641. श्री चंदूभाई देशमुख :
श्री बलवन्त मनवर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राज्यों के फार्मेसी कालेजों के विकास अनुदान देने सम्बन्धी योजना क्या है;

(ख) क्या सरकार को वर्ष 1989-90 के दौरान गुजरात राज्य के फार्मेसी कालेज के लिए विकास अनुदान के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन लम्बित प्रस्तावों को मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) राज्यों के फार्मेसी कालेजों को विकास अनुदान देने की भारत सरकार की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 में पी० के० मोदी राजकीय फार्मेसी कालेज, राजकोट की स्थापना के बारे में गुजरात सरकार के प्रस्ताव का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन कर दिया गया था और गुजरात सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

चीनी बनाने के लिए पुरानी मशीनों का प्रयोग

[हिन्दी]

4542. श्री छोतूभाई देवजीभाई गामित : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल चीनी उद्योग में पुरानी पड़ चुकी मशीनें प्रयोग की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन पुरानी पड़ चुकी मशीनों के स्थान पर आधुनिक मशीनें लगाया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई योजना तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (घ) सरकार ने 1973 में, उस समय प्रचलित नवीनतम प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए 2000 टी० सी० डी० तक विस्तार योग्य 1250 टी० सी० डी० के चीनी प्लांट के लिए मानक विनिर्दिष्टियां तैयार की हैं। इन मानक विनिर्दिष्टियों को 3500 टी० सी० डी० तक विस्तार योग्य 2500 टी० सी० डी० के चीनी प्लांट के लिए इस बारे में उपलब्ध नवीनतम ज्ञात प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए .987 में फिर अद्यतन रूप दिया गया था। नई चीनी फैक्ट्रियां सामान्यतया इन मानक विनिर्दिष्टियों के अनुरूप

लगाई गई हैं। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि चीनी फैक्ट्रियों का मौजूदा प्लांट एवं मशीनरी में, लाइसेंसशुदा क्षमता के पैरामीटरों के अन्तर्गत परिवर्धन/परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। चीनी फैक्ट्रियों को आधुनिकीकरण/पुनर्गठन कार्यक्रम के लिए चीनी विकास निधि से उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

तैयारशुदा कपड़ों का उद्योग

[अनुवाद]

4543. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी तैयारशुदा कपड़ों का उद्योग अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक फैशन वाले और उच्चकोटि के ऊनी तैयारशुदा कपड़ों का उत्पादन करने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय करने का विचार है कि यह उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्तर और अधिक ऊपर उठा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही के वर्षों में ऊनी निटवीयर के निर्यातों में वृद्धि हुई है जैसाकि नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु० में)

1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
56.50	68.75	78.90	96.00

सोवियत संघ के अतिरिक्त हम संयुक्त राज्य अमरीका तथा पश्चिम यूरोप आदि के नए बाजारों में प्रवेश करने में भी सफल हुए हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में निटवीयर के स्तर में सुधार लाने के एक उपाय के रूप में शुल्क की रियायती दर पर ऊनी मशीनों के आयात की अनुमति दी है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में निटवीयर की स्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई पी सी विदेशों से ऐसे डिजाइनरों को आमंत्रित करता है जो डिजाईन और क्वालिटी के बारे में विनिर्माताओं का मार्ग-निर्देशन करते हैं। निटवीयर क्षेत्र की समस्याओं की जांच करने के लिए निटवीयर सम्बन्धी एक विकास परिषद भी स्थापित की गई है।

मुम्बई के लिए "लाईट रेल ट्रांसिट सिस्टम"

4544. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई के कुछ भागों में "लाईट रेल ट्रांसिट सिस्टम" स्थापित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या-क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई महानगर क्षेत्र में यात्री रेल सेवा सुधार के बारे में वास्तव में क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, के सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों के एक लघु दल का गठन किया है।

इस दल में (क) संयुक्त सचिव (शहरी विकास विभाग), महाराष्ट्र सरकार (ख) मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय रेलवे (ग) मुख्य इंजीनियर, महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) (घ) मुख्य सेतु इंजीनियर, पश्चिम रेलवे, (ङ) मुख्य इंजीनियर (योजना तथा अभिकल्प) केन्द्रीय रेलवे (च) शहर अभियन्ता, नगर निगम बृहद बम्बई, (छ) मुख्य परिवहन तथा संचार योजनाकार, सिडको तथा (ज) प्रमुख, परिवहन तथा संचार प्रभाग बी एम आर डी ए को सम्मिलित किया गया है।

प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में साथ-साथ बम्बई के कुछ भागों में हल्के रेल परिवहन आरम्भ करने के बारे में प्रस्ताव किए गए हैं। विभिन्न अपेक्षाओं का विश्लेषण करते समय विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं मुख्यतः (क) बम्बई के रेल यात्रियों को राहत पहुंचाने तथा उनकी अधिकतम संख्या के लाने ले जाने (ख) बम्बई महानगरीय क्षेत्र में यात्रियों को राहत देना (ग) नए बम्बई शहर का शीघ्र विकास सुनिश्चित करना तथा (घ) अन्य नए विकास केन्द्रों के विकास पर विचार किया है।

इस दल ने समस्त परियोजना का आकलन किया है।

दल की रिपोर्ट को महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया है। चूंकि यह एक भारी पूंजीगत परियोजना है। इसमें करोड़ों का पूंजी निवेश तथा बहु-रूपात्मक परिवहन नेटवर्क है इसलिए विस्तृत तथा गहरा विश्लेषण आवश्यक है एवं इस पर अन्तिम निर्णय आठवीं पंचवर्षीय योजना के परिणामों पर निर्भर करेगा।

मंत्रियों के आवासों की मरम्मत/नवीकरण पर खर्च की गई धनराशि

4545. श्री शंकर सिंह वघेला :
डा० ए० के० पटेल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की नियुक्ति के पश्चात् इनके आवासों पर सिविल निर्माण कार्य, बिजली कार्य तथा फर्निशिंग की मरम्मत तथा नवीकरण कार्य पर अब तक कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) प्रत्येक मामले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा सम्बद्ध मंत्रालय के बजट से कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) किसी मंत्री को आवंटित बंगले पर विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत धनराशि खर्च करने के लिए वित्त मंत्रालय ने कितनी अधिकतम सीमा निर्धारित की हुई है;

(घ) क्या प्रत्येक मामले में निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार धनराशि खर्च की गई है; यदि नहीं, तो निर्धारित सीमा से कितनी अधिक धनराशि खर्च की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा धनराशि खर्च करने की निर्धारित अधिकतम सीमा के बारे में जारी आदेश की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) मंत्रियों को आबंटित किए गए आवासों में मरम्मत/नवीकरण और परिवर्धन/परिवर्तन के छोटे निर्माण कार्य भवन की दशा, मंत्री की आवश्यकताओं और निधियों की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं। मंत्रियों को आबंटित किए गए आवासों में इस प्रकार के निर्माण कार्यों को करने के लिए उच्चतम सीमा निर्धारित करने वाले कोई नियम सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किए गए हैं। जहां तक फर्नीचर की आपूर्ति का सम्बन्ध है, मंत्री आवास नियमावली, 1962 के नियम 4 के तहत मंत्रियों के आवासों पर फर्नीचर के लिए मंत्री के लिए 38,500 रुपए की उच्चतम सीमा और उप मंत्री के लिए 22,500 रुपए की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है और विद्युत उपकरण निशुल्क दिए जाते हैं। इस नियम में यह भी व्यवस्था है कि निर्धारित सीमा से अधिक सप्लाई की गई फर्नीचर अथवा विद्युत उपकरण की प्रत्येक मद के लिए मंत्री को विभागीय शुल्कों सहित उसी दर से किराए का भुगतान करना होगा, जैसाकि सरकारी कर्मचारियों के मामले में प्रयोज्य हैं। निर्धारित मूल्य से अधिक किराया मुक्त फर्नीचर और विद्युत उपकरण सप्लाई करने के लिए किसी भी मंत्री के सम्बन्ध में कोई मंजूरी जारी नहीं की गई हैं।

बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन

4546. **श्री माणिक साम्याल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान श्रम अधिनियम, 1951 बागान श्रमिकों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बागान श्रम अधिनियम, 1951 को परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त रूप से संशोधित करने के लिए कोई विधेयक लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) बागान श्रम अधिनियम के उपबन्धों की सम्बन्धित राज्यों के श्रम सचिवों के सम्मेलन में पिछली बार सितम्बर, 1984 में पुनरीक्षा

की गई थी जिसमें इस अधिनियम को अधिक व्यापक बनाने के लिए और संशोधनों की आवश्यकता पर विचार किया गया था। बागान सम्बन्धी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति ने विभिन्न सुझावों की जांच की तथा अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की। ये सुरक्षा, व्यवसायिक स्वास्थ्य और कर्मकारों के कल्याण, नियोजकों तथा कर्मकारों की परिभाषा और शास्तियों में वृद्धि आदि से सम्बन्धित हैं। संशोधन के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

सहकारी समूह आवास समितियों की सदस्यता की जांच

4547. **श्री कमल चौधरी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पंजीयक सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा फ्लैटों के आबंटन के लिए सहकारी समूह आवास समितियों की सदस्यता की जांच करने के बारे में 31 मई, 1985 को जारी किए गए निर्देश रद्द कर दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन सहकारी समूह आवास समितियों के नाम क्या-क्या हैं, जिनकी सदस्यता की जांच उपर्युक्त निर्देश का उल्लंघन करके वर्ष 1985 में समितियों द्वारा अपने सदस्यों को अवैध रूप से फ्लैटों का आवंटन करने के काफी समय पश्चात् अर्थात् वर्ष 1986, 1987 और 1988 में पंजीयक सहकारी समिति द्वारा की गई;

(ग) उस प्राधिकारी का नाम क्या है जिसने इस जांच करने के लिए आदेश दिए थे तथा आदेश किस तारीख को दिया गया;

(घ) विलम्ब से की गई उक्त जांच के दौरान (एक) भुगतान न करने वाले दोषी सदस्यों को, जिन्हें फ्लैटों के आवंटन के योग्य नहीं माना गया, उनका ब्यौरा क्या है; और (दो) समिति-वार उन सदस्यों का ब्यौरा क्या है जिनका नामांकन डी० सी० एस० नियमों के नियम 65(5) और 30(4) का उल्लंघन करके किया गया, सहित उल्लंघनों और अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक समिति द्वारा किए गए ऐसे गम्भीर उल्लंघनों के मामलों की कैसे अनदेखी की गई ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रिसर्च एसोसिएट्स को दी जाने वाली शिक्षावृत्ति को वेतन मानना

4548. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री गंगा चरण लोधी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का उन आदेशों को कार्यान्वयन करने का विचार है, जिनके अनुसार रिसर्च एसोसिएट्स को दी जाने वाली राशि को वेतन माना जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत अनुसंधान एसोशिएटों के वजीफे की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जो इस प्रकार है :—

2200-100-2700 रुपए	)	
2700-100-3200 "	)	(समेकित)
3200-100-3700 "	)	
3700-125-4325 "	)	

2200-100-2700 रुपए के स्लैब में 2200 रु० का वजीफा निर्धारित किया जा सकता है। तथापि, चुनिंदा अनुसंधान एसोशिएटों को उच्चतर स्लैब में रखा जा सकता है यदि इसका पर्याप्त औचित्य हो और उच्च स्तरीय विषय वार चयन समिति द्वारा ऐसी सिफारिशें की गई हों और उनका महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया हो। इसके अलावा, प्रति एसोशिएट 10,000 रु० प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान दिया जाएगा। ये वजीफे की संशोधित दरें एक अप्रैल, 1987 से लागू होंगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी भूमि और भवनों पर अवैध कब्जा

4549. **श्री धर्मान्ना मोण्डय्या सादुल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में सरकारी भूमि और भवनों पर अवैध कब्जे और अनधिकार प्रवेश के बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसे मामलों में अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सरकारी भवनों पर अवैध कब्जे और अनधिकार प्रवेश को गम्भीरता से लिया जाता है और बेदखली के लिए अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तथा यदि, आवश्यक हो तो लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अनुसार अभियोजन के लिए कार्रवाई की जाती है।

सरकारी भूमि पर नए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण की अनुमति न देना, सरकार की स्थायी नीति है। सार्वजनिक अभिकरणों को कड़ी सतर्कता बरतने और निवारक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। दिल्ली के उप-राज्यपाल के अनुदेशों के तहत, जनता द्वारा अनधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों की अविलम्ब सूचना देने के लिए एक नियंत्रण कक्ष ने भी कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

1979 की योजना के ढांचे पर नई योजनाएं

4550. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :**
डा० सी० सिलवेरा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में रिहायशी मकानों की जरूरत को पूरा करने के लिए 1979 की योजना के ढांचे पर कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में रिहायशी मकानों की समस्या को न्यूनतम करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। पहले की योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों का मौजूदा बकाया पूरा होने से पहले कोई नई योजना आरम्भ करना वांछनीय नहीं होगा।

(ग) इस सम्बन्ध में, किए गए उपायों में भूमि विकास तथा आवास निर्माण क्रियाकलाप में तेजी लाना और सहकारी क्षेत्र द्वारा आवास क्रिया-कलाप को प्रोत्साहन देने हेतु सहकारी समितियों को भूमि का आबंटन करना शामिल है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित रिहायशी भूमि की 40% भूमि सहकारी समितियों को आबंटित करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

बाढ़ नियंत्रण के लिए दीर्घावधि उपाय

[हिन्दी]

4551. **श्री मित्रसेन यादव :**
श्री तेज नारायण सिंह :
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बिहार में योजना-वार बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इस धनराशि के खर्च करने से बिहार में बाढ़ नियंत्रण में कितनी सहायता मिली है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर बाढ़ नियंत्रण के बारे में कोई विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) नीचे दिए गए योजना-वार व्यय ने अब तक 2.92 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को पर्याप्त सुरक्षा

प्रदान की है :

योजना	वर्ष	(करोड़ रुपए में)
पहली योजना	54-56	5.16
दूसरी योजना	56-61	19.88
तीसरी योजना	61-66	13.65
वार्षिक योजनाएं	66-69	5.31
चौथी योजना	69-74	23.62
पांचवीं योजना	74-78	58.41
वार्षिक योजनाएं	78-80	41.38
छठी योजना	80-85	113.96
सातवीं योजना	85-90	218.30

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1957, 1964, 1971 और 1976 में नियुक्त की गयी उच्च स्तरीय समितियों ने बाढ़ों की समस्या का अध्ययन किया है। हाल ही में, उत्तरी-पूर्वी राज्यों तथा बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लिए अलग से वर्ष 1987 में विशेष समितियां भी नियुक्त की गयी थीं। इसके अतिरिक्त, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की पुनरीक्षण समितियों, जिनमें सम्बन्धित राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं, में मन्त्री स्तर पर समय-समय पर विचार-विमर्श भी किया जाता है।

गुड़गांव में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिए भवन

[अनुवाद]

4552. श्री आर० जीवरत्नम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुड़गांव (हरियाणा) में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिए कोई अलग भवन नहीं है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार हरियाणा राज्य सरकार के साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का निजी औषधालय भवन जुटाने के लिए बातचीत आरम्भ करेगी जोकि एक छोटे अस्पताल की भांति कार्य कर सके;

(ग) क्या गुड़गांव के वर्तमान औषधालय में अत्यधिक भीड़ रहने के कारण यहां के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक और औषधालय खोलने का प्रस्ताव भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) गुड़गांव में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, औषधालय एक किराए के निजी भवन में कार्य कर रहा है।

(ख) हरियाणा नगर विकास प्राधिकरण से भू-खण्ड के आवंटन के लिए पहले ही सम्पर्क किया जा चुका है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बाह्य रोगी विभाग

4553. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बाह्य रोगी विभाग का विकास करने का है, क्योंकि वहां विशेषकर हड्डी रोग और प्रसूति बाह्य रोगी विभाग में अत्यधिक भीड़ होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि बहिरंग रोगी विभाग की वर्तमान इमारत का उपयोग इसकी अधिकतम क्षमता तक किया जा रहा है और ऑर्थोपीडिक और स्त्री रोग विज्ञान बहिरंग रोगी विभाग सहित वर्तमान बहिरंग रोगी विभाग खण्ड में विस्तार करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाओं में समानता

4554. **डा० वेंकटेश काबडे :**
श्री बाल गोपाल मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए विभिन्न स्वायत्त और स्वतन्त्र संस्थाओं द्वारा अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं;

(ख) क्या इन परीक्षाओं को समान रूप से आयोजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू

मेडिकल कॉलिज, अलीगढ़, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़, महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वर्धा आदि जैसे स्वशासी स्वतन्त्र संस्थान प्रवेश परीक्षा अलग से आयोजित करते हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड की मिलों की पुनर्नवीकरण-सम्बन्धी रिपोर्ट

4555. **श्री बी० श्रीनिवासन प्रसाद :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड की मिलों के एकमुश्त पुनर्नवीकरण के बारे में समिति द्वारा दिए गए सुझावों को व्यवहार्य नहीं पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संसाधन जुटाने के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों को बेचना सम्भव नहीं पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल में वस्त्र मिलों की विभिन्न समस्याओं की जांच करने तथा कार्रवाई के लिए उपचारी उपाय का सुझाव देने के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति की किसी भी सुझाव/सिफारिश पर कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। इस समय एन० टी० सी० रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बना रहा है।

गुजरात में रुग्ण कपड़ा मिलों को पुनः चालू करना

[हिन्दी]

4566. **श्री काशीराम राणा :**
श्री छोतूभाई देवजीभाई गामित :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य की बन्द पड़ी कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इन कपड़ा मिलों को कब तक राष्ट्रीयकरण किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण न किए जाने की स्थिति में इन मिलों और राज्य की अन्य मिलों को पुनः चालू करने लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीयकरण से रुग्णता की समस्या का समाधान नहीं हो जाता और सरकार नियमानुसार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी । फिर भी सरकार अर्थक्षम वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी । सरकार ने बन्द पड़ी/रुग्ण लेकिन अर्थक्षम पाई गई मिलों की पुनर-स्थापना के पैकेज बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करने के लिए नोडीय अभिकरण की स्थापना की है । सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के लिए निषेधात्मक, सुधारात्मक तथा उपचारी उपाय निर्धारित करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की भी स्थापना की है । फिर भी सिवाए इसके और कोई विकल्प नहीं है कि गैर अर्थक्षम मिलों को इस शर्त पर बन्द करने की अनुमति दी जाए कि कामगारों के हितों की रक्षा की जाएगी ।

बिहार में सोन नहर परियोजना का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

4557. **श्री एल० बी० सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोन नहर आधुनिकीकरण सम्बन्धी परियोजना केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इसे कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना सोपान I की जांच की गई है और उसे तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकार्य पाया गया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा परियोजना को पर्याप्त बजट सम्बन्धी सहायता प्रदान न किए जाने के कारण योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति नहीं दी जा सकी है । राज्य को आठवीं योजना में उपयुक्त आबंटन का प्रस्ताव करना है ।

नशीले औषधों के सेवन के आदी व्यक्तियों और उनके उपचार के बारे में सर्वेक्षण

4558. **श्री हेत राम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख नगरों में नशीले औषधों के सेवन के आदी व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में नशीले औषधों का सेवन करने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) नशीले औषधों के आदी व्यक्तियों के उपचार के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और वर्ष 1990-91 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, कल्याण मन्त्रालय ने वर्ष 1988 में 31 कस्बों तथा 2 सीमान्त क्षेत्रों में एक समान प्रपत्र के आधार के पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या, नशीले पदार्थों के *प्रयोक्ताओं तथा नशीली औषधियों के निवारणार्थ सेवाओं के मूल्यांकन हेतु 23 अध्ययन प्रायोजित किए थे। इसमें कुल 6382 व्यसनियों का नमूना सर्वेक्षण किया गया था।*

(घ) नशीले दवाओं के सेवन के व्यसनियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए तथा सम्पूर्ण देश में उनकी संख्या में वृद्धि को रोकने हेतु 108 परामर्श केन्द्र, 36 निर्व्यसन केन्द्र तथा 7 उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्र स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के कार्यक्रमों के लिए 4.50 करोड़ रु० का प्रावधान निश्चित किया गया है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ के पास गोंद का भण्डार

[हिन्दी]

4559. **श्रीमती जयन्ती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (टी० आर० आई० एफ० ई० डी०) के पास कितना तथा कितने मूल्य के गोंद का भण्डार है;

(ख) इस संघ ने गोंद के भण्डारण के लिए मुम्बई में एक जून, 1990 से कितने गोदाम और कार्यालय किराए पर लिए हैं और उनके लिए कितने मासिक किराए का भुगतान किया जाता है; और

(ग) ये गोदाम और कार्यालय किन-किन एजेंसियों से किराए पर लिए गए हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 18-8-1990 की स्थिति के अनुसार टी० आर० आई० एफ० ई० डी०) ट्राइफेड के पास उपलब्ध गोंद की मात्रा नीचे दी गई है :—

श्रेणी	मीट्रिक टन	मूल्य (रु० लाखों में)
श्रेणी-1	601.47	312.76
श्रेणी-2	802.83	341.67
श्रेणी-3	1324.12	440.88
कुल :	2728.42	1095.31

(ख) और (ग) ट्राइफेड द्वारा गोंद तथा अन्य वस्तुओं के भण्डारण के लिए एक जून, 1990 के बाद बम्बई में निम्नलिखित एजेंसियों से 2 गोदाम क्रमशः 31325.00 रु० तथा 9922.75 रु० मासिक किराए पर लिए गए।

(1) लीडगेट कॉटन प्रेस कम्पनी,

16, मेगजीन स्ट्रीट, दारूखाना बम्बई।

(2) मैसर्स प्रेमसेम गम प्राइवेट लिमिटेड,

साल्ट पाम रोड, अनोटापहिल, वडाला, बम्बई।

जनता कपड़े पर राज-सहायता

[अनुवाद]

4560. **श्रीमती डी० अमेल्मा :**
श्री हरीश पाल :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता कपड़े पर दी जाने वाली राज-सहायता में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बढ़ाई गई राज-सहायता को वापस लेने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 2 सालों के दौरान यार्न की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को आंशिक रूप में कम करने तथा बुनकरों को मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से जनता कपड़े पर दी जाने वाली राज-सहायता की दर 1-7-1990 से 2.75 रु० प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 3.40 रु० प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रचलित लागत की तुलना में यार्न और अन्य कच्चे मालों की लागत में कमी नहीं आई है। इसलिए बढ़े हुए आर्थिक सहायता को समाप्त करने से जनता कपड़े का उत्पादन किफायती नहीं रहेगा तथा कपड़े की बिक्री कीमतों को बढ़ाने तथा/या हथकरघा बुनकरों की मजदूरियां कम करने की आवश्यकता होगी जिससे जनता कपड़ा योजना का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

होम्योपैथिक फार्मेसी शिक्षा का संवर्धन

4661. **श्री ए० अशोक राव :**
श्री गंगा चरण रोधी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में होम्योपैथिक फार्मेसी शिक्षा का संवर्धन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) होम्योपैथिक फार्मेसिस्टों के लिए फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रारम्भिक डिप्लोमा शुरू करने के लिए होम्योपैथिक फार्मेस्यूटिकल साइंस मिशन आफ इण्डिया का एक अनुरोध सरकार को प्राप्त हुआ था। इस मामले पर केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, के साथ परामर्श करके विचार किया गया था जो देश भर में होम्योपैथिक फार्मेसिस्टों के संस्थागत प्रशिक्षण की अपेक्षा और मांग पर सहमत थी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि जब तक होम्योपैथी फार्मेसी परिषद का गठन नहीं हो जाता तब तक यह कार्य भारतीय फार्मेसी परिषद को सौंप दिया जाए और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद में से पांच सदस्यों को भारतीय फार्मेसी परिषद में मनोनीत किया जा सकता है।

उदयपुर में "केट स्केनिंग मशीन" के लिए वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

4562. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र उदयपुर मण्डल में "केट स्केनिंग मशीन" की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का उन गरीब और आदिवासी लोगों को वित्तीय सहायता देने का विचार है, जो उपचार के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जा सकते ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कैंसर राहत सोसाइटी से प्रस्ताव

4563. **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर राहत सोसाइटी ने स्वास्थ्य विभाग, महाराष्ट्र के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को 18 जनवरी, 1989 और 6 अप्रैल, 1990 को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जा रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) कैंसर राहत सोसाइटी, नागपुर ने राष्ट्र सन्त टुकदोजी कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र को एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में मान्यता देने के लिए दिनांक 19-1-1989 के पत्र में महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। महाराष्ट्र सरकार और इस सोसाइटी को अप्रैल, 1989 में एक उत्तर भेजा गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कैंसर की रोकथाम करने और इसका शुरू में ही पता लगाने पर जोर दिया गया है और किसी भी आयुर्विज्ञान संस्थान को एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरदार सरोवर परियोजना

4564. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाओं को पूरा करने में किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) सरदार सरोवर परियोजना के लिए सरदार सरोवर बांध, विद्युत घर, मुख्य नहर तथा कुछ वितरिणयों सम्बन्धी निर्माण गतिविधियां पूरे जोरों पर चल रही हैं। नर्मदासागर परियोजना के लिए बांध के आधार तथा विद्युतघर और सुरंग व्यपवर्तन की खुदाई का कार्य प्रगति पर है। नदी तल में काफर बांध पर कार्य आगामी कार्य सत्र में शुरू होने की आशा है। इन दोनों परियोजनाओं पर कार्य शीघ्र किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आयुर्वेद उपचार

[अनुवाद]

4565. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** :
श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य कुछ देशों के अस्पतालों में आयुर्वेद उपचार के लिए सुविधाएं विद्यमान हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशों में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के लिए विशेषज्ञता और ज्ञान के रूप में अपना योगदान देने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस बारे में विदेशों से प्राप्त हुए अनुरोधों पर सकारात्मक उत्तर दिए जाते हैं। विदेशों के विद्वान भी हमारी आयुर्वेदिक संस्थाओं में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। मारीशस सरकार के अनुरोध पर एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ को वर्ष 1988 के दौरान दो मास के लिए भेजा गया था। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान मंगोलिया गणराज्य के साथ भी किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि/फ्लैटों का अन्तरण

4566. **श्री जे० पी० अग्रवाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन अथवा फ्लैटों को दूसरे व्यक्ति को अन्तरित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सहकारी भूमि को केवल किसी रक्त सम्बन्धी को ही अन्तरित किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्तरण की इस योजना का विस्तार अन्य श्रेणियों के लोगों तक भी करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वर्तमान मार्ग-निदेशनों के अनुसार डी० डी० ए० फ्लैटों का अन्तरण न केवल रक्त सम्बन्धियों अपितु, भूमि के मूल्य में 50% की अनार्जित वृद्धि की वसूली के पश्चात् मुख्तारनामे और करारनामे के आधार पर बेचने के मामलों में भी फ्लैटों के अन्तरण की अनुमति है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि के बारे में इस प्रकार के कोई अन्तरण की इस समय अनुमति नहीं है।

(ग) से (ङ) नीति अनुसार उप-पट्टा भूखण्डों का अन्तरण/परिवर्तन केवल रक्त सम्बन्धियों में अनुमेय है। तथापि, "वसीयत" के जरिए उत्तराधिकार की स्थिति में, पट्टा/उप-पट्टा विलेख के शर्तों और निबन्धों के तहत अनार्जित वृद्धि की पट्टाकर्त्ता के भुगतान करने की शर्त पर, रक्त-सम्बन्ध से बाहर अन्तरण अनुमेय है। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिससे ऐसा न हो कि कदाचार को प्रोत्साहन मिले।

सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के कार्यालयों का स्थानांतरण

4567. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के किन-किन कार्यालयों को दिल्ली से नागपुर तथा अन्यत्र स्थानांतरित करने का विचार है; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिन्हें दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है तथा स्थानांतरण 1990 तक पूरा करने के लिए नोटिस भेजे गए थे, की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अन्तरिम योजना के अन्तर्गत पता लगाए गए प्रमुख कस्बों में, अर्थात् मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर-खुर्जा कम्पलेक्स, पलवल-रिवाड़ी-दारूहेड़ा-भिवानी कम्पलेक्स, रोहतक, पानीपत तथा अलवर में स्थानांतरित करने के बारे में उन्हें सूचित किया गया था। यद्यपि नागपुर में उनके स्थानांतरण पर कोई रोक नहीं थी क्योंकि विशेष रोक केवल यह थी कि उन्हें बम्बई, कलकत्ता अथवा मद्रास जैसे महानगरों में से किसी में भी स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों की सूची जिन्हें दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है

क्रम सं०	कार्यालय का नाम
1	2
1.	नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लि०
2.	स्टेट फार्म कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०
3.	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन
4.	फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया
5.	होस्पिटल सर्विस कंसलटैंसी कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०
6.	वायुदूत
7.	हैलीकोपटर कार्पोरेशन आफ इण्डिया
8.	एयरलाइन्स एलाइड सर्विस लि०
9.	नेशनल एयरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया
10.	नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि०
11.	नेशनल फर्टीलाइजर लि०
12.	फार्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया
13.	हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कार्पोरेशन लि०
14.	पाराइटस, फोसपेट तथा कैमिकल लि०

1	2
	15. पाराद्वीप फासपेट लि०
	16. इंडो-बर्मा पेटरोलियम कम्पनी लि० (कैमिकल डिविजन)
	17. नेशनल हाइडरो इलैक्टिक पावर कार्पोरेशन
	18. नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन (दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान) लि०
	19. मिनरल तथा मैटल तथा ट्रेडिंग कार्पोरेशन इंडिया लि०
	20. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०
	21. नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि०
	22. रूरल इलैक्ट्रीकफीकेशन कार्पोरेशन लि०
	23. नेशनल पोजक्ट कन्सटैक्शन कार्पोरेशन लि०
	24. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लि०
	25. सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया
	26. भारत एलमूनियम कम्पनी लि०
	27. नेशनल टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लि०

कैंसर देख-रेख और अनुसंधान केन्द्र

4568. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में धर्मशिला कैंसर फाउन्डेशन द्वारा एक आधुनिक और वृहद कैंसर देख-रेख और अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन और केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे कितनी राजसहायता और वित्तीय सहायता दिए जाने का विचार किया गया है; और

(घ) रोगियों को विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) धर्मशिला कैंसर फाऊण्डेशन एवं अनुसंधान केन्द्र, जो एक स्वैच्छिक संगठन है, ने सूचित

किया है कि उनका आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक गहन कैंसर परिचर्या और अनुसंधान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग) इस केन्द्र को इमदाद या वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) इस केन्द्र का निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है :

1. शल्य चिकित्सा

2. रसायचिकित्सा

3. विकिरण चिकित्सा तथा ब्रैकिथिरेपी

4. अस्थि-मज्जा प्रतिरोपण

5. आपरेशन के बाद पुनःस्थापन

6. दर्द राहत और मरणासन्न व्यक्ति के जीवन क्षणों में सुधार ।

आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति हेतु निदेशालय

4569. **श्रीमती सुभाषिनी अली :**
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति हेतु राजधानी में एक केन्द्रीय निदेशालय की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) निदेशालय को कौन से कार्य सौंपे गए हैं;

(घ) क्या सरकार का दिल्ली में एक अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसा भारत के विभिन्न राज्यों से परामर्श करके किया गया है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए मन्त्रालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का एक विभाग/निदेशालय स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है । विस्तृत ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

(घ) और (ङ) आयुर्वेद और यूनानी औषध का केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इस पर विचार करने के लिए मार्च, 1990 में सलाहकार (स्वास्थ्य); योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी । समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना

4570. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक संसद में कब तक प्रस्तुत किया जाएगा ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) **यह मामला विचाराधीन है।**

शहरी विकास परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश को विशेष अनुदान

4571. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में शहरी विकास हेतु विशेष अनुदान देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

छोटानागपुर और संथालपरगना क्षेत्रों की सिंचाई क्षमता

[हिन्दी]

4572. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटानागपुर और संथालपरगना क्षेत्र प्राकृतिक नदियों, धाराओं, झीलों, घाटियों और जलाशयों से घिरे हुए हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों की सिंचाई क्षमता नगण्य रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन क्षेत्रों में बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। 26 मध्यम स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जो इन क्षेत्रों को लाभ पहुंचा रही हैं। सातवीं योजना के अन्त तक सिंचाई क्षमता की प्रत्याशित उपलब्धि और उपयोग क्रमश: 42.12 हजार हेक्टेयर और 34.81 हजार हेक्टेयर है। जबकि इस क्षेत्र में 91.67 हजार हेक्टेयर की अन्ततः क्षमता है।

उचित दर दुकानों के नेटवर्क का विस्तार

[अनुवाद]

4573. श्री बबनराव ढाकणे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर दुकानों के नेटवर्क का वर्षों से विस्तार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1985 से मार्च, 1990 के दौरान, उचित दर दुकानों की संख्या में राज्य-वार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या दूर-दराज, दूरस्थ और उन क्षेत्रों में जहां पहुंचने के साधन नहीं हैं, आदिवासी आबादी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के विशेष महत्व को देखते हुए वहां उचित दर दुकानें खोलने पर बल दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत, गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार आवश्यक वस्तुओं का राज्यवार आबंटन और उन राज्यों द्वारा इन वस्तुओं की प्राप्ति के बारे में स्थिति क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1985 से मार्च, 1990 तक उचित दर की दुकानों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 पर दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों के कवरेज का आकलन करें ताकि जिन क्षेत्रों में ये दुकानें नहीं हैं, वहां उन्हें खोला जा सके। यह भी सुझाव दिया गया है कि जिन क्षेत्रों में स्थिर उचित दर की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं, वहां के पहाड़ी, दूरस्थ, दूर-दराज, रेगिस्तानी तथा आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मोबाइल वैनें चलाई जाएं।

केन्द्रीय सरकार की एक योजना है, जिसके तहत राज्यों को चलती-फिरती दुकाने चलाने के लिए वाहन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। 1985-86 से 1989-90 की अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वाहन खरीदने के लिए लगभग 877 लाख रुपए दिए गए हैं।

(ङ) एक ब्यौरा विवरण-2, विवरण-3, विवरण-4, विवरण-5 और विवरण-6 पर दिया गया है जिसमें 1988 तथा 1989 के दौरान चावल, गेहूं, चीनी, आयातित खाद्य तेलों तथा मिट्टी के तेल के आबंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण-1

जनवरी, 1985 की तुलना में मार्च, 1990 में उचित दर की दुकानों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी, 1985 की तुलना में मार्च, 1990 में हुई प्रतिशत वृद्धि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	13.6
4.	बिहार	1.5
5.	गुजरात	16.4
6.	गोवा, दमन तथा दीव	27.8
7.	हरियाणा	9.3
8.	हिमाचल प्रदेश	13.3
9.	जम्मू तथा कश्मीर	13.9
10.	कर्नाटक	5.5
11.	केरल	5.0
12.	मध्य प्रदेश	22.6
13.	महाराष्ट्र	6.8
14.	मणिपुर	19.1
15.	मेघालय	36.7
16.	मिजोरम	1.1
17.	नागालैण्ड	97.5
18.	उड़ीसा	8.0
19.	पंजाब	2.0
20.	राजस्थान	8.5
21.	सिक्किम	14.6

1	2	3
22.	तमिलनाडु	3.1
23.	त्रिपुरा	19.2
24.	उत्तर प्रदेश	73.7
25.	पश्चिम बंगाल	4.3
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	26.8
27.	चण्डीगढ़	20.9
28.	दादरा तथा नगर हवेली	16.3
29.	दिल्ली	15.0
30.	लक्षद्वीप	20.0
31.	पांडिचेरी	29.7
	कुल :	14.1

विवरण-2

1988-1989 के दौरान चावल का राज्यवार आवंटन तथा उठाई गई मात्रा

(हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988		1989 (अनन्तिम)	
		आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	845.0	833.8	850.0	875.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	78.9	68.8	87.9	67.8
3.	असम	440.0	444.3	420.0	396.4
4.	बिहार	200.0	50.2	150.0	57.0
5.	गोवा	52.2	46.8	47.1	45.1
6.	गुजरात	420.0	391.8	350.0	240.6

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	38.0	26.4	30.0	20.1
8.	हिमाचल प्रदेश	67.5	67.0	78.0	59.1
9.	जम्मू तथा कश्मीर	277.0	235.2	245.0	224.6
10.	कर्नाटक	610.0	612.3	510.0	490.7
11.	केरल	1550.0	1647.7	1270.0	1264.9
12.	मध्य प्रदेश	250.0	207.5	310.0	207.9
13.	महाराष्ट्र	750.0	724.4	675.0	659.8
14.	मणिपुर	66.0	41.9	78.0	55.0
15.	मेघालय	114.0	111.9	116.0	116.0
16.	मिजोरम	83.0	81.8	90.0	90.0
17.	नागालैंड	105.0	90.8	88.0	80.8
18.	उड़ीसा	325.0	273.8	312.5	175.1
19.	पंजाब	18.0	6.1	15.0	2.1
20.	राजस्थान	48.0	19.8	39.2	7.1
21.	सिक्किम	55.0	40.0	54.0	16.9
22.	तमिलनाडु	725.0	690.6	605.0	621.5
23.	त्रिपुरा	152.0	132.9	151.63	131.6
24.	उत्तर प्रदेश	510.0	396.5	405.0	286.5
25.	पश्चिम बंगाल	1070.0	876.2	810.0	563.7
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	15.0	4.7	19.5	6.7
27.	चण्डीगढ़	6.0	5.9	5.0	3.8
28.	दादरा व नगर हवेली	3.6	3.4	6.0	0.2
29.	दिल्ली	300.0	265.6	260.0	211.3
30.	दमन तथा दीव	5.4	2.1	5.45	0.2
31.	लक्षद्वीप	5.5	5.5	5.5	4.7
32.	पांडिचेरी	30.0	3.9	25.0	4.1
	कुल :	9215.1	8409.6	8113.78	6987.0

विवरण-3

वर्ष 1988-89 के दौरान गेहूं का राज्यवार आवंटन तथा उठाई गई मात्रा

(हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988		1989 (अनन्तिम)	
		आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन	उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	153.0	110.0	136.0	116.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.6	4.5	11.88	7.0
3.	असम	237.8	221.9	191.5	190.5
4.	बिहार	834.0	668.5	675.0	616.8
5.	गोवा	18.0	17.4	24.64	20.3
6.	गुजरात	840.0	761.9	750.0	490.2
7.	हरियाणा	300.0	135.5	291.0	61.4
8.	हिमाचल प्रदेश	155.0	124.9	131.0	109.3
9.	जम्मू तथा कश्मीर	175.0	119.0	247.0	142.9
10.	कर्नाटक	205.0	174.4	231.5	218.3
11.	केरल	235.0	153.6	211.5	204.2
12.	मध्य प्रदेश	410.0	300.4	392.1	278.7
13.	महाराष्ट्र	1045.0	1026.0	1219.5	1187.6
14.	मणिपुर	24.0	8.4	27.2	14.4
15.	मेघालय	25.2	24.4	25.4	23.9
16.	मिजोरम	12.6	7.3	13.3	12.6
17.	नागालैण्ड	24.0	23.0	58.2	53.1
18.	उड़ीसा	249.0	200.0	257.0	235.7
19.	पंजाब	85.0	9.2	61.75	7.2
20.	राजस्थान	1090.0	930.5	790.0	618.5

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	3.0	2.4	5.85	2.3
22.	तमिलनाडु	360.0	136.8	363.0	241.2
23.	त्रिपुरा	30.0	16.4	30.3	14.1
24.	उत्तर प्रदेश	695.0	520.8	715.5	465.3
25.	पश्चिम बंगाल	1072.0	964.8	995.5	880.5
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	8.4	2.9	9.8	2.0
27.	चण्डीगढ़	21.6	16.4	24.2	19.6
28.	दादरा व नगर हवेली	1.2	1.1	1.22	0.1
29.	दमन व दीव	1.75	0.9	1.87	0.4
30.	दिल्ली	600.0	525.7	685.0	619.5
31.	लक्षद्वीप	0.08	—	0.1	शून्य
32.	पांडिचेरी	3.45	शून्य	3.02	1.0
	कुल :	8923.68	7209.0	8580.83	6855.1

(शून्य) 50 मी० टन से कम।

विवरण-4

प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लेवी चीनी का राज्यवार मासिक कोटा

(आंकड़े मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फरवरी, 1987 से आगे मासिक कोटा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	25281
2.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	247
3.	अरुणाचल प्रदेश	314

1	2	3
4.	असम	9617
5.	बिहार	33469
6.	चण्डीगढ़	372
7.	दादरा तथा नगर हवेली	51
8.	दिल्ली	8721*
9.	गोवा, दमन तथा दीव	539
10.	गुजरात	16194
11.	हरियाणा	6386
12.	हिमाचल प्रदेश	2019
13.	जम्मू तथा कश्मीर	2884
14.	कर्नाटक	17769
15.	केरल	11953
16.	लक्षद्वीप	71
17.	मध्य प्रदेश	25031
18.	महाराष्ट्र	29938
19.	मणिपुर	694
20.	मेघालय	662
21.	मिजोरम	261
22.	नागालैण्ड	426
23.	उड़ीसा	12393
24.	पांडिचेरी	400*
25.	पंजाब	7945
26.	राजस्थान	16914
27.	सिक्किम	165
28.	त्रिपुरा	1001
29.	तमिलनाडु	22547

1	2	3
30.	उत्तर प्रदेश	52926
31.	पश्चिम बंगाल	25888
	योग :	333068

*मई से आगे दिल्ली तथा पांडिचेरी के लिए क्रमश: कोटे में 10·2 मी० टन की वृद्धि की गई।

विवरण-5

1988-89 के दौरान आयातित खाद्य तेलों के आबंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा का राज्यवार विवरण

(मात्रा मी० टनों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988		1989	
		आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन	उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	136350	127585	25400	22327
2.	अरुणाचल प्रदेश	825	92	530	35
3.	असम	5150	2055	1650	155
4.	बिहार	15100	10548	4420	2127
5.	गोवा	7760	7072	4650	4380
6.	गुजरात	170050	163582	36700	28404
7.	हरियाणा	19750	6449	3200	1034
8.	हिमाचल प्रदेश	16400	9702	6850	5810
9.	जम्मू व कश्मीर	13760	7566	8740	4451
10.	कर्नाटक	72800	70308	21100	15680
11.	केरल	77850	59184	34800	33651
12.	मध्य प्रदेश	67000	49508	23400	11916
13.	महाराष्ट्र	191650	194263	104300	91754

1	2	3	4	5	6
14.	मणिपुर	7660	7099	2800	2323
15.	मेघालय	5350	4294	1900	1242
16.	मिजोरम	5170	2781	3600	2075
17.	नागालैण्ड	6530	5499	4180	3256
18.	उड़ीसा	27800	18872	6480	4922
19.	पंजाब	19290	9014	3400	1024
20.	राजस्थान	28480	13471	3600	562
21.	सिक्किम	3010	586	1140	465
22.	तमिलनाडु	111650	97154	37300	41266
23.	त्रिपुरा	4460	4429	1530	260
24.	उत्तर प्रदेश	62260	27340	7600	2116
25.	पश्चिम बंगाल	1373210	132500	70000	58200
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1075	858	1342	535
27.	चण्डीगढ़	2140	1342	810	411
28.	दादरा व नगर हवेली	975	661	504	471
29.	दमण व दीव	1120	590	740	487
30.	दिल्ली	50500	41198	19450	12003
31.	लक्षद्वीप	610	285	400	240
32.	पांडिचेरी	5350	5723	5140	4082
	कुल :	1275375	1078609	447656	358164

विवरण-6

1988-89 के दौरान मिट्टी के तेल आबंटन तथा उसकी उठाई गई
मात्रा का राज्यवार विवरण

(मात्रा मी० टनों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988 आबंटन	1988 उठाई गई मात्रा	1989 आबंटन	1989 उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5	6
1.	असम	229990	237679	235491	239366
2.	आंध्र प्रदेश	520100	462671	550771	539520
3.	बिहार	427552	428081	454341	454828
4.	गुजरात	692275	696054	735907	739042
5.	हरियाणा	137655	137411	142579	143188
6.	हिमाचल प्रदेश	34890	35279	35516	36941
7.	जम्मू व कश्मीर	60785	61759	65733	71714
8.	कर्नाटक	398925	404782	420713	421599
9.	केरल	238642	239446	251255	250274
10.	मध्य प्रदेश	346602	345823	362965	362206
11.	महाराष्ट्र	1311540	1320481	1415842	1419937
12.	मणिपुर	18785	20511	20110	21599
13.	मेघालय	16190	17644	15566	16739
14.	नागालैण्ड	9680	10972	9907	10896
15.	उड़ीसा	141049	140864	150305	165722
16.	पंजाब	287480	285754	300450	312750
17.	राजस्थान	237586	238347	251164	253278
18.	सिक्किम	6510	8663	7066	13188
19.	तमिलनाडु	581580	581422	623573	628154

1	2	3	4	5	6
20.	त्रिपुरा	20275	21466	20843	21779
21.	उत्तर प्रदेश	811748	819845	881067	890049
22.	पश्चिम बगाल	657820	662818	698556	708873
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	3970	3884	3823	4137
24.	अरुणाचल प्रदेश	9570	13553	9589	15082
25.	चण्डीगढ़	18490	15256	19683	17472
26.	दादरा व नगर हवेली	30445	29266	5750*	5737*
27.	दिल्ली	210870	200353	224394	209253
28.	मिजोरम	6330	7017	6023	8930
29.	पांडिचेरी	12920	12977	13967	13872
30.	लक्षद्वीप	770	242	822	188
31.	गोवा	—	—	25546	6953

*दमण व दीव सहित ।

वसन्त कुंज में मकानों का निर्माण

4574. **श्री बागुन सुम्बरूई** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वसन्त कुंज नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुल कितने मकान बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) अब तक कितने मकान बनाए गए है और कितने मकान आवंटित किए जा चुके है;

(ग) अब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कितने मकान आवंटित किए गए हैं और कितने आवंटित किए जाने हैं;

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के अलग-अलग कितने फ्लैट बनाए हैं और अब तक कितने फ्लैट आवंटित किए जा चुके है; और

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियां के लोगों को अलग-अलग कुल कितने फ्लैट आवंटित किए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 18,018 ।

(ख) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार 9087।

(ग) इस रिहायशी योजना के केवल 212 पंजीकृत व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं तथा उन सभी को फ्लैट आवंटित कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र में उच्च आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के लिए फिलहाल अन्य कोई योजना का प्रस्ताव नहीं है तथा इस समय इस क्षेत्र में उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति को आवंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड का मानदेय

[हिन्दी]

4575. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को दिया जाने वाला मानदेय रोक लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके मानदेय में वृद्धि करने का है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 50/- रु० प्रतिमाह की दर से ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को मानदेय का भुगतान करने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। 1990-91 के दौरान इस प्रयोजन के लिए धनराशि उपलब्ध की गई है।

(ग) ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सहकारी आवास निर्माण समितियों के एफ० डी० आर० का निर्गम

[अनुवाद]

4576. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० पी० एक्सटेंशन की सहकारी आवास निर्माण समितियों ने नगरपालिका संबंधी सेवाओं की किसी कमी को पूरा करने के लिए लाखों रुपए के एफ० डी० आर० दि० वि० प्रा० के पास गिरवी रखे थे;

(ख) क्या वे समितियां जिनकी नगरपालिका सम्बन्धी सेवाओं को ले लिया गया है और जिन्होंने अपनी देयताओं को पहले ही निपटा दिया है, उपरोक्त एफ० डी० आर० के निर्गम के लिए अधिकृत हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उन एफ० डी० आर० का निर्गम किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक इनका निर्गम कर दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बांधों की सुरक्षा सम्बन्धी समीक्षा

4578. **श्री विद्याधर गोखले** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को विशेषज्ञों के अन्तर-अनुशासनिक पैनल से बांधों की सुरक्षा सम्बन्धी समीक्षा कराने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इसे सरकार के निदेशों के अनुसार पूरा कर लिया है;

(ग) राज्यों द्वारा दिए गए परामर्श का अनुपालन न किए जाने के क्या-क्या कारण बताए हैं;

(घ) इन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वह बांध जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अथवा जो 60 मिलियन क्यूबिक मीटर अथवा अधिक जल संचित करते हैं, उनके लिए अक्तूबर, 1987 में जारी निदेशों के अनुसार राज्यों को 10 वर्षों में एक बार सुरक्षा पुनरीक्षा पूरी करनी है। दिशानिर्देशों के अनुसार पुनरीक्षा शुरू करने के लिए राज्यों को सूचित किया गया है।

भूखण्डों/फ्लैटों के अन्तरण सम्बन्धी नियमों को सरल बनाना

4579. **श्री बी० कृष्ण राव** :
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :
श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूखण्डों/फ्लैटों के अन्तरण संबंधी नियमों को सरल बनाया जा रहा है ताकि दिल्ली में सहकारी आवास निर्माण समितियों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से बिना किसी प्रकार की परेशानी के सीधे ही भूखण्डों/फ्लैटों का अन्तरण किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना में प्रवेश

4580. **श्री आरिफ बेग** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने मई, 1985 से निर्णय किया था कि 1986 से क्रिश्चियन मेडिकल कालेज और डेन्टल कालेज, लुधियाना में प्रवेश पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली पी० एम० टी० के आधार पर दिया जाएगा;

(ख) क्या उपरोक्त निर्णय को लागू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) स (घ) पंजाब सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चिकित्सीय कानूनी मामले सम्बन्धी रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

4581. **श्री मनोरंजन सूर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री चिकित्सीय कानूनी मामले सम्बन्धी रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के बारे में 23 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10071 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है और इसे सभा पटल पर रख दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस मामले के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है और कार्यान्वयन रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे लगाना

4582. **श्री नरसिंहराव दीक्षित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे लगाने को बढ़ावा देने और उनके महत्व का प्रचार करने के लिए पर्यावरण विशेषज्ञों और आयुर्वेद विशेषज्ञों के बीच कोई समन्वय है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आवास विकास वित्त निगम द्वारा घरेलू बचत योजना

4583. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड ने कोई घरेलू बचत योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई ने गृह बचत योजना शुरू की है जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) इस योजना में, उधार लेने वाले को 25 से 84 महीनों की अवधि में 3,000 रुपए से 1,05,000 रुपए तक की बचत करनी होगी। इससे उसे क्रमशः 7,000 रुपए से 2,45,000 रुपए तक का ऋण मिल सकेगा।

(2) बचत और ऋण के मध्य 30 : 70 का अनुपात है।

(3) बचत पर 6% की दर से वार्षिक ब्याज मिलेगा जो अर्द्ध-वार्षिक संयोजित होगा।

(4) यह ऋण 8.5% वार्षिक ब्याज की विशेष दर पर उपलब्ध होगा। बचतकर्त्ताओं को ऋण का निर्धारण रैंकिंग पद्धति पर आधारित होता है। ऋण का पुनर्भुगतान 15 वर्ष की अधिकतम अवधि या उधार लेने वाले की आयु 65 वर्ष होने तक समान मासिक किस्तों में किया जाना होगा।

(5) गृह बचत योजना के अन्तर्गत ऋण का इस्तेमाल मकान खरीदने या बनाने, परिवर्द्धन करने, विस्तार करने या नवीकरणों के लिए किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल ब्याज की सामान्य दरों पर आवास विकास वित्त निगम की ऋण सुविधाओं से लिए गए ऋणों सहित मान्यता प्राप्त अभिकरणों से उनके द्वारा उच्चतर ब्याज पर लिए गए आवास ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए भी किया जा सकता है।

(6) ऋण के पुनर्भुगतान के लिए तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं के अनुसार बचत पर ब्याज के लिए, कर में रियायत दी जाती है।

संदूषित फ्लुइड

4584. **श्री राम बहादुर सिंह :**
श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :
श्री सूर्य नारायण सिंह :
श्री आर० एन० राकेश :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में एक रोगी को अन्तःशिरा (iv) फ्लुइड चढ़ाते समय उसके संदूषित होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जी, हां। स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति वार्ड में एक रोगी को अन्तःशिरा (आई० वी०) फ्लुइड चढ़ाते समय एक बोतल में कुछ संदूषण होने का पता लगा था और उस बोतल को बदल कर उसके स्थान पर तत्काल एक नई बोतल दे दी गई थी।

(ग) इस संदूषित बैंच के उपयोग को रोक लिया गया था और सम्बन्धित विनिर्माता को दिया गया सप्लाई आर्डर तत्काल रद्द कर दिया गया था। उसके बाद इस अभिशंसी बैंच तथा अन्य बैचों के नमूने जांच के लिए सरकार अनुमोदित प्रयोगशाला को भेज दिए गए थे। औषध नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन को सूचित कर दिया गया था और उन्होंने भी जांच के लिए नमूने एकत्र किए हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम से सप्लाई प्राप्त की जा रही है।

केरल में शहरी विकास योजनाएं

4585. **श्री रमेश चेन्नीथाला :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में शहरी विकास के लिए कोई प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) केरल राज्य में शहरी विकास में लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केरल सरकार ने केरल शहरी विकास परियोजना का, विश्व बैंक द्वारा बाह्य सहायता के लिए सिफारिश करने हेतु एक प्रस्ताव किया है। राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान करके प्रतिपक्ष द्वारा राशि उपलब्ध कराने हेतु संसाधनों की उपलब्धता सम्बन्धी वचनबद्धता प्रस्तुत करने को राज्य सरकार से कहा गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4586. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान राज्यवार स्थापित किए जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या क्या है;

(ख) राज्यवार इन उद्योगों में कितनी राशि खर्च करने की सम्भावना है; और

(ग) इससे प्रत्येक राज्य में कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय ने वर्ष 1990-91 के लिए खाद्य-प्रसंस्करण सैक्टर के विकास की अनेक योजना-स्कीमें तैयार की हैं। परन्तु वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न राज्यों में खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग सीधे स्थापित करने का खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

हैल्थ-गाइडों की छंटनी

4587. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार हैल्थ गाइडों की छंटनी करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को आवास

4588. **श्री मान्धाता सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को आवास देने का कोई प्रस्ताव है जिसमें गरीब झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों द्वारा 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा ताकि उन्हें दिए गए आवास की लागत पूरी हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का पूरे देश में इस योजना को किस प्रकार लागू करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो समाज के इस वर्ग की उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, आवास राज्य का विषय है तथा राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन स्लम निवासियों सहित आबादी के विभिन्न वर्गों के लिए आवास योजनाएं, अपनी-अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिपादित करने और क्रियान्वित करने के लिए सक्षम हैं।

देश भर में, गन्दी बस्ती निवासियों की आश्रय स्थितियों में सुधार करने के विचार से, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत शहरी मलिन बस्तियों (स्लमों) के पर्यावरणीय सुधार की योजना राज्य क्षेत्र में पहले से ही चल रही हैं। गन्दी बस्ती निवासियों को मूलभूत सेवाओं की सुलभता में सुधार करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित शहरी मूलभूत सेवाओं (यू० बी० एस०) की एक योजना भी प्रारम्भ की गई है। हुडको आवास उन्नयन और गन्दी बस्ती सुधार के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। बहु-पक्षीय और द्विपक्षीय अभिकरणों से सहायता के जरिए प्रमुख शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्ती उन्नयन और सुधार कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय आवास नीति प्रारूप में भी धारण-अधिकार और मकानों के उन्नयन और मूलभूत सेवाओं का प्रावधान, जहां कहीं सम्भव हो, उसी स्थान पर करने और गन्दी बस्ती तथा निम्न आय की मानव बस्तियों के पुनः स्थापन और उन्हें न हटाने पर विशेष जोर दिया गया है। यह रोजगार कार्यक्रम के साथ जुड़ा होगा। इसमें निर्धन वर्गों और गन्दी बस्ती निवासियों की आवश्यकताओं और वह करने योग्य अनुकूल आवास वित्त-पोषण पद्धति पर विचार किया गया है।

होम्योपैथ बोर्ड में पंजीकरण का नवीकरण

4589. **श्री सूर्यनारायण सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोर्ड आफ होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन, दिल्ली में पंजीकृत होम्योपैथिक प्रैक्टीशनरों को प्रति वर्ष अपने पंजीकरण का नवीकरण करवाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बोर्ड के लिए वर्ष 1989 में चुने गए सदस्यों ने अपने चुनाव से पूर्व उक्त बोर्ड से अपने पंजीकरण का नवीकरण करवाया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चावल और गेहूं का मूल्य निर्धारित करना

4590. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय किन-किन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता है;

(ख) क्या चावल और गेहूं का मूल्य निर्धारित करने में भी इसी सिद्धान्त का पालन किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता को लेवी चीनी मुहैया करने के लिए सामान्यतया निर्धारित पात्र चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी की 45 प्रतिशत मात्रा की पूर्व-निश्चित निकासी मूल्यों पर वसूली की जाती है। लेवी चीनी के निकासी मूल्य निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर जोनल आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3(3ग) के अधीन निर्धारित किए जाते हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के अधीन गन्ने के निर्धारित किए गए न्यूनतम मूल्य, यदि कोई निर्धारित किए गए हों;

(2) चीनी की उत्पादन लागत;

(3) उस पर यदि कोई शुल्क अथवा कर अदा किया गया हो अथवा देय हो; और

(4) चीनी का उत्पादन करने के कारोबार में लगाई गई पूंजी पर उचित लाभ को सुनिश्चित करना।

(ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन/वसूली मूल्यों पर स्वैच्छिक आधार पर मूल्य समर्थन योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम और राज्य की वसूली एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय पुल के लिए गेहूं और धान की वसूली की जाती है। देश भर में गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन/वसूनी मूल्य एक-समान होते हैं। चावल की वसूली मिल मालिकों से सांविधिक लेवी के अधीन की जाती है और लेवी की प्रतिशतता केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से इन तथ्यों कि क्या राज्य अधिशेष है अथवा कमी वाला राज्य है, उत्पादन की प्रवृत्ति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। लेवी चावल के वसूली मूल्यों का निश्चय और निर्धारण सरकार द्वारा प्रत्येक सम्बन्धित राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए धान के समर्थन/वसूली मूल्य, धान की खरीद पर चावल मिल मालिकों द्वारा देय सांविधिक करों/प्रभारों मिलिंग और अन्य खर्चों और निकासी के अनुपात को ध्यान में रखकर किया जाता है।

केरल को घटिया किस्म का चावल दिया जाना

4591. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा केरल को हाल ही में घटिया किस्म का चावल दिया गया है;

(ख) क्या राज्य को चावल दिए जाने से पहले उसकी प्रयोगशाला में इस दृष्टि से जांच की गई थी कि क्या वह मनुष्यों के खाने योग्य है अथवा नहीं;

(ग) क्या इस प्रकार के घटिया किस्म के चावल की खरीद लेवी के चावल के रूप में पंजाब और अन्य स्थानों से की जा रही है;

(घ) क्या अच्छे किस्म के चावल के साथ घटिया किस्म के चावल को मिलाकर उसे मानवीय उपयोग के लिए सप्लाई करने के जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं, क्योंकि यह आरोप कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी अच्छे किस्म के चावल में घटिया किस्म का चावल मिला रहे हैं, नितान्त निराधार है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में वनस्पति तेल एकक

4592. **श्री बलवन्त मणवर** :
श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वनस्पति घी के कितने संयंत्र हैं;

(ख) क्या उनमें से बड़ी संख्या में संयंत्र बन्द हो गए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं;

(घ) इनके बन्द होने के कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हुए हैं;

(ङ) इनके बन्द होने के कारण कितना निवेश अनुत्पादक हो गया है; और

(च) इन एककों को पुन: खोलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) गुजरात राज्य में 11 वनस्पति एकक हैं।

(ख) सात वनस्पति एककों को माह जुलाई और अगस्त, 1990 में समय-समय पर आंशिक रूप से बन्द किया गया था।

(ग) वनस्पति उद्योग की मांग में कमी और कच्चे माल की प्रतिबन्धित उपलब्धता और ऊंचे मूल्यों के कारण इन्हें बन्द किया गया था।

(घ) भारतीय वनस्पति विनिर्माता संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार इन एककों में श्रमिकों की संख्या 1680 है।

(ङ) और (च) मांग में कमी के समय एककों को आंशिक रूप से बन्द करना एक आम बात है और इस प्रकार इसे अनुत्पादक निवेश नहीं कहा जा सकता।

बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुनः चालू करना

[हिन्दी]

4593. **श्री संजय लाल :**
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 1990 में कितनी रुग्ण कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने के लिए प्रयास किए गए;

(ग) ऐसी मिलों में से कितनी मिलों में जुलाई, 1990 में उत्पादन शुरू हो गया है; और

(घ) जिन मिलों ने इस वर्ष से उत्पादन शुरू कर दिया है, उनमें कितने मजदूर काम करते हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) 31-12-1989 की स्थिति अनुसार 124 सूती/मानवनिर्मित फाईबर वस्त्र मिलें बन्द पड़ी हुई थी जिनमें दिसम्बर, 1989 के दौरान बन्द हुई दो मिलें भी शामिल हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 30-6-1988 की स्थिति अनुसार 226 सूती/मानवनिर्मित फाईबर वस्त्र मिलों को रुग्ण मिलों के रूप में वर्गीकृत किया है। जनवरी, 1990 से नोडीय अभिकरण ने 31-12-1989 की स्थिति अनुसार बन्द पड़ी छः वस्त्र मिलों के मामलों पर विचार किया है। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के लिए निषेधात्मक, सुधारात्मक तथा उपचारी उपाय निर्धारित करने तथा उन्हें लागू करने के उद्देश्य से औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना भी की है।

(ग) और (घ) 31-12-1989 की स्थिति अनुसार बन्द पड़ी 124 मिलों में से 1-1-1990 से 31-7-1990 तक 24 मिलों को दुबारा खोल दिया गया है जिनमें 14148 कामगार कार्यरत हैं।

गैर-मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक कालेज

4594. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक गैर-मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक कालेज चल रहे हैं तथा ये भारतीय चिकित्सा और शल्य विज्ञान में स्नातक की डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे कालेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ऐसे कालेजों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) आम जनता को सजग बनाने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन दिए गए थे ताकि वे ऐसे दावों द्वारा धोखा न खाएं । उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला

[अनुवाद]

4595. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फेडरेशन आफ इण्डिया ने चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री और सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी ऑफ इण्डिया" ने दिल्ली में एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अपमिश्रण को रोकने के लिए जनसाधारण द्वारा आम खाद्य पदार्थों के रूप में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए ये परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी; और

(ग) परीक्षणशाला की क्षमता क्या है और इसके कब से चालू होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री तथा खाद्य उद्योगों के लिए इसकी विशेषज्ञ एजेन्सी, द कन्फैडरेशन ऑफ इण्डियन फूड ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्री ने दिल्ली में एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है । प्रयोगशाला ने जुलाई, 1990 से काम करना आरम्भ कर दिया है । यह प्रयोगशाला खाद्य संसाधकों तथा व्यापारियों को उनके उत्पादों का विश्लेषण करने की सुविधाएं प्रदान करती है ।

प्रयोग अनुसंधान के लिए अपर्णा आश्रम द्वारा धन की वसूली

4596. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर्णा ने योग अनुसंधान के लिए करोड़ों रुपया एकत्र किया है जैसाकि 3 जून, 1990 के "इलस्ट्रेटेड वीकली" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) उपरोक्त संख्या के प्रबन्धकों द्वारा कितना धन एकत्र किया गया था और मशीनों तथा उपकरणों के आयात पर व्यय की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना के लिए आयातित कितने उपकरणों का उपयोग वाणिज्यिक लाभ के लिए किया गया;

(ङ) क्या सरकार ने वाणिज्यिक लाभ के लिए उपकरणों/मशीनों के दुरुपयोग किए जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार का विचार इस मामले की पूरी जांच कराने तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है; यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

घटिया औषधियों का निर्माण

4597. **प्रो० मधुकर पांडेय :**
श्री सरजू प्रसाद सरोज :
श्री जनार्दन पुजारी :
श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान घटिया औषधियों तथा दवाईयों का पता लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो घटिया औषधियों तथा दवाईयों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के राज्य-वार, नाम क्या हैं; और

(ग) औषधियों तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) मन्त्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान जांच किए गए और घटिया पाए गए नमूनों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) चूंकि ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक है अतः यह मन्त्रालय उन कम्पनियों के नामों का जो घटिया औषधों और दवाइयों का विनिर्माण करती हैं किसी प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखती है ।

(ग) भारत सरकार राज्य औषध नियन्त्रकों को समय-समय पर सलाह देती है कि औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों का कार्यान्वयन किया जाए।

विवरण

राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान जांचे गए नमूने और उनके परिणाम

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	वर्ष 1988-89 के दौरान जांच के लिए भेज गए नमूनों की संख्या	वर्ष 1988-89 के दौरान घटिया पाए गए नमूनों की संख्या	वर्ष 1989-90 के दौरान जांचे गए नमूनों की संख्या	वर्ष 1989-90 के दौरान घटिया पाए गए नमूने की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1557	302	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2.	अरुणाचल प्रदेश	अनुपलब्ध	शून्य	,,	,,
3.	असम	169	52	209	58
4.	बिहार	225	25	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5.	गुजरात	4878	702	5241	504
6.	हरियाणा	1586	457	2078	530
7.	हिमाचल प्रदेश	357	114	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
8.	जम्मू व कश्मीर	349	93	,,	,,
9.	केरल	672	34	,,	,,
10.	कर्नाटक	3263	331	2555	182
11.	मध्य प्रदेश	1533	195	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
12.	महाराष्ट्र	3763	460	3914	446
13.	मणिपुर	14	1	शून्य	शून्य
14.	मेघालय	शून्य	शून्य	1	,,
15.	मिजोरम	,,	,,	शून्य	,,
16.	नागालैंड	,,	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6
17.	उड़ीसा	918	52	1140	121
18.	पंजाब	1866	627	2253	709
19.	राजस्थान	743	123	683	119
20.	तमिलनाडु	3980	98	3641	134
21.	त्रिपुरा	84	23	186	62
22.	उत्तर प्रदेश	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
23.	पश्चिम बंगाल	661	145	,,	,,
24.	गोवा	200	34	296	34
25.	दिल्ली	701	88	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
26.	चण्डीगढ़	151	31	,,	,,
27.	दादरा और नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	पांडिचेरी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	,,	,,	2	,,
31.	सिक्किम	,,	,,	,,	,,

मोतिया खान दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

[हिन्दी]

4598. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मोतिया खान दिल्ली में निर्मित कई फ्लैट को आवासीय प्रयोजन के लिए असुरक्षित घोषित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे फ्लैटों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) केवल 12 मकान थे, जिनके बारे में विशिष्टियों के अनुसार निर्माण कार्य नहीं किया गया था। इन मकानों को आबंटन के लिए रिलीज नहीं किया गया था और इन्हें गिराया जा रहा है।

(ग) निर्माण करने वाली फर्म तथा इसके पार्टनरों को दिल्ली विकास प्राधिकरण में आगे और

निविदाएं देने से वंचित किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्थल पर निष्पादित खराब कार्य के लिए उत्तरदायी स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम से राशन की चोरी

4599. ***श्री कल्पनाथ सोनकर*** *: क्या* ***खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री*** *यह बताने की कृपा* करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम के विभिन्न गोदामों से कितनी मात्रा में अनाज की चोरी हुई है;

(ख) क्या निगम द्वारा चोरी के बारे में पुलिस को कोई रिपोर्ट लिखाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) निगम के किसी भी गोदाम से खाद्यान्न की चोरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार व्यक्तियों का राज्यवार प्रतिशत

[अनुवाद]

4600. **श्री एन० डेनिस** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कुल जनसंख्या की तुलना में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है तथा इनके राज्यवार प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिक प्रतिशत बेरोजगार वाले राज्यों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) चालू साप्ताहिक स्तर के अनुसार, राज्यवार कुल जनसंख्या में से बेरोजगार व्यक्तियों की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों और चालू विशेष रोजगार कार्यक्रमों से देश में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आठवीं योजना में मुख्य बल रोजगार पर दिया गया है।

विवरण

चालू साप्ताहिक स्तर के अनुसार कुल जनसंख्या में से बेरोजगार व्यक्तियों की प्रतिशतता

[राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 43वां दौर (1987-88)]

राज्य/संघ शासित प्रदेश	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	2.3	2.0	3.5	1.7
असम	2.1	0.8	2.8	1.6
बिहार	1.8	0.3	3.2	0.3
गुजरात	2.3	0.7	2.8	0.2
हरियाणा	3.8	0.5	2.5	0.7
हिमाचल प्रदेश	2.1	0.3	3.5	1.4
जम्मू व कश्मीर	2.9	0.2	2.8	1.3
कर्नाटक	1.3	0.8	3.2	0.6
केरल	7.6	5.1	8.3	6.6
मध्य प्रदेश	1.2	0.4	2.5	0.8
महाराष्ट्र	1.4	0.5	3.9	0.9
मणिपुर	0.5	0.2	1.6	0.7
मेघालय	0.1	—	1.0	0.5
नागालैंड	—	—	2.0	1.2
उड़ीसा	2.5	1.2	3.6	1.2
पंजाब	1.9	0.4	3.0	0.9
राजस्थान	2.7	0.7	3.1	0.5
सिक्किम	1.3	0.6	1.3	0.1
तमिलनाडु	4.5	2.6	4.8	2.0

1	2	3	4	5
त्रिपुरा	1.3	0.6	5.0	2.9
उत्तर प्रदेश	1.4	0.2	2.2	0.2
पश्चिम बंगाल	2.1	1.3	5.3	2.2
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.6	0.6	3.7	1.4
अरुणाचल प्रदेश	0.1	—	2.1	0.1
चण्डीगढ़	0.9	—	5.4	1.6
दादर और नागर हवेली	0.7	—	—	—
दिल्ली	0.4	—	2.4	1.0
गोवा, दमन और दीव	4.3	1.6	5.0	1.9
लक्षद्वीप	5.6	7.9	4.7	4.0
मिजोरम	—	—	0.1	0.1
पांडिचेरी	9.0	4.9	4.5	2.7
अखिल भारत	2.2	1.0	3.5	1.2

भारतीय खाद्य निगम में भर्ती

4601. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम में तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पंजाब में ठेकेदार के माध्यम से की जाती है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय के अनुसार यह भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम ने उच्चतम न्यायालय के निदेश का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस उल्लंघन के विरुद्ध क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि पंजाब क्षेत्र में ठेकेदारों के माध्यम से नियमित आधार पर श्रेणी-3 और श्रेणी-4 कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं की जा रही है । तथापि, जब कभी आवश्यक होता है, सुरक्षा

गार्ड मुहैया करने के लिए लाइसेंसशुदा प्राइवेट एजेंसियों/ठेकेदारों से सम्पर्क किया जाता है क्योंकि इन पदों पर भर्ती करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(ख) से (घ) जब कभी नियमित आधार पर कोई भर्ती की जाती है तो वह रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है।

लोधी कालोनी में टाईप IV फ्लैटों के सर्वेन्ट क्वार्टरों में बिजली का कनेक्शन

[हिन्दी]

4601. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोधी रोड स्थित टाइप IV के सरकारी फ्लैटों के सर्वेन्ट क्वार्टरों में बिजली के कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं और बरसाती पानी के लिए पाइप भी इनमें से कुछ क्वार्टरों के भीतर से होकर गुजरता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) इनके सर्वेन्ट क्वार्टरों में बिजली के कनेक्शन कब तक दिए जाएंगे तथा इनमें वैकल्पिक नाली व्यवस्था कब तक की जाएगी;

(ग) क्या टाइप IV के क्वार्टरों में रसोईघर अपेक्षाकृत छोटा है और क्या ऐसे रसोईघरों में दुर्घटना होने का खतरा अधिक है; और

(घ) सरकार कब तक इस क्वार्टर के रसोईघर को बड़ा करेगी अथवा वहां एक अन्य रसोईघर बनाएगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) चूंकि लोदी कालोनी के टाइप IV के क्वार्टर आजादी से पहले बनाए गए थे, इसलिए इस स्तर पर यह जानकारी नहीं है कि इन क्वार्टरों से सम्बद्ध सर्वेंट क्वार्टरों में अलग से बिजली के कनेक्शन क्यों नहीं दिए गए। चूंकि विद्यमान नीति के अनुसार, टाईप IV क्वार्टरों में अलग से सर्वेन्ट क्वार्टरों की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन सर्वेन्ट क्वार्टरों में बिजली के कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यह सही है कि ब्लाक 20, 21 तथा 23 में टाईप "ए" (टाईप IV) के 213 क्वार्टरों में स्नानगृहों के फर्शों से होते हुए बरसाती पानी के टाईप गुजरते हैं। यह भी सही है कि सी और डी चेम्बरियों में डी० आई० ए० (टाईप IV) क्वार्टरों के सर्वेन्ट कमरों से बरसाती पानी की खुली नालियां गुजरती हैं। छतों में विद्यमान ढ़लान नाली, गन्धरोध और खुली नाली की ओर होने के कारण इस स्तर पर वैकल्पिक नाली की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) यह सही है कि सी तथा डी चेम्बरियों के टाईप IV क्वार्टरों में बनाए गए रसोईघर का आकार छोटा है। तथापि, रसोईघर के आकार को बढ़ाना या इन क्वार्टरों में दूसरा रसोईघर बनाना व्यवहार्य नहीं है।

बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं

[अनुवाद]

4603. श्री राम लाल राही : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के कल्याण और विकास के लिए तैयार की गई आंगनबाड़ी बाल परिचर्या और पोषण आहार योजना विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का गरीब बच्चों के विकास के लिए इन योजनाओं के स्थान पर अन्य योजनाएं तैयार करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) भारत सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई० सी० डी० एस०) का विस्तार एक चरणबद्ध तरीके से किया गया है। शुरू में 1975-76 में आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं की संख्या 33 थी, जो वर्ष 1989-90 में बढ़कर 2424 हो गई है। इनमें से 188 परियोजनाएं राज्य क्षेत्र की हैं।

आंगनबाड़ियों के माध्यम से 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्कूल पूर्व शिक्षा की सामूहिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

पोषाहार यद्यपि राज्य क्षेत्र में आता है, तो भी इसके महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1986 में गेहूं-आधारित पोषाहार का केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया। चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम में 16 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाना है। साथ ही, 3-5 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल-पूर्व बच्चों के लिए बालबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम को पांच राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। निर्धन कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु-गृह/दिवस देखभाल केन्द्र उपलब्ध कराए गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों से केन्द्र को प्राप्त होने वाली खाद्य सहायता के जरिए राज्यों को पोषाहारीय सहायता प्रदान की जा रही है।

इसका परिणाम है कि बच्चों और माताओं के पोषाहारीय दर्जे में सुधार हुआ है जैसाकि विभिन्न अध्ययनों से भी पता चला है। ऐसे क्षेत्रों में जहां 1975 में आई० सी० डी० एस० एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। स्कूल-पूर्व बच्चों में पाई जाने वाली गम्भीर पोषाहारीय कमी 8 वर्षों के दौरान 19.1 से घटकर 6.3% हो गई है। सामान्य पोषाहारीय कमी 27.0% से घटकर 19.7% हो गई है। इसी प्रकार बी० सी०जी०, डी०पी०टी०, पोलियो, टिटनस से प्रति रोग प्रतिरक्षण सेवा का प्रसार सभी प्रकार के आई० सी० डी० एस० क्षेत्रों अर्थात् ग्रामीण, आदिवासी और शहरी आई० सी० डी० एस० क्षेत्रों में आधार-रेखा अर्थात् 21.1 % से भी कम की तुलना में 1985 में लगभग 50% तक पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं के लिए टिटनस रोग प्रतिरक्षण के प्रसार में पांच गुणा वृद्धि हुई है।

इन आंकड़ों और अनेक अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि इस विभाग द्वारा वित्तपोषित आई० सी० डी० एस० योजना और विभिन्न पूरक पोषाहार योजनाओं के माध्यम से की जाने वाली बाल देखभाल का बच्चों के कल्याण और विकास पर अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभिन्न पोषाहारीय योजनाओं द्वारा पूरी की गई सामाजिक अपेक्षाओं और विभिन्न क्षेत्रों से आई० सी० डी० एस० कार्यक्रमों के विस्तार की मांग से इन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अध्ययनों से प्रकट होने वाले तथ्यों से पता चलता है कि (i) आई० सी० डी० एस० क्षेत्रों में जन्मदर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है; (ii) गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के बच्चों में से लगभग 62% बच्चे आई० सी० डी० के अन्तर्गत सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं; (iii) आई० सी० डी० एस० क्षेत्रों में 75% लाभ प्राप्तकर्त्ता अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े समुदायों के हैं और नवजात शिशु अधिक वजनी पैदा हुए हैं और विटामिन ए की कमी और रक्तक्षीणता के मामलों में कमी आई है। इससे, समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों के लिए चलाई गई इन योजनाओं को जारी रखने की जरूरत का औचित्य सिद्ध होता है।

एन० पी० सी० सी० के प्रबन्धकों और आल इण्डिया एन० पी० सी० सी० इम्प्लाइज फेडरेशन के बीच समझौता

4604. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एन० पी० सी० सी०) लिमिटेड ने 10 सितम्बर, 1983 को आल इंडिया एन० पी० सी० इम्प्लाइज फेडरेशन के साथ कोई समझौता किया था;

(ख) क्या उक्त समझौते की अवधि 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हो गई थी;

(ग) क्या उक्त फेडरेशन ने 28 फरवरी, 1987 को एन० पी० सी० सी० के प्रबन्धकों को एक मांग पत्र दिया था जिस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मसले को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने और यह सुनिश्चित करने हेतु कि नया समझौता बिना किसी विलम्ब के हो जाए, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) एन० पी० सी० सी० के प्रबन्धकों ने आल इण्डिया एन० पी० सी० सी० लिमिटेड इम्प्लाइज फेडरेशन तथा एन० पी० सी० सी० वर्कर यूनियन आफ इण्डिया और एन० पी० सी० सी० लिमिटेड स्टाफ एसोसिएशन नामक दो अन्य यूनियनों के साथ एक समझौता किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इम्प्लाइज फेडरेशन के अलावा दो अन्य यूनियनों ने भी अलग से मांग पत्र प्रस्तुत किए हैं। चूंकि तीनों यूनियनों की अनेक मांग समान प्रकार की थीं, इसलिए एन० पी० सी० सी० के प्रबन्धकों ने विचार-विमर्श के वास्ते सभी तीनों यूनियनों को एक साथ आमन्त्रित किया। तथापि, इम्प्लाइज फेडरेशन अलग से बुलाए जाने की इच्छुक है। परिणामस्वरूप एन० पी० सी० सी० के प्रबन्धक मांग पत्र पर नया समझौता नहीं कर सके हैं।

फोर्थ जनरेशन कैंसर थैरेपी

4605. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों में हाईपरथैरनिया सर्विस, फोर्थ जेनेरेशन कैंसर थिरेपी टैक्नीक उपबन्ध है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन से सम्बद्ध चिकित्सा उपकरण स्थापित किए गए हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) कैंसर संस्थान, अडयार मद्रास में हाईपरथैरमिया सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) हाईपरथैरमिया सुविधाओं के उपयुक्त प्रयोग के लिए अपेक्षित सम्बद्ध चिकित्सा उपकरण अर्थात टेलीथिरैपी और ब्रैकिथिरैपी की सुविधाएं उक्त संस्थान में मौजूद हैं।

श्रमिक के रूप में कार्यरत बालिकाएं

4606. **कुमारी उमा भारती** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाल विकास वर्ष के दौरान कितनी बालिकाएं श्रमिक के रूप में कार्यरत थीं; और

(ख) श्रमिकों के रूप में कार्यरत बालिकाओं को सही सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, और ऐसी बालिकाओं की दशा सुधारने के लिए, अब तक, क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए नवीनतम नमूना सर्वेक्षण (43वां दौर, जुलाई, 1987—जून 1988) के अनुसार, अनुमान है कि देश में बालिका श्रमिकों की संख्या लगभग 7.6 मिलियन है।

(ख) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में कुछ निर्दिष्ट व्यवसायों और प्रक्रियाओं चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों, जिनमें बालिकाएं भी शामिल हैं, के नियोजन पर रोक लगाई गई है तथा इसका उद्देश्य उन नियोजनों में कार्य दशाओं को विनियमित करना है जिसमें बाल श्रम कानूनी रूप से प्रतिषिद्ध नहीं है। विभिन्न अन्य श्रम कानूनों जैसे कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952 और बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966; राज्य दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियमों में ऐसे अनेक उपबन्ध हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों में बाल श्रमिकों (बालिका श्रमिक सहित) के रोजगार पर रोक लगाते हैं या उन्हें विनियमित करते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और अन्य श्रम कानूनों में निहित बाल श्रम से सम्बन्धित उपबन्धों को लागू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में, जो 1987 में तैयार की गई थी, अन्य बातों के साथ-साथ, बाल श्रमिकों से सम्बन्धित कानूनी उपबन्धों के कारगर क्रियान्वयन, बाल श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लाभ के लिए सामान्य कल्याण और विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देने और उन क्षेत्रों में, जहां बाल श्रमिक अधिक हैं, परियोजनाओं को शुरू करने की व्यवस्था है ताकि कामकाजी बालकों को शिक्षा, स्वास्थ्य

देखरेख, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसी कल्याण सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इस समय, बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में ऐसी नौ परियोजनाएं काम कर रही हैं।

स्वैच्छिक संगठनों को बाल श्रमिकों के लाभ के लिए कारवाई-उन्मुख परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

4607. श्री चित्त बसु : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगाल विधान सभा ने हाल ही में, अर्थात, 16 मई, 1990 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण के मामले पर तुरन्त केन्द्रीय सरकार से बातचीत करें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच अभी तक कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में हुई वार्ताओं का क्या निष्कर्ष निकला ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार का यह विचार है कि राष्ट्रीयकरण पटसन उद्योग की अधिकांश समस्याओं का उचित समाधान नहीं है, इस उद्योग को सुव्यवस्थित बनाने तथा इसका पुनरुद्धार करने के लिए सरकार ने हाल ही के महीनों में अनेक नीति परक उपाय शुरू किए हैं जिनका फायदा भविष्य में पता चलेगा।

खाड़ी के देशों में भारतीय कामगारों को परेशान किया जाना

4608. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि खाड़ी के विभिन्न देशों में काम करने के लिए भरती किए गए भारतीय कामगारों के पासपोर्ट उनके नियोक्ताओं अथवा एजेंटों द्वारा उन देशों में उनके पहुंचने पर उनसे ले लिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण भारतीय कामगारों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) खाड़ी के देशों में काम करने के लिए भर्ती किए गए कर्मकारों के पासपोर्ट, सब मिलाकर, नियोजकों की सुरक्षा में रखे जाते हैं क्योंकि वे कर्मकारों की कानूनी और अधिकृत ढंग से उपस्थिति, कर्मकारों के पासपोर्टों, वीजा आदि को समय पर पुनः वैध कराने और देयो के समाधान के बिना कर्मचारियों द्वारा काम न बदलने का, या देश न छोड़ने

का सुनिश्चय करने के लिए उत्तरदायी हैं। कतार सरकार और उनके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में काम कर रहे कर्मकारों को पासपोर्ट रखने की अनुमति दी जाती है।

(ख) परेशान करने के किसी विशिष्ट मामले की सूचना नहीं मिली है। जब कभी सम्बन्धित दूतावास को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो इस मामले को स्थानीय प्राधिकरणों/नियोजकों के साथ उठाया जाता है। कर्मकार भी अपनी शिकायतों के समाधान के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के पास जा सकते हैं।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बी० ट्विल बैग्स की खरीद

[हिन्दी]

4609. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वस्त्र मंत्री सरकार द्वारा "बी० ट्विल बैग्स" की खरीद के बारे में "गवर्नमेन्ट टु पे मोर फार बी० ट्विल बैग्स्" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीनों के दौरान जब सरकार ने 100 बी० ट्विल बैग्स खरीदे थे, तो उस समय इनकी बाजार दर क्या थी;

(ख) क्या सरकार ने ये थैले बाजार दर से ऊंचे/नीचे की दरों पर खरीदे थे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पिछले 4 महीनों के दौरान 100 बी ट्विल बोरों की बाजार दर नीचे दी गई है :—

मई, 1990	रु० 1166.35
जून, 1990	रु० 1058.46
जुलाई, 1990	रु० 1086.25
अगस्त, 1990	रु० 1150.00

(ख) और (ग) सरकार ने ये बोरे निम्नलिखित दरों से खरीदे।

मई, 1990	रु० 1376.08
जून, 1990	रु० 1374.24
जुलाई, 1990	रु० 1396.41
अगस्त, 1990	रु० 1355.84

ये दरें पाले फार्मूले पर निर्भर करती हैं जिसमें लागत में परिवर्तन, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, न्यूनतम बोनस, मूल्यह्रास, कच्चे पटसन की लागत सहित उत्पादन की लागत जैसे विभिन्न संघटकों का ध्यान रखा जाता है।

स्पिनिंग मिल, शोलापुर को मियादी ऋण

[अनुवाद]

4610. श्री एस० बी० थोरट : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने श्री जगदम्बा अनुसूचित जाति शेतकारी बिकारी को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, लाल मधा, जिला शोलापुर द्वारा लिए गए मियादी ऋण के लिए ब्याज सम्बन्धी राज-सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कताई मिलों के लिए ब्याज उपदान की कोई भी ऐसी योजना नहीं चलाई जा रही है।

(ख) लागू नहीं होता।

तमिलनाडु में भूमिगत जल का स्तर

4611. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु के कुछ भागों में भूमिगत जल का स्तर और नीचे उतरता जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिसमें ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल के स्तर को ऊपर उठाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान तमिलनाडु को इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर एक स्कीम तैयार करने की योजना बनायी है।

(घ) भूजल के पुनर्भरण के लिए राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करने के वास्ते केन्द्र सरकार ने कोई केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार नहीं की है।

नशीली औषधियों के खतरे को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश को सहायता

4612. श्री केशरी लाल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नशीली औषधियों के खतरे को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) नशीली औषधियों से प्रभावित लोगों का उपचार करने के लिए उत्तर प्रदेश में कितने केन्द्र खोले गए है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) नशीली दवाओं के व्यसनियों के उपचार तथा पुनर्वास के लिए, उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक क्षेत्र में, 3 निर्व्यसन केन्द्र तथा 8 परामर्श केन्द्र कार्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष, 1989-90 के दौरान 6 स्वयंसेवी संगठनों को इस प्रयोजन के लिए 29.42 लाख रुपए का सहायक अनुदान दिया गया था ।

बिहार में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं की कमी

[हिन्दी]

4613. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत पड़ने वाले जयनगर रेलवे स्टेशन में खाद्यान्न उतारने के बाद भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पहुंचने पर कितनी मात्रा में खाद्यान्न कम पाया गया और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य खाद्य निगम के गोदामों में कितनी मात्रा में कम खाद्यान्न पाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त स्टेशनों में मुख्य रेल लाइन से कुछ मीटर लम्बी रेल लाइन बिछाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) रेलछोर से डिपो में खाद्यान्नों के उतरान के बाद भारतीय खाद्य निगम के जयनगर में स्थित एफ० एस० डी० गोदामों में सड़क मार्ग में कोई हानि होने की सूचना नहीं मिली है ।

राज्य खाद्य निगम और उसके गोदाम राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन है और इसलिए इनके कार्य केन्द्रीय खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय पटसन निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद

[अनुवाद]

4614. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पटसन निगम में विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे के अनुसार रिक्त पद भरे गए हैं;

(ख) क्या इस समय भारतीय पटसन निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

के लिए आरक्षित कोटे के अनुसार कुछ बकाया पद रिक्त पड़े हुए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ग्रेड-वार, श्रेणी-वार और पद-वार ब्यौरा क्या है ये पद कब से बकाया चले आ रहे हैं; और

(ग) भारतीय पटसन निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे के अनुसार पदों को भरने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) अ०जा०/अ० ज०जा० कोटे के तहत गत 3 वर्षों के दौरान पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा भरे गए रिक्त पदों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	भरे गए कुल रिक्त स्थान	अ०जा०	अ०ज०जा०	अधिकता (+)		कमी (—)	
				अ०जा०	अ०ज०जा	अ०जा०	अ०ज०जा०
1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ष 1989 के दौरान (31-12-89 की स्थिति अनुसार)							
समूह क	29	1	—	—	—	3	2
समूह ख	20	2	2	—	1	1	—
समूह ग	105	19	6	4	—	—	1
समूह घ	21	7	4	4	3	—	—
वर्ष 1988 के दौरान (31-12-88 की स्थिति अनुसार)							
समूह क	17	3	—	—	—	—	1
समूह ख	7	1	—	—	—	—	—
समूह ग	105	34	3	19	—	—	4
समूह घ	56	12	2	4	—	—	1
वर्ष 1987 के दौरान (31-12-87 की स्थिति अनुसार)							
समूह क	25	—	—	—	—	4	2

1	2	3	4	5	6	7	8
समूह ख	64	12	3	2	—	—	1
समूह ग	86	12	—	—	—	1	6
समूह घ	34	9	1	4	—	—	1
30-6-90 की स्थिति अनुसार बकाया पदों की स्थिति नीचे दी गई है :—							
समूह क	141*	15	2	—	—	6	8
समूह ख	231	27	4	—	—	8	12
समूह ग	1244	206	25	20	—	—	62

*(तीन कार्य निदेशकों को छोड़कर)

भारतीय पटसन निगम ने स्थानीय रोजगार कार्यालयों/खुले विज्ञापन के जरिए कमी को कवर करने के लिए कदम उठाए हैं।

अवैध गर्भपात

4615. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अवैध गर्भपात से होने वाले मानव और आर्थिक नुकसान का कभी मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ख) सरकार ने अवैध गर्भपातों को रोकने के लिए जिसमें महिला के जीवन को खतरा बना रहता है, क्या कदम उठाए हैं अथवा उसका उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 1983-85 के दौरान हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों में "ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कानूनी गर्भपात" पर एक अध्ययन किया। इन पांच राज्यों में इस अध्ययन में कुल 10,432 महिलाओं को कवर किया गया। बड़ी संख्या में (57.4 प्रतिशत को) अधिक रक्तस्राव/कमजोरी/रक्ताल्पता देखी गई और 1-4 माह के गर्भ के दौरान गैर-कानूनी गर्भपात की वजह से महिलाओं (29.4 प्रतिशत) के जीवन को खतरा पाया गया। गर्भपात के दौरान गम्भीर और असहनीय दर्द था जिसमें अधिक मात्रा में (क्रमशः 21.1 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) अपूर्ण/असफल गर्भपात की सम्भावना पाई गई।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(i) विशेषतया ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सकों को सुरक्षित ढंग से चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन की तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उपलब्ध उत्तम चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन चूषण उपकरणों/मशीनों को खरीदने की सलाह दी गई है।

(iii) चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन कार्यक्रम के कार्यों को मॉनिटर करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अन्य केन्द्रों में उत्तम और प्रभावशाली सुविधाएं प्रदान करने के लिए बड़े राज्यों में एम० टी० पी० सेल स्थापित किए जा रहे हैं।

(iv) चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन कार्यक्रम अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में सरकारों और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में अधिकाधिक चिकित्सा संस्थानों/केन्द्रों को स्थापित किया जा रहा है; और

(v) चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में अधिकाधिक जागरूकता उत्पन्न की जा रही है ताकि गर्भपात करवाने वाली महिला अनुमोदित संस्थान में ऐसी सुविधाएं प्राप्त कर सके।

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

4616. **श्री डी० अमात** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में सिंचाई विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से कितनी परियोजनाएं शुरू की गईं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) सातवीं योजना के दौरान सिंचाई उन्नति कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को महानदी डेल्टा परियोजना तथा टैंक सिंचाई नामक दो परियोजनाओं हेतु लगभग 21.47 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई। राज्य द्वारा सूचित किए अनुसार, महानदी डेल्टा परियोजना द्वारा 39,290 हेक्टेयर तथा टैंक सिंचाई के अन्तर्गत 4534 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

केरल में नारियल दूध पाउडर उत्पादक यूनिटें

4617. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल दूध पाउडर उत्पादक यूनिटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस राज्य में ऐसी कोई अन्य यूनिटें स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का विचार ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय का केरल में नारियल दूध पाउडर उत्पादक यूनिटें स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

खाद्य पदार्थों पर राजसहायता

4618. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान खाद्य पदार्थों पर राजसहायता कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजसहायता में कमी कहां तक की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई खाद्य राजसहायता निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राजसहायता की राशि
1987-88	2,000
1988-89	2,200
1989-90	2,476

भारतीय खाद्य निगम को वर्तमान वर्ष अर्थात् 1990-91 में राजसहायता का भुगतान करने के लिए बजट अनुमानों में केवल 2200/- करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

खाद्य राजसहायता की मात्रा वसूली की मात्रा, निर्गम मूल्यों, बफर स्टाक की मात्रा आदि पर निर्भर करती है। खाद्यान्नों के मूल्यों को साधारण उपभोक्ताओं की पहुंच के अन्दर रखने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार की सुविचारित कल्याण नीति के रूप में भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों की इकनामिक लागत और उनके निर्गम मूल्यों के बीच की अन्तर राशि राजसहायता के रूप में अदा की जाती है।

तथापि, भारतीय खाद्य निगम राजसहायता में वृद्धि को रोकने के लिए अपने परिचालनों की लागत को कम करने के लिए कदम उठा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में कुष्ठ रोगी

4619. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में सरकार और गैरसरकारी क्षेत्र में कुष्ठ उपचार केन्द्रों की संख्या कितनी है और उनमें कितने रोगियों को ठहराने की क्षमता है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में इन केन्द्रों को किस प्रकार की और वर्षवार कितनी सहायता दी गई और उन्हें 1990-91 में कितनी सहायता दी जायेगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार 2,64,974 रोगी।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन कुष्ठ यूनिटों की संख्या निम्नलिखित है :—

		प्रत्येक यूनिट में आने वाली जनसंख्या
1. कुष्ठ नियंत्रण यूनिट	94	4.5
2. नगरीय कुष्ठ केन्द्र	91	50 हजार
3. एस० ई० टी० केन्द्र	164	25 हजार
4. अस्थायी भर्ती वार्ड	53	1-2 प्रति जिला
5. जिला कुष्ठ यूनिटें	31	1 प्रति जिला
6. स्वैच्छिक संगठन	45	1 करोड़

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यकलापों के लिए राज्यों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई है :—

(लाख रुपए)

वर्ष	दी गई सहायता		
	नकद	वस्तु	कुल
1987-88	222.00	70.00	292.00
1988-89	180.00	80.00	260.00
1989-90	175.55	138.92	314.47
1990-91	200.00	90.00	290.00

परिवार कल्याण के लिए आंध्र प्रदेश को सहायता

4620. श्री वी० एन० रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में परिवार कल्याण/नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं/विधियां सफल सिद्ध हुई हैं; यदि हां, तो कितनी सफल हुई हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को इन योजनाओं के अन्तर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91 में सहायता देने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्य का तीन संकेतकों अर्थात् दम्पति सुरक्षा दर, जन्म-दर और शिशु मृत्यु-दर के सन्दर्भ में लगातार मूल्यांकन किया जाता है। उपरोक्त 3 प्राचलों के सन्दर्भ में जहां तक प्राप्त किए गए नवीनतम स्तरों का सम्बन्ध है, अखिल भारत और आन्ध्र प्रदेश के बीच तुलनात्मक ब्यौरा इस प्रकार है :—

प्राचल	अखिल भारत	आन्ध्र प्रदेश
1. 31-3-90 को दम्पती सुरक्षा दर (%)	42.7	45.2
2. वर्ष 1988 में जन्म-दर (प्रति एक हजार जनसंख्या)	31.5	27.4
3. वर्ष 1988 में शिशु मृत्यु-दर (प्रति एक हजार-जीवित जन्में बच्चों)	94	83

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को दी गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	नकदी/सामग्री के रूप में प्रदान की गई सहायता
1987-88	4459.89
1988-89	4431.59
1989-90	5217.07

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 3872.00 लाख

रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार को वास्तविक रूप में उपलब्ध कराई गई आपूर्तियों के आधार पर वर्ष के अन्त तक सामग्री के रूप में सहायता के ब्यौरे के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

प्रतिबन्धित नेत्र औषधि

4621. **श्री बी० एन० रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ विदेशी नेत्र-औषधियों (आई-ड्राप्स) की, देश में बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) सरकार ने देश में किसी भी आयातित नेत्र औषधि की बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संथाल परगना के नगरों के लिए हुडको फन्ड्स

4622. **श्री साईमन मरांडी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको का विचार बिहार में संथाल परगना और साहेबगंज जिलों के नगरों के विकास के लिए धनराशि आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) बिहार के सन्थाल परगनों और साहेबगंज जिलों के विकास के लिए बिहार में किसी आवास/शहरी विकास अभिकरण से अभी तक हुडको को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हुडको 1990-91 के दौरान बिहार में शहरी अधसंरचना विकास तथा स्वच्छता योजनाओं को स्वीकृत करने की स्थिति में है बशर्ते कि बिहार में अभिकरणों एवं स्थानीय निकायों द्वारा पर्याप्त योजनायें प्रतिपादित की जाएं और हुडको को प्रस्तुत की जायें।

इस्पात, मैंगनीज और क्रोम आदि से प्राप्त उपकर

4624. **श्री लोकनाथ चौधरी : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस्पात, मैंगनीज, क्रोम और डोलोमाइट अयस्कों के प्रत्येक मीट्रिक टन से प्राप्त "उपकर" की दरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उड़ीसा में वर्ष 1987 से 1989 की अवधि के दौरान श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत कितना धन प्राप्त हुआ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस धनराशि में से उड़ीसा के खदान श्रमिकों के कल्याण पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) किन-किन मदों पर ये धनराशि व्यय की गई;

(ङ) उड़ीसा में इन "उपकर" कोषों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अस्पताल और डिस्पेंसरियां कार्य कर रही हैं; और

(च) क्या इस अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में कैंसर, टी० बी०, कुष्ठ, गुर्दा आदि रोगों के उपचार की विशेष व्यवस्था उपलब्ध है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क पर प्रति मीटरिक टन "उपकर" की दर 1-8-90 से क्रमश: 1.00 रु०, 2.00 रु० और 4.00 रु० है। डोलोमाईट पर "उपकर" की दर 1-5-1988 से 0.50 रु० प्रति मीटरिक टन है।

(ख) और (ग)

(रुपए" 000 में)

वर्ष	लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि		चूना पत्थर और डोलोमाईट खान श्रम कल्याण निधि	
	आय	व्यय	आय	व्यय
1987-88	4181	7468	591	1356
1988-89	3745	8620	1240	1435
1989-90	3855	8364	1421	1536

(घ) यह निधि खान कर्मकारों और उनके परिवारों को आवास, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शैक्षिक, जल आपूर्ति और परिवार कल्याण सुविधाएं प्रदान करने पर व्यय की गई थी।

(ङ) उड़ीसा में लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के अन्तर्गत दो औषधालय, पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक प्रसूति एवं बाल कल्याण केन्द्र और एक 50 पलंगों वाला अस्पताल तथा चूना-पत्थर और डोलोमाईट खान श्रम कल्याण निधि के अन्तर्गत एक औषधालय और एक प्रसूति एवं बाल कल्याण केन्द्र काम कर रहे हैं।

(च) उक्त रोगों के उपचार के लिए कोई विशेष व्यवस्था मौजूद नहीं है। तथापि खान कर्मकारों और उनके परिवार के सदस्यों में टी० बी०, कैंसर और कुष्ठ रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन निधियों के अन्तर्गत योजनायें शुरू की गई हैं।

हृदय रोग

4625. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : *क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या पश्चिम देशों में प्रचलित एक विशेष प्रकार के हृदय रोग (कार्डिक मसल डीसिस) के अब भारत के उत्तरी भाग, विशेषकर दिल्ली में कुछ व्यक्तियों को होने की घटनायें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रोग के उपचार और बचाव के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) आइडियोपैथिक कार्डिक मसल डीजिज की तीन लाक्षणिक कोटियां होती हैं, नामत: विस्फारित हृत्पेशी विकृति, अतिवृद्धि हृत्पेशी विकृति और प्रतिबन्धित हृत्पेशी विकृति। ये सभी हृदयरोग दिल्ली सहित भारत के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। आमतौर पर जो रोग देखे जाते हैं, वे विस्फारित और अतिवृद्धि हृत्पेशी विकृति हैं। यह कहना सम्भव नहीं है कि ये रोग अब पैदा हो रहे हैं। इनका अधिक से अधिक रोग निदान किया जाता है क्योंकि 2-डी इको-कार्डियोग्राफी और कलर डोप्लर फ्लो जैसी गैर प्रसारात्मक रोग नैदानिक सुविधायें उपलब्ध हैं।

इन रोगों का लक्षणों के अनुसार उपचार किया जाता है। चूंकि इनके कारण ज्ञात नहीं हैं, इस लिए पूर्वोपायों के रूप में इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता।

"क्रिस्टोफेल ब्लाइंडनेस मिशन" से धनराशि

4626. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम जर्मनी के "क्रिस्टोफेल ब्लाइंडनेस मिशन" द्वारा भारत को कोई धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायता से आंध्र प्रदेश में लाभान्वित होने वाले नेत्र अस्पतालों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां। पश्चिम जर्मनी के क्रिस्टोफेल ब्लाइन्डनेस मिशन ने नेत्र-चिकित्सा विज्ञान में भविष्य की कार्य-नीतियों और नेत्र विज्ञानी सेवाओं का सुधार करने सम्बन्धी एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, तमिलनाडु और सामाजिक बाल रोग-विज्ञान संस्थान, गवर्नमेंट स्टैनले मेडिकल कालेज अस्पताल, मद्रास को वर्ष 1989 में धन दिया है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में निम्नलिखित अस्पतालों को क्रिस्टोफेल ब्लाइन्डनेस मिशन से सहायता प्राप्त हुई है :

(1) आपरेशन आईसाइट यूनिवर्सल, विजयनगरम्।

(2) नेत्र अस्पताल, श्रीकाकुलम ।

(3) मदनपल्ली नेत्र अस्पताल, चित्तूर ।

गंगा बाढ़ के कम्पनी को राजस्थान की ओर मोड़ना

[हिन्दी]

4627. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने गंगा नदी के बाढ़ के पानी को राजस्थान की बंजर भूमि के लिए उपलब्ध कराने के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इस रिपोर्ट के बारे में अपनी टिप्पणियां केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं; और

(घ) राजस्थान को गंगा नदी की बाढ़ का पानी कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) (ख) और (घ) केन्द्रीय जल आयोग ने रायवाला तथा नरोरा पर गंगा के अधिशेष बाढ़ जल का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किया है। इस अध्ययन सम्बन्धी रिपोर्ट को टिप्पणियों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है। वर्तमान, निर्माणाधीन, अनुमोदित स्कीमों तथा अन्य स्कीमों, जो केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई हैं, की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त अध्ययन से यह अन्दाज लगाया गया है कि राजस्थान को भेजने हेतु रायवाला अथवा नरोरा के बाहर किफायती रूप से पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

रुई का निर्यात

[अनुवाद]

4628. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में लम्बी और छोटे रेशे की रुई निर्यात और आयात की गई;

(ख) क्या देश में लम्बे और छोटे दोनों प्रकार के रेशे की रुई का उत्पादन मांग की तुलना में कम हुआ है;

(ग) सरकार ने किन-किन देशों से रुई आयात करने का निर्णय लिया है; और

(घ) इसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) 23 अगस्त, 1990 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1989-90 (सितम्बर, 1989 अगस्त, 1990) के रुई मौसम के दौरान लम्बे रेशे 28 मि० मीटर से 34 मि० मीटर तक लम्बे रेशे की रुई की 4.40 लाख गांठ तथा छोटे रेशे (20 मि० मीटर से कम) कम रुई की 0.63 लाख गांठ का निर्यात किया गया। वर्ष 1989-90 के मौसम के दौरान रुई के आयात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी।

(ख) 31 अगस्त, 1990 की स्थिति अनुसार लम्बे रेशे और छोटे रेशे के अनुमानित आगे ले जाए गए स्टाक का क्रमशः 9.30 लाख गांठ और 0.35 लाख गांठ होने का अनुमान है।

(ग) इस समय सरकार रुई के आयात करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार मेडिकल स्नातक

4629. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार देश में कितने मेडिकल स्नातक अर्थात् एम० बी० बी० एस० बेरोजगार हैं;

(ख) उनके बेरोजगार रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय से मिली सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1988 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में स्नातकोत्तर सहित चिकित्सा स्नातकों की संख्या 27,286 (अनन्तिम) थी। नवीनतम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) उल्लेखनीय है कि यह जरूरी नहीं है कि रोजगार कार्यालयों में सभी बेरोजगार चिकित्सा स्नातक पंजीकृत हों और रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी व्यक्ति अभी बेरोजगार ही हों। सामान्यतया स्वरोजगार में लगे हुए चिकित्सक भी रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं।

(ग) सरकारी माध्यम के जरिए उपलब्ध सामान्य रोजगार के अवसरों के अलावा चिकित्सा स्नातकों को रोजगार देने की कोई विशेष योजना नहीं है।

दिल्ली में सड़कों को चौड़ा करने हेतु धनराशि का आवंटन

[हिन्दी]

4630. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, सड़कों को सुन्दर और चौड़ा करने तथा उद्योगों के विकास पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) इस कार्य हेतु चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है और अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा यह किन निर्माण-कार्यों पर व्यय की गयी है; और

(ग) जे० जे० कालोनियों में नालियों की मरम्मत और सफाई के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क)

(लाख रुपए)

	1987-88	1988-89	1989-90
नई दिल्ली नगर पालिका			
सड़कों को चौड़ा करना	154.00	113.00	48.00
बागवानी कार्य	6.82	5.75	22.36
दिल्ली नगर निगम			
सड़क और पुल	4850.00	4234.30	4601.40
बागवानी कार्य	148.00	139.00	214.00
दिल्ली विकास प्राधिकरण (मुख्य)			
बागवानी कार्य	464.00	477.00	1269.00
स्लम विंग			
बागवानी कार्य	1.14	15.48	72.96
लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन			
सड़कों को चौड़ा करना	1007.91	854.86	1070.83

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(लाख रुपए में)

(ख)	नियतन	अब तक व्यय की गई राशि
1	2	3
नई दिल्ली नगर पालिका		
सड़कों को चौड़ा करना	150.00	30.00

1	2	3
बागबानी कार्य	35.00	2.40
दिल्ली नगर निगम		
सड़क और पुल	5,727,00	1,637,67
बागवानी कार्य	347,00	125,00
दिल्ली विकास प्राधिकरण (मुख्य)		
बागबानी कार्य	965.00	198.00
दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लम विंग)		
बागवानी कार्य	40.00	16.24

चालू वर्ष के दौरान लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन ने सड़कों को चौड़ा करने के लिए 439.10 लाख रुपए व्यय किए हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 1990-91 के दौरान सभी सेवाओं के उन्नयन और संवर्धन तथा पुनर्वास (झुग्गी-झोंपड़ी) कालोनियों में जल निकासी व्यवस्था के लिए कुल अनुमोदित परिव्यय 3500.00 लाख रुपए है।

सिंचाई क्षमता का उपयोग

[अनुवाद]

4631. श्री माधवराव सिंधिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग के नव-निर्वाचित अध्यक्ष ने इस वर्ष जुलाई में देश के विभिन्न भागों का दौरा किया था;

(ख) देश में विभिन्न भारतीय नदियों की सिंचाई क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग किया गया और इसकी कितने प्रतिशत सिंचाई क्षमता व्यर्थ गई; और

(ग) नदियों की सिंचाई क्षमताओं के उपयोग में सुधार और वृद्धि करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) सिंचाई और जल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के नए चुए गए अध्यक्ष ने जुलाई; 1990 में नई दिल्ली का दौरा किया था। उन्होंने भारत में किसी अन्य स्थान का दौरा नहीं किया था।

(ख) देश में उपलब्ध कुल औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 188 मिलियन हेक्टेयर मीटर है जिसमें से उपयोज्य सतही जल संसाधन क्षमता लगभग 69 मिलियन हेक्टेयर मीटर है । यह अनुमान है कि 1989-90 तक सतही जल सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त उपयोग 28 मिलियन हेक्टेयर मीटर होगा जो उपयोज्य सतही जल संसाधनों का लगभग 40 प्रतिशत है ।

(ग) सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए कई सिंचाई तथा बहुप्रयोजनी परियोजनाएं देश में निष्पादित की जा रही हैं । कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई क्षमता के उपयोग में अन्तराल को कम करने के लिए कृषकों को खेत-नालियों के निर्माण, वाराबन्दी पद्धतियों जैसे ऑन-फार्म विकास कार्य की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ।

रात्रि में काम करने वालों के लिए सुरक्षोपाय करना

[हिन्दी]

4632. **श्री हरीश पाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, रात्रि में काम करने वालों के लिए कोई सुरक्षोपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये सुरक्षोपाय कब से लागू किए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

4633. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने संगठनों को अनुदान दिया गया और प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या सरकार ऐसे संगठनों की गतिविधियों की पुनरीक्षा करती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या मानदण्ड है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) और (घ) स्वैच्छिक संगठनों को साल दर साल आधार पर अनुदान दिए जाते हैं । अनुदान मंजूर करते समय, संगठन के पूर्व अनुदानों से सम्बन्धित निष्पादन को ध्यान में रखा जाता है । इसके अतिरिक्त संगठनों द्वारा लेखों के लेखा परीक्षित वितरण प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है । उन संगठनों को जो उपयोग के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करते, आगे अनुदान मंजूर नहीं किए जाते । कल्याण मन्त्रालय के अधिकारी भी संगठनों का दौरा करते हैं और अपने दौरे के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करते हैं ।

विवरण

क्रम सं०	योजना	1987-88 राशि (लाखों में)	1987-88 संगठनों की सं०	1988-89 राशि (लाखों में)	1988-89 संगठनों की सं०	1989-90 राशि (लाखों में)	1989-90 संगठनों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आदिवासियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दिया गया अनुदान	88.52	28	99.99	28	149.99	34
2.	विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	340.86	175	460.9	203	464.55	227
3.	सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	301.98	58	494.25	64	494.24	61
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की केन्द्रीय योजना	95.05	14	106.33	17	150.85	22
5.	मद्यनिषेध तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग निवारण के लिए शैक्षिक कार्य हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	71.33	61*	364.68	101*	449.18	135

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं को सिलाई तथा कढ़ाई में प्रशिक्षण देने का कार्य	—	—	1.14	1	0.79	1
7.	स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों का संगठनात्मक सहायता	32.30	109	36.30	111	35.91	103
8.	वृद्धों के कल्याण की योजना	21.85	21	29.86	20	52.27	47

*अनुसंधान संस्थाएं तथा अन्य स्वायत निकाय शामिल हैं।

नोट—एक लाख रुपए से अधिक अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों के ब्यौरे मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं जो कि सांसदों को उपलब्ध हैं और जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम कानूनों का उल्लंघन

[अनुवाद]

4634. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1990 के "सन्डे आबजर्वर" में "पब्लिक सेक्टर फ्लोट्स लेबर लॉज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध तथा उनके द्वारा श्रम नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन से उपलब्ध सूचना के अनुसार श्रम विभाग ने ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए विभिन्न निर्माण स्थलों पर अनेक निरीक्षण किए। निरीक्षण किए गए अनेक स्थल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की निर्माण परियोजनाओं से सम्बन्धित थे। सम्बन्धित ठेकेदारों को निदेश दिए गए थे कि वे ठेका श्रम (विनिमयन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उल्लंघनों में सुधार करें। उन ठेकेदारों के खिलाफ अभियोजन चलाए गए हैं जो अवसर दिए जाने के बावजूद उल्लंघनों को दूर करने में असफल रहे हैं ।

केन्द्रीय खाद्य पदार्थ मानक समिति की सिफारिशें

4635. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य पदार्थ मानक समिति ने यह सिफारिश की है कि ब्रेड के प्रत्येक पैकेट पर उत्पादन की तारिख मुद्रित की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए विभिन्न कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगाने सहित अनेक उपायों की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो समिति की अन्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या इस समिति का स्वरूप व्यापक है; तथा इसमें सभी राज्य सरकारों तथा अन्य विभागों को प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(ङ) समिति की सिफारिशें कब तक कार्यान्वित की जाएंगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) अन्य सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) जी, हां । इसमें सभी राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि हैं ।

(ङ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए किसी समय सीमा की व्यवस्था नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की सिफारिशों का सारांश

1. मार्गेरीन में रंग और सुगंध के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए।
2. आटे और मैदे को पुष्ट करने के लिए सोया आटे का इस्तेमाल (10 प्रतिशत तक) करने की अनुमति दी जाए।
3. देशी घी में पकाई गई खाद्य वस्तुओं के नाम नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएं।
4. कार्बोनेटिड पानी में 100 पी पी एम तक एस्टरगम का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए।
5. बिस्कुट और मिष्ठान उद्योग में एक रिलीज एजेंट के रूप में स्टिएरिक एसिड के पोलिग्लिसरोल एस्टर और रिसिनोलीक एसिड के पोलिग्लिसरोल एस्टर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए (अधिकतम सीमा 0.2 प्रतिशत)।
6. फल उत्पादों में वजन के आधार पर 0.3 प्रतिशत तक फ्यूमेरिक एसिड के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए।
7. लेबल पर की गई घोषणा—"12 महीने से कम आयु के नवजात शिशु के लिए अनुपयुक्त" मोनोसोडियम ग्लूटेमेट युक्त उत्पादों के मामले में भी लागू की जाए।
8. एनेटोरंग के मानकों को संशोधित किया जाए।
9. श्रेणी-II परिरक्षकों से युक्त खाद्य वस्तुओं पर निम्नलिखित घोषणा होगी :—

अनुमत्य श्रेणी—II परिरक्षकों से युक्त

अथवा

अनुमत्य परिरक्षक से युक्त

(रसायन का नाम स्पष्ट अक्षरों में)

10. (क) निम्नलिखित कीटनाशियों का इस्तेमाल बन्द कर दिए जाए :—

1. केप्टाफल
2. आक्सीडेमेंटोन मिथाइल
3. क्लोरडैन
4. हेप्टाक्लोर

5. एंड्रीन

(ख) खाद्य में तकनीकी बी एच सी के लिए सहनशीलता सीमा निर्धारित की जाए।

11. ताड़ी (टॉडी) किसी सेडेटिव, प्रशान्तक अथवा कृत्रिम मधुरक से रहित होगी।

12. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अन्तर्गत अमचूर पाउडर के लिए एगमार्क मानक अधिसूचित किए जाएं।

13. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 19:5 में जहां कहीं भी "पैकेज" शब्द हो वहां उसके स्थान पर डिब्बाबंद वस्तु नियमों में दिए गए अनुसार "पहले से पैक की गई वस्तुएं" शब्द अंकित किए जाएं।

14. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन परिभाषित शब्द "थोक बिक्री पैकेज" को डिब्बाबंद वस्तु नियमों में दी गई परिभाषा की पंक्ति में परिभाषित किया जाए। नाली-दार बाक्स/लकड़ी के बाक्स में थोक बिक्री के पैकेजों पर लगाए गए लेबल डिब्बाबंद वस्तु नियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुरूप हों लेकिन टिन में पैक की गई वस्तुओं पर नियम 32 के अधीन अपेक्षित सूचना दी जाएगी क्योंकि प्रायः ऐसे पैकेज उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाते हैं।

15. मुख्य प्रदर्शन तालिका डिब्बाबंद वस्तु नियमों के सिद्धान्तों पर परिभाषित की जाए और किसी लेबल घोषणा से सम्बन्धित अक्षरों का आकार डिब्बाबंद वस्तु नियमों के उपबन्धों के अनुरूप हो। लेबल पर दिए जाने वाले किसी विशेष विवरण के मामले में अक्षरों का आकार कम से कम 3 एम० एम० होगा।

16. उत्पादों के लेबलों, भले ही पैकेट का आकार कुछ भी हो, पर घटकों के नाम दिए जाने चाहिए। यदि घोषणा "अनुमत्य रंग और अतिरिक्त सुगन्ध से युक्त" बड़े और साफ-साफ अक्षरों में लिखी गई हो तो इसे संघटकों की सूची में नहीं दिखाया जाना चाहिए।

17. डबल रोटी के लेबल पर विनिर्माण की तारीख दी जानी चाहिए।

18. डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के लेबलों पर आज की तारीख से "पहले सर्वोत्तम" लिखा जाएगा।

19. पेय पदार्थों की बोतलों पर लेबल घोषणा उत्कीर्ण की जानी चाहिए न कि इसके ढक्कन पर लिखी जानी चाहिए।

20. पिसे हुए मसाले अनिवार्य रूप से पैक करके ही बेचे जाने चाहिए।

21. घरेलू उपयोग की चाय में सुगन्ध मिलाने की अनुमति उपयुक्त पैकिंग और लेबल सम्बन्धी घोषणाओं के अधीन दी जा सकती है बशर्ते यह चाय खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में निर्धारित चाय के मानकों के अनुरूप हो।

22. अधिनियम/नियमों/मानकों को संशोधित करने सम्बन्धी अन्य सुझाव केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की सम्बन्धित तकनीकी उप समितियों को भेज दिए गए थे।

बूबोनिक प्लेग

4636. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सुस्पष्ट कार्ययोजना के विकास और कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश में बूबोनिक प्लेग पर सफलतापूर्वक नियन्त्रण पा लिया गया था; और

(ख) क्या अन्य प्रमुख रोगों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की योजना और कार्ययोजना बनाई और कार्यान्वित की जायेगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्य प्रमुख रोगों के नियन्त्रण के लिए, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं । इनमें मलेरिया, फाइलेरियारोग, क्षयरोग, कुष्ठरोग आदि सम्बन्धी कार्यक्रम शामिल हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं तथा प्रबन्ध के बीच विवाद

4637. श्री हरीश रावत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य श्रम आयुक्त ने कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों और "टेलकाम" प्रबन्धन के बीच औद्योगिक विवाद में हस्तक्षेप किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि उसने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रबन्धन के बीच औद्योगिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) संगठन के अधिकारियों ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं (इंजीनियरों) और उनके प्रबन्धतन्त्र के बीच ओद्योगिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया है क्योंकि के० लो० नि० विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता (इंजीनियर) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2-ध के अधीन यथा परिभाषित "कर्मकार" नहीं है । चूंकि के० लो० नि० विभाग एक जन-उपयोगी सेवा नहीं है, मुख्य श्रमायुक्त (के०) का उनके विवाद में हस्तक्षेप करना कानून के अधीन अपेक्षित नहीं है ।

अप्पू घर, नई दिल्ली के प्रबन्धकों के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास राशि न जमा कराना

4638. श्री तेज नारायण सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्पू घर, नई दिल्ली के प्रबन्धकों ने कर्मचारियों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि की राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास जमा करा दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस त्रुटि के लिए प्रबन्धकों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तो वह क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

I. भविष्य निधि की बकाया राशि :

प्रतिष्ठान ने जून, 1990 तक की सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है।

II. कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि :

प्रतिष्ठान ने मजदूरी की छूटी हुई 6499/- रु० की राशि के अंशदान को छोड़कर, जिसका पता रिकार्डों के निरीक्षण के दौरान लगा था, जून, 1990 तक के देयों का भुगतान कर दिया है। इस राशि की वसूली के लिए मांग पत्र जारी कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सर्विस डाक्टरों द्वारा धरना

4639. श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जून, 1990 को निर्माण भवन के सामने अनेक सरकारी डाक्टरों ने धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई ज्ञापन दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी मांगों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) ये लोभों के पैकेज, 1987 एवं समझौते के ज्ञापन 1989, के कार्यान्वयन तथा कार्यान्वयन में हुए विलम्ब में न्यायिक जांच से सम्बन्धित है।

(घ) सरकार ने कार्यान्वयन के लिए तत्काल कारंवाई की। वर्ष 1989 समझौते के सम्बन्ध में विवादास्पद व्याख्याओं के कुछेक विषयों पर सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता वाली एक समिति, जिसमें व्यय एवं कार्मिक विभागों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा विचार किया जाना है।

ठेका श्रम अधिनियम में संशोधन

4640. श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ठेका श्रम अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधेयक *लाने का है; और*

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) अनेक प्रस्ताव विचाराधीन हैं। सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

बोनस प्राप्त की पात्रता हेतु वेतन की अधिकतम सीमा में वृद्धि करना

4641. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मजदूर संघों ने बोनस भुगतान अधिनियम के अंतर्गत बोनस देने के लिए पात्रता हेतु वेतन की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने हेतु अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं और सरकार का लम्बे समय से चले आ रहे इस मुद्दे को निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मामला विचाराधीन है।

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के बारे में सुझाव

4642. **श्री ए० के० राय** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ से 9 जनवरी, 1990 और 23 जुलाई, 1990 के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न मजदूर संघ संगठनों से भी ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पहले विभिन्न मजदूर संघ संगठनों से मिले इन अभ्यावेदनों पर विचार किया जाएगा ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों, जिनमें आल इंडिया रेलवे एम्पालाइज कनफैडरेशन भी शामिल है, से औद्योगिक सम्बन्ध

विधेयक से सम्बन्धित अनेक मसलों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। इनमें प्रस्तावित कानून का विस्तार, ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण के लिए मानदंड, ट्रेड यूनियनों की प्रजातांत्रिक कार्य प्रणाली, ट्रेड यूनियनों की मान्यता और ऐसी मान्यता के लिए प्रक्रिया, औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए तंत्र, जबरी छुट्टी, छंटनी, कामबंदी आदि के बारे में उपबन्ध आदि शामिल हैं। भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा 21 और 22 अप्रैल, 1990 को की गयी सिफारिश के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने 8 मई, 1990 को द्विपक्षीय समिति का गठन किया ताकि नए औद्योगिक सम्बन्ध कानून के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किए जा सकें।

अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए योजनाएं

4643. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट कब से सभा पटल पर नहीं रखी गई है; और

(ख) अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है तथा इसके कार्यान्वयन को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) अल्पसंख्यक आयोग की एक जनवरी, 1981 से 31 मार्च, 1982 की अवधि की चौथी वार्षिक रिपोर्ट 9 मई, 1984 को लोक सभा पटल पर तथा 10 मई, 1984 को राज्य सभा पटल पर रखे जाने के बाद, उसकी रिपोर्टें सभा-पटल पर नहीं रखी गई।

(ख) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री-कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। विभिन्न सूत्रों पर एक ठोस कारंवाई कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयो द्वारा कार्यान्वयनार्थ तैयार किया गया है, जिसे तिमाही रिपोर्टों के जरिए मॉनीटर किया जाता है। प्रधान-मन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिमण्डल समिति इसके कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखती है तथा इस सम्बन्ध मे आगे समुचित निदेश देती है।

चीनी मिलों में वित्तीय संकट

4644. **श्री बी० एन० रेड्डी** :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा किसानों को लाभकारी मूल्य देने में चीनी मिलों की क्षमता को ध्यान में न रखकर, गन्ने का ऊंचा मूल्य निश्चित करने से चीनी उद्योग को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने 1989-90 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर, लेकिन जिसमें उससे अधिक रिकवरी करने के लिए आनुपातिक प्रीमियम देने की भी व्यवस्था है, गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 22 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था जबकि 1988-89 मौसम के दौरान इसी आधार पर 19.50 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया गया था। तथापि, राज्य सरकारों ने गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य अधिक निर्धारित किए हैं।

चीनी फैक्ट्रियों की व्यवहार्यता में सुधार के लिए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) लेवी तथा खुली बिक्री चीनी का अनुपात 45 : 55 रखना।

(2) 1989-90 के लिए चीनी की क्षेत्रवार एक्स फैक्ट्री लेवी कीमतें गन्ने की 22 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी हुई सांविधिक न्यूनतम कीमत के आधार पर नियत करना।

(3) 1989-90 के चालू मौसम के दौरान चीनी फैक्ट्रियों को जल्दी पेराई शुरू करने मध्य में और देर तक पेराई करने के लिए अधिक खुली बिक्री कोटे के रूप में प्रोत्साहनों की मंजूरी।

कर्नाटक में चीनी अनुसंधान संस्थान

4645. श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग की समस्याओं का पता लगाने और अनुप्रयोगिक अनुसंस्थान द्वारा उन्हें हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार का कर्नाटक में चीनी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा ऐसे कितने संस्थान स्थापित किए जाएंगे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

उड़ीसा में विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत किया गया व्यय

4646. श्री अनादि चरण दास : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) उड़ीसा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल उन खण्डों के नाम क्या हैं, जहां विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत व्यय किया गया था ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

वर्ष	खर्च (रु० लाखों में)
1987-88	3033.20
1988-89	3225.39
1989-90	3824.16

निर्मुक्त की गई इस राशि में विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुसूचित जाति विकास निगमों को शेयर पूंजी, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां, बालिका छात्रावास, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक, कोचिंग तथा संबद्ध सेवाएं, सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन सहायता शामिल है।

(ख) सूचना उड़ीसा सरकार से एकत्र की जा रही है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन

4647. **श्री के० चोक्का राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन ने सुसंगत निकायों का गठन नहीं किया है जैसाकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के विभिन्न उपबन्धों के तहत राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन राज्य स्तर की उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग) और उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (जिला मंच) गठित करने के लिए जिम्मेवार हैं। केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तर की उपभोक्ता संरक्षण परिषदें गठित कर ली हैं। प्रतितोष तन्त्र ने 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया है। 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रतितोष तन्त्र अधिसूचित कर दिया है। केन्द्रीय सरकार ने शेष एक राज्य सिक्किम को यह तन्त्र स्थापित करने हेतु अनुमोदन सूचित कर दिया है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड को शामिल करना

4648. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड, शिलांग को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बोर्ड द्वारा जमा की गई बहुत बड़ी राशि उप-क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग के पास पड़ी है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोर्ड ने ऐसी जमा राशियों का अन्तरण किए जाने का दावा किया है जोकि उप-क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग से अभी तक नहीं की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड को 21-1-1975 से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एक छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान के रूप में शामिल किया गया था और वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास भविष्य निधि अंशदान जमा करा रहा है। बाद में बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रस्ताव से छूट दे दी गई। इसलिए उन्होंने भविष्य निधि की जमा राशि उन्हें अन्तरित करने का अनुरोध किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 35.55 लाख रुपए की राशि बोर्ड को पहले ही अन्तरित की जा चुकी है। बोर्ड से कतिपय सूचना प्राप्त करने के बाद 35.68 लाख रुपए की बकाया राशि (जिसमें शिलांग हाइडल इलैक्ट्रीसिटी लि० के सम्बन्ध में 19.41 लाख रुपए शामिल हैं) भी बोर्ड को शीघ्र ही अन्तरित किए जाने की सम्भावना है।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम और अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम में संशोधन

4649. **श्री नकुल नायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 21 में प्रवासी कर्मकारों के दावों को उनके मूल राज्यों के प्रतिकर आयुक्तों को अन्तरित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव बहुत समय से विचाराधीन है;

(ख) क्या अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत दण्ड की मात्रा बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार उपरोक्त अधिनियमों में संशोधन करके कब तक कानून बनाने का है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 21 में संशोधन करने का सुझाव अधिनियम में संशोधन करने के वर्तमान प्रस्तावों में शामिल है जिस पर अलग से विचार किया जा रहा है। वर्तमान अवस्था, में संशोधी कानून को पेश करने के लिए सही समयावधि बताना मुश्किल होगा। अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अधीन दण्डों में वृद्धि करने के सुझाव पर, राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग, जिसने प्रवासी कर्मकार सम्बन्धी अध्ययन ग्रुप गठित किया है, की रिपोर्ट के प्राप्त होने तक कारंवाई नहीं की जा रही है।

भारतीय बाल कल्याण परिषद के कार्यकरण की पुनरीक्षा

4650. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समय-समय पर भारतीय बाल कल्याण परिषद के कार्यकरण की पुनरीक्षा करती रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन हेतु क्या समिति गठित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री महिला एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) भारतीय बाल कल्याण परिषद (आई० सी० सी० डब्ल्यू०), जो राष्ट्रीय स्तर का एक स्वयंसेवी संगठन है, विभिन्न कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करता है। धन उपयोगिता के बारे में लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण प्रति वर्ष सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनकी जांच की जाती है। इसके अलावा भारतीय बाल कल्याण परिषद (आई० सी० सी० डब्ल्यू०), चलाए जा रहे अपने कार्यक्रमों की प्रगति पर आवधिक रिपोर्टें भी भेजता है।

(ख) सरकार ने जनवरी, 1986 में श्री ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसने अपनी रिपोर्ट 2-4-1987 को प्रस्तुत कर दी थी। समिति की रिपोर्ट की जांच की जा चुकी है और सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों पर निर्णय ले लिए गए हैं।

(ग) अध्यक्ष के अलावा समिति में 5 सदस्य थे। समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार थे :—

(i) भारतीय बाल कल्याण परिषद को अपने कार्यक्रमों के लिए, महिला कल्याण विभाग और भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों द्वारा दी गई अनुधान राशि के उपयोग किए जाने की समीक्षा करना;

(ii) यह पता लगाना कि क्या सम्बन्धित क्षेत्र में अनुदानों से अपेक्षित कार्य-सिद्धि हो रही है;

(iii) सहायता अनुदान योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करने के सुझाव देना;

(iv) भारतीय बाल कल्याण परिषद को विभिन्न योजनाओं के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को लागू मानकों और सिद्धांतों का अध्ययन करना तथा ऐसे परिवर्तनों का सुझाव देना जो मौजूदा पद्धति और मानदण्डों में अपेक्षित हो; और

(v) भारतीय बाल कल्याण परिषद के विरुद्ध गम्भीर किस्म की शिकायतों और आरोपों की जांच करना तथा उपचारी उपायों का सुझाव देना।

गैस-रिसाव के मामले

[हिन्दी]

4651. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान गैस-रिसाव के मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप जान-माल की कुल कितनी क्षति हुई और मृतकों के निकट सम्बन्धियों तथा घायल व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए समय-समय पर कोई कदम उठाए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में तार की बाड़ लगाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को नियुक्त करना

[अनुवाद]

4652. **श्री हरीश रावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और बंगाल की सीमा पर तार की बाड़ लगाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है और यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने वहां अपने मिडिल और जूनियर स्तर के कर्मचारियों के साथ अधिशासी अभियंता और मुख्य अभियंता स्तर के अभियंताओं की नियुक्ति की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पंजाब में सीमा पर बाड़ लगाने तथा परिप्रदीक्षित कार्य एवं पश्चिम बंगाल सेक्टर में भारत-बंगलादेश सीमा के साथ निर्माण कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) तैनात किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

	पंजाब सेक्टर	पश्चिम बंगाल सेक्टर
मुख्य इन्जीनियर	2	1
अधीक्षक इन्जीनियर	11	3
कार्यपालक इन्जीनियर	31	13
सहायक इन्जीनियर	72	51

मंगलौर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को आदिवासी क्षेत्र भत्ता

4653. **श्री हरीश रावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में नियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को आदिवासी क्षेत्र भत्ता नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वहां नियुक्त केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को आदिवासी क्षेत्र भत्ता दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को भी यह भत्ता मन्जूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) मंगलौर में नियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को इस बारे में, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 30-6-90 तक आदिवासी क्षेत्र भत्ता दिया जा रहा था। ये अनुदेश, वहां नियुक्त अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू थे। इस भत्ते को 30-6-90 से आगे की अवधि के लिए देने के निमित्त कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण केन्द्र

4654. **श्री हरीश रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने परिवार कल्याण केन्द्र हैं;

(ख) क्या ये केन्द्र प्रदेश के लोगों की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्य में ऐसे और केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार की जाती है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे परिवार कल्याण केन्द्रों का ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

(1) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	907
(2) उप-केन्द्र	21653
(3) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	258
(4) स्वास्थ्य केन्द्र	173
(5) प्रसवोत्तर केन्द्र	242

फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

4655. **श्री पी० एम० सईद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फार्मेसी परिषद् ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लिए विभिन्न संस्थानों को दी गई मान्यता हाल ही में वापस ले ली है; और

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों के नाम क्या हैं और इस तरह मान्यता वापस लेने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय फार्मेसी परिषद ने फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने वाले निम्नलिखित संस्थानों की मान्यता वापिस ले ली थी क्योंकि इन संस्थानों ने शिक्षा विनियम, 1981 में यथानिर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया :—

(i) फार्मेसी संस्थान, गुलजार बाग, पटना (बिहार)।

(ii) बी० एल० डी० ई० एसोसिएशन स्कूल आफ फार्मेसी, बीजापुर (कर्नाटक)।

सफदरजंग एन्क्लेव में बहुमंजिले वाणिज्यिक भवन

4656. श्री पी० एम० सईद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली में बहुमंजिले वाणिज्यिक भवनों के निर्माण के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) यह शिकायत डबल बेसमेन्ट और सेट-बैंक पोर्शन के अनाधिकृत निर्माण के उल्लंघन के बारे में थी।

(ग) आगे और निर्माण को रोकने के लिए भवन को सील कर दिया गया है, मामला पुलिस के ध्यान में लाया गया है और दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय स्टाफ को स्थल पर सख्त निगरानी रखने के अनुदेश दिए गए हैं। विद्युत आपूर्ति काटने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से अनुरोध किया गया है।

चीनी का उत्पादन

4657. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी का उत्पादन चीनी निर्माताओं को महंगा पड़ता है और आम उपभोक्ता की पहुंच से बाहर है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पश्चिमी देशों ने चीनी के स्थान पर

हाई फ्रक्टोज कार्न सीरप, जो चीनी से मीठा और सस्ती है, का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) देश में हाई फ्रक्कर कार्न सीरप का उत्पादन कब से आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) चीनी उत्पादन की आर्थिक-व्यवस्था, पेराई मौसम की अवधि, गन्ने से चीनी प्राप्ति का प्रतिशत, प्लांट एवं मशीनरी की स्थिति, तकनीकी-प्रबन्धकीय क्षमता आदि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है तथा यह अलग-अलग क्षेत्रों तथा फैक्ट्रियों में अलग-अलग होती है। तथापि, सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप चालू मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन, पिछले वर्ष के 87.52 लाख टन की तुलना में 109 लाख टन होने का अनुमान है। आंशिक नियन्त्रण की वर्तमान नीति के तहत लेवी चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 5.25 रुपए प्रति किलोग्राम की समान खुदरा कीमत पर वितरित की जाती है। इस समय उपभोक्ताओं को खुली बिक्री चीनी भी उचित दरों पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) कुछ पश्चिमी देशों में गन्ने से चीनी के उत्पादन के अतिरिक्त, कार्न पर आधारित हाई फ्राक्टोज कार्न सीरप का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है। भारत में मक्का, ज्वार, बाजरा आदि से बड़े पैमाने पर हाई फाक्टोज कार्न सीरप के उत्पादन के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि मक्का, ज्वार बाजरा आदि देश के अधिसंख्य गरीब लोगों का मुख्य भोजन है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकों द्वारा एलोपैथी पद्धति के आधार पर प्रेक्टिस शुरु करना

4658. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति सम्बन्धी कालेजों के स्नातक एलोपैथी पद्धति के आधार पर प्रैक्टिस कर रहे हैं; जिसके लिए वे प्रशिक्षित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है/करने का विचार किया गया है;

(ग) क्या कुछ मामलों में इस अनधिकृत कार्य के लिए उनकी डिग्रियां रद्द की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए समान पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या लागू करने से पहले पिछले वर्षों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की बहुत सी शिक्षण संस्थाएं भारतीय आयुर्विज्ञान विषयों के अतिरिक्त आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी प्रशिक्षण दे रही थीं। भारतीय चिकित्सा पद्धति के ऐसे चिकित्सकों को, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा में कुछ प्रशिक्षण दिया गया था, राज्यों में जहां ऐसे व्यक्ति भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस करने के हकदार है, भारतीय पद्धतियों के अतिरिक्त एलोपैथिक पद्धति में प्राधिकृत चिकित्सा परिचर के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी गई है। तथापि, इस प्रकार से नियुक्त किए गए भारतीय

प्राधिकृत चिकित्सा परिचर को एक ही रोगी के रोग की एक अवधि में चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों को मिलाना नहीं चाहिए ।

नई दिल्ली में फिरोजशाह रोड क्षेत्र में झुग्गी-झोंपड़ियों की संख्या में वृद्धि

4659. श्री पी० आर० कुमारमंगलम :
श्री जनार्दन तिवारी :
प्रो० महादेव शिवनकर :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिरोजशाह रोड क्षेत्र में झुग्गी-झोंपड़ियों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वहां वर्ष 1988 में कितनी झुग्गियां थी और 1990 में अब कितनी झुग्गियां हैं;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में झुग्गियां डलवाने में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का हाथ बताया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) उक्त जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और जांच के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) फिरोजशाह रोड क्षेत्र में झुग्गी-झोंपड़ियों की संख्या 1988 में 30 से बढ़कर 1990 में (अब तक) 135 हो गई है ।

(ग) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व संसद सदस्यों से किराए और बिजली/जल प्रभार की वसूली

[हिन्दी]

4660. श्री राघवजी :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व संसद सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने 30 जून, 1990 तक सरकारी आवास खाली नहीं किए थे;

(ख) उनमें से प्रत्येक पर 30 जून, 1900 की स्थिति के अनुसार किराए, बिजली और जल-प्रभार की कितनी राशि बकाया थी; और

(ग) सरकार देय बकाया प्रभारों की वसूली और अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए समय-समय पर बिल भेजे जाते हैं। बकाया राशि को वसूल करने के लिए समुचित स्तर से अनुस्मारक भी जारी किए जाते हैं। अगर आवश्यक हो तो लोक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई भी की जाती है।

अनधिकृत रूप से कब्जा किए हुए वास को खाली कराने के लिए लोक परिसर (अनधिकृत दखलकार) अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जाती है तथा आज की तारीख के अनुसार, अनुलग्नक में उल्लिखित 20 भूतपूर्व सांसदों में से 5 सांसदों ने सामान्य पूल वास खाली कर दिए हैं।

विवरण

उन भूतपूर्व सांसदों जिन्होंने 30-6-90 तक सामान्य पूल वास खाली नहीं किया है, से किराए और बिजली, जल प्रभार की बकाया राशि के ब्यौरे

क्र० सं०	नाम	वास	किराए का बकाया (रुपए)	बिजली और जल शुल्क (रुपए)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती मीरा कुमार	6, के० एम० मार्ग	1,28,209.00	शून्य	खाली कर दिया गया ।
2.	श्री जितेन्द्र प्रसाद	60-लोदी एस्टेट	42,446.00	2,978.31	
3.	श्रीमती अबकर जहां बेगम	9-सफदरगंज लेन	51,696.00	6,015.81	
4.	श्री विलास मुत्तेमवार	ए० बी०-81, शाहजहां रोड	39,237.00	11,313.77	
5.	श्री भाई समिंदर सिंह	बी-2, बी० के० एस० मार्ग	32,888.00	8,607.92	
6.	श्री जी० के० मूपनार	24, अकबर रोड	19,460.00	26,826.41	
7.	स्व० दरबारा सिंह	9-के० एस० मार्ग	33,129.00	60,132.21	
8.	डा० जगन्नाथ मिश्रा	8-सफदरजंग लेन	25,550.00	2,952.99	
9.	श्री जगतपाल सिंह	20-केनिंग लेन	शून्य	878.63	

1	2	3	4	5	6
10.	श्री लक्ष्मी नरायन	7-महादेव रोड और 8-वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	22,524.00	1,950.14	7 महादेव रोड को खाली कराया जा चुका है।
11.	श्री मनोज पांडे	सी-2/67, मोती बाग	16,816.00	719.78	
12.	श्री बताउर रहमान	सी-2, बी० के० एस० मार्ग	3,076.00	1,347.54	
13.	श्री बी० एस० ढिल्लों	3, त्यागराज मार्ग	90,690.00	11,846.15	खाली कर दिया गया।
14.	श्रीमती माधुरी सिंह	11—वही—	71,805.00	35,652.50	
15.	श्री आर० सी० विकल	5-डूप्लेक्स रोड	31,499.00	12,288.31	
16.	श्री बूटा सिंह	16-अशोक रोड	2,88,060.00	35,247.24	
17.	श्री के० सी० पन्त	7-त्याग राजमार्ग	—शून्य—	2,718.33	
18.	श्री एन० डी० तिवारी	2-जन्तर-मन्तर रोड	1,54,122.00	89.23	
19.	श्री बी० एस० इंमटी	13, तालकटोरा रोड	6,636.00 (1-1-90 के अनुसार)	1,151.68	
20.	श्री सी० एम० पाणिग्रही	10-डा० बी० डी० मार्ग	1016.00	—शून्य—	खाली कर दिया गया।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन

4661. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से निर्वाचित सदस्यों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों के सम्बन्ध में 17 जुलाई, 1986 को केन्द्रीय सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में क्या मुख्य आरोप लगाए गए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) ये आरोप मुख्यतः कदाचार, भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण, फ्लैटों के आबंटन में कथित अनियमितताओं, भण्डार सामग्री आदि की खरीद, लक्ष्यों की अनुपलब्धि, बृहत योजना की मन्जूरी में विलम्ब, भवन ठेकेदारों के प्रति अनुचित कृपादृष्टि आदि के सम्बन्ध में थे।

(ग) सरकार के ध्यान में आए अथवा लाए गए भ्रष्टाचार, दोषपूर्ण निर्माण, व्यक्तिगतों की सहायता, विशिष्ट मामलों में खरीद में अनियमितता के विभिन्न आरोपों की विभागीय रूप से अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेषज्ञों द्वारा जांच-पड़ताल की गई है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श सहित निर्धारित प्रक्रियानुसार उचित कार्रवाई भी की गई थी।

सरकार द्वारा दिल्ली की बृहत योजना में व्यापक संशोधन अनुमोदित किए जा चुके हैं और सन्दर्श 2001 के साथ बृहत योजना 1-8-90 से लागू हुई। संशोधित योजना तैयार करने के कार्य में सर्वेक्षण, आंकड़ों के संग्रहण और आपत्तियों की सुनवाई, विभिन्न स्तरों पर अन्यान्य क्रिया का विशाल कार्य शामिल है इसलिए परिवर्तनों को पूरा करने में विलम्ब के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में किसी व्यक्तिगत अथवा वर्ग को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्य निष्पादन पर न केवल सरकार द्वारा अपितु संसद द्वारा भी निरन्तर नजर रखी जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की उपलब्धियों और कमियों से सम्बन्धित सूचना दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं पर प्रश्नों के उत्तर के रूप में संसद को प्रेषित की जाती है। विस्तृत सूचना समय-समय पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में तथा उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित अभ्यावेदन में उल्लिखित मामलों पर भी दी गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग

4662. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अधिकांश मकानों में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया था; और वर्ष 1989-90 के दौरान इनमें से कुछ मकान तो बिना नींव के ही निर्मित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गयी है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, यह ध्यान में आया था कि बसन्त कुंज, सेक्टर ए पॉकेट बी के 192 स्ववित्तपोषी फ्लैट अपर्याप्त नींव वाले थे।

(ग) इन फ्लैटों की नींवें अब मजबूत की जा चुकी हैं तथा भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों के दौरों पर व्यय

[अनुवाद]

4663. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय आयुक्तों की दिल्ली यात्रा पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) इस व्यय में कटौती करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में स्थानांतरण सम्बन्धी नीति

4664. **श्री सूर्य नारायण यादव** :
श्री तरंग साय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन और अन्य अधिकारियों तथा मुख्य लिपिकों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के कर्मचारियों के स्थानांतरण के अनुसार ही किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दिल्ली तथा दिल्ली के आसपास अन्य स्थानों पर एक ही स्थान पर कुछ निहित स्वार्थ व्यक्तियों की तैनाती की सम्भावना को समाप्त करने के लिए स्थानांतरण सम्बन्धी नीति की समीक्षा की जाएगी ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ग्रुप "क" के अधिकारियों को भारत में किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है और उन्हें एक स्टेशन पर कम से कम दो वर्ष और अधिक से अधिक पांच वर्ष की सेवावधि पूरी करनी होती है। ग्रुप "ख" के अधिकारियों, जैसे सहायक लेखा अधिकारियों और प्रवर्तन अधिकारियों का, यद्यपि अन्तर-क्षेत्रीय स्थानांतरण किया जा सकता है, परन्तु उन्हें सामान्यतया एक ही क्षेत्र में एक

स्टेशन से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है और उनकी तैनाती का कार्यकाल वही है जैसाकि ग्रुप "क" के अधिकारियों के मामले में है। प्रधान लिपिकों को एक ही क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय से उप-क्षेत्रीय कार्यालय में बारी-बारी से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानांतरित किया जाता है।

कार्यप्रणाली के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली किसी भी निहित स्वार्थ की सम्भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से मौजूदा स्थानांतरण नीति बनायी गयी है।

तिनसुकिया में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

4665. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में तिनसुकिया में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) तिनसुकिया में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव की जांच की गयी थी। तथापि, जैसाकि इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित है, इसके अन्तर्गत लाए जाने के लिए प्रस्तावित अंशदाताओं की संख्या निर्धारित न्यूनतम अंशदाताओं की संख्या से बहुत कम थी। अतः इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।

खाद्य तेलों का उत्पादन और आवश्यकता

[हिन्दी]

4666. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्य तेलों के उत्पादन, उपलब्धता और आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को खाद्य तेलों की जमाखोरी और कालाबाजारी के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाही की गयी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) तेल वर्ष 1989-90 (नवम्बर-अक्तूबर) के लिए खाद्य तेलों की आवश्यकता और उत्पादन क्रमशः 57.72 लाख मी० टन और 47.22 लाख मी० टन आंका गया है। तथापि, खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए

चालू तेल वर्ष में जुलाई, 1990 तक खाद्य तेल की लगभग 3.38 लाख मी० टन मात्रा का आयात पहले ही किया जा चुका है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किए गए नियन्त्रण आदेशों को लागू करने हेतु प्रवर्तन अभिकरण है, से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रवर्तन तन्त्र को सशक्त एवं सक्रिय बनाएं, ताकि जमाखोरी और चोरबाजारी जैसी अनैतिक व्यापारिक पद्धतियां न पनपें।

लच्छी धागा-नीति विषयक समिति

[अनुवाद]

4667. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लच्छी धागे के उत्पादन, उसके मूल्य निर्धारण और वितरण के लिए दीर्घावधि की नीति बनाने के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को सुझाव देने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्यों में तथा राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को लागू करने हेतु प्रभावशाली तन्त्र बना लिए गए हैं, 9 जुलाई, 1990 को एक समिति का गठन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रभावी तन्त्र के ढांचे का ब्योरा क्या है?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) समिति द्वारा विचार के लिए सुझाए गए विषयों में राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर निम्नलिखित को शामिल करते हैं :—

(1) उत्पादन और हैंक यार्न को कीमतों के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर का प्रवर्तन तन्त्र;

(2) निजी क्षेत्र और अलग-अलग बुनकरों को शामिल करने वाला वितरण तन्त्र;

(3) वितरण तथा हैंक यार्न की कीमतों की मानीटरी करने के लिए जिला तथा राज्य स्तरीय मानीटरी तन्त्र;

(4) बुनकर केन्द्रीयकरण क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर जैसे पृथक से क्षेत्रों में यार्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वितरण तन्त्र; और

(5) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम और राज्य हथकरघा एजेंसियों की भूमिका।

महाराष्ट्र में पानी की सप्लाई

[हिन्दी]

4668. श्री हरि शंकर महाले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के अनेक गांवों में घरेलू और कृषि कार्यों के लिए पानी सप्लाई की व्यवस्था नहीं की गयी हैं;

(ख) महाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा रही पनबिजली परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) उन पनबिजली परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं जिनकी स्वीकृति के प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भेजे थे;

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कारंवाई की गयी है; और

(ङ) यदि कोई कारंवाही नहीं की गयी है तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) महाराष्ट्र में "बिना स्रोत के" 98 समस्याग्रस्त गांव हैं जिन्हें सातवीं योजना से आठवीं योजना में आगे लाया गया है। इन गांवों को वर्ष 1990-91 में सुरक्षित पेयजल सुविधायें प्रदान किए जाने की सम्भावना है।

(ख) राज्य में भाटसा, उज्जैनी, भण्डारादारा पी० एच० II, सूर्या, मानिकदोह, कन्हेर, घोम, डिम्फो, वर्ना, तेरवानमेघे, सर्वा आर० बी० सी० ड्रौप, दुधगंगा, कोयना चरण-IV, माजालगांव तथा करम्जवान जल-विद्युत परियोजना नामक 15 निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनायें हैं।

(ग) से (ङ) विवरण संलग्न है।

विवरण

महाराष्ट्र : स्वीकृत/लम्बित स्कीमों की स्थिति

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत करोड़ रुपए में	सी०ई०ए० में प्राप्ति की तारीख	सी० ई० ए० की स्वीकृति की तारीख	कोयला सम्पर्क/पर्यावरण आदि के लिए लंबित स्वीकृति	ई (एस) अधिनियम धारा 29 हां/नहीं लिखें	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सी० ई० ए० द्वारा स्वीकृत								
1.	घटगर पम्पड भण्डारण	2 × 125 = 250	191.1	1/84 (I) (1/87) (II)	9-3-88	वन स्वीकृति	हां	वनस्वीकृति के अध्यधीन
2.	भीरा पम्पड भण्डारण एम/एस टेक	150 मेगावाट	85.9	1/89	29-9-89		हां	कुछ शर्तों के अध्यधीन, सिद्धांत रूप से स्कीम को तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकार्य पाया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रतीक्षित सम्पर्क/स्वीकृतियां								
3.	कोनाल (संशोधित)	2×5 =10	11.0 18.0	10/52 (I) 6/89 (II)	—	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति	नहीं	राज्य सरकार से टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है
4.	बिरना	2×2 =4	9.5	12/89	—	—वही—	नहीं	—वही—
5.	शिवपुरी पम्पड भण्डारण	1×90 =90	67.0	2/90		—वही—	नहीं	जांच की जा रही है।
सी० ई० ए० में संसाधित नहीं की जा रही								
6.	तलम्बा	3×2 =6	7.0	4/84	—		नहीं	विभिन्न सी० ई० ए०/के० ज० आ० की टिप्पणियों का राज्यों द्वारा उत्तर प्रस्तुत न करने के कारण 8/85 में लौटा दी गयी।
7.	अजन्ता पम्पड भण्डारण	3×100 =300	293.0	10/87	—		नहीं	विभिन्न सी० ई० ए०/के० ज० आ० की टिप्पणियों का उत्तर प्रस्तुत न करने के कारण 10/88 में राज्यों को लौट दी गयी।
प्रतीक्षित सम्पर्क/स्वीकृति								
8.	कच्छ टाइडल (गुजरात) एन० एच० पी० सी०	36×25 =900	1370.0		—	पर्यावर्णिक स्वीकृति	हां	संशोधित संरेक्षण के सेक्शन पर भू-सर्वेक्षण तथा भू-तकनीकी अन्वेषण किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र के सूखा-प्रवण क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधनों का अध्ययन

4669. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र के सूखा-प्रवण क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधनों के बारे में कोई अध्ययन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के नासिक जिले को वर्ष 1990-91 के लिए भूमिगत जल संसाधन विकास योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) 1989-90 के दौरान, नासिक, जालना, धुले, सांगली, ओसमानाबाद, औरंगाबाद जिलों के सूखा प्रवण क्षेत्रों में जलभूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए और अहमदाबाद और सतारा जिलों में भूजल के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग की गई।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल विकास योजना तैयार करने के लिए नासिक जिले में गहन अध्ययन किए। केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों के आधार पर भूजल का विकास एवं प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि

4670. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में छोटे किसानों की सहायता के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे महाराष्ट्र के कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) सिंचाई और बहुप्रयोजनी परियोजनाएं कमान क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती हैं तथा उनसे प्राप्त लाभ उस क्षेत्र के सभी बड़े अथवा लघु किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। महाराष्ट्र में मार्च, 1990 तक सृजित सिंचाई सुविधाएं 4225 हजार हेक्टेयर हो जाने का अनुमान है। वर्ष 1990-91 के लिए राज्य में सिंचाई प्रयोजनों के लिए योजना आयोग द्वारा 466.02 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

वस्त्र निर्यात के लिए विपणन सम्बन्धी नीति

[अनुवाद]

4671. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक वृहत विपणन सम्बन्धी नीति प्रारम्भ करने के सभी प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति के एक अंग के रूप में सरकार का विदेशों में व्यापारिक सेवा केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। हमारे वस्त्र निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं तथा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के विदेशों में निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों को पुनः सुसंगत बनाना ऐसा ही एक कदम है।

गर्भपात के कारण होने वाली मौतें

4672. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में गर्भपात के कारण कुल कितनी मौतें होने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत में गर्भपात से हुई मौतों की संख्या का कोई पक्का अनुमान नहीं है। वैसे भारत के महापंजीयक से प्राप्त हुई अद्यतन उपलब्ध सूचना (1988) के अनुसार देश में 5 प्रतिशत माताओं की मृत्यु गर्भपात के कारण होती है।

(ख) और (ग) इस समय किसी ऐसे अध्ययन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में नकली औषध

4673. **श्री कमल चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन कम्पनियों के औषध नकली और घटिया स्तर के पाए गए;

(ख) क्या इनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

पंजाब में कुष्ठ रोगी

4674. श्री कमल चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है और इनमें से सरकार/ऐच्छिक संगठनों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा की गई तथा उन्हें बसाया गया;

(ख) पंजाब में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम पर उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 के लिए प्रस्तावित योजनाओं का उनके वित्तीय परिव्यय सहित ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) पंजाब में कुष्ठ रोगियों की संख्या और उनमें से पिछले तीन वर्षों के दौरान इलाज किए गए रोगियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	वर्ष के अंत में रिकार्ड में दर्ज किए गए सक्रिय रोगियों की संख्या	अब तक इलाज के बाद छुट्टी दिए गए रोगियों की संख्या
1987-88	3495	2681
1988-89	3196	3525
1989-90	3477	3800

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम पर खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है :—

(लाख रुपए)

वर्ष	नकद	सामग्रीगत	योग
1987-88	10.00	0.50	10.50
1988-89	8.00	0.50	8.50
1989-90	8.00	1.19	9.19

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साथ एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। रोगियों को उनके घरों के यथासंभव नजदीक निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। 1999-91 के लिए निम्नलिखित परिव्ययों का प्रस्ताव है :—

	(लाख रुपए)
नकद	8.00
सामग्रीगत	0.50
योग	8.50

भारतीय खाद्य निगम में कार्मिक नीति

4675. **डा० सुधीर राय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारी प्रशिक्षुओं की वार्षिक भर्ती के बारे में नीति सहित भारतीय खाद्य निगम की कोई कार्मिक नीति है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या प्रबन्ध मंडल में उच्च और मध्यम स्तर पर राज्य स्तर के सिविल कर्मचारियों को लिया जाता है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारी संघों और प्रबन्ध मंडल के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों पर आधारित संशोधित वेतनमानों का मामला उनके मंत्रालय में तीन वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो निगम में नए वेतनमानों के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के उपबन्धों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) विनियम बनाए हैं जिसमें कार्मिक सम्बन्धी नीति के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। जब कभी रिक्तियां होती हैं तब निगम स्टाफ की भर्ती करता है।

(ख) निगम अखिल भारत/केन्द्रीय/राज्य सेवाओं आदि से भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ऐसी नियुक्तियां मुख्यतया उन्हीं स्तरों तक सीमित रखी जाती हैं जहां राज्य सरकारों/एजेन्सियों के साथ मिलकर दिन प्रतिदिन के आधार पर परस्पर कार्य करना अपेक्षित होता है अथवा उन्हें सतर्कता और सुरक्षा क्षेत्रों तक सीमित रखा जाता है। भारतीय खाद्य निगम में कुल अधिकारियों की तुलना में निगम में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या नगण्य है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में शीतल केन्द्रों की स्थापना

4676. **डा० सुधीर राय : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में पश्चिम बंगाल राज्य में कुछ शीतन केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का पश्चिम बंगाल राज्य में शीतन केन्द्रों की स्थापना का कोई विचार नहीं है। परन्तु पश्चिम बंगाल राज्य में मात्स्यिकी सेक्टर में सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों और कच्चा माल संचालन केन्द्रों की स्थापना की स्कीमें वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में शामिल की गई हैं।

कम लागत के मकानों के लिए उत्तम किस्म का निर्माण कार्य

4677. **श्री धर्मन्ना मोण्डय्या सादुल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम कीमत पर अच्छे विशेष रूप से संस्थागत और सार्वजनिक भवनों और कम लागत के मकानों के निर्माण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय भवन संगठन और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को क्या कार्य सौंपे गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता और व्यवहार की कुछ अन्य संहिताएं तथा भारतीय मानक तैयार किए गए हैं और विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण में गुणवत्ता तथा मितव्ययता को सुनिश्चित करने हेतु इनका समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है तथा इन्हें अद्यतन बनाया जाता है। कम लागत के आवास आयंक्रमों में गुणवत्ता तथा मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केन्द्र सरकार के निर्माण अभिकरणों को मार्गनिर्देश अपनाने के लिए समय-समय पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम आदि जैसे प्रमुख निर्माण अभिकरणों ने अपने स्वयं के गुणवत्ता नियन्त्रण तथा तकनीकी-परीक्षा सैल/विंग स्थापित किए हैं ताकि आकस्मिक निरीक्षण द्वारा निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों के लिए गुणवत्ता नियन्त्रण मार्गनिर्देश तैयार किए हैं। निर्माण पूर्व उत्पाद अनुमोदन तथा नियन्त्रण एवं परीक्षण के लिए बड़े-परियोजना स्थलों पर क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ अन्य उपाय हैं।

(ख) सार्वजनिक भवनों और आवासों के निर्माण में गुणवत्ता और मितव्ययता के बारे में जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित कर रहे हैं और वे तकनीकी प्रकाशन, मैनुअल आदि प्रकाशित कर रहे हैं जिनमें मार्गनिर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने एक अखिल भारतीय विनिर्देश अनुसूची प्रकाशित की थी जिसमें लागत में मितव्ययता लाने और निर्माण की कोटि में सुधार करने के लिए नवीन निर्माण सामग्रियां तथा निर्माण तकनीक दी गई हैं। शहरी विकास मंत्रालय विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता करता रहा है जिसका लक्ष्य गुणवत्ता नियन्त्रण अवधारणा और निर्माण लागत को आशाजनक बनाना है।

ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना में चिकित्सा अधिकारी

4678. श्री बन्नूभाई देशमुख : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना में चिजित्सा अधिकारी श्रेणी-दो का पद समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड की योजना पुन: प्रारम्भ कर दी है, जिसके कार्य-कर्ताओं को 50 रुपए मानदेय दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो यह योजना चिकित्सा अधिकारी श्रेणी-दो के पर्यवेक्षण अधिकारी के पद के बिना कैसे कार्यान्वित हो पाएगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) भारत सरकार ने 1 जुलाई, 1989 से ग्राम स्वास्थ्य गाईड योजना के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए धनराशि उपलब्ध न करने का निश्चय किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन चिकित्सा अधिकारियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सेक्टर में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पड़े पदों पर खपा लें।

(ख) ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना 1977 में शुरु की गई थी और यह अभी भी चल रही है। सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य गाईड को 50/-रुपए प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय दिया जाता है।

(ग) ग्राम स्वास्थ्य गाइडों के कार्य की देखरेख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्य पर्यवेक्षी स्वास्थ्य कर्मचारियों के जरिए की जाती है।

ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना को समाप्त किया जाना

4679. श्री बन्नूभाई देशमुख :
श्री काशीराम राणा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने 1979 में आरम्भ की गई ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किए हैं;

(ख) क्या यह योजना समाप्त कर दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना को पुन: लागू करना चाहती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, ता इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) उपलब्ध सूचना

के अनुसार ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा राज्यों में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त किया गया था।

(ख) से (घ) ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना जारी है। साधनों की कठिनाई के कारण इस योजना के अन्तर्गत 1-7-1989 से चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए धनराशि न देने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इन चिकित्सा अधिकारियों को राज्य सेक्टर में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पड़े पदों पर खपा लें।

भूतल और भूमिगत जल सम्बन्धी संगठनों को सुदृढ़ बनाने की योजना

4680. **श्री बन्नूभाई देशमुख** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में भूतल और भूमिगत जल सम्बन्धी संगठनों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारम्भ की थी जिसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा गया ?

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत जल सम्बन्धी उपकरणों की स्थापना के लिए सहायता देना बन्द कर दिया है जबकि उपकरणों की खरीद के लिए सहायता देना जारी है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उक्त उपकरणों की स्थापना के लिए सहायता देने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं योजना के दौरान स्थापना के लिए सहायता को उत्तरी-पूर्वी राज्यों (1) असम (2) मेघालय (3) मणिपुर (4) त्रिपुरा (5) नागालैण्ड (6) अरुणाचल प्रदेश और (7) मिजोरम तक सीमित रखा गया था क्योंकि इन राज्यों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी से भूजल विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

(ग) आठवीं योजना के दौरान इस स्कीम को जारी रखना अभी विचाराधीन है।

जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की पुनरीक्षा

4681. **श्री बन्नूभाई देशमुख** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 को कार्यान्वित किए जाने के कारण गुजरात राज्य में स्थापित लगभग 150 एच० डी० पी० वोवन सेक्स यूनिटों के कार्यकरण में क्षमता का बहुत कम उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को गुजरात राज्य में स्थित सीमेंट तथा उर्वरक यूनिटों के लिए जूट पैकेज सामग्री में पैक किए जाने वाले उत्पादन की प्रतिशतता में कमी करके सुधारात्मक उपाय करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो अभ्यावेदन के सम्बन्ध में तथा इस आदेश के कारण बड़ी संख्या में रुग्ण होती जा रही एस० एस० आई० यूनिटों को कार्यक्षम बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों से जिसमें गुजरात शामिल है, प्लास्टिक सैकिंग अथवा एच० डी० पी० ई० यूनिटों से समय-समय पर इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षण आदेशों से उनकी उपयोगिता क्षमता तथा आर्थिक क्षमता पर प्रभाव पड़ा है। सरकार का विचार है कि परम्परागत पटसन पैकेजिंग क्षेत्र और सिंथेटिक प्लास्टिक यूनिटों के हितों को सुसंगत बनाया जाए तथा दोनों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खाद्यान्न, चीनी, सीमेंट तथा उर्वरकों की पैकेजिंग में समान कानूनी अधिकार देकर बनाए रखा जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही पिछले तीन वर्षों से आरक्षण आदेश लागू हैं। सरकार का यह विचार है कि इसमें पटसन और सिंथेटिक सैकिंग यूनिटों को उचित रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं। भारत सरकार ने गुजरात राज्य सरकार के परामर्श से इस राज्य में सिंथेटिक वूवन सैक यूनिटों के साथ बातचीत भी शुरू की है ताकि पटसन और एच० डी० पी० ई० यूनिटों को समान रूप से सुसंगत बनाए रखा जा सके।

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद में स्थानान्तरण

4682. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिक्त स्थानों को भरने तथा योजना से गैर-योजना पदों पर स्थानान्तरण पर लगी प्रतिबन्ध उनके मन्त्रालय के अधीन केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त संगठनों पर लागू होता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद में किए गए अनेक स्थानान्तरणों के क्या कारण है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने प्रतिबन्ध आदेशों का उल्लंघन करके अनियमित नियुक्तियां करने और व्यक्तियों और पदों के अन्तरण करने के बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 13-8-90 को एक जांच समिति नियुक्त की गई है जो अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद में तथाकथित अनियमित स्थानान्तरणों की जांच करेगी।

राज्यों को खाद्य तेल की सप्लाई

4683. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हाल ही के महीनों के दौरान खाद्य तेल और अधिक मात्रा में आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों की मांग पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान राज्यों को विभिन्न खाद्य तेलों का राज्य-वार और महीने-वार कितनी-कितनी मात्रा में आवंटन किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य तेलों का आवंटन जुलाई, 1990 में 70,000 मी० टन से बढ़ाकर अगस्त, 1990 में 90,000 मी० टन कर दिया गया। सितम्बर, 1990 के लिए आवंटन और बढ़ाकर 92,000 मी० टन कर दिया गया है तथा आवंटन की यह बढ़ी हुई मात्रा त्योहार मौसम के अन्त तक जारी रहेगी।

(ग) चालू तेल वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य तेलों का किया गया राज्यवार आवंटन और उनके द्वारा उठाई गई मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तेल-वर्ष 1989-90 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्य तेलों का राज्यवार और माहवार आवंटन और उठाई गई मात्रा

(आंकड़े मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य	नवम्बर, 89		दिसम्बर, 89		जनवरी, 90	
		आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	950	1418	950	1036	1000	935
2.	अरुणाचल प्रदेश	70	—	20	13	20	10
3.	असम	150	20	50	—	100	—
4.	बिहार	600	654	300	—	300	300
5.	गोवा	350	555	500	554	500	446
6.	गुजरात	3500	3251	1500	1199	1600	3099
7.	हरियाणा	250	90	250	108	300	22

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	800	992	400	503	500	106
9.	जम्मू व कश्मीर	900	319	400	416	400	55
10.	कर्नाटक	3000	3270	2500	2498	2500	2648
11.	केरल	2500	3003	3000	2500	2500	2770
12.	मध्य प्रदेश	4000	3550	2000	1464	2000	1299
13.	महाराष्ट्र	12000	14330	6500	7122	6500	8035
14.	मणिपुर	300	290	130	250	130	200
15.	मेघालय	150	—	100	40	100	94
16.	मिज़ोरम	200	262	100	8	100	60
17.	नागालैण्ड	500	330	300	125	300	370
18.	उड़ीसा	800	850	600	673	600	500
19.	पंजाब	250	160	200	70	200	56
20.	राजस्थान	400	48	100	40	200	—
21.	सिक्किम	100	35	100	60	100	30
22.	तमिलनाडु	1250	2006	1250	1057	1250	1302
23.	त्रिपुरा	100	100	100	8	100	100
24.	उत्तर प्रदेश	1000	559	500	202	500	446
25.	पश्चिम बंगाल	5000	5158	2300	2965	3300	2113
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	200	200	200	100	200	—
27.	चण्डीगढ़	60	—	60	36	60	18
28.	दादरा व नगर हवेली	40	50	40	57	40	47
29.	दिल्ली	2750	1045	1000	1120	1000	568
30.	दमन व दीव	100	120	100	40	100	50
31.	लक्षद्वीप	50	39	50	48	50	50
32.	पांडिचेरी	550	622	400	651	450	478
	योग :	42870	43326	26000	24963	27000	26207

राज्य	फरवरी, 90		मार्च, 90		अप्रैल, 90	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1000	840	1500	1457	1850	1630
अरुणाचल प्रदेश	20	10	50	—	50	—
असम	100	80	100	—	100	—
बिहार	300	300	600	261	600	500
गोआ	500	510	500	488	500	424
गुजरात	1600	84	2600	3168	4600	4938
हरियाणा	300	342	500	20	550	406
अरुणाचल प्रदेश	500	890	600	464	700	472
जम्मू व कश्मीर	400	100	600	245	600	149
कर्नाटक	2500	2016	3000	3246	3000	3383
केरल	2500	816	3000	2058	3000	2569
मध्य प्रदेश	2000	1757	2000	1044	2000	1484
महाराष्ट्र	8000	9115	9000	9776	11000	8423
मणिपुर	100	—	100	80	100	—
मेघालय	100	80	100	—	100	—
मिजोरम	150	100	300	—	300	—
नागालैण्ड	200	30	200	—	200	—
उड़ीसा	600	500	650	459	750	—
पंजाब	100	88	200	96	200	46
राजस्थान	100	—	200	84	300	55
सिक्किम	100	45	100	—	100	—
तमिलनाडु	1600	1274	2100	2038	2350	1680
त्रिपुरा	50	—	100	—	100	—
उत्तर प्रदेश	500	204	1000	121	1000	177
पश्चिम बंगाल	3300	1453	4000	1270	4000	988

1	2	3	4	5	6	7
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	200	50	200	—	200	100
चण्डीगढ़	50	18	50	17	50	36
दादरा व नगर हवेली	40	50	60	60	60	50
दिल्ली	1000	831	1000	805	1000	783
दमण व दीव	90	108	90	95	90	20
लक्षद्वीप	40	—	150*	39	—	29
पांडिचेरी	450	339	550	479	550	406
योग :	28490	22030	35200	27870	40000	28748

*पांच महीनों के लिए अग्रिम आवंटन ।

राज्य	मई, 90		जून, 90		जुलाई, 90		अगस्त, 90	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	3500	2479	5000	3258	6500	4639	8000	
अरुणाचल प्रदेश	50	—	50	—	150	4	150	
असम	200	—	200	46	300	—	400	
बिहार	1000	530	1000	—	1000	1734	1500	
गोआ	600	443	600	371	650	327	800	
गुजरात	6550	6225	8000	5437	9500	7500	12500	
हरियाणा	600	579	600	583	800	689	1000	
हिमाचल प्रदेश	800	349	800	296	1000	531	1200	
जम्मू व कश्मीर	700	474	700	448	700	242	700	
कर्नाटक	3950	4155	4500	3416	5000	3637	6500	
केरल	3500	4473	3500	3262	3500	2999	5000	
मध्य प्रदेश	2000	1165	4000	1448	4000	1058	5000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	12000	8949	13000	10129	14500	10878	16500	
मणिपुर	200	—	200	100	300	—	400	
मेघालय	200	14	200	166	200	200	300	
मिजोरम	300	96	300	—	300	24	400	
नागालैण्ड	300	90	300	650	300	190	400	
उड़ीसा	2000	594	3000	1688	3000	1700	3000	
पंजाब	300	80	300	76	400	130	600	
राजस्थान	350	184	350	240	750	345	1750	
सिक्किम	100	—	100	—	150	89	200	
तमिलनाडु	3500	3596	5000	5449	6000	5600	7500	
त्रिपुरा	200	—	200	—	300	75	350	
उत्तर प्रदेश	1150	167	2000	181	2100	678	2100	
पश्चिम बंगाल	4500	2893	5000	2206	6000	1769	10000	
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	200	50	200	150	200	200	250	
चण्डीगढ़	50	18	50	36	50	54	90	
दादरा व नगर हवेली	60	40	60	30	60	70	80	
दिल्ली	1000	938	1250	1060	1600	1052	2400	
दमण व दीव	90	100	90	90	140	110	180	
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	29	—	
पांडिचेरी	550	657	550	552	550	560	750	
योग :	50500	39338	61100	41368	70000	47060	90000	

आ० = आवंटन ।

उ० = उठाई गई मात्रा ।

हैदराबाद हाउस में नवीकरण कार्य

4684. श्री जनार्दन तिवारी :
प्रो० महादेव शिवनकर :
डा० कुशाल परशुराम बोपचे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर नवीकरण कार्य किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को इस सम्बन्ध में किस सलाहकार अथवा सलाहकारों ने सलाह दी;

(घ) क्या सलाहकार अथवा सलाहकारों की सलाह पर वातानुकूलन के डक्ट अनेक बार स्थानांतरित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप विभाग को लाखों रुपए के अतिरिक्त व्यय का वहन करना पड़ा था;

(ङ) क्या वहां पर कीमती विदेशी बिजली और सैनिटरी फिटिंग लगाई गई हैं जिनके स्थान पर कम कीमत का स्वदेशी सामान उपयोग में लाया जा सकता था; और

(च) नवीकरण कार्यों के अन्तर्गत बिजली, वातानुकूलन तथा सैनिटरी फिटिंग पर अलग-अलग कुल कितना व्यय किया गया ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) हैदराबाद हाउस को राज्य अतिथि गृह में बदलने के लिए इस भवन में नवीकरण कार्य अप्रैल-अक्तूबर, 1989 की अवधि के दौरान किया गया। इनमें भवन की मरम्मत करना, पुनः सुसज्जित करना, पुराने फर्नीचर की मरम्मत और नया फर्नीचर लगाना तथा भू एवं प्रथम तलों पर कमरों को केन्द्रीय रूप से वातानुकूलित बनाना शामिल है।

(ग) भवन की आन्तरिक सज्जा से सम्बन्धित मदों पर सलाह देने के लिए श्रीमती सुनीता कोहली को परामर्शदाता नियुक्त किया गया था।

(घ) नालियों (डक्टिंग) को बदलना/फिर से करना पड़ा। फालतू घोषित नालियों (डक्टिंग) की 71,600 रुपए की सर्वेक्षण रिपोर्ट केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई है।

(ङ) केवल स्थानीय रूप से निर्मित वैद्युत और सैनेट्री फिटिंग्स का इस्तेमाल किया गया। तथापि, ऊर्जा की बचत करने वाले बल्ब तथा कान्फ्रेंस सिस्टम, जिनका स्वदेश में निर्माण नहीं किया जाता, आयात किए गए।

(च) विभिन्न मदों पर व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) वैद्युत	87.02 लाख रुपए
(ii) जल आपूर्ति तथा सेनेट्री	11.53 रुपए
(iii) वातानुकूलन	63.00 रुपए

बौद्ध, इसाई और इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को सुविधाएं

[हिन्दी]

4685. **डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है वे अपनी पहली जाति को उपलब्ध सुविधाएं पाने के हकदार नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों को, जिन्होंने बौद्ध, इसाई और इस्लाम धर्म अपना लिया है, वे सुविधाएं जारी रखने का है जो उन्हें धर्म परिवर्तन से पहले उपलब्ध थीं; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां। उच्चतम न्यायालय की 1983 की रिट-याचिका संख्या 9596 और 1984 की रिट-याचिका संख्या 1017।

(ख) और (ग) अद्यतन यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार हिन्दू, सिख अथवा बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म अपनाने वाली अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियों को अनुमत्य लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं हैं। अनुसूचित जनजातियों के मामले में धर्म कोई बाधा नहीं है।

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना पर रिपोर्ट

[अनुवाद]

4686. **स० अतिन्दर पाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 में भारतीय चिकित्सा परिषद् के एक दल ने क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना का निरीक्षण किया था और अनेक अनियमितताओं के बारे में बताया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से किन-किन अनियमितताओं को दूर कर दिया गया है; और

(घ) रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं में से कौन-कौन सी अनियमितताओं को अभी तक दूर नहीं किया गया है तथा इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कर्मचारियों के प्रवेश और नियुक्ति की विधि में अनियमितताओं, कोई प्रोफेसर आदि के न रहते हुए भी विकृति विज्ञान में स्नातपूर्व, स्नातकोत्तर दाखिलों में पूर्व और अधंक्लिनिकी प्रशिक्षण सुविधाओं की उपेक्षा से सम्बन्धित कमियों और उनमें सुधार करने के लिए सम्बन्धित प्राधि-

कारियों को सूचित कर दिया गया था। अधिकांश कमियों को दूर कर लेने के बाद अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिषद् के निरीक्षकों द्वारा जनवरी, 1988 में दूसरा निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने यह सिफारिश की कि क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना में प्रशिक्षित किए जा रहे छात्रों को पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही एम० बी० बी० एस० डिग्री की मान्यता जारी रखी जाए बशर्ते कि इस परिषद के निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों और सुझावों जो विशेषत: विकृति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर की नियुक्ति तथा अपराध चिकित्सा विज्ञान विभाग के सृजन के बारे में हैं, को पूरा करते हों।

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का मुख्यालय

[हिन्दी]

4687. श्री सत्य पाल सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय कहां-कहां हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मुख्यालय केवल एक ही स्थान पर स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड का मुख्यालय फरीदाबाद में है। केन्द्रीय मन्त्रालयों और अन्य कार्यालयों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखने के लिए बोर्ड के केवल अध्यक्ष, मुख्य जल भू-वैज्ञानिक और सचिव, अपने सहायक स्टाफ के साथ नई दिल्ली में बैठते हैं।

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के 12 क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, हैदराबाद, कलकत्ता, जयपुर, नागपुर, चण्डीगढ़, गौहाटी, भोपाल, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम में स्थित हैं।

(ख) और (ग) जी, हां।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयाधीन मामले

4688. श्री लरंग साय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय से सम्बन्धित कितने मामले केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) ये मामले कितने समय से लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा उत्तर न दिया जाना ही इन मामलों के निपटान में देरी होने का कारण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली प्रशासन की हरिजन कल्याण बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के लिए मानदण्ड

[अनुवाद]

4689. **श्री रवि नारायण पाणि** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन की हरिजन कल्याण बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ख) क्या वर्ष 1988-89 में सदस्यों की नियुक्ति इन मानदण्डों के अनुसार ही की गई थी ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) हरिजन कल्याण बोर्ड, संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली की अनुसूचित जातियों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर लगातार नजर रखने के लिए, उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा गठित एक सलाहकार निकाय है, जिसमें दिल्ली प्रशासन के अधिकारी सदस्य तथा अनुसूचित जाति के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं।

(ख) जी, हां।

आंध्र प्रदेश के "श्रीसैलम लेफ्ट बैंक केनाल प्रोजेक्ट" को मन्जूरी

4691. **श्री एम० बागा रेड्डी** :
श्री के० वोक्का राव :
श्रीमती के० जमुना :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश की "श्रीसैलम लेफ्ट बैंक केनाल प्रोजेक्ट" को मन्जूरी देने का मामला किस चरण में है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अन्यों के साथ दीर्घावधिक आधार पर जल उपलब्धता को सुस्थापित करने के लिए एक टिप्पणी के साथ यह परियोजना राज्य सरकार को लौटा दी गई थी। राज्य सरकार ने टिप्पणियों की अनुपालना नहीं की है।

15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मंत्रिमण्डलीय समिति

4692. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम आदि का ब्यौरा क्या है और इसकी अब तक कितनी बैठकें हुई हैं;

(ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सावधिक रिपोर्ट दिए जाने के लिए निर्धारित प्रपत्र को संशोधित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो संशोधित प्रपत्र का पाठ क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी से जून, 1990 की अवधि के दौरान क्या-क्या कार्य किए गए हैं?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां । अल्पसंख्यक कल्याण के 15 सूत्री कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समिति है जिसमें 6 केन्द्रीय मंत्री सदस्य हैं और जिसकी बैठकें हर महीने होनी होती हैं ।

(ग) और (घ) जी, हां । संशोधित प्रोफार्मा संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1533/90**]

(ङ) जनवरी से जून, 1990 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा 15 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की मदवार प्रगति दर्शाने वाला एक विवरण साथ ही अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी समयबद्ध कार्यवाही कार्यक्रम पर की गई कार्यवाही की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1533/90**]

नेपाल क्षेत्र में उद्‌गमवाली नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए भारत और नेपाल द्वारा संयुक्त प्रयास

4693. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन नदियों के पानी को काम में लाने और उसका उचित उपयोग करने के लिए भारत और नेपाल सरकार मिलकर कोई परियोजनाएं तैयार कर रहे हैं, जिनका उद्‌गम नेपाल क्षेत्र में है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार वर्षा के मौसम के दौरान इन नदियों के द्वारा उत्तरी भारत के मैदानों में किए जाने वाले विनाश पर किस तरह नियन्त्रण करने का है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) नेपाल के साथ विचार की गई सारदा, करनाली, राप्ती, कमला, बागमती, कोसी और कंकई नदियों पर अभिज्ञात की गई परियोजनाओं में से नेपाल से करनाली परियोजनाओं की रिपोर्ट विचार हेतु प्राप्त हुई है । भारत द्वारा कोसी उच्च बांध पर तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट पहले ही नेपाल को भेज दी गई है ।

(ग) भण्डारणों के अतिरिक्त नेपाल में जिनकी चर्चा की जा सकती है, गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा गंगा की उत्तरी सहायक नदियों की मास्टर योजनाओं में तटबन्धनों और जल निकास चैनलों सहित व्यापक बाढ़ नियन्त्रण उपायों का पता लगाया गया है और मास्टर योजनाओं को अभिज्ञात उपायों के लिए विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए राज्यों को भेजा गया है । नेपाल में बेसिन क्षेत्रों सहित बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं और मामला नेपाल के साथ उठाया गया है ।

पंजाब के रोजगार कार्यालयों के वर्तमान रजिस्टरों में दर्ज बेरोजगारों की संख्या

4694. श्री कृपाल सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार पंजाब में रोजगार कार्यालयों के वर्तमान रजिस्टरों में दर्ज कला, वाणिज्य, विज्ञान, इन्जीनियरिंग, चिकित्सा में स्नातकों और स्नातकोत्तरों तथा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, पोस्ट-ग्रेजुएट टीचर्स, पी० जी० डी० और पी० एच० डी० डिग्रियां धारण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) इनके नाम वर्तमान रजिस्टर में कब से दर्ज हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) दिसम्बर, 1988 के अन्त में पंजाब के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर चाहने वाले स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों की संख्या के सम्बन्ध में नवीनतम उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है :—

स्नातक (स्नातकोत्तरों सहित)	रोजगार चाहने वालों की संख्या (हजारों में)
कला	41.1
वाणिज्य	2.4
विज्ञान	4.5
इन्जीनियरिंग	0.4
चिकित्सा	0.2
कुल स्नातकोत्तर (पी० एच० डी० सहित)	10.2
शिक्षा स्नातक	18.9
शिक्षा स्नातकोत्तर	0.3

(ख) उपलब्ध नहीं है ।

पंजाब में जमीन के अधिकतम मूल्य में वृद्धि

4695. श्री रामजी लाल सुमन : क्या शहरी विकास मंत्री पंजाब में जमीन के अधिकतम मूल्य में वृद्धि के बारे में 23 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10023 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में जमीन के न्यूनतम अधिकतम मूल्य में वृद्धि की सूचना इस बीच प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक पटल पर रखे जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने सम्पत्तियों के कम-मूल्यांकन तथा उसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि को रोकने के उद्देश्य से पंजाब के विभिन्न स्थानों में भूमि के पंजीकरण के लिए न्यूनतम कीमत निर्धारित की थी। यह मामला पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था और पंजीकरण के लिए भूमि की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने के पंजाब सरकार के आदेशों को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी

4696. **श्री भाबू सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूरों की भागीदारी को बढ़ावा देने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में भी इस नीति को लागू किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) प्रबन्ध में कर्मकार सह-भागिता सम्बन्धी विधेयक संसद (राज्य सभा) में 30-5-1990 को पेश किया गया। इस विधेयक में औद्योगिक स्थापनों की विभिन्न श्रेणियों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रबन्ध में कर्म-कार सहभागिता के लिए योजना का विस्तार करने की व्यवस्था है।

सिवकाशी स्थित माचिस तथा आतिशबाजी की फैक्टरियों में चिकित्सा सुविधाएं

4697. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केवल सिवकाशी में माचिस तथा आतिश-बाजी की फैक्टरियों में 4000 से 6000 तक बाल श्रमिक काम करते हैं और उन्हें इस काम के दौरान होने वाले रोगों को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी गई हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरी सिवकाशी में बाल श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के लिए इस काम के दौरान होने वाले रोगों के उपचार हेतु प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारियों का नितांत अभाव है; और

(ग) क्या सरकार का विचार यहां चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों की सहायता लेने का है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दालों का आयात

[हिन्दी]

4698. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दालों का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा;

(ग) क्या दालों का आयात खुला सामान्य लाइसेंस व्यवस्था के स्थान पर सरकारी निकाय व्यवस्था के माध्यम से करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस व्यवस्था के अन्तर्गत कौन-कौन सी दालें आयात की जाएंगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) दालों का आयात करने की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) पर दी जाती है। दालों का आयात करने के ठेकों के लिए नेफेड एक पंजीकरण करने वाला प्राधिकरण है। नेफेड ने वर्ष 1990-91 में (जून, 1990 तक) 132.27 करोड़ रुपए मूल्य की 2.09 लाख मीटरी टन दालों का आयात करने के लिए ठेकों का पंजीकरण किया है। सरकारी खाते पर दालों का आयात करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० बी० आर० अम्बेडकर के लेखों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशन

[अनुवाद]

4699. **श्री हेत राम : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की डा० बी० आर० अम्बेडकर के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके लेखों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार ने डा० बी० आर० अम्बेडकर की जीवनी और लेखों से सम्बन्धित अध्याय स्कूल/कालेजों की पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा डा० बी० आर० अम्बेडकर की जीवनी और लेखों का प्रचार करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सरकार ने संकल्प सं० 29/90-शता० सेल दिनांक 9-8-90 के अन्तर्गत श्री प्रभाष जोशी "जनसत्ता", की अध्यक्षता में, एक उप-समिति नामत: प्रचार और मीडिया समिति का गठन किया है जो बाबा साहेब की कृतियों तथा भाषणों के विद्यमान प्रकाशनों का लेखा-जोखा लेगी और देश के सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उनके प्रकाशन, अनुवाद आदि के लिए उपयुक्त समझे गए सुझाव देगी।

2. समिति बाबा साहेब के जीवन, मिशन तथा विचारधारा पर तथा उनके सम्बन्ध में प्रकाशित साहित्य का लेखा-जोखा भी लेगी और उनके मिशन तथा विचारधारा का प्रचार करने के लिए इस सम्बन्ध में आगे किए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिश करेगी।

3. समिति शताब्दी वर्ष के दौरान, बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कृतित्व की यादें दिलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की भी सिफारिश करेगी।

4. इस समिति द्वारा शताब्दी समारोहों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का निर्धारण और सिफारिश करने के लिए अपनी पहली बैठक 31-8-90 को पहले ही आयोजित की जा चुकी है।

"पाक अपने ठिकाने मजबूत कर रहा है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[हिन्दी]

4700. श्री हरीश पाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अगस्त, 1990 को "नवभारत टाइम्स" में "पाक अपने ठिकाने मजबूत कर रहा है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत की सुरक्षा से सम्बन्धित सभी विकासों पर सरकार सतत निगरानी रखती है तथा इसकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करती है।

उत्प्रवास की अनुमति

[अनुवाद]

4701. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विदेश में नौकरी प्राप्त करने वाले नागरिकों को उत्प्रवास की अनुमति दिए जाने हेतु प्रतिभूति के रूप में नकद धनराशि जमा किए जाने की शर्त समाप्त करने के लिए केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का उत्प्रवास की अनुमति के लिए प्रतिभूति के रूप में नकद धनराशि जमा किए जाने की शर्त समाप्त करने का विचार है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म शताब्दी समारोह

[हिन्दी]

4702. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान डा० बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) बाला साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर के शताब्दी समारोहों के एक भाग के रूप में निम्नलिखित का पहले ही कार्यान्वयन किया जा चुका है :

(1) बाला साहेब को "भारत रत्न" से सम्मानित करने के साथ, सरकार द्वारा बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर शताब्दी समारोह शुरू किए जा चुके हैं।

(2) वर्ष 1990-91 को सामाजिक न्याय वर्ष घोषित किया गया है।

(3) 12-4-90 को संसद के केन्द्रीय हाल में बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर के चित्र का अनावरण किया गया।

(4) 14-4-90 को बाबा साहेब का 99वां जन्म दिवस राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया।

(5) 14-4-1990 को अम्बेडकर स्टेडियम, नई दिल्ली में एक विराट सम्मेलन के आयोजन द्वारा मनाया गया।

(6) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा तथा व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(7) नव-बौद्धों को अनुसूचित जातियों का दर्जा दे दिया गया है।

(8) सरकार ने भारत सरकार के अन्तर्गत सेवाओं तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देते हुए, मण्डल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया है।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर के शताब्दी समारोहों के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है, प्रधान मन्त्री जिसके अध्यक्ष तथा श्रम एवं कल्याण मन्त्री उपाध्यक्ष हैं। इस राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक 21 जून, 1990 को हुई थी।

3. बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर के शताब्दी समारोहों के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु केन्द्रीय श्रम एवं कल्याण मन्त्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति भी गठित की गई है। इस स्थायी समिति की पहली बैठक 14-8-90 को आयोजित की गई।

4. बाबा साहेब शताब्दी समारोहों के लिए अपने विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का पता लगाने तथा उनकी सिफारिश करने हेतु विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित 7 उप-समितियां गठित की गई हैं :

(1) आर्थिक विकास समिति

(2) शिक्षा समिति

(3) भूमि सुधार समिति

(4) आरक्षण कार्यान्वयन समिति

(5) योजना तथा कार्यक्रम समिति

(6) अत्याचार निवारण तथा विधान समिति

(7) प्रचार तथा मीडिया समिति

5. डा० बी० आर० अम्बेडकर के उच्च तथा उदार विचारों के अनुरूप योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन का अनुरोध करते हुए श्रम एवं कल्याण मन्त्री द्वारा भी, सभी केन्द्रीय मन्त्रियों, योजना आयोग, मुख्य मन्त्रियों तथा राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपालों को पत्र लिखा गया है ।

(ग) अभी तक कोई आवंटन नहीं किया गया है ।

चिमोनी बांध परियोजना

[अनुवाद]

4703. श्री ए० चार्ल्स :
श्री लोकेन्द्र सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिमोनी बांध परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस परियोजना के कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई की जा सकेगी और तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को चिमोनी बांध परियोजना प्रारम्भ न करने का निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित अड़चनों को दूर करने और उक्त परियोजना को अविलम्ब प्रारम्भ करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) इस परियोजना के पूरी तरह से कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क)

परियोजना का ब्यौरा निम्नवत् है :

अनुमानित लागत	36.15 करोड़ रुपए
कृष्य कमान क्षेत्र	13,000 हेक्टेयर
सिंचाई की सघनता	192% (लगभग)
अन्ततः क्षमता	25,000 हेक्टेयर

(ख) से (ङ) योजना आयोग ने अप्रैल, 1990 में केरल सरकार से अनुरोध किया था कि वे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने से पहले आगे कार्रवाई न करें। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को कार्रवाई करनी है।

नलकूप स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक से सहायता

4704. **श्री पलास बर्मन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से प्राप्त सहायता में से कितनी राशि गत तीन वर्षों के दौरान नलकूप लगाने के लिए पश्चिम बंगाल को आबंटित की गई है; और

(ख) राज्य में जिला-वार कितने नलकूप चालू किए गए हैं और चालू योजना की शेष अवधि के दौरान कितने अतिरिक्त नलकूप लगाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सार्वजनिक नलकूप लगाने के लिए विश्व बैंक सहायता का वर्ष-वार वितरण निम्नवत् है :—

वित्तीय वर्ष	वितरण अमेरिकी डालर में
1987-88	0.140 मिलियन डालर
1988-89	7.244 मिलियन डालर
1989-90	2.600 मिलियन डालर

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जून, 1990 के अन्त तक इस परियोजना के अन्तर्गत कोई नलकूप नहीं लगाया गया था। तथापि उच्च क्षमता के गहरे नलकूपों से उथले नलकूपों तक की श्रेणी के विभिन्न क्षमता के कुल 2462 नलकूप ड्रिल किए गए हैं। इनमें से, 63 नलकूपों को ऊर्जा प्रदान कर दी गयी है। अब तक ड्रिल किए गए नलकूप पूरी तरह से ऊर्जा मिलने तथा पाईप लाइन और वितरण नेटवर्क के निर्माण के बाद ही संचालित/चालू किए जायेंगे। परियोजना में पश्चिम बंगाल के 13 जिलों में 10040 नलकूप लगाने की परिकल्पना की गयी है। इस परियोजना के अन्तर्गत स्थापना के लिए योजनागत नलकूपों का जिला-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	जिला	गहरे नलकूप उच्च क्षमता	गहरे नलकूप मध्यम क्षमता	गहरे नलकूप निम्न क्षमता	उथले नलकूप	कुल
1.	चौबीस परगना	60	90	180	270	600
2.	हुगली	100	30	822	—	952
3.	बर्दवान	170	40	372	102	684
4.	मिदनापुर	170	60	630	180	1040
5.	नादिया	160	30	270	600	1060
6.	मुर्शिदाबाद	175	80	270	468	993
7.	मालदा	150	20	90	420	680
8.	पश्चिम दीनाजपुर	180	20	90	960	1250
9.	कूच बिहार	20	—	—	1140	1160
10.	जलपाईगुड़ी	15	—	—	1140	1155
11.	हावड़ा	—	50	6	—	56
12.	बिरभूम	—	50	60	—	110
13.	बांकुरा	—	30	150	120	300
	कुल :	1200	500	2940	5400	10040

फाउंडरी एककों में विस्फोट

4704-क. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फाउण्डरियों की कितनी धमन-भट्टियों में विस्फोट हुए और इन विस्फोटों में कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) मृतकों के परिवारों को कितनी राशि का मुआवजा दिया गया;

(ग) इन विस्फोटों के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(च) इन विस्फोटों के कारण हुई क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस क्षति को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए इसी सैशन में इससे सम्बन्धित बिल पास कराने का हमें आश्वासन दिया गया था लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। आज चाहे रात के 12 बज जायें, इस पर आज ही डिसकेसशन होना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठ जायें। मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कालका जी, आप बैठ जायें, मैं आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : हमें वचन दिया गया था कि, यह इसी सेशन में पास होगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह ला रहे हैं, आप बैठ जायें। आप सब बोलेंगे तो वह कैसे बोलेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दिनेश सिंह जी, मन्त्री जी कुछ बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

आंतरिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : अध्यक्ष जी, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए संविधान में संशोधन का जो बिल है, वह आज के लिए स्लेटिड है। हमारा उसके लिए कमिटमेंट है। हमारे सदस्यों की जो भावना है, वह जैसा चाहेंगे हम उससे सहमत हैं लेकिन रास्ता खोजना पड़ेगा···(व्यवधान)···

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, इस विषय में जो बेचैनी है, मेरे कुछ साथियों में और जिसमें मैं भी हिस्सेदार हूं, चाहे मैं उस प्रकार से व्यक्त नहीं कर सकता, उसका कारण है कि दिल्ली के बारे में चर्चा बजट सत्र से चलती आई है और लगातार यह कहा जाता रहा है कि इस सत्र में पास होगा और होते-होते इस सत्र के बारे में भी कहा गया था कि प्रथम सप्ताह में ही हम लायेंगे। इण्ट्रोड्यूस हो चुका था लेकिन प्रथम सत्र में न आकर के···(व्यवधान)

श्री जे० पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : बी० जे० पी० वाले कहते थे, असेम्बली सफेद हाथी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अग्रवाल साहब, आप बैठ जाएं, अभी आडवाणी जी बोल रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, इसी कारण मैं चाहता हूं कि इस मामले में सरकार अपना संकल्प कर ले, क्योंकि, अनेक बार जब सरकार तय कर लेती है कि हमको इस सत्र में यह कार्य-वाही पूरी करनी होती है तो उस हिसाब से सब का रैस्पोंस होता है। अन्यथा अलग-अलग पार्टीज़ का अलग-अलग मंतव्य हो सकता है लेकिन अगर सरकार का मंतव्य साफ है कि हम इस सत्र में, सत्रावसान होने के पहले दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का जो इनका आश्वासन है, मेरी पार्टी का आश्वासन है, इस तरफ की पार्टी का आश्वासन है और कांग्रेस पार्टी का भी आश्वासन है, उसको पूरा करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी अपने आश्वासन से मुकरना चाहती है तो यह उनका काम है लेकिन मैं उनके बारे में शिकायत नहीं करूंगा लेकिन मैं सरकार के बारे में यह शिकायत जरूर करूंगा कि यह आश्वासन आपने दिया है, जिसमें मैं भी भागीदार हूं। जो आश्वासन आपने नहीं दिया है, उसके बारे में मैं कभी दबाव नहीं डालता हूं लेकिन जो आश्वासन आपका और हमारा समान है, उस मामले में मैं पूरा दबाव डालूंगा और मैं अपेक्षा करूंगा, दिल्ली का एक प्रतिनिधि होने के नाते, अध्यक्ष जी, शायद लोगों को जानकारी न हो कि पिछले तीन साल से यहां दिल्ली में चाहे नाली का काम हो, चाहे साधारणतया स्कूलों का काम हो, जो काम साधारणतया असेम्बली करती है या कारपोरेशन करता है हम जो चार लोग हैं या उधर बैठने वाले दो लोग हैं या एक इधर के हैं, उन्हीं सात लोगों को करना पड़ता है। इस नाते भी मैं समझता हूं कि दिल्ली के नागरिकों के साथ न्याय नहीं हो रहा, अफसरशाही छाई हुई है इसलिए जल्दी से जल्दी, बाकी सब काम छोड़कर दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाने वाला कानून हमको पास करना चाहिए। मैं सरकार से यह जो अपेक्षा कर रहा हूं तो मैं कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करता हूं बल्कि मैं तो कांग्रेस पार्टी से भी निवेदन करूंगा कि आपका भी आश्वासन है, आपका भी विश्वास है, चाहे आज हमको कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि प्राधिकारी का दर्जा दीजिए, यूनियन टैरिटरी का दर्जा दीजिए लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं समझता हूं कि पूरे राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अच्छा तो यह होता कि कम से कम अरुणाचल का दर्जा दिया जाता लेकिन वह नहीं हुआ है और एक प्रकार से जो

बिल लाया गया है, उसमें लॉ एण्ड ऑर्डर सेण्ट्रल सब्जेक्ट रखा गया है और हमने कम्प्रोमाइज के नाते रीकन्साइल कर लिया लेकिन कम से कम उसको तो मत रोकिये सरकार को कम से कम उसको निश्चित रूप से आज लोक सभा में पास करना चाहिए, चाहे रात को 12 बजे तक बैठना पड़े, इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं है··· (व्यवधान)

मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस मामले में सरकार किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट न दिखाए और विरोधी दल भी जिस प्रकार से आपने प्रसार भारती के मामले में सहयोग दिया, यद्यपि प्रसार भारती यहां पास करने के बाद राज्य सभा में आपकी पार्टी ने जिस प्रकार का विश्वासघात किया है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : आप यहां राज्य सभा से सम्बन्धित मामले नहीं उठा सकते ।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह उचित नहीं है । ऐसा रवैया अगर आप दिल्ली के बारे में भी अपनाने वाले हैं तो उसकी प्रतिक्रिया सरकार की ओर से उचित होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहता हूं चाहे कुछ हो लेकिन दिल्ली के बिल को यहां पास करना चाहिए । (व्यवधान)

श्री जे० पी० अग्रवाल : सरकार बनने के बाद सबसे पहले दिल्ली नगर निगम और मैट्रोपोलिटन काउंसिल को तोड़ने के लिए दबाव बी० जे० पी० ने डाला और आज वह कहते हैं कि दिल्ली में इलैक्टेड रिप्रेजेण्टेटिव्ज नहीं हैं । दूसरे, 1977 में जब इनकी सरकार आई थी तब यह कहां सो गए थे, तब यह मांग क्यों नहीं मानी गई ? कांग्रेस ने हमेशा दिल्ली में असेम्बली की मांग की है और आज भी उसके लिए खड़ी हुई है । जहां ये अफसरों के दबाव की बात करते हैं तो दबाव कौन दे रहा है ? बी० जे० पी० वाले दे रहे हैं, ये अफसरों को बुलाते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, उनसे पार्टी के लिए चन्दा इकट्ठा करवाने की बात करते हैं··· (व्यवधान) ये कांग्रेस के ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकते हैं··· (व्यवधान)··· कांग्रेस पर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है । कांग्रेस ने इसकी मांग रखी है । कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि दिल्ली में एसेम्बली चाहिए, लेकिन दिल्ली में दादागिरी करने की कोशिश नहीं की है । आज दिल्ली के लोग इनके साथ नहीं हैं, कांग्रेस के साथ हैं । करा लें इलैक्शन, जब चाहें तब करा लें···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक : अध्यक्ष महोदय, नीयत के बारे में कोई शक न हो, इसलिए मैं कुछ चीजें निवेदन करना चाहता हूं । आज के लिए यह एजेण्डे में है । हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज फाइनेंस बिल है, वह भी इसके बाद है । ऐसे आर्डिनेंस जो पास होने जरूरी हैं, वे भी दिल्ली के बाद आ रहे हैं ।

हमारी नीयत के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है । जैसा हाउस आप चाहते हैं, वैसा हाउस और रात देर तक बैठने के लिए तैयार हैं । जैसा आप चाहते हैं, वैसा हम बैठ लेंगे (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, पहले सैशन में विश्वास दिलाया गया कि दिल्ली का बिल इस सैशन में पास होगा । (व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं । उनको कहिए ।

(व्यवधान)

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : हम लोग तैयार हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक सुझाव है कि इस पर चर्चा आज की जानी चाहिए और चर्चा आज ही समाप्त हो जानी चाहिए ।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, आडवाणी जी ने, दिल्ली को राज्य का दर्जा देने वाले विधेयक के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए हमारे दल के रुख का भी जिक्र किया था। इस पर, हमारे नेता श्री दिनेश सिंह प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। मैं इस बात का उल्लेख नहीं करूंगा। परन्तु मैं उस बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं जो श्री सत्यपाल मलिक ने कही है । आज की कार्यसूची में, चर्चा के लिए पंजाब का बजट है । इसके बाद चर्चा के लिए वित्त विधेयक आएगा । मैं यह कह रहा हूं कि जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, उस दिन अध्यक्षपीठ के साथ सहमति हो गयी थी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय मौजूद थे । सहमति यह हुई थी कि हम व्यापक औषध विधेयक के लिए अपना समय छोड़ देंगे, बशर्ते कि हमें पंजाब पर बोलने के लिए अधिक समय दिया जाए क्योंकि पंजाब एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हमारे कई सदस्य बोलना चाहते हैं । मुझे विश्वास है कि उस पक्ष से भी सदस्यगण बोलना चाहते हैं । आपको याद होगा कि स्वयं माननीय आडवाणी जी खड़े हुए थे और कहा था कि पंजाब में स्थिति गम्भीर है । उन्होंने भी पंजाब में सरकार के रवैये की आलोचना की थी। पंजाब पर हम भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं···(व्यवधान) कृपया मुझे अपना भाषण पूरा करने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए। क्या कृपा करके आप उनकी बात सुनेंगे ? कृपया उनके विचार सुनिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, यह सदन तब तक नहीं उठेगा, जब तक दिल्ली का बिल पास नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहाना बना रहे हैं। दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह इनके मैनिफैस्टो में हैं, लेकिन ये मुकर रहे हैं। ये बहाना बना रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : इसलिए, मैं केवल यह निवेदन करता हूं कि स्वापक औषध विधेयक के लिए हमने जो समय छोड़ा था—जिसके लिए अध्यक्षपीठ सहमत हो गयी है—वह समय हमें पंजाब पर बोलने के लिए दिया जाना चाहिए। पंजाब पर चर्चा करने के बाद तथा बजट पर पूर्ण चर्चा करने तथा बजट को पारित करने के बाद ही हम दूसरे काम के बारे में सोच सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि श्री सत्यपाल मलिक जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसको तय कर लीजिए। हम पंजाब को भी डिसकस करेंगे, हम तो रिजर्वेशन को भी डिसकस करेंगे। सदन तब तक नहीं उठेगा, जब तक दिल्ली का बिल पास नहीं होता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हमें प्रो० दण्डवते की बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि आडवाणी जी ने हमारे दल का उल्लेख किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में नहीं जानता।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रो० कुरियन, आपने प्रसार भारती विधेयक के साथ जो किया है उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि पिछली संसद या उससे भी पूर्व अनेक ऐसे मुद्दों पर, जिनका कि निपटारा किया जाना था, उचित समझबूझ थी, हम 11 बजे रात्रि, 11.30 बजे रात्रि, 12 बजे और कभी-कभी उसके बाद तक भी बैठे थे। मुझे याद है कि एक बार हमने आधी रात 1.30 बजे तक इन्तजार किया था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि हम सुबह चार बजे तक भी बैठे थे।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका मतलब हुआ है कि बैठक दो दिन तक चलती रही थी। ऐसा भी हो चुका है। मैं यह सुझाव देता हूं कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि दिल्ली विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। इसलिए, मैं आडवाणी जी द्वारा की गई इस मांग का समर्थन करता हूं कि यदि हमें सुबह 3 बजे तक भी बैठना पड़े तो भी हम बैठने तथा यह देखने, कि दिल्ली विधेयक पारित हो गया है, के लिए तैयार हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पंजाब को महत्व नहीं देते। जहां तक हमारे पक्ष का सम्बन्ध है, हमने यह निश्चय किया है कि क्योंकि हमने इस चर्चा में कई बार भाग लिया है, हमारी ओर से एक भी वक्ता पजाब पर नहीं बोलेगा। हम अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर चुके हैं। (व्यवधान) कोई बात नहीं। चाहे जो भी मुद्दा है, उन्होंने यह मुझ पर छोड़ दिया है। मैं कहूंगा कि पंजाब पर सरकार के दृष्टिकोण का प्रधिनिधित्व मैं करता हूं। आप मनचाहा समय ले सकते हैं। हम पंजाब पर नहीं बोलेंगे क्योंकि हम कई बार बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमारी तरफ से भी कोई नहीं बोलेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : अब हमें उनकी बात मानने का प्रयास भी करना चाहिए। मैं अपने दल की ओर से वचन दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं भी आपका समर्थन करूंगा। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : अतः, यदि इस बात पर सहमति है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक दल भी सत्तारूढ़ दल का समर्थन कर रहे हैं और वे यह बात कहने के लिए तैयार भी हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम नहीं चाहते कि लोग यह सोचे कि हम जानबूझकर इससे बचना चाहते हैं। उस ओर से जो भी बोलना चाहते हैं, अर्थात् जिन लोगों ने अपने नाम दिए हैं और जिन्हें आपने बोलने की अनुमति दी है, वे बोल सकते है। हम इस विषय को निबटायेंगे और मैं इस सभा को पक्का आश्वासन देता हूं कि क्योंकि जनता दिल्ली के इस मामले पर चिन्तित है, अतः हम सभा की कार्यवाही आज तब तक चलने देंगे जब तक कि दिल्ली सम्बन्धी विधेयक पारित नहीं हो जाता, भले ही हमें देर तक क्यों न बैठना पड़े। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं अपने दल की स्थिति स्पष्ट करता हूं। हमारे दल की स्थिति भी वैसी ही है जैसी कि और आणवाणी जी की है। हमारी ओर से भी पंजाब के मुद्दे पर अब कोई नहीं बोलेगा। पहली बात तो यह है। दूसरे, हम आज पूरे दिन 12 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं और यदि आवश्यक हुआ, जैसाकि मधुजी ने बताया था, यह कल तक अर्थात् 2.00 म० पू० अथवा अथवा 3.00 म० पू० तक भी जारी रह सकता है। हमें उस पर बिल्कुल भी कोई एतराज नहीं है। हमें इस मामले पर कोई निर्णय लेना चाहिए और उसके बाद ही चर्चा समाप्त करनी चाहिए।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : महोदय, मैं अपने दल की ओर से स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रो० दण्डवते, श्री आणवाणी और श्री निर्मल चटर्जी ने इसके बारे में कहा है। परन्तु मेरा सुझाव है कि कल सभा की बैठक पूरी होने से पहले मैंने उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि आज प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरन्त बाद मंडल आयोग पर बहस आरम्भ की जाए, क्योंकि यह एक अत्यधिक महत्व-

पूर्ण विषय है और सदस्यगण इस विषय पर बोलने के इच्छुक हैं । कल केवल दो या तीन वक्ता ही बोल पाए थे । दूसरे, उन्होंने कहा है कि वे सभी चुनाव वायदों को पूरा करना चाहते हैं । श्री आडवाणी जी ने जो कुछ कहा है, मैं उसकी सराहना करता हूं । परन्तु राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने की बात भूल गयी है । उन्होंने वायदा किया था और वे इस वायदे के कारण ही चुनाव जीते थे । हमने भी वायदा किया था और हम पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने के इच्छुक हैं । उन्होने पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

दूसरी महत्वपूर्ण बात देश में आतंकवाद के बारे में है; बेकारी बढ़ रही है; काम के अधिकार सम्बन्धी विधेयक सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है जिसे इस सभा को निपटाना है । प्रधान मन्त्री ने कहा था कि वे इस विधेयक को इसी सत्र में पारित करेंगे । वे इस विधेयक को कब लाएंगे ? उन्हें इस बारे में आश्वासन देना चाहिए । अत: मैं निवेदन करता हूं कि हमें पहले मंडल आयोग पर चर्चा, पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी विधेयक और काम के अधिकार सम्बन्धी विधेयक को लेना चाहिए । यदि वे इस प्रकार से सहयोग देते हैं, तो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं ।

6 बजे के बाद सभी की कार्यवाही जारी रखने की जो बात है, मैं कहना चाहता हूं कि यदि सभी दल इस बात के लिए सहमत हैं, तभी वे ऐसा कर सकते हैं । यदि वे सभा की बैठक 6 बजे के बाद जारी रखना चाहते हैं, तो सभी की सहमति प्राप्त करनी होगी । यदि आप मंडल आयोग पर चर्चा, पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने और काम के अधिकार सम्बन्धी विधेयकों को लेना चाहते हैं, तो अपने दल की ओर से मैं कह सकता हूं कि हम 6 बजे के बाद बैठने के लिए तैयार हैं । अन्यथा हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते ।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : मुझे जो निवेदन करना है उसमें मैं काफी कम समय लूंगा । मैं काम के अधिकार के बारे में अपने माननीय साथियों की बातों से पूरी तरह सहमत हूं । मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, यह वह है कि काम के अधिकार के साथ-साथ इस सभा को काम के प्रति कर्त्तव्य की भावना भी प्रदर्शित करनी चाहिए । यदि काम के प्रति कर्त्तव्य की भावना को प्रदर्शित करना है तो हमें आज ही दिल्ली को राज्य का दर्जा देने वाले विधेयक को निबटा देना चाहिए । काम के अधिकार को काम के प्रति कर्त्तव्य से जोड़ना होगा ।

जहां तक मण्डल आयोग का सम्बन्ध है, मैंने कल भी निवेदन किया था कि प्रधान मन्त्री द्वारा बुलाई गयी बैठक में मण्डल आयोग पर पांच घण्टे चर्चा हुई थी । यदि मण्डल आयोग पर चर्चा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है, तो चर्चा समाप्त नहीं होगी ।

प्रो० मधु दण्डवते : मंडल आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में भी कोई मतदान नहीं होगा ।

श्री जसवन्त सिंह : इस पर चर्चा कल की जा सकती है । मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कल की जा सकती है...(व्यवधान) दिल्ली को राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी विधेयक को आज ही पारित किया जाना चाहिए । हमें काम के प्रति अपने कर्त्तव्य को प्रदर्शित करना चाहिए । मैं यही बात कहना चाहता हूं ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : यहां हमारी एक प्राथमिकता है, प्राथमिकता काम के अधिकार और शासन करने के अधिकार के मध्य है। दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का प्रश्न शासन करने का अधिकार है और काम के अधिकार का तात्पर्य यह है कि जनता काम और रोजगार चाहती है । अत:

मेरा विचार है कि सभा को यह निश्चित करने के लिए मतदान करना चाहिए कि काम के अधिकार अथवा शासन के अधिकार में कौन सा मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे आपको देखना चाहिए कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का क्या वायदा है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार छोटे-छोटे राज्यों के पक्ष में है। दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के विधेयक पर इस व्यापक सिद्धान्त के अनुसार विचार किया जाए। क्या सरकार छोटे राज्य बनाने के लिए तैयार है? क्या सरकार झारखंड, उत्तरांचल, विदर्भ राज्य बनाने के लिए तैयार है? अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं लेकिन, अगर आप यह नहीं चाहते तो आपके पास जादू का पिटारा नहीं कि जिसे खोलते ही सब कुछ सही हो जाएगा।

मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं वे देश को शून्य काल की तरफ ले जा रहे हैं जिसके तहत आपके पास कोई कानून और व्यवस्था नहीं होगी, केवल व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न होंगे।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : दिल्ली स्टेट की मुखालिफत पर इन लोगों ने कितनी तालियां बजाई है, इससे जाहिर होता है कि इनकी नीयत क्या है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के बारे में अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में हैं। हमारे मत-भेद इस विधेयक के प्रावधानों के सम्बन्ध में हैं। हम सरकार को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति प्राप्त करे जिसके आधार पर हम ऐसे विधेयक पर सहमत हों जो दिल्ली के लोगों के लिए लाभप्रद हो और इसके साथ-साथ एक राष्ट्रीय राजधानी की धारणा के तहत प्रभावी हो। लेकिन, भारतीय जनता पार्टी में मेरे मित्र मुख्यमन्त्री बनने के लिए इतने उतावले हैं······

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : 40 साल में आपने दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया, अब ये 'हरी' की बात कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, ये लोग यह बात तो मानते हैं कि दिल्ली में जो बी० जे० पी० का चीफ मिनिस्टर बनेगा। **(व्यवधान)**

श्री कालका दास : आपको अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए आप दिल्ली स्टेटहुड का विरोध कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विनेश सिंह : महोदय, मैं मुख्यमन्त्री बनने की प्रतिस्पर्धा में लगे दो मित्रों के बीच अपनी पसन्द नहीं बताना चाहता था। मैं कह रहा था कि इस समय अनेक गम्भीर राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हमने इस

बारे में सुबह चर्चा की थी। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि देश में जो कुछ हो रहा है, उस बारे में श्री खुराना ने अपेक्षित चिन्ता नहीं दर्शाई। हमारे पास समाचार पत्र आते हैं। इनके किसी भी पृष्ठ पर देखिए, छात्र मारे जा रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं। यह क्या हो रहा है। (व्यवधान) हमें इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। (व्यवधान) आप अपना दिल्ली राज्य बना सकते हैं। आप किसी भी तरह मुख्य-मन्त्री नहीं बनेंगे। लेकिन यह मुद्दा नहीं है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पाठक जी, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि भिन्न-भिन्न पार्टियों के जो व्हीप्स हैं, वे सब बात कर लें और और हो सकता है कि यूनेनिमस फैसले पर आ जाएं और आडवाणी जी का जो प्रस्ताव है, उसी पर सहमति हो जाए।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, सदन में सरकार और लैफ्ट पार्टीज चाहती हैं कि यह बिल पास हो और चाहे जितनी देर बैठना पड़े। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं रेगुलेट कर रहा हूं आप रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। जमुना जी आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, हाऊस का कन्सेन्सस है कि दिल्ली स्टेट-हुड के बारे में डिसकश कीजिए। अपनी रूलिंग दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, क्या रात भर सदन बैठेगा या नहीं, यह बताइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैंने दिनेश सिंह जी को बोलने की इजाजत दी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप श्री दिनेश सिंह को बोलने देना नहीं चाहते ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री दिनेश सिंह को बोलने की अनुमति दी है।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, मैं बड़े दुःख के साथ देश में घट रही गम्भीर घटनाओं के बारे में इस सभा को सूचित करना चाहता हूं। हमने, देश में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में दो स्थगन प्रस्ताव दिए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने दिनेश सिंह जी को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अम्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : भारतीय जनता पार्टी** इस सभा में अनुमति नहीं दी जा सकती। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अम्बारासु जी, आप यह वक्तव्य वापस लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी बोल रहा हूं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अम्बारासु इरा ने जो कुछ कहा है, मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है। यह अच्छा होगा कि वह अपने शब्द वापस ले लें। आप जानते हैं कि आपने किन शब्दों का उपयोग किया है।

(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, मेरा व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईंट आफ आर्डर है। मेरे मित्र श्री अन्बरासु ने यह कहा, एक पार्टी का नाम लेकर कहा कि इस तरीके का '....' नहीं चल सकता। गुण्डा नहीं कहा, '....' कहा।

[अनुवाद]

महोदय, आप स्वयं ही पता लगाइए। महोदय '....' शब्द असंसदीय नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अन्बारासु द्वारा द्वारा उपयोग किए गए शब्द संसद के एक माननीय सदस्य को उपयोग नहीं करने चाहिएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरा पाइंट आफ आर्डर है कि मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि यह जो हाउस में कसेंसस बनी इस पर आप रूलिंग दें कि रात को 12 बजे तक भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : पहले दिल्ली का बतायें।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों खड़े होते है, आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मुझे आज बड़े दुःख के साथ देश में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में इस सभा को बताना है।

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : आपने इतनी देर तक केवल परिचय ही दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हाउस का काम चलना चाहिए, मैं चाहता हूं कि जो पार्टीज के नेता हैं, व्हीप हैं वे मेरे कमरे में आ जायें हम बात कर लेते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : यहीं हाउस में डिसकश करें।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मि० दिनेश सिंह।

[अनुवाद]

12.34 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री दिनेश सिंह : महोदय, मुझे आशा थी कि मैं अभी-अभी जिस व्यथा के बारे में बताने वाला हूं, उसे श्री आडवाणी और उनके साथी भी महसूस करेंगे। लेकिन, मुझे आश्चर्य है कि जब इस प्रकार की गम्भीर बात होती हैं, तो आडवाणी जी अपने पीछे बैठे सदस्यों को नियन्त्रित करने में असमर्थ रहते हैं और उन्हें ऐसा कुछ करने देते हैं जिस पर अध्यक्ष महोदय पहले ही विनिर्णय दे चुके हैं। क्या उनका उद्देश्य यह है कि जब पुलिस द्वारा अपनी बन्दूकों से उनके और हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, तो इस मुद्दे पर सभा को चर्चा जारी नहीं रखने देंगे? क्या आप यही चाहते हैं कि देश में ऐसा ही होता रहे और पुलिस बच्चों को मारती रहे? (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : व्यर्थ ही लांछन मत लगाइए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, अभी श्री दिनेश सिंह जी ने कुछ बातें कहीं जिससे मुझे खड़ा होना पड़ा। पिछले आधे घन्टे से या 35 मिनट से इस सदन में इसकी चर्चा हो रही थी कि दिल्ली का विधेयक किस समय लाया जाएगा और उसी सन्दर्भ में यह अपेक्षा की गयी थी कि जब तक अध्यक्ष जी अपनी कोई सम्मति न दे दें तब तक कोई और विषय नहीं आएगा। तब श्री दिनेश सिंह जी कैसे उस विषय पर बोलने के लिए खड़े हो गए। इस पर हमारी पार्टी के लोगों की प्रतिक्रिया हुई, और कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि जिस विषय के बारे में आप कह रहे हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं है और ये बिना जानकारी के यह कह रहे हैं, इसलिए हमको चिन्ता नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, जिस समय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि सदन की सभी पार्टियों के नेता आकर मुझसे मिलें कि दिल्ली का विधेयक कब आएगा, यह तय करना है तब तक उनका विषय समाप्त नहीं हुआ था इसलिए इन लोगों को आपत्ति हो रही थी। मैं यही बात साफ करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जो विषय पहले कहा गया है, उस पर मेरी पार्टी के सदस्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसे मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं बड़ी विनम्रता से माननीय आडवाणी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं उस वक्त बोलने के लिए खड़ा हुआ जब कि स्पीकर महोदय ने अपना निर्णय दिया था और मेरा नाम बुलाया। मैं अपने आप खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, जिस तरीके से हमारे देश में छात्रों और युवा वर्ग से व्यवहार किया जा रहा है, उस पर मैं इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि सरकार ने अकारण ही अपने

निहित स्वार्थों के लिए यह कार्यकारी आदेश जारी किया है जिसने देश में अशान्ति उत्पन्न कर दी है और इस अशान्ति एवं अपने अनिश्चित भविष्य के कारण युवक उत्तेजित हैं, वे सड़कों पर आकर उत्तर मांग रहे हैं। ये युवा लड़के और लड़कियां हैं। वे हमारे, आपके बच्चे हैं और मैं सभा और इस सभा में प्रत्येक सदस्य से अपील करता हूं : क्या वे अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार पसन्द करेंगे ? पुलिस आती है और उन्हें बन्दूकों से मारती हैं और इस प्रक्रिया में वे मर जाते हैं। क्या वे इसी तरीके से इस देश में जनता राज, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार चलाना चाहते हैं ? मुझे आश्चर्य है कि एक अत्यन्त हमदर्द मन्त्री, मेरे मित्र की तरह···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुझे व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय व्यवस्था सम्बन्धी कोई प्रश्न न उठाएं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं, अपने प्रिय मित्र, जिनका मैं अत्यधिक आदर करता हूं और इस सरकार के एक वरिष्ठ मन्त्री श्री मधु दण्डवते को अपील कर रहा था, उनमें इस देश के लोगों, युवाओं के लिए हमदर्दी है : क्या उनका और दूसरे पक्ष में बैठे सदस्यों का यह दायित्व नहीं है कि इस स्थिति को समाप्त करने का प्रयास किया जाए ? इस समस्या का समाधान खोजना सरकार का दायित्व है और मैं दलगत आधार पर नहीं बोल रहा हूं और न ही कोई दलगत लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तो इस सभा और हर सदस्य से अपील कर रहा हूं : क्या वे इसे जारी रखना चाहते हैं ? क्या आपकी इच्छा यह है कि आप पुलिस द्वारा बच्चों, स्कूली बच्चों और युवकों को पिटने और मरने देंगे ? मुझे आश्चर्य हुआ कि हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार ने इस उद्देश्य हेतु सेना को बुला लिया। क्या हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे शूरवीर सैनिकों, सेना का यही उद्देश्य है ? क्या अब उनसे यह अपेक्षा है कि वे हमारे आपके बच्चों को मारें ? क्या आप यही चाहते हैं कि इस देश का ढांचा ही नष्ट कर दिया जाए ? (व्यवधान) क्या आप यही करना चाहते है ? (व्यवधान)

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : उपाध्यक्ष जी, क्या माननीय सदस्य को पता है कि पटना में क्या हुआ। वहां बम फेंके गए। वहां आपके कांग्रेस आई के नेता, श्री जगन्नाथ मिश्र और तमाम उनके समर्थक, उसका नेतृत्व कर रहे थे। उन लोगों ने वहां क्या नहीं किया, गोलियां चलायीं, वह हिंसक भीड़ थी कोई शान्तिपूर्वक भीड़ जमा नहीं हुई थी। कांग्रेस के लोग हिंसा पर उतारू थे और तरह-तरह के काम कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे, बम फेंक रहे थे। पटना और बिहार में जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे इनका हाथ है। वहां मजबूर होकर पुलिस को गोली चलानी पड़ी, पुलिस मजबूर हो गयी थी गोली चलाने के लिए। आज ये सदन में उल्टी बात बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप को इस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। यह उचित नहीं। मैं आपको बाद में बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : मन्त्री महोदय, आपके आदमी पीछे से तालियां बजा रहे

थे, आगे गोलियां चल रही थीं। वहां जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा गया, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपके लोग पीछे से तालियां बजा रहे थे। लोगों को आपने उकसाया···(व्यवधान)

[अनुवाद]

आप इस देश के लोगों को उकसा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जनता दल का कौन आदमी उसमें शामिल था, बताइए। कौन है भोगेश्वर झा ? (व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : क्या आप मन्त्री होकर भी, गूंगे और बहरे दोनों हो गए हैं। आपको कुछ भी पता नहीं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं बोलने के लिए खड़ा हो गया हूं तो आप सब लोग बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप सदन में एक दूसरे की तरफ देखकर बोल रहे हैं तो कुछ उसमें से रिकार्ड में जा रहा है, कुछ रिकार्ड में नहीं जा रहा है। अगर आपको किसी बात का जवाब देना है तो उसके लिए मैं आपको जरूर टाइम दूंगा, मगर कृपा करके ट्रैजरी बैंचेज भी और इधर से भी, आप एक दूसरे के खिलाफ ऐसे न बोलें, एक दूसरे के मुद्दों के खिलाफ बोलें।

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : वहां कांग्रेस के चार एम० एल० ए० थे जो प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, बिहार में स्थिति बिगाड़ने में आपके लोग ही नेतृत्व कर रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा। अभी आप बैठिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, मेरी इजाजत के बिना अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो वह रिकार्ड में नहीं जायेगा। इन्होंने जो कुछ बोला, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : महोदय, मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जोकि 'हिन्दु' जैसे गम्भीर और प्रतिष्ठित समाचारपत्र में आज प्रातः आया है। और फिर महोदय···(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हां तो, श्री दिनेश सिंह।

श्री दिनेश सिंह : मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं—मुझे समझ नहीं आ रहा कि माननीय सदस्य इस प्रश्न के गुण दोषों के प्रति क्यों इतने उत्तेजित हैं। मैं केवल उस तरीके का उल्लेख करना चाहता हूं जिससे कि पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों से बच्चों की हत्याएं करवाई जा रही हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अपने ही सदस्य की बात में रुकावट मत डालिए।

श्री दिनेश सिंह : समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि पुलिस ने पहले बच्चों का घेराव किया फिर उन्हें पीटना तथा मारना आरम्भ कर दिया। प्रैस ने सरकार की शक्ति के इस प्रकार बच्चों की हत्या के लिए प्रयोग किए जाने की तुलना श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए आन्दोलन से की है। यह एक अव्यवस्था की शुरुआत है और यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो सरकार के लिए इसे रोकना असम्भव हो जाएगा।

हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था

"पटना तथा गुजरात में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से हत्याएं तथा उनके कारण व्याप्त गम्भीर तनाव और इन राज्यों में सांविधानिक तन्त्र का असफल हो जाना।"

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं। आपको पहले अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

श्री दिनेश सिंह : मेरा इस सरकार से यही निवेदन है कि या तो वे ठीक तरीके से प्रशासन चलायें अन्यथा भगवान के लिए इस देश को नष्ट न करें। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं फिर कहता हूं कि मेरी अनुमति के बिना जो भी बोला जायेगा, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक : उपाध्यक्ष जी, माननीय दिनेश सिंह जी ने मुद्दा उठाया है—आज हम मंडल कमीशन पर बहस कर ही रहे हैं। पटना में वास्तव में क्या हुआ, आप जानना चाहते हैं, तो हमारे साथी बता देंगे। मैं मैरिट पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप अर्ध-सत्य मत बताया करिए, पूरी सच्चाई बताइए कि भीड़ थी, क्या था? जहां तक इस सरकार का देश के नौजवानों और बच्चों के प्रति एटीट्यूड का सवाल है, मैं बहुत विनम्रता के साथ बता देना चाहता हूं श्रीमन, (व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : उपाध्यक्ष महोदय···(व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक : आप कल राजनीति में आए हैं, मैं सन् 1967 से राजनीति में हूं। मैं छात्र-आन्दोलन में रहा हूं सन् 1967 में···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से चलेगा, तो फिर कोई नहीं बोल पाएगा। (व्यवधान)

श्रीमन्, मैं छात्र-आन्दोलन में रहा हूं, शरद जी हमारे साथ रहे हैं। हमारा कहने का अधिकार है। सन् 1967 में हमने दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहा था। उस समय माननीय दिनेश सिंह जी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मन्त्रिमण्डल में थे, दिल्ली में "शूट एट साइट" का आर्डर कर दिया गया था। हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। (व्यवधान)

सन् 1967 में गोहत्या-आन्दोलनकारियों ने प्रदर्शन किया, ता सन्यासियों पर गोलियां चलाई थीं, तब से आज तक विजय चौक से संसद तक किसी को नहीं आने दिया गया, लेकिन पहली बार संसद के दरवाजे तक हमने बच्चों को आने दिया। विजय चौक पर राजनारायण जी की टांग हमने तोड़ी थी या आपने तोड़ी थी ? सरदार पटेल चौक पर क्या हुआ ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मन्त्री महोदय को बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक : मेरी पीठ पर आपकी पुलिस की 40 लाठियां लगी हुई हैं। अकबर जी, आप तो कल राजनीति में आए हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

आपको सच्चाई सुननी चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है, जो वह कह रहे हैं, उसे नहीं।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक : आप उनको कण्ट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आपके बारे में हम कभी कोई बात नहीं कहेंगे सर।

[अनुवाद]

आपको उन्हें नियन्त्रित करना चाहिए। हमने उनकी बात सुन ली है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संसदीय कार्य मन्त्री हैं। ऐसा मत कहिए। यह ठीक नहीं।

श्री सत्यपाल मलिक : आप इस सदन के प्रमुख संरक्षक हैं।

[हिन्दी]

सर, मेरा निवेदन यह है कि ये यहां उपदेश न दें। हमारी सरकार बच्चों के प्रति, नौजवानों के प्रति और देश के लोगों के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है। जिस सहिष्णुता के साथ, जिस हमदर्दी के साथ, जितनी समझदारी के साथ, बर्ताव किया है, किसी सरकार ने, किसी आंदोलन में ऐसा नहीं किया।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं उससे हमारी पार्टी और सारा देश चिन्तित है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि समाचारपत्रों में सुबह जब पढ़ें कि आसाम में एक बस में बम फटने से इतने लोग मर गए, बिहार में इतने लोग मर गए, गुजरात में इतने लोग मर गए, सारा पहला पेज इन चीजों से भरा होता है, यह देश के लिए बहुत चिन्ता का विषय है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि किसी जगह भी गोली चलती है तो यह बहुत ही दुखदाई और चिंता का विषय है। किसी भी सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि लोगों से बातचीत के द्वारा समस्या का हल हो, लाठी चार्ज और गोली चलाना उचित नहीं है। मैं मलिक साहब से भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों ने गोलियां चलाईं, इन्होंने लोगों को मारा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जनता दल की सरकारें भी इसी तरह का दमन करें, यह उचित नहीं है। मैं आपसे, सदन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं प्रधानमन्त्री जी से हमने बार-बार अनुरोध किया है कि वे लड़कों से बातचीत करें, नौजवानों से बातचीत करें, देश को गृह युद्ध में न धकेलें, कास्टवार न चलें। इसके लिए प्रधानमन्त्री यदि छात्रों से बातचीत करें तो यह मामला रुक सकता है। कांग्रेस वाले आग लगा रहे हैं यह भी ठीक है परन्तु (व्यवधान) आप प्रधानमन्त्री जी से कहिए कि लड़कों को बुलाकर बातचीत करें, प्रैसटिज न बना लें कि मैंने जो कर दिया वह वापिस नहीं हो सकता, अब उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो सकती। बिना कण्डीशन के नौजवानों से बातचीत करें और देश में जो आग लगी हुई है उसको रोकें। (व्यवधान)

श्री तरित बरन तोपदार : मेरे दो पाइंट हैं। इण्डिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी की यूनियन की तरफ से अन्डर दी लीडरशिप आफ श्री सोमनाथ चटर्जी दो मांग की गई। वह जो कम्पनी तबाह हो रही है उसके चेयरमैन को कोई एक्सटैंशन नहीं दिया जाए। दस हजार स्क्वेर फीट कलकत्ता पार्क स्ट्रीट में जो जगह है उसका किराया श्री ए० पी० झा ने सरेन्डर कर दिया, वगैरह-वगैरह काम किया।

[अनुवाद]

यह एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि सदन को इस सम्बन्ध में यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा रचा गया यह षड्यन्त्र कि उन्होंने किसी भी विधेयक को पारित नहीं होने देना है, को चलने देना चाहिए। हमें इस मुद्दे पर पहले चर्चा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय···*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह सब नहीं कहना चाहिए। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज 5 सितम्बर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज प्रधानमन्त्री का चित्र भी कई पुरस्कृत होने वाले शिक्षकों के साथ छपा है। शिक्षक कौन हैं, जो छात्रों को पढ़ाते हैं। आज 5 सितम्बर को हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं और शिक्षक दिवस की पूर्व सन्ध्या पर 4 सितम्बर को पटना में छात्रों और शिक्षकों पर लाठी चार्ज हुआ, गोलियां चलाई गईं, 11 लोग घायल पड़े हुए हैं। यह भी कहा गया कि पिछली सरकार ने किस प्रकार से छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया था, मुझे यह भी पता है कि उनको कितना नुकसान भुगतना पड़ा था। मैं सरकार के समर्थकों और सहयोगियों को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि पटना की छात्र शक्ति, पटना की अध्यापक शक्ति और पटना के बुद्धिजीवियों की शक्ति के साथ आप खिलवाड़ न करें। जब-जब भी वहां का नौजवान बिगड़ता है तो सत्ता में परिवर्तन होता है। प्रधानमन्त्री जी ने कहा है कि वह छात्र सभा करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार के मुख्यमन्त्री वहां के छात्रों से, बुद्धिजीवियों से

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और पत्रकारों से मिलकर बात करें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस घटना के पीछे कांग्रेसी विधायकों और कांग्रेस दल का हाथ था। हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आरक्षण के साथ आर्थिक आधार जोड़ा जाए और प्रतिभा और मेहनत की हत्या न हो। इसी निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े ही दुख के साथ दो तथ्यों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब इस मन्त्रालय का हिस्सा हैं। जब आप बोलें तो यह ध्यान रखें कि आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। मैं आपको सावधान कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंह पटना की कल की घटना के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे। मैं भी उस सम्बन्ध में एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि पुलिस को गोली नहीं चलानी चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस को गोली किसी खास परिस्थिति में ही चलानी पड़ती है। कल जो कुछ भी हुआ उसमें जो भीड़ थी वह हिंसक थी। शायद माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंह जी को पता है या नहीं वह हिंसक भीड़ थी और उस भीड़ से बम फेंके जा रहे थे? उसमें सी० आर० पी० के जवान और पुलिस के जवान घायल रहे थे। वहां के कलेक्टर और एस० पी० घायल हो रहे थे।

श्री एम० जे० अकबर : किसी अखबार में ऐसा नहीं आया है।

श्री नीतीश कुमार : दिनेश सिंह जी को यह पता है या नहीं उसी बेली रोड पर बगल में, अकबर साहब जानते हैं जोर से बोल रहे हैं, वहां पर जनता दल का कार्यालय है, उसमें आग लगा दी गई। आग बुझाने के लिए जो दल वहां जा रहा था उसको रोका जा रहा था···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप को यह सूचना एकत्रित करने के बाद कहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : वहां पर बम फेंके गए और दफ्तर में आग लगा दी गई। बेली रोड के पास जितने डिवाइडर्स हैं, उसके ऊपर लगी जालियों को तोड़ा गया, जितने मकान हैं और जितने वाहन चल रहे थे उसके शीशे तोड़े गए और उनको उखाड़ कर फेंक दिया गया। ऐसी नौबत आ गई थी। आग लगायी जा रही थी। उस आग लगाने वाली भीड़ पर और हिंसा पर उतारू भीड़ पर गोली चलानी पड़ी···(व्यवधान)···जिस बालक की इससे मृत्यु हुई उससे सब को दुख पहुंचा और तकलीफ हुई। वह बम से मरा है। दिनेश जी जयप्रकाश नारायण जी की चर्चा कर रहे थे। हम लोग जयप्रकाश नारायण आन्दोलन की उपज हैं। यह अब जयप्रकाश नारायण जी का नाम ले रहे हैं। उसी पटना में 4 नवम्बर को जयप्रकाश नारायण जी पर लाठियां चलायी गईं और हम लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया गया। विभिन्न अवसरों पर जिस प्रकार जुल्म ढाये गये उसके बारे में सब को मालूम है। तत्कालीन कांग्रेस

अध्यक्ष की गाड़ी के सामने जो भीड़ खड़ी थी आन्दोलन के दौरान...(व्यवधान)...10-12 साल के स्कूली बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी और कांग्रेस आई के लोगों ने उसको कुचल दिया। मैं अन्तिम बात यह कहना चाहता हूं कि हिंसक भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहा था, कांग्रेस आई के विधायक ही उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। मैं अपील करना चाहता हूं कि इस सदन में अगर किसी घटना की चर्चा की जाए तो वह अधूरी न की जाए, पूरी की जाए। जो कुछ कल पटना में हुआ वह शर्मनाक था। जिस प्रकार एक पार्टी ने हिंसा की, पार्टी के नेताओं ने हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया, वह शर्मनाक था। हमें उसकी निन्दा करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर : क्या मुझे बिना बाधा बोलने का अवसर मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कह रहे हैं, केवल उसे ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है। इसलिए आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री एम० जे० अकबर : मैं चाहता हूं कि सदन में मेरी बात को सुना जाए। मैं मंत्री नहीं हूं। मेरा सूचना का स्रोत केवल समाचारपत्र हैं। आज के सभी समाचारपत्रों में एक ही बात प्रमुख है कि पहला पृष्ठ हत्याओं के समाचारों से भरा है। सारे देश में दो प्रकार के युद्ध की ध्वनि उभर रही है— जातिवाद की लड़ाई तथा साम्प्रदायिकता की लड़ाई।

1.00 म०प०

अगर जातिवाद के युद्ध की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है, तो इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, परन्तु मैं सदन से यह अपील करना चाहता हूं कि वे इस युद्ध की आवाज को अनदेखा न करें। यह सरकार जब अस्तित्व में आई थी तो बहरी थी और अब अपनी विसंगतियों के दबाव के नीचे यह गूंगी भी हो गई है। परन्तु मुझे आशा है कि यह सदन इस सरकार द्वारा दिखाया गया गूंगे और बहरों का रास्ता नहीं अपनाएगा।

गुजरात के तीन शहरों में भयानक साम्प्रदायिक दंगे उभरे हैं। बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रतिदिन बच्चों की हत्या की जा रही है। निर्दयता तथा हत्याओं के अतिरिक्त उड़ीसा में पुलिस ने मनमानी करते हुए मारे गए बच्चों के शवों को भी उनके माता पिता को नहीं सौंपा।

महोदय, मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है ? यह सब केवल एक ही व्यक्ति के अड़ियल स्वभाव के कारण हो रहा है, जो प्रधानमन्त्री हैं। (व्यवधान)। क्योंकि एक व्यक्ति अपनी बात पर हठ किए हुए है, और युवकों से बातचीत करने से इन्कार कर रहा है। अगर वह युवकों से बातचीत कर लें तो शान्ति स्थापित हो जाएगी तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल हो जाएगी।

मैं इस सरकार तथा प्रधानमन्त्री पर अपने मन्त्रियों के माध्यम से हिंसा भड़काने तथा राजनीति के नाम पर जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाता हूं और उनमें से दो ने सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमने यह सब देखा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म०प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.02 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.06 म०प० पर पुनः समवेत हुई।
[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल सदन में उत्पाद शुल्क की वापसी अर्थात् अनुचित लाभ का मुद्दा उठाया गया था। इस मुद्दे पर नियम 184 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मेरा निवेदन है कि सदन इस पर चर्चा की अनुमति प्रदान करे। जो भी समय निश्चित किया जाए, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। माननीय वित्त मन्त्री ने कहा है कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं। मेरा निवेदन है कि उपाध्यक्ष महोदय कृपा करके अध्यक्ष महोदय के घर सूचना दे देंगे कि इस मुद्दे पर सदन तत्काल चर्चा करवाना चाहता है। विशेषरूप से संयुक्त संसदीय जांच के लिए हमने नियम 184 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

2.06 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) संशोधन नियम, 1990 और शहरी विकास मंत्रालय (मुख्य लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1988

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : मैं श्री मुरासोली मारन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) संशोधन नियम, 1990 जो 21 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 245 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1385/90]

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालय (मुख्य लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1988 जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1023 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 14 फरवरी के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 143 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1386/90]

लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1989 इत्यादि

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : मैं श्री राम विलास पासवान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 14 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1989, जो 21 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 250 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1387/90]

(2) चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1989, जो 21 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 249 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1388/90]

(3) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1989, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 282 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1389/90]

(4) बीड़ी कर्मकार श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1989, जो 21 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 251 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1390/90]

(5) शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शिशुता (संशोधन) नियम, 1988, जो 4 नवम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

सा० का० नि० 827 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1391/90]

(6) (एक) अल्पसंख्यक आयोग की 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि के पांचवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन की गई कार्यवाही के ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1392/90]

(8) (एक) अल्पसंख्यक आयोग के 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक की अवधि के छठे वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1393/90]

(10) (एक) अल्पसंख्यक आयोग के 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक की अवधि के सातवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1394/90]

(12) (एक) अल्पसंख्यक आयोग के 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1986 तक की अवधि के आठवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1395/90]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम (समेकित) भर्ती नियम, 1989 इत्यादि

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (समेकित) भर्ती नियम, 1989, जो 5 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 51(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1936/90]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बिहार फल तथा सागभाजी विकास निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार फल तथा सागभाजी विकास निगम लिमिटेड, पटना का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1397/90]

(4) (एक) पेप्सी फूड्स में सब्जियों और अनाजों के प्रसंस्करण के बारे में श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, प्रो० मालिनी भट्टाचार्य तथा श्रीमती सुभाषिनी अली द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2124 के 22 अगस्त, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1398/90]

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : मैं श्री मनुभाई कोटाड़िया की ओर से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1399/90]

शिक्षा (संशोधन) विनियम, 1987, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् इत्यादि के वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : मैं श्री रशीद मसूद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत शिक्षा (संशोधन) विनियम, 1987, जो 13 फरवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-21/81 (भाग-1)/पीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धि-पत्र, जो 29 अक्टूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-21/81 (भाग-1)/पीसीआई (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 27 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-21/81 (भाग-1)/पीसीआई/ 9804-6 में (केवल अंग्रेजी संस्करण) प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1400/90]

(2) (एक) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1401/90]

(4) (एक) केन्द्रीय योग अनुसंधान तथा प्राकृतिक चिकित्सा, परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग अनुसंधान तथा प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1402/90]

(6) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (अनुसंधान केन्द्र), कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं (वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा 23 मई, 1990 को सभा पटल पर रखी गई।) की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1403/90]

भारतीय मानक ब्यूरो संशोधन, विनियम, 1990 इत्यादि

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अन्तर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग के लिए भर्ती) संशोधन विनियम, 199। जो 8 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 700(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1404/90]

(2) (एक) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई 11 मई, 1987 की उद्घोषणा के खण्ड (ग)(चार) के साथ पठित भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत पंजाब राज्य भाण्डागारण निगम, चण्डीगढ़ के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंजाब राज्य भाण्डागारण निगम, चण्डीगढ़ के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1405/90]

(4) खाद्य निगम, अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1990, जो 26 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 55/सं० ई० पी० 1-15/75-खण्ड पांच में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1406/90]

2.07 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

अवर सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के प्रावधानों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 3 सितम्बर, 1990 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 21 अगस्त, 1990 को पारित किए गए सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक, 1990 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

2.07½ म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

2.07¾ म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अध्ययन दलों के दौरों के प्रतिवेदन और विवरण

श्री मकुल नायक (फूलबनी) : मैं निम्नलिखित की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) समिति के अध्ययन दल के अगस्त, 1990 के दौरान आगरा के अपने अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(2) हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड (हैदराबाद तथा हरिद्वार एकक) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए तथा उनके नियोजन के सम्बन्ध में समिति (आठवीं लोक सभा) के चालीसवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक, दो तथा तीन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(3) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं के सम्बन्ध में समिति (आठवीं लोक सभा) के इकतालीसवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक, दो तथा तीन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला एक विवरण ।

(4) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं के सम्बन्ध में चवालीसवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक, दो तथा तीन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला एक विवरण।

(5) बैंक आफ बड़ौदा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बैंक द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में पैंतालीसवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक, दो तथा तीन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला एक विवरण।

2.08¾ म० प०

याचिका समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : मैं याचिका समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.09 म० प०

दिल्ली में श्रम न्यायालयों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 31 के 8 अगस्त, 1990 को दिए गए उत्तर के हिन्दी संस्करण में शुद्धि करने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : श्रम एवं कल्याण मंत्री की ओर से।

[अनुवाद]

दिनांक 8 अगस्त, 1990 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या-31 के उत्तर में भाग (ख) और (ग) के उत्तर का हिन्दी रूपान्तर निम्नानुसार दिया गया था :

[हिन्दी]

"(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान, दिल्ली प्रशासन द्वारा एक और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय तथा चार और श्रम न्यायालयों को गठित करने का प्रस्ताव है।"

[अनुवाद]

जैसाकि अंग्रेजी रूपान्तर में बताया गया जो सही है, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय गठित करने का प्रस्ताव है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर का हिन्दी रूपान्तर निम्नानुसार होगा :

[हिन्दी]

"(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान, दिल्ली प्रशासन द्वारा चार श्रम न्यायालय और केन्द्रीय सरकार द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय गठित करने का प्रस्ताव है।"

[अनुवाद]

गलती को ठीक करने में हुए विलम्ब के लिए खेद है।

2.10 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने 1989 के शुरू में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी थी। केन्द्र का स्थान हमीरपुर चुना गया है और बागवानी और वन सम्बन्धी विश्वविद्यालय, सोलन, के मार्गनिर्देशन में केन्द्र की आयोजना बनाई गई है।

अब राज्य सरकार इस केन्द्र को किसी अन्य जिले में खोलना चाहती है। इससे हमीरपुर तथा उसके पड़ोसी जिलों के लोगों में काफी रोष व्याप्त है। मैं केन्द्र सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से तुरन्त इस केन्द्र को हमीरपुर में स्थापित करने का अनुरोध करता हूं इसे वहां से नहीं हटाया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर को इसकी आयोजना तथा कार्य-करण की देखरेख लिए कहा जा सकता है। राज्य सरकार अगर अन्य जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करना चाहती है तो वह अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्रों की मांग करें, पर जो केन्द्र हमीरपुर जिले के लिए स्वीकृत हो चुका है, उसे वहीं स्थापित किया जाना चाहिए।

(दो) आगरा उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल में खासतौर से अलीगढ़, फिरोजाबाद तथा आगरा के हज यात्रियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पासपोर्ट कार्यालय न होने की वजह से हजारों हज यात्री हज से वंचित रह जाते हैं। उपरोक्त जनपदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं।

अतः आवश्यक है कि आगरा में एक पासपोर्ट कार्यालय खोला जाए ।

(तीन) मुम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर गन्दी बस्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नागरिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अद्यतन जनगणना आंकड़ों के अनुसार मुम्बई की जनसंख्या एक करोड़ से भी अधिक हो गई है । यह अनुमान लगाया गया है कि रोजाना 300 परिवार देश के कई भागों से मुम्बई आकर बस जाते हैं । अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण मुम्बई में मकान बनाने के लिए भूमि का अभाव है, क्योंकि तीनों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है और केवल एक तरफ भूमि है । इससे आवास बहुत महंगा है और एक ईमानदार मध्यवर्गीय व्यक्ति के लिए मकान की व्यवस्था कर पाना बहुत कठिन है क्योंकि मकानों के दाम बहुत अधिक हैं ।

55 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या झोपड़ पट्टी और गन्दी बस्तियों में रहती है । इनमें से लगभग 25 लाख लोग केन्द्रीय सरकार की भूमि पर जो रेलवे, पोर्ट ट्रस्ट, एयरपोर्ट अथोरिटी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नमक आयुक्त, डाक तथा टेलिग्राफ आदि के पास है, पर बसी गन्दी बस्तियों में रहते हैं । महाराष्ट्र राज्य सरकार गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम लागू कर रही है । फिर भी कुछ अपरिहार्य कठिनाइयों के कारण जो पिछले 10 वर्षों में वहां उत्पन्न हो गई है अभी भी केन्द्र सरकार की भूमि पर बसी गन्दी बस्तियों में रह रहे असहाय निर्धन नागरिक न्यूनतम नागरिक सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, और बिजली इत्यादि से वंचित हैं । केन्द्र सरकार को इस दिशा में युद्ध स्तर पर उपाय करने चाहिए और 'अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करने चाहिए ताकि केन्द्र सरकार की भूमि पर बसी गन्दी बस्तियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके । यदि ऐसा नहीं किया गया तो लोगों द्वारा आन्दोलन आरम्भ कर दिया जाएगा ।

(चार) राजस्थान के डेरी मालिकों को दूध का उचित मूल्य सुनिश्चित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह भादू (बीकानेर) : राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली संस्था "उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड", बीकानेर है जोकि मेरे लोक सभा क्षेत्र बीकानेर में स्थित है । इस सहकारी संस्था से जुड़े लाखों गरीब दुग्ध उत्पादकों की माली हालत दिनों-दिन बदतर होती जा रही है । देश की सबसे बढ़िया राठी नस्ल की गायें इस क्षेत्र में हैं इस बढ़िया नस्ल की गायों को बचाया जाये व उनका विकास इस तरह से किया जाये, यह सवाल किसानों के सामने प्रमुख समस्या बनकर खड़ा हो गया है ।

देश के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का भाव उनकी लागत के अनुरूप नहीं दिया जा रहा है । मौजूदा महंगाई के कारण पशु आहार व खलों के भाव इतने तेज हो गए हैं कि दुग्ध उत्पादक इन्हें खरीदने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है । इस वर्ष देश के सभी हिस्सों में आमतौर पर अच्छी वर्षा हुई है । वहीं मेरे क्षेत्र बीकानेर में भारी सूखा पड़ा है और अकाल की परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं । अतः सरकार तुरन्त इनकी समस्याओं की ओर ध्यान दे ।

देश का यह सीमावर्ती क्षेत्र विकास के हर दौर में पिछड़ा हुआ है, आमतौर पर यह रेगिस्तानी क्षेत्र अकाल और आंधियों का शिकार रहता है, पशुधन ही इस क्षेत्र के लाखों गरीब किसानों की आजीविका का साधन है। दुर्भाग्य है कि देश में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले इस क्षेत्र की समस्याओं की तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है।

(पांच) बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि विवाद के सम्बन्ध में उत्तेजक प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 30 अक्तूबर, 1990 से बाबरी मस्जिद स्थल पर कतिपय ताकतों द्वारा मंदिर के निर्माण के फैसले के कारण साम्प्रदायिक सद्भाव तथा कानून और व्यवस्था को गम्भीर खतरे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हालांकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। ज्योति जुलूस, देशव्यापी कार सेवा, सेनाएं तैयार करना, चेतावनी दिवस, चेतावनी संकेत आदि मनाए जाने से साम्प्रदायिक भावनाएं भड़क सकती हैं। उत्तेजक आन्दोलन से शान्ति और सौहार्दता, सत्ता को चुनौती तथा न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को खतरा है। मैं सरकार को इस आन्दोलन पर तथा बाबरी मस्जिद या उस स्थल पर हस्तक्षेप करने वाले जनसमूह पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने तथा प्रतिबन्ध को चुनौती देने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। इस विषय में यदि विलम्ब हुआ तो देश में शांति, साम्प्रदायिक सद्भावना तथा न्याय के लिए खतरा होगा।

(छः) सिकन्दराबाद छावनी क्षेत्र के विकास के लिए "मास्टर प्लान" का अनुमोदन और कार्यान्वयन किए जाने की मांग

श्री येलैय्या नन्दी (सिद्दीपेट) : महोदय, सिकन्दराबाद छावनी क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण छावनी क्षेत्रों में से एक है। चार वर्ष पहले रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर किर्लोस्कर कम्पनी द्वारा इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक बृहद योजना बनाई गई थी। इस योजना को छावनी और रक्षा भूमि महानिदेशक, आर० के० पुरम, नई दिल्ली को मंजूरी के लिए भेजा गया था किन्तु वह अभी तक उन्हीं के पास पड़ी हुई है।

छावनी क्षेत्र की जनसंख्या तीन लाख से अधिक है। उसमें से अस्सी प्रतिशत लोग कमजोर वर्गों के हैं। चूंकि इस क्षेत्र का अभी तक विकास नहीं हुआ है, इसलिए वहां के लोगों को पीने के पानी, सड़कों पर बिजली, भूमिगत नालियां तथा अस्पताल आदि जैसी सुविधाओं के अभाव में भारी परेशानी हो रही है। आवास योजनाएं अभी तक शुरू नहीं की गई है और बी-4 तथा 'सी' क्लास भूमि जो रक्षा उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। चूंकि वह नागरिक क्षेत्रों में है, वह भूमि भी अभी तक आबंटित नहीं की गई है।

इस छावनी क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं को पहले कई बार उठाया गया था।

मैं सरकार से सिकन्दराबाद छावनी के विकास हेतु मास्टर प्लान को शीघ्र क्रियान्वित करने और अपेक्षित राशि की व्यवस्था किए जाने का अनुरोध करता हूं।

(सात) बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र की खानों में लगी आग बुझाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की मांग

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) 27-8-90 को छपी खबरों के अनुसार दक्षिण बिहार के झरिया कोल फील्ड्स की खानों में लगातार कई वर्षों से आग लगी हुई है। इस आग के कारण इन कोयला क्षेत्रों में कोयला राख बनता जा रहा है इससे वातावरण भी दूषित हो रहा है।

यह अनुमान है कि 1864 मीट्रिक टन कोयला जिसका मूल्य 55,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है, नष्ट होने की आशंका है। यह आग कोयला क्षेत्र के 1700 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। इस आग के कारणों को जानने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए और आग पर नियन्त्रण पाने के उचित समय के भीतर उपाय किए जाने चाहिए सरकार को इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो राष्ट्र को अत्याधिक महत्व के ऊर्जा साधन से हाथ धोना पड़ेगा।

(आठ) अहमदाबाद हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में तेजी से विकास किए जाने की मांग

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा): अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के रूप में बनाए जाने में काफी देरी हुई है।

गुजरात सरकार अनुरोध करती रही है कि अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डा बनाने के लिए द्रुतगति से निर्माण की आवश्यकता है। महोदय, इस हवाई अड्डे से विदेशों के लिए सीधी वायु सेवा की नितांत आवश्यकता है।

गुजरात सरकार ने वचन दिया है कि हवाई अड्डे के विकास सम्बन्धी सड़कों आदि का कार्य निश्चित अवधि के अन्दर अहमदाबाद नगर निगम तथा राज्य सरकार द्वारा पूरा कर दिया जायेगा।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जून, 1990 में गुजरात राज्य का दौरा किया था और राज्य सरकार को शीघ्र कार्य आगे बढ़ाने और हवाई अड्डा चालू करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण सभी कार्य पूरे करने के लिए सभी सम्भव प्रयास करेगी जिससे कि शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जा सकें।

मैं एक बार फिर केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के रूप में एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र विकास किया जाए ताकि इसे 1990 तक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए।

---

2 24 म० प०

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1990-91

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पंजाब बजट—अनुदानों की मांग संख्या 1 से 30 तक, जो 3-9-1990 को प्रस्तुत की गई थी, पर चर्चा प्रारम्भ करेंगे। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार फिर इस सदन को पंजाब राज्य के बजट आवंटन के अनुमोदन के लिए कहा गया है। मैं नहीं जानता हूं कि यह स्थिति कब तक जारी रहेगी। पंजाब की पीड़ा में कोई कमी नहीं आई है और वह अब भी जारी है। पंजाब रक्त रंजित हो रहा है और मेरे विचार में यह हमारे देश के लिए एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। किसी को भी इसे दलगत राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यह पूरी तरह से एक राष्ट्रीय मुद्दा है और निश्चय ही चर्चा के दौरान एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए इस समस्या की जड़ के इतिहास में जा सकते हैं। लेकिन इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अभी हमें भविष्य के बारे में अधिक सोचना है। वर्तमान स्थिति में प्रो० मधु दण्डवते के बजटीय आवंटन में मुख्य रूप से दो विस्तृत आयोगों को सम्मिलित करना है—पहला सुरक्षा का और दूसरा विकास का पहलू है और मेरे विचार में वहां के सन्दर्भ में इन दोनों आवश्यकताओं में किसी को छोड़कर एक पर ही विशेष ध्यान नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है। लेकिन महोदय, यह सत्र दो दिनों में समाप्त होने वाला है और साधारण तौर पर जब यह सदन पुन: समवेत होगा तो नवम्बर का महीना आ जाएगा और राष्ट्रपति शासन की अवधि जिसे छ: माह के लिए आगे बढ़ाया गया है, नवम्बर में समाप्त हो जाएगी। इसलिए अब हमें उन प्रश्नों का सामना करने का प्रयास करना चाहिए जो मैं समझता हूं कि सभी के मन में है कि संसद की सम्मति से आगामी तीन-चार माह में सरकार क्या करने जा रही है? हमारे पास कुछ विकल्प हैं जिनका उल्लेख कई अन्य वक्ताओं ने भी किया है। या तो हम पंजाब में राज्य विधान सभा के चुनाव कराने का निर्णय करें या राष्ट्रपति शासन फिर एक अवधि के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय करें। तीसरा विकल्प, जिसके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं, वह यह है कि पुरानी विधान सभा को पुनर्जीवित किया जाए जो मेरे विचार में कोई गम्भीर विकल्प नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस परिप्रेक्ष्य में सरकार वास्तव में एक ऐसी विधान सभा को पुनर्जीवित करने के प्रति गम्भीर है जिसके प्रति पंजाब के लोगों में कोई विश्वसनीयता नहीं है। लेकिन हम एक अनिश्चितता में पड़े हैं और पूरा देश ही इस अनिश्चितता की स्थिति का सामना कर रहा है। यदि हम चुनाव नहीं करवाते हैं, यदि पंजाब के लोग—'पंजाब के लोगों' से मेरा तात्पर्य सिखों से ही नहीं है—यह महसूस करते रहें कि उन्हें हमेशा के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है, जोकि देश के अन्य हिस्सों के लोगों को उपलब्ध है, तो मुझे विश्वास है कि इसका नकारात्मक परिणाम के अलावा और कोई परिणाम नहीं होगा। लोगों में अलगाव की यह भावना जो पहले ही बहुत अधिक हो गई है, और भी गहरी हो जाएगी। इसलिए, एक बात यह है कि यदि सरकार राष्ट्रपति शासन की अवधि को और आगे बढ़ाने का निश्चय करती है तो मैं समझता हूं कि सरकार को संसद का दूसरा सत्र नवम्बर से पहले बुलाना होगा अन्यथा उस संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण करना मुश्किल हो जाएगा। अत: महोदय, यदि राष्ट्रपति शासन की अवधि को और आगे बढ़ाया जाता है और यदि वहां चुनाव नहीं कराए जाते हैं और इन्हें आगे के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो इसके लिए यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान स्थिति में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना सम्भव नहीं है। चुनाव बन्दूक की नोंक पर कराए जाएंगे। इसके लिए यह तर्क दिया जाता है कि लोग इतने डरे हुए होंगे कि या तो वे मतदान करने ही नहीं जाएंगे अथवा उन्हें मजबूरन ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना पड़ेगा जो बन्दूक की धमकी से उन पर थोपे जाएंगे। यह कोई सुखद स्थिति नहीं होगी। कोई भी ऐसे चुनाव नहीं चाहता जो स्वतन्त्र और निष्पक्ष ढंग से नहीं कराए जा सकते हों। चुनाव से पहले किस तरह सामान्य और शांतिपूर्ण स्थिति पुन: उत्पन्न की जा सकती है? यही हमारे समक्ष ज्वलंत प्रश्न है। दूसरी ओर, यदि हम यह निश्चय करते हैं, यदि यह सरकार यह निश्चय करती है और सदन इस निर्णय का अनुमोदन करना है कि राष्ट्रपति शासन को एक और अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाए तो मेरे विचार में ऐसे कदम से विघटनकारी शक्तियां, वे शक्तियां, जो देश

की एकता बनाए रखना नहीं चाहती हैं, उन्हें और अधिक बल मिलेगा। लेकिन अब हम क्या करें ? मैं उन वक्ताओं से सहमत नहीं हूं जिन्होंने वर्तमान सरकार पर यह आरोप लगाने का प्रयास किया है कि इसने पंजाब की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया है। हो सकता है कि वह कोई सम्बद्ध और व्यापक नीति नहीं बना पाई हो। इस बारे में यदि आप मुझसे अथवा किसी से पूछें, 'कि आप किस तरह की नीति पंजाब के लिए चाहते हैं ?', तो इस बारे में कई तरह के सुझाव दिए जा सकते हैं। आज की परिस्थितियों में ऐसी नीतियों को लागू करने के लिए सभी दलों का पूर्ण सहयोग चाहिए और वे लोग जो वास्तव में हिंसा तथा आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं और जो शान्ति तथा सामान्य स्थिति पैदा करना चाहते हैं क्योंकि मेरा यह मानना है कि पंजाब की आम जनता सिख और हिन्दू दोनों ही, किसान, व्यापारी, दुकानदार, रिक्शाचालक, मजदूर, और सामान्य व्यक्ति—सभी इस स्थिति से पूरी तरह से ऊब गए हैं। विगत कई वर्षों से वहां सामान्य जीवन-यापन असम्भव हो गया है। वे इस हिंसा से तंग आ गए हैं और इससे राहत पाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि लोग यही चाहते हैं, चाहे वे यह बात कहें अथवा नहीं। इसलिए यदि कोई मरहम लगाना है तो उसके लिए सहयोग की आवश्यकता है ताकि इस स्थिति में बदलाव आ सके। दुर्भाग्यवश, पंजाब में ऐसी अनेक पार्टियां और शक्तियां हैं जो एक दूसरे से सहयोग करने की मन:स्थिति में नहीं हैं। जब पिछली बार राष्ट्रपति शासन की अवधि छः माह और बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था तो चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाए जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम संविधान संशोधन पारित करने के बाद घर जाएं और सो जाएं। कुछ अनुवर्ती कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए; इस छः माह की अवधि का सदुपयोग उन सभी लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो इस स्थिति को सुधारने के लिए एकजुट होकर कोई सकारात्मक कदम उठाना चाहते हैं। मैंने सलाह दी थी और ऐसा आभास हुआ था कि प्रधानमन्त्री भी इससे सहमत थे कि पंजाब में सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां—मैं किसी का विरोधी नहीं हूं—वे सभी पार्टियां जो आतंकवाद, हिंसा और अलगाववाद का विरोध करते हैं और जो देश की सुरक्षा और एकता के लिए एकजुट हैं, उन्हें एक साथ मिल-बैठकर एक संयुक्त कार्यक्रम निर्धारित करें ताकि वे पंजाब के लोगों के पास जा सकें। इसमें खतरे हो सकते हैं; लेकिन इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। विगत वर्षों में हमने अनेकों जानें गंवाई हैं और इससे यह बात समझ में आई है कि हम बिना खतरों का सामना किए पंजाब में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें लोगों के पास जाना चाहिए और गांवों में जाकर संयुक्त अभियान चलाएं और लोगों में आत्मबल पैदा करने में सहयोग दें क्योंकि शांति और सामान्य स्थिति कायम करने के लिए उनमें एकता और भाईचारे की भावना पैदा करनी होगी। राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने से पूर्व कई संयुक्त रैलियों का आयोजन किया गया था और इनसे लोगों को एकजुट करने में सफलता भी मिली थी। अमृतसर, लुधियाना, खटकड़ कलां तथा अन्य कई स्थानों पर बड़ी रैली की गई थी। लेकिन राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने के पश्चात्, ऐसी रैलियां, जिससे कि वास्तव में जनता राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से एकजुट हो जाती है, आयोजित नहीं की गई। पिछले दिन श्रीमती भिंडर ने अपने भाषण में इस तथ्य की निन्दा की थी कि जन सभाओं में कतिपय ऐसे प्रयास किए गए थे जो विफल रहे थे और बहुत ही कम लोग उसमें आए थे। इसका कारण यह है कि लोगों को वहां लाने का आयोजन किसी भी राजनीतिक पार्टी और शक्तियों द्वारा आयोजित नहीं किया गया था। उनका आयोजन सभा स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस, सुरक्षा बलों और गुप्तचर सेवाओं की सहायता से किया गया था। ऐसी सभाओं में कौन आएगा ? वहां कोई भी आना नहीं चाहेगा। किन्तु यदि जनता का सहयोग लिया जाता तो कई बातें हो सकती थीं। मैं नहीं कह सकता कि इसके लिए अब समय है या बहुत देर हो चुकी है। इस सरकार ने कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ मात्र सांकेतिक हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सांकेतिक विचार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस सरकार ने पहला कार्य यह किया

था कि इसने 59वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया जिसने पंजाब के लोगों के जीने के अधिकार को भी निलम्बित कर दिया था। यह पहले की गई बहुत ही गलत चीज को ठीक करने की दिशा में किया गया कार्य था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1984 में हुए सिख-विरोधी दंगों में दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए विशेष न्यायालयों को स्थापित किया गया। सभी भगोड़े सैनिकों को छोड़ दिया गया है। यह बहुत दिनों से चली आ रही मांग थी और यह मुद्दा मुख्य रूप से सिखों में पीड़ा और क्षोभ पैदा कर रहा था। विधवाओं की पेंशन दोगुनी कर दी गई है। किन्तु ये सभी कदम काफी समय बाद, बड़े धीरे-धीरे उठाए गए हैं और इसका सम्मिलित प्रभाव उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था। 15 अगस्त को दूरदर्शन पर चार वर्ष के बाद लोगों ने यह देखा कि प्रधानमन्त्री लाल किले की प्राचीर पर सिख अफसर के साथ, जिसके हाथ में तलवार थी, खड़े थे। वह प्रधानमन्त्री को झंडा फहराने के लिए मंच पर ले गया था। मेरे विचार में यह एक ऐसी सांकेतिक भंगिमा थी जिसके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा था।

सुरक्षा की वर्तमान स्थिति में एक सिख अफसर द्वारा नंगी तलवार लिए प्रधानमन्त्री की सुरक्षा में साथ चलते हुए देखना यह एक ऐसी बात है जो कुछ लोगों द्वारा पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। लेकिन यह सब छोटी बातें हैं। निस्सन्देह इस समय हमारे सामने बहुत सी कठिनाईयां हैं। सबसे बड़ी कठिनाई सभी भिन्न-भिन्न अकाली दलों के नेताओं के नकारात्मक रवैये की है। अकाली दल जो अब कई ग्रुपों और उप-ग्रुपों में बंट गया है, पंजाब में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। वे सिखों की मुख्य शक्ति थे। अन्य दलों में भी सिख अनुयायी हैं। हमारी पार्टी भी है। सिख किसानों में हमारे भी थोड़े अनुयायी हैं। कांग्रेस दल में भी सिख हैं। लेकिन वह इन्हें इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। वह उन्हें सक्रिय नहीं बना पाते हैं। जहां तक अकालियों का सम्बन्ध है, वे किसी के साथ भी सहयोग करने को तैयार नहीं हैं। मूल समस्या है। यदि आप संयुक्त बैठकें या रैलियां करते हैं तो कोई भी अकाली नेता मंच पर साथ बैठने को तैयार नहीं है—शायद वे डरते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनका डर बेबुनियाद है। जो कोई भी शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए दूसरी ताकतों के साथ सहयोग करता नजर आता है वह अपने आप को हिट-लिस्ट में पाता है। हम यह जानते हैं। पिछले सप्ताहों में जो हुआ वह हम सबने देखा है कितने नेताओं को गोली मार दी गई। अब केवल हिन्दू ही पीड़ित नहीं हैं। मुझे नवीनतम आंकड़ों की जानकारी नहीं है। गृह मंत्री यह बता सकते हैं। लेकिन पिछले वर्ष के आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि हिन्दुओं से ज्यादा सिख मारे गए हैं। इन सब वर्षों में हत्या करने के तरीके में भी बदलाव आया है। अब जो भी व्यक्ति आतंकवादी या उग्रवादी जो चाहते हैं उसके विरुद्ध बोलता है, जो उनकी योजनाओं का विरोध करता है, या उन्हें धन देने से इन्कार करता है उसे मार दिया जाता है। श्रीमती भिंडर ने ठीक ही कहा था कि "पंजाब का आम आदमी दो तरफ से पिस रहा है—आतंकवादियों के आतंक से और सुरक्षा दलों के आतंक से।" दोनों वहां मौजूद हैं। दोनों पंजाब के लोगों को दबा रहे हैं।

पंजाब में समस्या यह है कि कुछ लोग केवल एकपक्षीय होकर देखते हैं और दूसरा पक्ष स्वीकारने को तैयार ही नहीं होते हैं। कुछ लोग हमेशा बेगुनाह लोगों की आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने की भर्त्सना करेंगे—जिसकी भर्त्सना की भी जानी चाहिए—लेकिन वह सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा प्रायः की जा रही ज्यादतियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग केवल सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही ज्यादतियों को देखते हैं और रोजाना आतंकवादियों द्वारा बेगुनाह लोगों की की जा रही हत्याओं के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलते। इस तरह का एकपक्षीय रुख आप कैसे रख सकते हैं? मनुष्य का

जीवन, मनुष्य का जीवन है । दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वाग्रह इतने गहरे हैं कि आप पायेंगे कि लोग हत्याओं की भर्त्सना करने को तैयार नहीं हैं चाहे वह हत्यायें किसी के द्वारा भी की गई हों । मैं समझता हूं कि यदि ऐसे लोग हैं, दल हैं, ऐसी ताकतें हैं—चाहे वह कांग्रेस दल हों या भाजपा या कम्युनिस्ट दल या जनता दल चाहे कोई हो जो भी पंजाब में सभी प्रकार की हत्याओं, आतंक और हिंसा का विरोध करते हैं और जो इस स्थिति की समाप्ति चाहते हैं जो राष्ट्र की एकता की रक्षा के लिए तैयार हैं और यदि वे निष्पक्ष और स्वतन्त्र चुनाव कराने के इच्छुक हैं तो उन्हें मिल-बैठकर किसी आपसी सहमति पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए । मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि यह ताकतें कुछ मूलभूत सिद्धान्तों और विचारों पर सहमत हो जाएं तब पंजाब में चुनाव कराना सम्भव है जिसका नतीजा राजनैतिक और सामाजिक रूप से सकारात्मक होगा और यह आवश्यक नहीं कि इन चुनावों में धांधली हो । मैं नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा क्योंकि स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मैं और मेरा दल इस बात को ठीक नहीं समझते कि राष्ट्रपति शासन की अवधि और बढ़ाने के लिए हम एक या दो महीने बाद फिर इस संसद के पास आयें । यह इस कारण है क्योंकि पंजाब के लोगों में अलग-थलग पड़ जाने की भावना आ गयी है । वहां पर न तो हिन्दू और न सिख ही यह महसूस करता है कि वहां कोई सरकार है । हर छह महीने के बाद मात्र राज्यपाल बदल देने से इसका कोई हल नहीं निकल सकता ।

जैसाकि हम जानते हैं, भारी संख्या में अल्पसंख्यक वहां से पलायन कर रहे हैं । इस स्थिति में आंख मूंद लेने से कोई लाभ नहीं होगा । विशेषकर तीन चार जिलों के सीमावर्ती गांवों में भारी संख्या में लोगों ने पलायन किया है । वह अब वहां नहीं रह सकते । यदि शहरों में उनके मित्र या सम्बन्धी हैं तो वे वहां चले जाते हैं अन्यथा वे दिल्ली तक आ जाते हैं । इनमें से कई बेहद तकलीफदेह हालात में रह रहे हैं । यह अभी भी जारी है । हिन्दू पलायन कर रहे हैं, सिख पलायन कर रहे हैं । यह एक तरफ से खाली होता जा रहा है जहां या तो सुरक्षा बलों की या आतंकवादियों की बन्दूकें सुनाई देती हैं ।

एक दो दिन बाद इस सत्र की समाप्ति हो जाएगी बिना इस बात या निर्णय लिए कि क्या राष्ट्रपति शासन जारी रखा जाए या फिर धर्मनिरपेक्ष सुदृढ़ ताकतों को किस तरह इकट्ठा किया जाए, इस बात की सम्भावनाओं का पता लगाया जाए । किसी को भी ऐसे प्रयासों से दलगत बातों को लेकर असहयोग नहीं करना चाहिए । सभी दलों को मिलजुलकर आपसी समझौता करना चाहिए और यह सोचना चाहिए चुनावी माहौल बनाने के लिए क्या किया जाए जिससे कि परिणाम सकारात्मक हो । हमारी राय में सरकार को सभी दलों के सहयोग से और उनसे विचार-विमर्श करके ऐसी सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए और मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा और बिना किसी हल की आशा के । हम हर समय अंधेरे में नहीं रहेंगे । अब यह मामला बहुत लम्बा खिंच चुका है । बहुत लहू बह चुका है और अब समय आ गया है कि हमें मिल बैठकर इस स्थिति से निबटना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस कार्य के लिए तीन घण्टे का समय निर्धारित किया गया था । तीन घण्टे बीत चुके हैं । नेताओं के बीच यह सहमति हो गई है कि वित्तीय कार्य आज ही किया जाना है । मैं दो या तीन सदस्यों को पुकारूंगा । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे संक्षिप्त भाषण दें जिससे यह कार्य पूरा किया जा सके । अब श्री संतोष देव बोलेंगे ।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : यदि आप मुझे समय बता दें तो मैं इसका पालन करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच से सात मिनट ।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं अपना भाषण दस मिनट के अन्दर समाप्त कर दूंगा।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। कुछ अन्य सदस्य भी बोलना चाहेंगे। समय बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस कार्य को तीन घण्टे के भीतर निबटा देने पर सहमति हुई है।

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : पंजाब के सभी संसद सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : यह हम सबके लिए खेद की बात है कि हम पंजाब बजट पर चर्चा कर रहे हैं जबकि इस पर चर्चा पंजाब विधान सभा में होनी चाहिए थी और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सही ही कहा है कि पंजाब की स्थिति पर पूरा राष्ट्र चिंतित है। पंजाब अनाज का मुख्य उत्पादक था और है। पंजाब वह भूमि थी जिस पर दूध और शहद पैदा होता था और अभी भी बड़ी मात्रा में यह पैदा होता है और यह "शहद और लस्सी" की भूमि कहलाती है जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बताया। दुर्भाग्यवश पंजाब आतंकवादियों के मामले में भी देश में सबसे आगे है और वहां बड़ी बुरी तरह से आतंकवादी गतिविधियां फैल रही हैं जैसे मेरे राज्य असम और काश्मीर में है।

हम आज विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इसका पूर्णतया समर्थन करता हूं जैसे कि कई सदस्यों ने किया है। और इसके विरुद्ध कुछ नहीं है। इस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता।

पंजाब में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह उल्लेख किया था कि 69वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे बहुत लोगों ने पसन्द नहीं किया था, को निरस्त कर दिया गया है। कुछ के लिए यह विवादास्पद संशोधन था। इसे निरस्त किया जा चुका है। हमने भी समर्थन दिया था। मुझे अभी भी याद है कि उस दिन जब गृह मन्त्री सदन में बोले थे तो उन्होंने इस सदन को आश्वासन दिया था कि सरकार समयावधि बढ़ाने के लिए इस सदन के समक्ष दुबारा नहीं आएगी और सभी राजनैतिक दलों और धर्मनिरपेक्ष दलों के सहयोग से सरकार पंजाब में ऐसी स्थिति का निर्माण करेगी जिसमें चुनाव कराए जा सकें। इस सदन में बिना पार्टी संबद्धताओं को ध्यान में रखे सभी सदस्यों द्वारा एक तरह की शंका व्यक्त की गई है कि यदि चुनाव हुए तो क्या वह स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे। यही नहीं कुछ सदस्यों ने तो यह भी कहा कि यह बन्दूक की नोंक पर होंगे। अतः इस समय मैं यह नहीं जानता कि कल या अगले दिन क्या होगा। पंजाब की स्थिति निष्पक्ष और स्वतन्त्र चुनाव कराने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है।

महोदय, मेरे अच्छे मित्र और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य श्री सैफुद्दीन चौधरी यहां मौजूद नहीं हैं। श्री सैफुद्दीन चौधरी ने अपने भाषण में सदन के सम्मुख एक विचार रखा था। मैं नहीं जानता कि यह विचार उनका व्यक्तिगत विचार था या वह सरकारी विचार है। विचार यह है कि भंग विधानसभा को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस प्रकार एक मंच हो सकता है जिसके माध्यम से पंजाब समस्या सुलझाई जा सकती है। यदि मेरी जानकारी सही है तो पिछली विधानसभा की समयावधि अक्तूबर के महीने में किसी समय समाप्त होने जा रही है। मैं नहीं जानता कि सरकार या उसके सहयोगी दल किस प्रकार से इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि न्यायालय का निर्णय विधानसभा को पुनर्जीवित करने के पक्ष में होगा। मैं समझता हूं कि ऐसा मान लिया गया है क्योंकि न्यायालय के निर्णय की कोई पहले से ही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यदि यह मान भी लिया जाए कि ऐसा मानना सही साबित होता है और न्यायालय के निर्णय के पश्चात् उसकी समयावधि मुश्किल से महीने भर की होगी। आज लाबी में मैंने एक और बात सुनी थी कि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि किसी सरकार विशेष के

कार्यकाल की समाप्ति पर यदि भारत के राष्ट्रपति चाहें तो कार्यकारी मन्त्रिमण्डल को छः माह जारी रहने के लिए कह सकते हैं…(व्यवधान) लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैंने यह लाबी में सुना था। वास्तव में श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक बहुत ही अच्छा संवैधानिक प्रश्न रखा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी भी इसमें शामिल थे। मैं नहीं समझता कि यह सम्भव है। यह वांछनीय भी नहीं होगा। अतः मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के इस सुझाव से पूर्णतया सहमत हूं कि पंजाब में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वातावरण तैयार करना चाहिए। सभी राजनैतिक दलों का जिसमें हमारा दल भी शामिल है, एक उत्तरदायित्व है। मैं इस बात पर सहमत हूं कि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी ने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। उन्होंने दिल्ली में एक रैली भी की थी। लेकिन यदि वह यह कहते हैं कि हमने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की तो यह पंजाब के कांग्रेस के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। हम लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक राजनैतिक नेताओं की मृत्यु का सम्बन्ध है इनमें सर्वाधिक संख्या कांग्रेस (आई) दल के लोगों की है। फिर भी हम अपने उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यह जानते हैं कि यदि हमें वहां एक वातावरण तैयार करना है, तो राजनैतिक दल के रूप में हमें एक निश्चित भूमिका अदा करनी होगी। संसद और विधान सभा के पिछले चुनावों में हमें 35-40 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। जनता हमारे साथ है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजीव गांधी के आदेश से मैंने छः सदस्यों के साथ पंजाब का दौरा किया। मैं इस सभा को अपना अनुभव बताना चाहता हूं जिस दिन मैं वहां गया था उस दिन एक विशेष गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। वहां पंजाब से सम्बद्ध संसद भी मौजूद थे। मैं एक दिलचस्प पहलू को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। उससे पहले मैं उस तथ्य में विश्वास नहीं करता। बात यह थी कि उस विशेष मकान में हिन्दुओं और सिखों की संख्या बराबर थी। हिन्दू शायद सिखों से अधिक ही थे। वे जिस सौहार्दतापूर्वक ढंग से बातचीत कर रहे थे और पंजाब की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे, उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के अधिकांश भागों में हिन्दुओं और सिखों के बीच कोई दुर्भावना नहीं है। पंजाब में आज जितनी आशा नजर आती है उतनी कश्मीर और असम में नहीं है। इसलिए यह कहना गलत है कि यदि हम आगे कार्यवाही नहीं करेंगे तो पंजाब के लोग पिछड़ जायेंगे। परन्तु हमें भी पहल करनी चाहिए। वर्तमान सरकार का पंजाब में कुछ राजनैतिक बैठकें आयोजित करने का विचार था और हमने शुरू में इसका बहिष्कार किया था, परन्तु बाद में इनमें सम्मिलित हो गए। लेकिन हमने क्या देखा? पंजाब की विशेष स्थिति के बारे में कांग्रेस को खलनायक बनाने के लिए उस मंच का प्रयोग केवल वामपंथी दलों ने ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य दलों ने भी किया था। ऐसा कह कर मेरा इरादा उन पर लांछन लगाने का नहीं है। हमें इस समय यह कहना उचित नहीं समझते कि यह समस्या इस सरकार को कांग्रेस से विरासत में मिली है अथवा यह सरकार कोई कार्यवाही करने में नाकाम रही है। इस समय सरकार, उसके सहयोगी दलों और विपक्ष को इस समस्या के समाधान के लिए एकजुट हो जाना चाहिए ताकि पंजाब में जनप्रतिनिधित्व सरकार बनायी जा सके। कोई भी पार्टी सत्ता में हो, परन्तु ऐसी स्थिति पैदा की जाए, जिससे कि प्रो० दण्डवते को पंजाब का अगला बजट इस सभा के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता न पड़े। मेरे विचार से इसे वह स्वयं नहीं चाहते, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह किसी राज्य बजट की देख-रेख करें, उनके पास पहले से ही कार्य का बोझ अधिक है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वहां सर्वदलीय सरकार का गठन कर लिया जाए।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं किसी विशेष नेता की आलोचना नहीं करना चाहता हूं। मैं उस बात का उल्लेख करना चाहता हूं जो भाजपा, सी० पी० आई०, सी० पी० एम०, फोरवर्ड ब्लाक के और सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों तथा हमारे सदस्यों ने बताया है कि शुरू में सरकार का उद्देश्य एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान प्रदान करना था, जो इस सभा का सदस्य है, परन्तु जिसने अभी शपथ नहीं ली है। यह मानना कि वह पंजाब समस्या के समाधान के लिए पंजाब की जनता को सहारा देंगे, गलत साबित हुआ। व्यक्तिगत रूप से मैं उनके प्रयासों में कोई गलती नहीं देखता। लेकिन पंजाब में उनकी इस घोषणा के बाद कि वह चाहते हैं कि सयुक्त राष्ट्र संघ को खलिस्तान के लिए पंजाब में चुनाव अथवा जनमत कराना चाहिए, मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार अथवा किसी राजनैतिक दल को इस विशेष व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं होना चाहिए, हम सबको ऐसे व्यक्ति की निंदा करनी चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में पंजाब के मामले में उसे कोई बात कहने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि इस मामले में लगभग सभी राजनैतिक दलों ने यह उचित दृष्टिकोण अपनाया है कि हमारा देश इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा किसी अन्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा था कि यदि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करेगा तो वह भारतीय सेना के जवानों की हत्या के लिए उनके पीछे रहेंगे और देश की रक्षा नहीं करेंगे। यह सिख संस्कृति नहीं है। इस देश के सिखों ने देश के लिए भारी बलिदान किया है। उनकी जनसंख्या केवल दो प्रतिशत हो सकती है परन्तु उनके वीरोचित कृत्य इस देश के किसी जाति अथवा समुदाय की तुलना में 90% से भी अधिक है। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति ने स्वीकार किया है। इस दृष्टि से मैं इस सभा के माध्यम से पंजाब की जनता से अपील करता हूं कि यदि पंजाब की जनता धर्म को नजरअंदाज करते हुए, जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बिल्कुल ठीक कहा है—आगे आए तथा सभी राजनैतिक दल यह सुनिश्चित करने के लिए, कि पंजाब में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की स्थिति पैदा की जा सके, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, तो देश के समक्ष जो समस्या है उसे आसानी से हल किया जा सकता है। परन्तु मेरी पार्टी अभी यह अनुभव करती है कि वहां जो वर्तमान स्थिति है उसमें स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराना कठिन है। इस विशेष पहलू के बारे में निर्णय करने से पहले सरकार को दुबारा सोचना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपाल सिंह जी आप 5 मिनट में अपनी बात कहिए।

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : थोड़ा सा समय तो लगेगा ही।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपाल सिंह जी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप थोड़े शब्दों में बहुत बात कह सकते हैं।

श्री कृपाल सिंह : मैं थोड़े शब्दों में ही अपनी बात कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ एस्पर्शन जो जातीतौर पर किए गए हैं, उनके बारे में भी कुछ कहना पड़ेगा, उसके लिए मुझे माफी चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यह मान लिया गया है कि पंजाब के डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि सिक्यूरिटी पर बहुत खर्च हो रहा है। मैंने पहले भी अपनी स्पीच में यही बात कही थी कि सिक्यूरिटी की पंजाब को जरूरत नहीं थी, यह सारी स्थिति यहां की पिछली गवर्नमेंट की शैतानी चालों से पैदा हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात बहुत दफा आप बोल चुके हैं। आप प्वाइन्ट पर आ जाइए।

श्री कृपाल सिंह : मैं यही कहना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा भार उठाना चाहिए क्योंकि यह स्थिति उसकी ही पैदा की हुई है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर सब लोग तकरीर करते हैं कि सिक्खों के जख्मों पर मरहम लगानी चाहिए, मेरी राय है कि यह बात दिल से नहीं कही जाती। श्री दरबार साहब, अकाल तख्त पर मिल्ट्री का हमला हुआ या नवंबर 1984 में कत्लेआम हुआ, अभी-अभी की बात है, कपूरनंगल के गांवों को सिक्यूरिटी वालों ने घेरकर 200-250 लोगों को बुरी तरह से पीटा, उनकी तस्वीरें अखबारों में छपी हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं कही गई। हमने प्रधानमन्त्री जी से इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी सैटअप करने के लिए कहा है। अभी रात को मेरे पास एक दोस्त का टेलीफोन आया, उसने बताया कि मैं एक गाड़ी में सफर कर रहा था, उस डिब्बे में मैं अकेला सिक्ख सफर कर रहा था, सिर्फ मेरे सूटकेस की तलाशी ली गई, और किसी की तलाशी नहीं ली गई। इस किस्म की जो बातें हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। इसी तरह से मीडिया को सिक्खों के खिलाफ प्रचार करने के लिए उपयोग किया गया, उसी मीडिया को आज सिक्खों की बहादुरी और देश भक्ति आदि के मुतल्लिक बताने के लिए मजबूर किया जाए।

मेरे पास सत्कारयोग्य श्री मौलाना आजाद साहब की लिखी हुई एक किताब है, उसमें छपा हुआ है कि आजादी के आंदोलन में जिन लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, उनकी कुल संख्या 2646 है, जिसमें 2147 सिक्ख थे और 499 गैर सिक्ख थे। इसी तरह से कुल 121 लोगों को फांसी हुई, जिसमें 93 सिक्ख थे और 28 बाकी लोग थे। जलियांवाला बाग में 1300 लोगों की मौत हुई, जिनमे 799 सिक्ख थे, 501 बाकी लोग थे। मेरे दोस्त यहां पर कहते हैं कि सिक्ख बहादुर हैं, इन्होंने कुर्बानियां की हैं, सब बातें ठीक हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में किस तरह की हालत है। अभी थोड़े दिन पहले मैं अमृतसर गया तो वहां के किसानों ने बताया कि हमारी फसल 200 रुपए के भाव से बिक रही है जबकि भाव 225 रुपए है, लेकिन क्योंकि अभी तक सेंट्रल एजेंसीज ने खरीद शुरू नहीं की है। इतना नेगलेक्ट किया जाता है पंजाब को। न वहां पर खाद अच्छी मिले, न कोई सुविधाएं मिलें, बावजूद इसके कि उन्होंने बहुत कुर्बानियां की हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि दरबार साहब और 1984 के दंगों के लिए इस हाउस में दिल से अफसोस करना चाहिए। मैंने देखा कि भोपाल गैस कांड के बारे में यहां रेजोल्यूशन पास हुआ, इसी तरह से दिल्ली में जिन लोगों को दंगों में मारा गया, जिनके बच्चे जलाए गए, जिनके गले में टायर डाल कर जलाया गया, उनके प्रति एक लफ्ज का रेजोल्यूशन भी इस सदन ने पास नहीं किया। क्या इस किस्म से इन्साफ हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजीव-लौंगोवाल समझौता, जोकि तकरीबन मर चुका है, लेकिन जब तक उसकी मदों को नहीं माना जाता, रेवेरियन राइट्स के मुताबिक पानी का तकसीम यमुना नहर को शामिल करके नहीं किया जाता, तब तक एस वाई एल केनाल का काम नहीं चलना चाहिए। क्योंकि इससे लोगों में उनके एक हिस्से को चलाना अच्छी बात नहीं है। ...(व्यवधान) पंजाब को भी मिले और आपको भी मिले। आप अपना हिस्सा लें और ज्यादा न ले जाएं।

3.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : बीच-बीच में जो प्रश्न उठते हैं, उनका उत्तर न दीजिए।

श्री कृपाल सिंह : हरियाणा और पंजाब का जो मसला है उसमें किसी की कोई बात नहीं है। आज भी श्री के० पी० एस० गिल वहां पर पुलिस चीफ हैं। वही लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं जिनकी यह सारी आग लगाई हुई है। इसमें कोई अच्छी तब्दीली आने का इमकान नहीं है। पंजाब के विकास के लिए मैं कहना चाहूंगा। एक तो एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री वहां पर ज्यादा होनी चाहिए और एक कंडी केनाल का मसला है जहां पर पीने का पानी भी नहीं मिलता। मेरे अजीज दोस्त कमल जी ने यह बात कही है क्योंकि वह उनके इलाके से ताल्लुक रखती है। स्माल स्केल इंडस्ट्री के जरिए पंजाब देश की इन्डस्ट्री के नक्शे पर है। हैवी इंडस्ट्री का रंग इसमें नाममात्र ही होगा।

स्माल स्केल पर भी कातिलाना हमले होते रहते हैं। 25 हजार आबादी के कस्बे में 2 लाख की मशीनरी का कारखाना टाइनी सैक्टर में शुमार होता था। अब 50 हजार की आबादी और 5 लाख की मशीनरी का कारखाना टाइनी सैक्टर में शुमार होगा। सेन्सेज के मुताबिक दो लाख से कम वाले कारखाने 97% थे। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से ब्यूरोक्रेसी ने यह बहुत गलत फैसला करवाया है। इनको कच्चा माल भी नहीं मिल रहा और एक्साइज में छूट भी नहीं मिल रही जबकि इनको इन्सेंटिव ज्यादा मिलना चाहिए। यह लिमिट क्रास कर जावे तो लिमिट के अन्दर वाली इनको एक्साइज में छूट नहीं मिलती जबकि इनसे ऊपर वाले लोगों को लिमिट क्रास करने के बावजूद लिमिट से नीचे मैन्यूफैक्चर किए माल की एक्साइज छूट मिल जाती थी। यह डिस्क्रीमिनेशन खत्म होनी चाहिए। आबादी की शर्त हटनी बहुत जरूरी है। इनसे गांव वालों को भी फलने फूलने का मौका मिलेगा कम से कम 30-35 शुगर की फैक्ट्रीज पंजाब में लगनी चाहिए।

स्माल स्केल सैक्टर की हद पहले 37 लाख थी और अब 60 लाख कर दी गयी। उसमें बड़े सर्माया वाले लोगों को फायदा हो सकता है। मैं पोलिटिकल स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे दोस्त कहते हैं कि पंजाब में इलैक्शन नहीं होने चाहिए और गवर्नमेंट के अन्दर सोच चल रही है कि पंजाब के अन्दर पुरानी गवर्नमेंट को रिवाइज कर दिया जाए। ये दोनों बातें गलत हैं और पंजाब को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से डिबार किया गया। रीसेंटली पार्लियामेंट के इलैक्शन हुए हैं। इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तारीफ की है कि पंजाब में जिस ढंग से शान्तिपूर्वक इलैक्शन हुए हैं ऐसे पहले कभी नहीं हुए। जो हार गए, उन्होंने बहाना बना लिया कि लोगों ने खामोश डर के तहत वोट दिए। अगर ऐसा हो तो फिर एक ही तबका आना चाहिए था। पंजाब में सब मिलजुलकर आए हैं। किसी को कोई डर नहीं था और न ही कोई खामोश डर था। शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी और पंजाब के इलैक्शन फौरन होने चाहिए। जितनी भी जल्दी हो सके तो उतना ही बेहतर होगा और उतना ही खूबसूरत रहेगा।

आज की सरकार भी, बैलट और बुलट इकट्ठे नहीं चल सकते, ऐसी बात करती है। जहां तक टेरोरिस्टों का ताल्लुक है उनके मुतल्लिक मिस्टर रिबेरो जो उस वक्त डी० जी० पी० थे और फिर एडवाइजर बने। वह टेरोरिस्टों की वक्त-वक्त पर मुख्तलिफ गिनती बताते रहे। लोग कहते थे कि टेरोरिज्म खत्म क्यों नहीं होता तो उनका उत्तर होता था कि इनकी रिक्रूटमेंट बंद नहीं होती जाहिर है कि रिक्रूटमेंट गोली से बंद नहीं हुयी न हो सकती है। इसको प्यार की बोली से बंद करना चाहिए था। जो अभी तक नहीं हुयी। बन्द न करने के लिए जो तरीके पंजाब में अपनाए गए उनमें इजहार आलम एस० एस० पी० अमृतसर जो बाद में डी० आई० जी० भी रहे उनकी ब्लैक कैट फोर्स थी। और अब के० पी० एस० गिल ने "इण्डियन लायन" बनाई है, "हिन्दुस्तानी शेर" वह हम लोगों को मारते हैं और जब मेरे मरने की खबर सुनने को मिले तो समझ लेना कि इण्डियन लायन के हाथों से मारा गया होगा। इस

किस्म के लोग जो प्रशासन में बैठे हैं उनको वहां से हटाना वक्त की सबसे बड़ी और फौरी जरूरत है। यहां पर मेरे एक दोस्त ने मेरे बारे में बात की और कहा कि मैं तो किसी पंचायत का सदस्य बनने के काबिल भी नहीं हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं स्वतन्त्रता संगाम के दिनों का सेनानी हूं, 1947 से लेकर आज तक सस्पेंडेड और सुपरसीड पीरियड को छोड़कर अमृतसर म्यूनिसिपल कार्पोरेशन का सदस्य और चेयरमैन रह चुका हूं, तीन बार विधायक रह चुका हूं और अब अच्छी गिनती से एम० पी० बना हूं। जब आज के कुछ सिआसी लोग मिलावटी घी बेचा करते थे और स्मगिंलग किया करते थे उस वक्त मैं देश की और लोगों की खिदमत किया करता था। देश के अमन को सबसे पहले आग तब लगी जब एशियाड के मौके पर रास्ते में शरीफ लोगों को रोककर उनके केश काटे गए और उन पर झूठे केस किए गए···

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले भी बोल चुके हैं।

श्री कृपाल सिंह : या और बातें की गयीं। मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि एक तो चुनाव की बात पर आप सोचें, दूसरे पंजाब में स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के बारे में ध्यान दें और तीसरा मेरा निवेदन है किसानों की एग्रो बेस इन्डस्ट्रीज के बारे में ध्यान दें और सबसे अहम् बात यह है कि पंजाब के खजाने पर सेन्ट्रल फोर्स का खर्च नहीं पड़ना चाहिए ताकि पंजाब का विकास अच्छी तरह से हो सके।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : माननीय सदस्य ने कहा कि उनको अमृतसर में किसान मिले और उन्होंने कहा कि 225 रुपए गेहूं के दाम, प्रोक्योरमेंट का तय किया हुआ है, वह नहीं दिया गया है। मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि जिस तारीख को 225 रुपए का हुक्म हुआ उसके पहले जिन किसानों ने गेहूं की इस सीजन में डिलीवरी की है उनको 225 रुपए एरिअर्स के रूप में दे दिए हैं।

श्री कृपाल सिंह : आप जो कहते हैं वह सही है···

श्री नाथू राम मिर्धा : सीधे अकाउण्ट पे बैंक किसानों को दिए जाएंगे, मिडल मैन को देने का सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से पंजाब के बजट की इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। इस चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्यों ने केवल कुछेक सैकिण्ड तक ही बजट पर ध्यान केन्द्रित किया है। अपने शेष भाषण में उन्होंने पंजाब की स्थिति का उल्लेख किया है। मैं भी ऐसा ही करूंगा क्योंकि मैं अपवाद नहीं हूं। यह बड़ी दयनीय स्थिति है कि आज प्रो० मधु दण्डवते पंजाब बजट पेश कर रहे हैं। जब वह विपक्ष में थे तो उन्होंने अनेक बार कहा था और सत्तारूढ़ पक्ष से अनुरोध किया था कि पंजाब राज्य का बजट उस समय अन्तिम बार ही पेश किया जाना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश इस बार उन्होंने ही पंजाब का बजट प्रस्तुत किया है और मैं जानता हूं कि वह भविष्य में भी ऐसा करेंगे इस तरह की स्थिति होने के कारण ऐसा ही होगा। जब श्रीमती सुखबंस कौर ने पंजाब में तत्काल चुनाव कराने के बारे में कहा तो उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया था कि सरकार विधान सभा को बहाल करते समय कुछ अन्य लोगों को पदासीन करने का प्रयास कर रही है। उस समय प्रो० मधु दण्डवते ने कहा था कि यह न्यायालय का निर्णय हो सकता है वह क्या कर

सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था। परन्तु वे कुछ भी सोचें, *ऐसा करने का प्रयास अच्छी बात नहीं है।* स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराना बेहतर है तथा वर्तमान स्थिति से उबरने का उपाय किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

दूसरे, हम यह भूल रहे हैं कि पंजाब की वर्तमान स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। इसके मूल कारणों को हमेशा भुलाया जा रहा है, हम हमेशा आतंकवाद, जनता और युवकों की आलोचना करते हैं। मैं यह कहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति के लिए यह सभा और संसद जिम्मेदार है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में जिस बात का पालन करने की जरूरत है उसका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। हम राज्यों से सभी शक्तियां छीनना चाहते हैं। जब आप सत्ता से बाहर थे तो आप विकेन्द्रीकरण पर बल देते थे, परन्तु जब आप सत्ता में हैं तो आप राज्य की सभी शक्तियां हथियाना चाहते हैं। देश के सामने यह विशेष स्थिति है। पहले, शिक्षा राज्य का विषय था, उन्होंने केन्द्र का विषय बना दिया और अब अपने घोषणापत्र में इसको विकेन्द्रीकृत करना चाहते हैं। आज तक मैं यह नहीं समझ पाया कि वे किसका विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। जब से आप सत्ता में आते हैं, तो आप सभी विधानमण्डलों की शक्तियां छीनकर उन पर शासन करना चाहते हैं। जब आप सत्तासीन हैं, आप क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं, संस्कृति और भाषा आदि को भुला बैठे हैं। मुख्य कारण यही है। देश की शक्ति विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं में निहित है परन्तु आप उन्हें भूल रहे हैं। एकता के नाम पर आप एक संस्कृति और भाषा थोपना चाहते हैं और दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं··· (व्यवधान)

हम जब कभी अपनी मातृभाषा में बोलना चाहते हैं तो साथ-साथ तमिल में अनुवाद की कोई व्यवस्था नहीं है।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : इसकी व्यवस्था है।

डा० तम्बि दुरै : यदि आप अंग्रेजी में बोलें, तो क्या मैं तमिल में सुन सकता हूं ? इसकी व्यवस्था ही नहीं है। यदि मैं अपनी मातृभाषा में बोलता हूं तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने की व्यवस्था तो है, परन्तु तब इसका अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : आपका भाषण हमेशा कीमती होता है, इसलिए इसका अनुवाद किया जाता है, परन्तु मेरा भाषण महत्वहीन हो सकता है इसलिए इसका तमिल में अनुवाद नहीं किया जाता है।

डा० तम्बि दुरै : हम आपकी प्रतिक्रिया सुनना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जाने बगैर हम किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं ? हम आपको अनेक बहुमूल्य सुझाव देते हैं, परन्तु उन्हें भुला दिया जाता है। यह एक समस्या है।

आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का यहां उल्लेख किया गया है। मैं देश को विभाजित करने के पक्ष में नहीं हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पंजाब के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने बड़ी अच्छी बातें कही हैं अर्थात् चुनाव कराए जाने चाहिए, विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए तथा सांस्कृतिक पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

डा० तम्बि दुरै : इससे भी बढ़कर बात यह है कि देश में इस प्रकार की समस्या को सुलझाने हेतु सरकार का आर्थिक कार्यक्रम क्या है ? इधर-उधर की बातें करने की बजाय, हमें मुख्य मुद्दे पर आना चाहिए । हम राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं । इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए आप कौन-सी ठोस कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं ? राजनैतिक पहलू पर आपको लोगों की लोकतान्त्रिक इच्छाओं का ध्यान रखना है । फिर सामाजिक समस्याओं के बारे में आप क्या कहते हैं ? क्या आप उन्हें सुलझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ? इसी प्रकार हम आर्थिक समस्याओं पर भी ध्यान दें । वामपन्थी दल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का दावा करते हैं ? वे क्या कर रहे हैं ? वे चुपचाप बैठे हुए हैं । काम के अधिकार और रोजगार के अधिक अवसर मुहैया कराने सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे रहा है । जब तक आप रोजगार के अधिक अवसर पैदा करके तथा काम के अधिकार को प्रदान करके, इस देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं होते हैं तब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो सकता । आतंकवाद, जोकि आज पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा असम में व्याप्त है, कभी तमिलनाडू में भी फैल जाएगा, क्योंकि वहां युवाओं की समस्याओं पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है ।

उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु आपके पास क्या कार्यक्रम है ? इस प्रश्न का उत्तर देने की जगह आप किसी न किसी रैली का आयोजन कर रहे हैं, आप पंजाब में पदयात्रा पर जाना चाहते हैं ।

यदि आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन समस्याओं के समाधान पर उचित ध्यान नहीं देते हैं और यदि आप कुछ क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहते हैं, तो यह बहुत ही घातक बात है । एक अच्छी भावना लेकर आपको राष्ट्र के बारे में, सभी भाषाओं के बारे में सोचना चाहिए । सभी भाषाओं को देश की राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दीजिए, उन्हें क्षेत्रीय भाषा मत कहिए । जब भी कोई मंत्री महोदय इन भाषाओं का उल्लेख करते हैं तो वे इन्हें क्षेत्रीय भाषा कह कर सम्बोधित करते हैं । मैं यह नहीं समझ पाता हूं । आप जानते हैं जब किसी व्यक्ति ने पण्डित नेहरू से यह पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं । जब भाषा आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं की बात कही, तो पण्डित नेहरू ने इसका खण्डन किया और कहा कि ये भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषा हैं । लेकिन आज हमारे मंत्रीगण इन्हें क्षेत्रीय भाषा कह कर सम्बोधित करते हैं । जब यहां मैं इस मुद्दे पर जोर-जोर से बोल रहा हूं, तो वे चुप्पी लगाए बैठे हैं । वे इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं । इसी वजह से मैं कहता हूं कि हमारे देश में वर्तमान राजनैतिक स्थिति का यही मुख्य कारण है । यदि आप भाषा सम्बन्धी समस्या का, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याओं का तथा युवाओं की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, तभी आप पंजाब में शान्ति स्थापित कर सकते हैं अन्यथा इससे सम्पूर्ण देश प्रभावित होने जा रहा है । आपको इसमें सहयोग करना है ।

मैं पंजाब बजट पर चर्चा करना चाहता हूं लेकिन इस प्रकार से नहीं । पंजाब बजट की चर्चा पंजाब विधान सभा में की जाए । वे जो भी व्यय करना चाहते हैं, हम उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार हैं । केन्द्रीय बजट द्वारा आवंटन में वृद्धि करने हेतु हम अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं लेकिन मैं माननीय मन्त्री प्रो० मधु दण्डवते जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह सुनिश्चित करें कि संसद में पंजाब के लिए पेश किए जाने वाला यह अन्तिम बजट होगा । पंजाब में लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम करने हेतु माननीय मंत्री महोदय सरकार पर दबाव डालें और यह देखें कि वहां शान्ति स्थापित हो ।

[हिन्दी]

श्रीमती बिमल कौर खालसा (रोपड़) : ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, केवल इस देश की जनता ही नहीं, सारी दुनिया इस बात को जानती है कि सिक्खों ने इस देश को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा कुरबानियां की हैं, 90 फीसदी कुरबानियां दी हैं। अगर सिक्खों को अलग राज्य लेना होता तो उस टाइम भी ले सकते थे, जैसे कि इस देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग की और पाकिस्तान ले लिया। मगर आज सिक्खों की कण्डीशन ऐसी कर दी गई है कि इस देश में सिक्खों को गुलाम बना दिया गया है, सिक्खों को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि सारे सिक्ख भारत में गुलाम हैं और उनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जा रहा है। कई सालों से बरेली की जेल में अनेक सिक्ख नौजवान ऐसे हैं, जिन्हें हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर बन्द करके रखा हुआ है। धर्मी फौजी नैनी जेल में अभी भी हैं और उन्हें तसीहे दिए जा रहे हैं। जैसा सरकार ने कहा कि हमने सारे धर्मी फौजियों को रिहा कर दिया, मैं बताना चाहती हूं कि कोई धर्मी फौजी रिहा नहीं किया गया है बल्कि जिनकी सजा पूरी हो गई है, सिर्फ उन्हें ही रिहा किया गया है। बाकी धर्मी फौजी अभी भी जेलों में बन्द हैं और उन्हें तसीहे दिए जा रहे हैं। पंजाब में नौजवानों का शिकार खेला जा रहा है। पुलिस सिक्ख नौजवानों को झूठे पुलिस मुकाबले बना बनाकर हर रोज मार रही है, उन्हें शहीद कर रही है। मैं जानना चाहती हूं कि झूठे मुकाबलों की अब तक कितनी इन्क्वायरीज हुई हैं और कितने पुलिस अधिकारियों को उन इन्क्वायरीज में दोषी पाया गया है, बाई नेम, आप हमें बताइए। यह बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक किसी भी दोषी अधिकारी को कोई सजा नहीं दी गई। ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम अफसरशाही, चीफ सैक्रेटरी से लेकर तहसीलदार तक—सब अफसर एन्टी सिक्ख, सब खिलाफ हैं। जैसा अभी सदन में बी० जे० पी० के मैम्बरान और कुछ दूसरे ऑनरेबल मैम्बरान ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और इससे सम्बन्धित बिल को जल्दी से जल्दी पास करवाना चाहिए, उसका कारण यह है कि उन्होंने इलैक्शन के दौरान जनता से यह वायदा किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। यह बहुत अच्छी बात है कि इलैक्शन के समय जो वायदे किए जाएं उन्हें पूरा करना चाहिए मगर इसके साथ-साथ पंजाब के सम्बन्ध में आपने जो वायदे किए थे, इलैक्शन मैनिफैस्टो में पंजाब के बारे में आपने जो कुछ कहा था, उसे पूरा करना भी इस सरकार की ड्यूटी बनती है। जैसा यहां कहा गया कि पंजाब के मसले को पहल के आधार पर हल किया जाएगा परन्तु अभी तक पंजाब के मसले को हल करने की तरफ सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। अभी बी० जे० पी० के लीडर और कुछ दूसरे ऑनरेबल मैम्बर्स ऑफ लोक सभा ने कहा कि दिल्ली में अफसरशाही का राज है इसलिए इसे पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी मिलना चाहिए और यहां असैम्बली के इलैक्शन्स होने चाहिएं, परन्तु मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि जैसे यहां कहा जाता है कि दिल्ली में अफसरशाही है, क्या पंजाब की तरफ भी किसी ने कभी ध्यान दिया कि पंजाब में भी अफसरशाही राज कर रही है। किस तरह से वहां सिक्खों को कुचला जा रहा है। जैसा अभी ऑनरेबल सरदार कृपाल सिंह जी ने बताया, वहां एक ऐसी इण्डियन लाईन कमाण्डो फोर्स बना दी गई है जो सिक्खों के परिवारों को खत्म कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि सिक्खों को बदनाम करने के लिए हर तरह का हीला अपनाया जाता है, हर कोशिश की जाती है बदनाम करने की। अभी पीछे लोक सभा के इलैक्शन हुए, पंजाब में कोई वारदात नहीं हुई। इलैक्शन बिलकुल फ्री एण्ड फेयर हुए थे। फिर भी सिक्खों को बदनाम करने के लिए अभी तक यह कहा जाता है कि लोक सभा के इलैक्शन वहां गन-प्वाइन्ट पर हुए हैं। मैं

पूछना चाहती हूं कि अगर पंजाब में गन-पाइन्ट पर इलैक्शन हुए हैं, तो मिसेस भिन्डर जो गुरूदासपुर से बहुत बड़ी गिनती में वोटें लेकर आई हैं, ये कैसे जीत गयीं ? श्री आई० के० गुजराल कैसे जीत गए ? क्या उनको इसीलिए मिनिस्टर बनाया गया है कि वे गन-पाइन्ट पर लोक सभा का इलैक्शन जीत कर आए हैं ? श्री हरभजन लाखा, फिल्लौर से कैसे जीत कर आ गए ? सरदार कृपाल सिंह, अमृतसर से कैसे जीत कर आ गए ? श्री कमल चौधरी, होशियारपुर से कैसे जीत कर आ गए ? क्या ये सब गन-पाइन्ट पर जीत कर आए हैं ? (व्यवधान)

श्री कमल चौधरी : हम तो अपनी दम पर जीत कर आए हैं ।

श्रीमती बिमल कौर खालसा : क्या ये सब गन-पाइन्ट पर जीत कर आए हैं ? सरकार यह बताए ?

उपाध्यक्ष महोदय, बी० जे० पी० के लीडर, श्री लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने 22 अगस्त, 1985 को राज्य सभा में पंजाब के इलैक्शन को अपोज किया और कहा कि पंजाब में इलैक्शन नहीं होने चाहिए, तो ये लोग आज भी उसी दलील पर चल रहे हैं, मगर दूसरी तरफ वे ही लोग, जिन्होंने पंजाब के इलैक्शन को अपोज किया, आज यह कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी असैम्बली को बहाल किया जाए । जिसको उन्होंने अपोज किया, आज ये कह रहे हैं कि पुरानी असैम्बली को बहाल किया जाए । इन जनसंघियों ने अपने वकील जैटली को हाईकोर्ट में भेजा, असैम्बली को दुबारा बहाल कराने के लिए । सी० पी० एम० और सी० पी० आई० की भी यही हालत है । पंजाब के इलैक्शन को अपोज करते हैं और जो मरी हुई असैम्बली है, उसको जिन्दा करने की कोशिश की जा रही है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह भी बताना चाहती हूं कि 1984 में दिल्ली में और दूसरी स्टेट्स में जो सिख मारे गए हैं, जिनको कि कांग्रेस (आई) के लीडरों ने बहुत बड़ी साजिश गढ़कर मरवाया, उनके लिए लोक सभा में शोक-मता पेश होना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, तीसरी बात यह है कि जो पानी का झगड़ा चल रहा है—हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच में, एस० वाई० एल० का, इस बारे में मैं कहना चाहती हूं कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से करवाया जाए । जो भी इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से होगा, उसको हम मंजूर करेंगे ।

डिप्टी स्पीकर साहब, चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री साहब तीन बार पंजाब का दौरा कर के आए हैं । मगर, मैं यह कहना चाहती हूं कि सिर्फ दौरा करने से ही पंजाब का मसला हल नहीं होगा और न पंजाब में पद-यात्रा करने से पंजाब का मसला हल होने वाला है । अगर पद-यात्रा करने से पंजाब का मसला हल होना होता, या पंजाब का चक्कर लगाने से, फेरियां लगाने से, पंजाब का मसला हल होना होता, तो बहुत दिन पहले ही यह मसला हल हो गया होता और यहां तक पंजाब के हालात खराब नहीं होते ।

डिप्टी स्पीकर साहब, जब कभी पंजाब की बात आती है, तो हमें कहा जाता है कि पंजाब का मसला हल करने के लिए सर्वपार्टी मीटिंग बुलायेंगे । मैं स्पष्ट करना चाहती हू कि पंजाब का मसला हल करने के लिए सर्व-पार्टी मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है और न सर्व-पार्टीज ने पंजाब का मसला हल होने देना है । यह मैं आपको बताना चाहती हूं ।

डिप्टी स्पीकर साहब, पांचवीं बात यह है कि जो पंजाब की इन्डस्ट्री है वह बिलकुल बरबाद हो

रही है। खासकर के गोबिन्दगढ़, जो कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में पड़ता है, वहां की इन्डस्ट्रीज को रा-मटीरियल बिलकुल नहीं मिल रहा है। इन्डस्ट्रीज तबाह हो रही हैं।

डिप्टी सस्पीकर साहब, जो कपूरथला कोच फैक्ट्री लगी हुई है वह इन्डस्ट्री भी बिलकुल बरबाद हो रही है। एंसीलरी यूनिट्स को बिलकुल काम नहीं दिया जाता है।

छठवीं बात डिप्टी स्पीकर साहब मैं यह बताना चाहती हूं कि यह जो गल्फ में गड़बड़ी हुई है, उसके कारण लुधियाना की इन्डस्ट्रीज को बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जो भी मशीनरी है, साईकल जैसी मशीनरी या जो भी सामान एक्सपोर्ट होता था वह सारा बन्द हो गया है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि इस इन्डस्ट्री की हर तरह से मदद करने की कोशिश की जाए।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, कुछ अन्य सदस्यों ने भी सूचना दी हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अब हमें इसे पूरा कर देना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर एक समझौता हुआ है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मैं उन संसद सदस्यों की ओर से जो कि पहले बोल चुके होने चाहिए थे, कुछ कहना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश उन्हें बोलने का फिर अवसर प्राप्त नहीं हुआ। कल शाम 7 बजे माननीय प्रधानमन्त्री जी के साथ उनकी बैठक थी। दुर्भाग्यवश हमारी जानकारी के अनुसार उस बैठक का कोई परिणाम नहीं निकला। हमने यह आशा की थी कि इसके लिए एक कार्यसूची होगी, हमारी यह आशा थी कि पंजाब समस्या को सुलझाने के मसले पर कुछ गम्भीर चर्चायें की जायेंगी। वहां 11 नवम्बर को राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त हो रही है। क्या आप वहां, इस समय विद्यमान स्थिति में चुनाव कराने जा रहे हैं? हम यह जानना चाहेंगे कि विशेष रूप से, जब कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि प्रतिदिन 20-30 मौतें हो रही हैं और जब श्री मान खुलकर खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, क्या आप इस समस्या को बनाए रखना चाहेंगे? सत्र अब 11 नवम्बर से पहले होने नहीं जा रहा है। हम विशेष रूप से आपकी नीतियों और विशेष कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहेंगे। कल भी बैठक में कोई कार्यक्रम नहीं था। आज भी आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। हम जानना चाहेंगे कि क्या सरकार इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देगी।

श्री कमल चौधरी : कल शाम 5.30 बजे मुझे यह संदेश मिला था कि माननीय प्रधानमन्त्री जी पंजाब के सांसदों से बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए कोई कार्य सूची नहीं थी, कोई समय नहीं दिया गया था। हम 7 बजे प्रधानमन्त्री-निवास पहुंचे। सिक्किम के एक शिष्ट मण्डल को भी 7 बजे का समय दिया गया था। वहां, उस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। सिर्फ कुछ व्यक्तिगत बातें हुई। इससे भी अधिक यह सिर्फ एक राजनीतिक कलाबाजी थी। यदि वे पंजाब समस्या का समाधान चाहते हैं, यदि वे पंजाब में शान्ति बहाल करना चाहते हैं तो उन्हें पंजाब के लोगों को बुलाना चाहिए। पंजाब

के लिए एक परामर्शदात्री समिति बनाई गई है। मैं उसका सदस्य हूं। उस परामर्शदात्री समिति की एक भी बैठक नहीं हुई है। यह सरकार क्या चाहती है, इस सरकार की नीतियां क्या हैं ? जानना चाहता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : परसों शून्य काल के दौरान मैंने सोचा था कि श्री दिनेश सिंह जी चर्चा शुरू करेंगे और हमारे अनेक सदस्यगण इसमें भाग लेंगे। हम सब चाहते हैं कि माननीय प्रधानमन्त्री जी इस बारे में एक वक्तव्य दें। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां आयें और चर्चा में भाग लें तथा अपनी नीतियों के सम्बन्ध में, चाहें यह जो भी हों, हमें जानकारी दें। पंजाब के सम्बन्ध में वे क्या करना चाहते हैं। यह सत्य है कि माननीय वित्त मंत्री ही इस बजट के प्रभारी हैं। लेकिन साथ ही यही उचित अवसर है, जब कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं यहां आना चाहिए और सभा को अपने विश्वास में लेते हुए वित्त मंत्री जी जो कुछ भी कहें, उसका समर्थन करने की कोशिश करनी चाहिए तथा वह जो राजनीतिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं, उसके बारे में हमें बताना चाहिए। दूसरी ओर यह सरकार जो राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहती है या अपना रही है अथवा जिसे यह जारी रखना चाहती है, के बारे में मेरे मित्र श्री दण्डवते पूरे दल की ओर से और विशेषकर प्रधानमंत्री जी की ओर से बोलने के लिए तैयार हैं। सभा आगामी 2 या 3 महीनों के लिए, अथवा हम नहीं जानते हैं कि कितने समय के लिए स्थगित होने जा रही है। (व्यवधान)

हम चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहां आएं। यदि वह यहां नहीं हैं तो उनके लिए मेरे मित्र को संदेश भिजवाना चाहिए। उन्हें अपना वक्तव्य जारी करना चाहिए लेकिन साथ ही वह हमें यह आश्वासन दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार की ओर से हमसे बात करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : सर्वप्रथम मैं सभा के सभी वर्गों को इस बात के लिए सहमत होने पर धन्यवाद देना चाहूंगा···(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश (अम्बाला) : बहुत आदमी रह गए हैं जो बोलना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आपकी यदि इजाजत हो तो जितना टाइम मैंने लेना था, उसमें से पांच मिनट कम कर दूंगा, आप बोलिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, दण्डवते जी, आप यहां भिड़ के छत्ते में हाथ मत डालिए।

(व्यवधान)

श्री हरभजन लाखा : पंजाब बजट पर बोलने के लिए मुझे कृपया चार मिनट का समय दे दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : सर्वप्रथम, मैं सभा में उपस्थित सभी दलों का अत्यन्त आभारी हूं जो समय की कमी को देखते हुए इस बात के लिए सहमत हो गए कि वित्तीय कार्य सूची को आज ही पूरा किया जाना चाहिए। इसीलिए हमने अपनी तरफ से वक्ताओं की संख्या को सीमित कर दिया है। (व्यवधान)

श्री हरभजन लाखा : क्या पंजाब बजट पर बोलने के लिए आप मुझे कुछ समय देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह चर्चा का उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : व्यवधान के कारण मुझे बार-बार सभा का धन्यवाद करना पड़ रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसे मत कीजिए, एग्रीमेंट हो गया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। ऐसे ऑकेजन आ जाते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : एजेंडा खत्म करना है, फाइनेंशल एजेंडा है। उसके बाद में राज्य सभा में जाना है, तकलीफ हो जाएगी, कांस्टीट्यूशनल डिफिकल्टी आ जाएगी। इसलिए मैंने आपसे दरख्वास्त किया था और सब लोगों ने मान लिया। इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

चौधरी राम प्रकाश : 30 आदमी वहां डेली ही मर रहे हैं। यह एक बहुत गम्भीर विषय है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : इसे छोड़िए। मेरे लिए क्यों तकलीफ पैदा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मधु जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपको उन्होंने कहा है कि अभी चलने दीजिए। बाद में आपसे इसके बारे में बातचीत करेंगे। जितने आपके सवाल हैं, उनका मैं जवाब बाद में दे दूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं करते हैं। आप दूसरे विषय पर बोल सकते हैं।

चौधरी राम प्रकाश : 1-2 मिनट के लिए हमें बोलने दीजिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : एब एजेंडा रह जाएगा, 4 बजे मण्डल कमीशन पर बहस होनी है।

[अनुवाद]

श्री हरभजन लाखा : पंजाब बजट पर बोलने के लिए मुझे केवल दो मिनट का समय दे दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने पहले ही अपना निर्णय दे दिया है। मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

श्री हरभजन लाखा : पंजाब से निर्वाचित सभी सदस्यों को पंजाब बजट पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। मैं केवल एक मिनट लूंगा तथा फिर बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हरभजन लाखा : मैं केवल एक मिनट लूंगा तत्पश्चात् बैठ जाऊंगा। मुझे पंजाब बजट पर बोलने का अधिकार है क्योंकि मैं वहीं से हूं।

पंजाब बजट पर बोलने के अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। हिन्दू समाज के कुछ वर्ग जिन्होंने निकोदर स्थित गुरुद्वारे में गाय के कान, सिर तथा पूंछ तथा सिगरेट फेंकना आरम्भ किया था, उनके दोष के कारण देश का सर्वाधिक समृद्ध राज्य पंजाब आज जल रहा है। यही वर्ग जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में भी यही कार्य करने का जिम्मेवार है। अतएव मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन सामाजिक वर्गों पर जो भारतीय समाज को नष्ट करने का कारण बन रहे हैं, प्रतिबन्ध लगाए।

11 मई 1987 से ही पंजाब में लोकतान्त्रिक व्यवस्था समाप्त हो गई थी। पंजाब की जनता वहां पर स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराना चाहती है जिससे पंजाब में उनकी अपनी विधानसभा हो सके तथा वहां पर पिछली पंजाब विधानसभा की आवश्यकता नहीं है। पंजाब की जनता नहीं चाहती कि पिछली विधानसभा पुनः सत्ता में आए। अतः वहां पर स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराए जाने चाहिए। लोक सभा चुनावों के दौरान वहां पर किसी भी मतदान केन्द्र पर कब्जा नहीं किया गया था, वहां पर कोई गोलीबारी नहीं हुई थी तथा वहां पर स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव हुए थे।

अतएव आर्थिक विकास हेतु पंजाब में गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में सुधार किया जाना चाहिए तथा वहां पर विशेषकर हरगोविन्द, बटाला में किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी चीनी मिल की स्थापना की जानी चाहिए। हरगोविन्द के निकट ब्यास नदी के ऊपर बनाए जाने वाले पुल का निर्माण-कार्य किसानों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु तुरन्त पूरा किया जाना चाहिए।

बेत, नया शहर तथा जालन्धर क्षेत्र में नब्बे प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों के तथा कृषक हैं। सरकार उनकी हालत सुधारने हेतु कोई ध्यान नहीं दे रही है। अतः कृपाल सागर में एक कॉलिज खोला जाना चाहिए ताकि उस क्षेत्र के लोगों के लिए उचित शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ हो सकें। वहां की जनता के स्वास्थ्य सुधार हेतु उस क्षेत्र में उचित स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने चाहिए। सरकार उस क्षेत्र में शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही है। दूसरे, वहां के किसानों को सहकारी चीनी मिलों की भारी आवश्यकता है। गुरदासपुर में एक ऐसा क्षेत्र है हरगोविन्द जहां पर गन्ने का अधिकतम उत्पादन होता है, वहां के किसानों को भी चीनी मिलों की अत्यन्त आवश्यकता है।

गुरदासपुर जिले में एक अन्य क्षेत्र बाज है जहां के किसानों को भी चीनी मिलों की आवश्यकता है। अतएव, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन समस्याओं पर विचार करे।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया तथा मेरा यह भी अनुरोध है कि प्रत्येक सदस्य को अपनी बात कहने का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, आपकी बात पूरी हो गयी। आप भी बोलिए।

चौधरी राम प्रकाश (अम्बाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पंजाबी हूं। अम्बाला पंजाब के अन्दर

शामिल था, अब अलग हो गया, वह दूसरी बात है। मुझे सारी बात का पता है। पंजाब में मैं 1952 से लेकर 1976 तक पंजाब विधान सभा में एम० एल० ए० रहा हूं। मुझे सारे पंजाब के हालात का पता है कि पंजाब में क्या होता है, पंजाब में किस किस्म के आदमी हैं, अच्छे और बुरे हैं, सब चीज का पता है।

आपने मुझे एक मिनट दिया है, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अखबारों में डेली पढ़ते हैं कि 20, 25, 30 के करीब मर्डर होते हैं, लोगों को आतंकवादी मार देते हैं तो वह तो अखबारी बात है लेकिन मेरे ख्याल से सौ आदमी से ज्यादा डेली मारते हैं। वहां पर अगर यही हालत रही तो कुछ अर्से के अन्दर सारा का सारा पंजाब खत्म हो जाएगा, न आपका बजट रहेगा, न बजट वाली बात रहेगी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और इस गवर्नमेण्ट से पूछना चाहता हूं कि उस वक्त यह जो दावा करते थे'''(व्यवधान) इसमें पार्टी की बात नहीं है। तुम तो जितने बैठे हुए हो, सारे मुर्दा हो। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो 30-40 आदमी डेली मरते हैं तो उसका गवर्नमेण्ट कोई इन्तजाम नहीं कर सकती है ? वहां के हजारों के करीब परिवार दिल्ली में, आगरा में, बम्बई में कहां-कहां जाकर भीख मांगते हैं, जो अमीर आदमी थे, वह भीख मांगते हैं, उनका कोई इन्तजाम गवर्नमेण्ट नहीं करती।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक रोजगार का सवाल है, इस चीज के अन्दर हम बहन जी की बात को मानते हैं, मैं कहता हूं कि रोजगार सब को मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन रोजगार के साथ-साथ यह बात नहीं होनी चाहिए कि घर में जाकर किसी आदमी को लूट लो, डाके मारो, लूट-लूट कर ले जाओ, बैंकों को लूट लो, अफसरों को मार दो, एस० पी० को मार दिया, डी० आई० जी० को मार दिया, सैक्रेटरी को मार दिया, हिन्दुस्तान के अन्दर जो गवर्नमेण्ट के अफसर हैं, उनको मार दो, सब को मार दो। एक बहन ने बात कही, इन्दिरा गांधी को मार दिया, ठीक किया। इन्दिरा गांधी को मार दिया ठीक किया तो अगर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार दें तो ठीक नहीं होगा ? वह ठीक नहीं होगा ? तो मैं समझता हूं कि'''(व्यवधान)'''दण्डवते जी, मेरी बात सुन लें। गवर्नमेण्टें नरमी के साथ नहीं चलतीं, गवर्नमेण्टें सख्ती के साथ चलती हैं, यह गवर्नमेण्टें जेल के साथ चलती हैं, इनको जेल में बन्द कराओ।

जो फौजी भगोड़े हैं, इन फौजी भगोड़ों को रिहा कर दिया। अगर फौजी भगोड़ों को रिहा न करते तो आज पंजाब में यह हालत न होती। फौजी भगोड़े ही सारे उग्रवादी बन गए, तो मेरा आपसे यह निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पाइण्ट पर आइए।

(व्यवधान)

चौधरी राम प्रकाश : एक बात सुन लो, आपने अब तो टोक दिया लेकिन आइन्दा आप टोकने की कोशिश मत करना।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों तरफ के सभी वक्ताओं का आभारी हूं। मैं समझता हूं कि सभी इस बात के लिए एकमत हैं कि अतीत को भुलाकर हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए तथा यह कोशिश करनी चाहिए कि राष्ट्रहित में पंजाबसमस्या का समाधान हो।

मैं प्रो० रंगा द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का अत्यन्त आदर करता हूं तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि वह चाहते थे कि विभिन्न नीतियों के बारे में बताने के लिए यहां इस सभा में प्रधानमंत्री जी को उपस्थित होना चाहिए था। मैं प्रो० रंगा को आश्वस्त कर सकता हूं कि केबिनेट में होने के कारण हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है तथा यद्यपि मैं अपने दिमाग में इतना स्पष्ट नहीं हूं जितना कि प्रधानमंत्री अथवा कोई अन्य है, तथापि मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि मैं यथासम्भव सरकार की नीति की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी उसके लिए प्रशंसा करेंगे। उस सन्दर्भ में मैं केवल कुछ ही बातें कहूंगा क्योंकि 4.00 बजे तक हमें वित्तीय कार्यसूची पूरी करनी है।

डा० तम्बि दुरै : प्रोफेसर साहिब, धन्यवाद।

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां, समय के अन्दर ही अपनी बात पूरी करने के लिए।

सर्वप्रथम, मैं यहां पर उठाए गए कुछ ठोस मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। श्रीमती कौर ने अत्यन्त शांत तरीके से देश की सम्पूर्ण स्थिति का जिक्र किया है। निःसन्देह, कुछ सदस्य क्रोधित थे चाहे श्रीमती कौर हों अथवा मेरे युवा मित्र श्री कमल चौधरी हों परन्तु मैं उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने देखा था कि पंजाब के लोगों ने कितने दुःखों को झेला था। उदारण के तौर पर, जब श्री कमल चौधरी बोल रहे थे, हमारे कुछ मित्र क्रोधित थे कि वह काफी क्रोध में बोल रहे थे। परन्तु हममें से अनेक यह नहीं जानते हैं कि उनके पिता जो समाजवादी आन्दोलन में हमारे सहयोगी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी तथा उनकी आवाज उस व्यक्ति की आवाज थी जिनकी एक शहीद की तरह मृत्यु हुई थी। यदि उन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त की है तो कम से कम मैं इसका दूसरा अर्थ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु आतंकवादियों की गोली से नहीं हुई थी। इसीलिए मेरी प्रतिक्रिया उनकी प्रतिक्रिया से भिन्न ही होगी। कुछ गुस्सैल व्यक्ति भी थे। जो कुछ कठिनाइयां उन्होंने उनके लिए उत्पन्न की हैं, उसी के कारण उनकी यह नाराजगी है। श्रीमती कौर थोड़ी विनम्रता से बोल रही थीं। श्री कृपाल सिंह एक विशेष ढंग से बात करते हैं कुछ मित्र नाराज थे। परन्तु हमें उनके तथा उनके परिवारों द्वारा सही गई कठिनाइयों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हमने उन दुःखों को सहा नहीं है। इसी कारण हमारी भाषा थोड़ी नम्र तथा शिष्ट है जबकि उन्होंने कटु सत्य को कहने की कोशिश की है।

मैं सदन से पूर्ण सहमत हूं कि हमारा देश सिर्फ एक धार्मिक वर्ग के प्रभुत्व में नहीं रहेगा। गांधी जी से विरासत में हमें जो मिला है उसके अनुसार हमारी एक संश्लिष्ट संस्कृति है और इस देश में धर्म-निरपेक्षता का अर्थ धर्म-विरोधिता नहीं है। किन्तु डा० जाकिर हुसैन और स्वामी विवेकानन्द की सही परम्परा में, इसका अर्थ है इस देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों में सहअस्तित्व और सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध। हमारी धर्म-निरपेक्षता की यह अवधारणा है। हम इस भावना को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इस देश में कोई प्रथम श्रेणी का नागरिक नहीं होगा, कोई द्वितीय श्रेणी का नागरिक नहीं होगा, चाहे वह सिख हो या हिन्दू या मुसलमान, सभी भारत के नागरिक हैं, सभी की एक समान प्रतिष्ठा है सभी का एक सा मान है। यदि इसका आदर किया जाता है, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचेगी। मैं समझ सकता हूं कि सिखों का मन आहत है। आज सिर्फ सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यता नहीं है, सिर्फ रोजगार समस्या के समाधान की भी आवश्यकता नहीं है, या ही अन्य सभी विकास परियोजनाओं की आवश्यकता है, वे पंजाब में असन्तोष को दूर करने के लिए

आवश्यक हैं, किन्तु सम्पूर्ण सिख-मानस की देखभाल की जरूरत है। मैं किसी एक पर आरोप नहीं लगाना चाहता। यहां मैं हिन्दू मित्रों को स्मरण कराना चाहूंगा : इसका दोषी कोई भी हो, आतंकवादियों ने गुरुद्वारों के अन्दर रहने की कोशिश की। उसके परिणामस्वरूप, शायद सरकार ने सोचा कि उन्हें सैनिक कार्यवाही करनी चाहिए। और, इसलिए, वहां गोली चलाई गई। मैं अपने हिन्दू मित्रों से पूछना चाहूंगा कि अगर कुछ अपराधी भारत के सबसे बड़े मन्दिर में शरण लेते और सरकार उस समय टैंक और मशीनगनों का प्रयोग करती और मस्जिद या मन्दिर या गुरुद्वारे पर गोलीबारी करती, तो जहां तक निर्दोष धार्मिक लोगों सम्बन्ध है, उनकी प्रतिक्रिया भी यही होती। और इसलिए, हम में से कोई भी खुश नहीं था और मैं नहीं सोचता कि जिन्होंने बन्दूकें और मशीनगन चलाई वे भी खुश थे। इसलिए, हम यह प्रयत्न करने का प्रयास करें कि मित्रों, भाइयों और बहनों की आहत भावनाओं पर मलहम लगाई जा सके।

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को धन्यवाद देता हूं। हमारी नीति में कुछ कमियों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने सदन का ध्यान उन ठोस कार्यों की ओर भी आकृष्ट किया जो हमने किए हैं। 59वें संशोधन, जिसने हमसे न सिर्फ सम्पत्ति का अपितु जीवन का अधिकार भी छीन लिया था, उसको निरसित कर दिया गया है। हम जान चुके हैं कि उन्हें सेवा की जरूरत है। हमने देखा है कि मुम्बई, दिल्ली और अन्य स्थानों में लोगों को दुख हुआ, जब उन दंगों के दौरान सिख मारे गए। मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता। अगर किसी विशेष वर्ग के लोगों को एक टैक्सी में बन्द कर दिया जाए, कमरों में बन्द कर दिया जाए, होटलों में बन्द कर दिया जाए, घरों में बन्द कर दिया जाए और उनके ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल कर उन्हें जिन्दा जला दिया जाए, तो वे अत्यन्त पीड़ित तो अनुभव करेंगे ही। इसलिए, हमने सबसे पहले विशेष अदालतों का आश्वासन दिया जिसके द्वारा हम उनकी जांच करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन्हें दण्ड दिया जाएगा। हमने ये कदम उठाए हैं। हम कई विकासात्मक कदम भी उठा रहे हैं।

बहस शुरू करते समय श्रीमती कौर ने कहा था कि बाढ़ से सुरक्षा के कार्य पर अमल करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए। मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हू कि हम इस मामले पर विचार करेंगे। भारत सरकार ने बाढ़ सुरक्षा के कार्यों के लिए 1989-90 के दौरान 1.25 करोड़ रुपए की राशि दी थी। मानसून के बाद काम शुरू होगा। राज्य योजना में भी इन कामों के लिए प्रावधान है। मैंने उनके द्वारा दिए गए सुझावों को नोट कर लिया है वे आश्वस्त रहें कि हम उस काम को शीघ्र निपटाने का प्रयत्न करेंगे।

उन्होंने चुंगी की दरों में वृद्धि का भी उल्लेख किया है। कृपया इस तथ्य का ध्यान रखें कि अगर विकेन्द्रीकृत स्थानीय संस्थाएं स्थापित करनी है, उनकी शिकायत यह है कि सिर्फ उन्हें शक्ति देना ही पर्याप्त नहीं है, शक्ति के साथ आपको वित्तीय संसाधन भी देने चाहिए। इसलिए, चुंगी दर बढ़ा दी गई है। स्थानीय संस्थाओं की कार्यकुशलता सुनिश्चित करना आवश्यक है। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि चुंगी से कुल वार्षिक आय 90 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है और इससे स्थानीय संगठनों के विकासात्मक कार्यकलापों में सहायता मिलेगी और यह एक बहुत बड़ी सहायता होगी।

उन्होंने पठानकोट में शिविर के आन्तरिक प्रवासियों को कर्ज देने की भी बात की है। कुल 424 प्रवासी परिवारों में से, 356 परिवार कर्ज के लिए पात्र हैं। 341 परिवारों को कर्ज देना मन्जूर

किया गया है। 337 परिवारों को 5000/- रुपए की प्रारम्भिक राशि दी गई है। 14 परिवारों को 25,000/- रुपए की पूरी राशि दी गई है। ऐसा नहीं है कि यह राशि पर्याप्त है, पर हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि ये समस्याएं पूरी कुशलता से निपटाई जाएं।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कुछ मित्रों ने पंजाब की कुछ विकासात्मक जरूरतों का उल्लेख किया। श्री कमल चौधरी ने कहा कि जहां तक होशियारपुर का सम्बन्ध है, वहां होशियारपुर जिले में दो नहरों पर काम चल रहा है और यह शीघ्र ही पूरा हो जाना चाहिए। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि पिछले वर्ष की 5.5 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में बढ़ाकर 12 करोड़ रुपए कर दी गई है। हम उन्हें विश्वास दिला सकते हैं कि इन दोनों परियोजनाओं पर काफी प्रगति हुई है। मार्च, 1995 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है। हम यह दिखा देंगे कि हमारा लक्ष्य सही रहेगा और परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।

सिंचाई परियोजनाओं के बारे मे अन्य सुझाव दिए गए हैं। भजन लाल जी ने सतलुज-यमुना लिंक नहर के पूरा होने की बात की। अभी सुरक्षा कारणों से और कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण परियोजना पर काम रुका हुआ है। किन्तु जैसे ही स्थिति सामान्य होगी हम समस्या को कुशलता से निपटाने में समर्थ होंगे।

कुछ लोगों ने उद्योगों की समस्याओं का जिक्र किया है। श्रीमती कौर ने यह सही कहा है कि नवयुवक कई बार कुछ रास्ते अपना लेते हैं क्योंकि उनका असन्तोष दूर नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि वहां पर्याप्त संख्या में उद्योग नहीं हैं और रोजगार के उचित अवसर भी नहीं हैं। यह भी कहा गया कि बैंकों में कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसमें शक नहीं है कि अशांत वातावरण में कुछ मुश्किलें पैदा होती हैं। किन्तु हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि पंजाब समस्या सिर्फ एक राज्य की समस्या के तौर पर न देखा जाए। मैं माननीय सदस्यों से पूर्णतः सहमत हूं कि इस समस्या को हमें संघीय भावना से ही सुलझाना है।

स्वतन्त्रता सेनानियों की भूमिका की ओर श्री कृपाल सिंह जी ने इशारा किया है। आप अण्डमान निकोबार द्वीप समूह जाएं तो वहां की सेलुलर जेल में एक सम्मानपट्टिका पाएंगे। मैं शहीदों को धार्मिक समूहों के अनुसार बांटना नहीं चाहता। किन्तु यह सिर्फ सिख समाज के लिए ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि, जिन्हें मृत्युदण्ड दिया गया और फांसी पर लटका दिया गया और जिन्होंने दीर्घकाल तक जेल में यातना भोगी, उन लोगों की गौरव सूची में सिख समुदाय का नाम सबसे ऊपर है। इसके लिए सिर्फ सिख समाज को नहीं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र को गर्व है और हम इस गौरव को प्रशंसा के उच्चतम स्तर तक व्यक्त करेंगे। हम यह प्रयास करेंगे कि आहत सिख भावनाओं का उचित रूप से पुनःसंस्कार हो। हम विकासात्मक कदम उठाएंगे।

मैं प्रो० रंगा को आश्वासन दे सकता हूं कि कुछ समस्याएं अभी तक सुलझी नहीं हैं। हर समय मैं सदन के सामने अक्षमताओं के लिए सिर्फ पूर्व सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहता क्योंकि हम कब सारी जिम्मेवारी पिछली सरकार पर डालते रहेंगे। हमें सत्ता में आए हुए छः से अधिक महीने हो गए। मैं सारा उत्तरदायित्व पिछली सरकार पर नहीं डालना चाहता। इसमें शक नहीं है कि कुछ भूलें हुई हैं। हम विपक्ष में थे। हमने कतिपय नीतियों की ओर संकेत किया था। हमने कतिपय मांगें की थीं। अब हम इस ओर से उन कुछ विशेष मांगों के पूरा न होने का आरोप नहीं लगा सकते, जिनकी मांग हमने तब की थी, जब हम विपक्ष में थे। अब, यह हमारा उत्तरदायित्व है और यदि हम असफल होते हैं

तो यह हमारी असफलता होगी और यदि हम सफल होते हैं तो यह हमारी सफलता होगी। हम आपको यह आश्वासन दे सकते हैं कि इस सदन के सभी वर्गों के पूरे सहयोग से हम यह प्रयत्न करेंगे कि सब पंजाब समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लें। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कहा है आप उसका उपहास उड़ा सकते हैं। किन्तु, उन्होंने इस मुद्दे के बारे में सही बल और दिशा दी है। यदि पंजाब में धर्म-निरपेक्षता को बनाए रखना है तो यह दलगत भावना से प्रेरित किसी एक अकेले क्षेत्र में नहीं हो सकता, सभी को एक साथ आना होगा, सिख गौरव को पुनःस्थापित करना होगा। यह केवल एक दल, सत्तारूढ़ दल या विपक्ष द्वारा नहीं किया जा सकता। वे सब उन्हें यह महसूस कराएं कि जो क्षति हो चुकी है उसे पूरा किया जाएगा। ऐसी वातावरण केवल सुरक्षा बलों द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। मैं यह महसूस करता हूं कि सुरक्षा बल उत्तरदायी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सीमा पर उचित रूप से बाड़ लगा दी गई है। हमें यह ध्यान रखना है कि हमें आतंकवादी के खतरे से उचित प्रकार से निबटना है। चाहे आतंकवादी असम में हो, आन्ध्र प्रदेश में हों कश्मीर में हों और चाहे वे पंजाब में हों, यह स्पष्ट हो चुका है कि उन्हें पड़ोसी देशों से मदद मिल रही है। हमें उनसे निबटना है और यह हमारी दृढ़ नीति होगी। जहां तक पंजाब की वैध मांगों का प्रश्न है हमारी नीति में लचीलापन होगा और जहां तक हिंसा और आतंकवाद का प्रश्न है हमारी नीति में दृढ़ता होगी। किन्तु, इसी के साथ, जब आप कहते हैं 'सुनिए, सुनिए, कृपया सुनिए' कि एक महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट है कि वास्तव में आतंकवाद वातावरण से भी पैदा होता है। यदि युवा वर्ग बेरोजगार है और उन्हें अवसर नहीं दिया जाता, तो आतंकवादी उनका प्रयोग करते हैं। यदि सीमा पार भ्रष्टाचार है, यदि सीमा पार से तस्करी होती है, मेरे विचार में उन लोगों को पैसे देकर काम करवाया जाता है, युवा लोगों को ऐसा अवसर दिया जाता है और यदि उन्हें जीविका कमाने के उचित साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वे भ्रष्ट व्यक्तियों के हाथ में खेलने लगते हैं। वे पाकिस्तानियों के इशारों पर नाचते हैं और इस प्रकार अधिक कठिनाई पैदा होती है और हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आतंकवादियों के साथ केवल हथियारों से लड़ाई नहीं करनी है, अपितु असन्तोष को जड़ से समाप्त करना है और यदि ऐसा हो जाएगा तो आतंकवाद समाप्त हो सकता है।

अन्त में, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी इस देश के लोगों के विरुद्ध हथियार उठाने का प्रयत्न करता है, चाहे यह पंजाब में हो या जम्मू और कश्मीर में हो, उन्हें यह अवश्य बता देना चाहिए कि 1947 में भारत जो विभाजन हुआ था वह प्रथम और अन्तिम था और यह इस देश में फिर दोहराया नहीं जाएगा तथा भारत एक रहेगा और हम इस उद्देश्य को अपने सभी मित्रों के सहयोग से पूरा करेंगे।

मित्रों, मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं कि सदन के सभी वर्गों के सहयोग के साथ, चाहे वह संसद के अन्दर हो या संसद के बाहर, हम पूर्ण रूप से इस उद्देश्य के वास्ते आपके सहयोग का सुनिश्चित करेंगे और उसे मान्यता देंगे तथा आपके द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों और प्रस्तावों को लागू करने का प्रयत्न करेंगे। इन बातों के साथ, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वे इन बजट सम्बन्धी प्रस्तावों को एकमत से स्वीकार करेंगे और विधेयक पारित... (व्यवधान)

अब चुनाव का प्रश्न उठता है। आपने ठीक कहा है कि नम्बर में अगले सत्र से पहले, पंजाब में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। इसलिए, पहला विकल्प यदि कोर्ट अनुमति दे, तो विधान सभा की बहाली है। दूसरा विकल्प राष्ट्रपति-शासन और तीसरा विकल्प चुनाव है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि यदि चुनाव कराने हैं, तो वे स्वतन्त्र और निष्पक्ष वातावरण में कराए जाने चाहिए। हम

इस सदन की आम सहमति से कार्य करेंगे और हम पंजाब के राजनीतिक वातावरण को भी ध्यान में रखेंगे। यदि पंजाब से और बाहर हमें लोगों की गतिविधियों से यह विश्वास हो जाता है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण बन गया है, यदि ऐसा वातावरण है, तो हम चुनाव कराने से हिचकिचाएंगे नहीं। किन्तु, यदि पंजाब के अनुभवों से हमें यह विश्वास हो जाता है कि हथियारों का सहारा लिए बिना वहां चुनाव नहीं कराए जा सकते, गोलियां बैलट का विकल्प नहीं बन सकतीं और हमें यही सीख ध्यान में रखनी है। फिर भी, हम कुछ भी करें, हम विभिन्न राजनीतिक दलों के विचारों का सम्मान करेंगे और जहां तक चुनावों का प्रश्न है हम एकमत के आधार पर कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद······

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : चुनावों के बारे में आपने कहा था कि यह कभी किसी समय सम्भव नहीं हो सकते हैं। किन्तु, विधान सभा की बहाली की सम्भावना तो है···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक इसकी बहाली का प्रश्न है, यह अदालत के हाथ में है। मैं केवल सैद्धान्तिक रूप से कहता हूं कि सम्भावना है। किन्तु, आप मेरे विचार पूछते हैं तो मैं पहले से कल्पना नहीं कर सकता कि अदालत क्या निर्णय देगी। किन्तु जहां तक संसदीय प्रक्रिया और अदालत द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों से सम्बन्धित मेरे अध्ययन का प्रश्न है, मेरे विचार में शायद, हम ऐसे अनुकूल निर्णय की उम्मीद नहीं कर सकते, जिससे सुप्त विधान सभा की बहाली की जा सके। ठीक ही है, जब भी किसी की बहाली होती है, सबको प्रसन्नता होती है। कोई भी यह नहीं चाहता कि कोई पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। किन्तु, व्यक्तिगत रूप से यदि आप मेरा विचार जानना चाहते हैंतो पिछले उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, मुझे उम्मीद नहीं है कि विधानसभा की बहाली की जाएगी। किन्तु यदि अदालत यह निर्देश देती है कि विधान सभा की बहाली करनी है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तब हमें न्यायपालिका सम्बन्धी उच्चतम मंच का सम्मान करना है। किन्तु यह इस पर निर्भर करेगा कि निर्णय क्या है।

डा० तम्बि दुरै : मृत व्यक्ति के पुनर्जीवन के पश्चात् उसकी एक बार फिर हत्या न करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें एक तकनीक है। विधान सभा की बहाली के पश्चात् एक महीने के बाद भी आप विधान सभा को भंग कर सकते हैं और बिना सदन की अनुमति लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम आपको आश्वासन देते हैं कि यदि मृत शरीर को पुनः जीवित किया गया तो हम पुनः इसकी हत्या नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1990-91 के सम्बन्ध में प्रस्तुत सभी कटौती-प्रस्ताव एक साथ मतदान के लिए रखता हूं, बशर्ते कि कोई मान्य सदस्य यह इच्छा व्यक्त न करे कि उसका कटौती-प्रस्ताव अलग से मतदान के लिए रखा जाए।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1990-91 को मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 30 के सामने दिखाए गए मांग-शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष से संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 के लिए पंजाब से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	20-3-1990 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान के लिए मांग की राशि		लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
1.	कृषि तथा वन	47,00,74,000	19,07,27,000	47,00,73,000	19,07,28,000
2.	पशुपालन और मछली पालन	17,91,10,000	1,04,50,000	17,91,11,000	1,04,50,000
3.	सहकारिता	7,11,81,000	31,01,83,000	7,11,80,000	31,01,82,000
4.	रक्षा सेवाएं कल्याण	1,50,87,000	12,00,000	1,50,88,000	12,00,000
5.	शिक्षा	2,51,27,48,000	60,20,000	2,51,27,47,000	60,20,000
6.	निर्वाचन	3,03,40,000	—	3,03,41,000	—
7.	उत्पाद शुल्क तथा कराधान	6,98,18,000	—	6,98,17,000	—
8.	वित्त	1,18,74,87,000	4,96,50,000	1,18,74,86,000	4,96,50,000
9.	खाद्य तथा आपूर्ति	1,95,53,000	4,96,70,80,000	1,95,54,000	—

1	2	3		4	
10.	सामान्य प्रशासन	9,29,54,000	—	9,29,54,000	—
11.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	98,39,74,000	—	98,39,74,000	—
12.	गृह मामले तथा न्याय	1,18,10,02,000	5,00,00,000	1,18,10,03,000	5,00,00,000
13.	उद्योग	8,53,94,000	11,45,50,000	8,53,93,000	11,45,50,000
14.	सूचना तथा लोक सम्पर्क	2,86,48,000	—	2,86,48,000	—
15.	सिंचाई तथा बिजली	66,59,00,000	3,05,00,36,000	66,59,01,000	3,05,00,35,000
16.	श्रम तथा रोजगार	2,76,86,000	—	2,76,86,000	—
17.	स्थानीय सरकार, आवास तथा शहरी विकास	12,21,72,000	9,62,78,000	12,21,72,000	9,62,78,000
18.	कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार	1,09,00,000	—	1,09,01,000	—
19.	योजना	1,30,68,21,000	—	1,30,68,22,000	—
20.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	2,00,000	—	2,00,000	—
21.	लोक निर्माण कार्य	79,15,86,000	35,06,15,000	79,15,86,000	35,06,15,000
22.	राहत तथा पुनर्वास	24,03,09,000	—	24,03,09,000	—
23.	ग्रामीण विकास तथा पंचायतें	11,37,58,000	—	11,37,57,000	—
24.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	65,43,000	1,39,62,000	65,43,000	1,39,63,000

1	2	3		4	
25.	सामाजिक और महिला कल्याण और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	24,58,10,000	2,29,60,000	24,58,11,000	2,29,60,000
26.	राज्य विधान मण्डल	1,21,82,000	—	1,21,83,000	—
27.	तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	14,54,35,000	16,88,000	14,54,34,000	16,87,000
28.	पर्यटन और सांस्कृतिक मामले	1,40,48,000	1,31,46,000	1,40,47,000	1,31,46,000
29.	परिवहन	53,80,60,000	16,53,50,000	53,80,61,000	16,53,50,000
30.	चौकसी	1,06,80,000	—	1,06,79,000	—

श्रीमती सुखबंस कौर (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रधानमंत्री आ गए हैं। वह हमें बता सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने जो कुछ कहा है वह उस हर बात का समर्थन करते हैं।

3.58 म० प०

पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक को लेते हैं। मंत्री इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री विधेयक को पुरःस्थापित कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं.**

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*दिनांक 5-9-90 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, अब उन्हें इस बात से सहमत होना चाहिए कि इससे सरकार को स्थिति से उभरने में मदद मिलेगी । उन्हें इसकी सराहना करनी चाहिए ।

4.00 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम अगली मद, अर्थात् मद संख्या 18 को लेते हैं ।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : महोदय, अब 4 बजे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं क्या 15 मिनट के अन्दर अनुपूरक अनुदानों की मांगें पारित करना सम्भव है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां, जी, हां । अब यह सभा अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91 पर चर्चा और मतदान करेगी ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च,

1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।

मांग संख्या 20, 22, 26, 47, 71, 75, 76, 78, 83 और 90"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1990-91 के लिए
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या और मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	
	राजस्व रु०	पूंजी रु०
ऊर्जा मंत्रालय		
20. विद्युत विभाग	33,00,000	—
पर्यावरण और वन मंत्रालय		
22. पर्यावरण और वन मंत्रालय	5,00,00,000	—
वित्त मंत्रालय		
26. वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	21,58,00,000	—
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
47. शिक्षा विभाग	3,00,000	—
जल भूतल परिवहन मंत्रालय		
71. सड़कें	—	1,00,000
शहरी विकास मंत्रालय		
75. शहरी विकास और आवास	—	2,13,00,000
76. लोक निर्माण कार्य	—	7,07,00,000
जल संसाधन मंत्रालय		
78. जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	—

1	2	
महासागर विकास विभाग		
83. महासागर विकास विभाग	—	1,00,000
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र		
90. दिल्ली	6,00,000	—

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में कोई अन्य सदस्य अपना कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, हम मूव करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना एश्योरेंस हम जरूर चाहते हैं, जो हमने कट-मोशन्स दिए हैं, उसका उत्तर यदि मिनिस्टर से आता है, तो हम मूव नहीं करेंगे। यदि इतना एश्योरेंस आ गया तो काम चल जाएगा।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जिस किसी ने भी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके उत्तर में पत्र भेजा जाएगा।

मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, माननीय प्रधानमन्त्री ने वर्तमान सरकार की कुछ उपलब्धियों के बारे में संसद के सभी सदस्यों को एक पत्र परिचालित किया है और उस पत्र में उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा कुछ विशेष पिछड़े क्षेत्रों को परिवहन राजसहायता देने के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्रालय ने अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है और यही वजह है कि इस परिवहन राजसहायता योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उस प्रश्न की जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कोई कट मोशन मूव नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जो वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन महीनों की समीक्षा की है और जो मितव्ययता उन्होंने बरती है, उसके लिए इनको बधाई देना चाहता हूं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उत्पादन बढ़ता है तो महंगाई कम होती है, खाद्यान्नों का उत्पादन और चीनी का उत्पादन बढ़ता है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ज्यों-ज्यों इलाज कर रहे हैं, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता जा रहा है, आखिर इस महंगाई के बढ़ने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी···

प्रो० मधु दण्डवते : इस सदन में पूरी डिबेट हुई है।

श्री मित्रसेन यादव : मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जब आप अपने बैंकों और जनता के पैसे को थोक व्यापारियों को देते रहेंगे, तब तक वे हमारे सामानों को खरीदकर स्टॉक करते जाएंगे और हम पर महंगाई लादते जाएंगे। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोक व्यापारियों से बगैर सूद के पैसा आप ले लीजिए, महंगाई कम हो जाएगी।

प्रो० मधु दण्डवते : हम लोगों ने शुरू किया है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91 को सभा के मतदान के लिए रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं । मांग संख्या 20, 22, 26, 47, 71, 75, 76, 78, 83 और 90"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

4.04 म० प०

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद, अर्थात् मद संख्या 19 को लेते हैं । प्रो० मधु दण्डवते विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री अब प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :**

---

*दिनांक 5-9-90 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत ।

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों में संसाधनों की भारी कमी है और उन्होंने संयुक्त रूप से प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन दिया है। मैं उन पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैंने लगभग सभी मुख्यमन्त्रियों के साथ चर्चा की थी चाहे वे कांग्रेसी हों अथवा गैर-कांग्रेसी हों अथवा किसी अन्य दल के हों तथा मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उनके हिस्से में जितनी भी निधि निर्धारित की गई है, हम उन्हें तीन महीने पहले दे देंगे जिससे उन्हें कोई कठिनाई न हो। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

4.07 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1990-91

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा और मतदान आरम्भ करेगी ।

मेरे विचार से कोई भी सदस्य इसके लिए कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए, कार्य सूची के स्तम्भ में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से, भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं ।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)
1	2	3
		रु०
16.	परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव अन्य व्यय पूंजी	3,00,000

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मैं बोलना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अनुपूरक मांगों सम्बन्धी चर्चा का सम्बन्ध केवल चर्चा के अधीन मामलों से है तथा इस बारे में है कि क्या इन अनुपूरक मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा नहीं।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : महोदय, सुरक्षा पहलू के सम्बन्ध में कुछ दुर्घटनाएं पिछले तीन-चार महीनों के दौरान घटी थीं तथा हवाई दुर्घटना के मामले में दिए गए मुआवजे की तुलना में घोषित किए गए इस मुआवजे की राशि काफी कम है। अतः रेलवे दुर्घटना के मामले में मुआवजा-राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

रेलवे कर्मचारियों को बोनस की अदायगी तुरन्त की जानी चाहिए तथा इसी समय मन्त्री जी को इस सभा में इसकी घोषणा करनी चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हावड़ा-तारकेश्वर रेलवे लाइन का आरामबाग कस्बे तक विस्तार करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह कार्य तुरन्त किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सामान्यतः यह चर्चा करते हैं कि हमें उस मद के लिए सरकार को और धनराशि देनी चाहिए अथवा नहीं तथा अन्य बातों पर हम चर्चा नहीं करते हैं। हम नीतियों तथा मामलों पर चर्चा नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

महोदय, जैसाकि आपने कहा था, जब आप अनुपूरक मांगों पर विचार कर रहे हैं, तब हमें उस विभाग की कार्यप्रणाली तथा हमारे निर्वाचन क्षेत्रों की रेलवे सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में कहने का अवसर मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में आप मुझसे बेहतर जानते हैं।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : इन बातों पर चर्चा करने के लिए हमें यही अवसर मिलने वाला है। यदि आप इसकी अनुमति नहीं देंगे, तब हमें शून्यकाल के दौरान एक बार पुनः इस मामले को उठाना पड़ेगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र करूर के सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूं कि करूर में दो उपरिपुल के निर्माण के लिए और अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए। रेलवे बजट पर होने वाली चर्चा के दौरान मैंने इस मुद्दे को उठाया था तथा मैंने नमक्की होते हुए सलेम-बंगलौर बड़ी रेल लाइन तथा सलेम-बंगलौर छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग की थी। इस प्रकार हम कन्याकुमारी तथा उत्तरी राज्यों को बंगलौर से जोड़ सकते हैं तथा इस प्रकार से हम काफी धनराशि की बचत कर सकते हैं। मैंने पढ़ा था कि माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करने जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह इस मामले पर कब विचार करेंगे तथा इस दिशा में उन्होंने क्या प्रयास किए हैं।

श्री पी० ए० एन्टनी (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल तीन बातें कहना चाहता हूं। सर्वप्रथम, मैं यह जानना चाहूंगा कि देश के दक्षिणी भाग से आने वाली रेलगाड़ियों के द्वितीय श्रेणी के आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है।

दूसरे, केरल में पिछले कई वर्षों से रेलवे के अधीन कोई सार्वजनिक उपक्रम नहीं लगाया गया है। सरकार बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है?

तीसरे, केरल में रेलवे लाइन का औसत राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत 2,139 कि० मी० है तथा केरल का औसत केवल 984 कि० मी० है। सरकार को देश के इस सुदूर दक्षिण राज्य के साथ न्याय करना चाहिए जहां के लिए किसी व्यक्ति को दिल्ली से लगभग 3,000 मील तक की यात्रा करनी पड़ती है।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल शर्मा (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नॉर्दर्न जोन की इन्फार्मल कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग में मैंने दो मुद्दे उठाए थे—एक तो गाड़ियां कठुआ में खड़ी करने का मसला था, उसके बारे में मुझे पत्र मिल गया है, उसके लिए मैं मशकूर हूं। मेरा दूसरा मसला जिसके बारे में ये वहां माने थे, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में यहां आश्वासन मन्त्री जी की तरफ से आ जाए, वह मसला यह था कि एक हजार किलोमीटर प्रतिवर्ष आप बनाने जा रहे हैं तो मैंने कहा था कि उधमपुर लाइन, जम्मू से उधमपुर रेलवे लाइन, बड़ी स्ट्रैटेजिक है और इन्होंने कहा कि फण्डस की कोई प्राब्लम नहीं है, 52 करोड़ रुपया और चाहिए, वह दे देंगे, बशर्ते कि इनका जो स्टाफ है, वह इस रेलवे-लाइन को बना सके। मैं यहआश्वासन चाहूंगा—जैसा आपने कहा था कि मनी विल बी नो प्राब्लम, तो जो आपका टैक्नीकल स्टाफ वहां है, वह इस रेलवे-लाइन को 1991 तक बनाकर तैयार कर दे।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागपुर भारत का केन्द्रीय स्थान है। माधवराव सिंधिया ने, एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था, तब एक ट्रेन नागपुर से मुम्बई के लिए चालू की थी। वह सप्ताह में तीन दिन चलती है। हमने मन्त्री जी को लिखा था कि उसको रोज चलाईए क्योंकि उसमें भीड़ बहुत आ रही है।

दूसरी बात हमने यह कही थी कि नागपुर के गरीब मजदूरों की सुविधा के लिए एक लोकल ट्रेन, नागपुर से अम्बाजरी के लिए चलाने की रिक्वेस्ट की थी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, बजट हम पास करते हैं, डिमाण्ड हम पास करते हैं, (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मि० पुरोहित, आप बैठ जाएं। मैंने आपको टाइम दिया है।

देखिए, आप कृपा कीजिए। यहां पर सारे लीडर्स वगैरह व्हिप्स वगैरह ने मिलकर यह डिसाइड किया है कि इसको हमें पास करना है। रूल भी यही है कि जिस आइटम पर ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, वे दिए जाएं या नहीं, इतनी ही चर्चा करनी है। रेलवे के सम्बन्ध में सारी पॉलिसी या कोई दूसरी डिमाण्ड इसके सम्बन्ध में नहीं रखते हैं। इसलिए कृपा करके ऐसा मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मन्त्री जी को बताना चाहूंगी कि जितना भी पैसा वे मांगें हम देने को तैयार हैं, लेकिन जो विक्टीमाइज एम्पलॉइज हैं, उनको बहाल करने का फैसला वे लें। जो एक साल से, दो साल से और तीन साल से विक्टीमाइज हैं, उनको वे तुरन्त बहाल करें। जितना भी पैसा वे मांगने के लिए यहां आएंगे, हम देने के लिए तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 1983 से लोको रनिंग स्टाफ और दूसरे स्टाफ विक्टीमाइज हैं, उनको बहाल करने की अपील मैं माननीय रेल मन्त्री से करती हूं।

[अनुवाद]

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, करूर-डिंडीगुल-मदुरई-तूतीकोरन बड़ी लाइन को मदुरई से बदलने के स्थान पर मदुरई से तूतीकोरन तक इसका विस्तार किया जाना चाहिए तथा उक्त बड़ी लाइन के लिए और अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए। इसके अलावामेरे निर्वाचन क्षेत्र में थेचेनल्लूर उपरिपुल अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर रेलवे की एक मीटर गेज लाइन पिछले वर्ष के बजट में शामिल थी। उसको मीटर गेज से ब्रांड गेज में बदला जाना था, वह पिछले बजट में थी, लेकिन 1990-91 के बजट में वह शामिल नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी, इस बात को बताएं कि आखिर उसको शामिल क्यों नहीं किया गया? मैं मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको इस वर्ष के बजट में शामिल करना जरूरी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, क्या आप सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का प्रत्युत्तर दे रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही : यदि यह लाइन मीटर गेज से ब्राडगेज में बदल दी जाए तो पूरब से पश्चिम को जोड़ने का रास्ता सीधा हो जाएगा।

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : महोदय, मैं प्रत्येक मण्डलीय रेलवे के साथ अनौपचारिक रूप से परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित करता रहता हूं। विभिन्न मुद्दे जो माननीय सदस्यों ने यहां अब उठाए हैं उन्हें इन परामर्शदात्री समितियों में लिया गया है। मैं समझता हूं कि यहां कोई भी नया मुद्दा नहीं उठाया गया है। जो भी मुद्दा यहां उठाया गया है उसका उत्तर दिया गया है। तथापि, यदि कोई नया मुद्दा है जिसका उत्तर नहीं दिया गया है, तो मैं माननीय सदस्यों को बाद में उत्तर दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उन कामगारों को पुन: बहाल करने के बारे में क्या किया जा रहा है, जिन्हें उत्पीड़ित करके नौकरी से निकाल दिया गया था?

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं पहले ही वचन दे चुका हूं। यह वायदा पूरा किया जाएगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही : पिछले बजट में इसका प्रोवीजन था अब क्यों नहीं रखा गया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नांडीज : जहां तक करूर-नामक्कल-सलेम क्षेत्र की बात है, हमने इसे शुरू कर दिया है और सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। जैसे ही सर्वेक्षण की रिपोर्ट मिल जाएगी, मैं पुनः आपसे मुखातिब होऊंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के सभी सदस्यों की ओर से मैं रेल मन्त्री को पत्र प्राप्त करने, उनकी ठीक ढंग से जांच करने तथा जहां तक सम्भव हो सहायता करने का अनुरोध करूंगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : वह कहते हैं मेरे पास धन नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता हूं। यह उनका उत्तर है।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अब प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां, भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.17 म० प०

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति ले सकते हैं।

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने अनुमति दी जाए।

---

*दिनांक 5-9-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं प्रस्ताव करता हूं :**

"कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री आर्थ फर्नांडीज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.20 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चाएं

मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय

और

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अतिरिक्त युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब नियम 193 के अधीन मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर लिए गए निर्णयों के बारे में 7 अगस्त, 1990 को प्रधान मन्त्री द्वारा सभा में दिए गए वक्तव्य के सम्बन्ध में श्री हरीश रावत द्वारा 4 सितम्बर, 1990 को उठाई चर्चा को आगे जारी रखेगी। अब श्री राम नाईक बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने मंडल आयोग के सम्बन्ध में जो वक्तव्य 7 अगस्त को इस सदन में दिया उसके बाद देश के कई भागों में जन-आन्दोलन शुरू हुए, युवकों के और विद्यार्थियों के आन्दोलन शुरू हुए। उसके बाद 27 अगस्त को माननीय प्रधान मंत्री जी ने दूसरा वक्तव्य दिया। इन दोनों वक्तव्यों के बारे में मेरी भारतीय जनता पार्टी की जो राय है वह आपके सामने और सदन के सामने मैं रखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, रूल 193 के अन्तर्गत हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का प्रस्ताव यहां आया तब मैंने यह कहा था कि 193 के अन्दर केवल चर्चा ही होगी उस पर कोई निर्णय नहीं होगा इसलिए नियम 184 के अन्तर्गत यदि कोई प्रस्ताव होता और उसको लेकर यहां बहस होती तो सदन का एक निर्णय सबके सामने आ जाता। यदि ऐसा होता तो अच्छा होता। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस इशू पर केवल बात ही होगी।

आरक्षण के एक सवाल पर मैं प्रधानमन्त्री जी और राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का अभिनन्दन

करना चाहता हूं। नव-बौद्धों को जो सुविधाएं और सहूलियतें नहीं मिलती थीं वे सब सुविधाएं देने का फैसला नई सरकार ने किया। जब नई सरकार ने ये फैसला किया तो सदन में अलग-अलग पार्टियों से और अलग-अलग विचार रखने वाले सभी लोगों से इस पर फैसला करने से पहले बातचीत की गई। कई सालों तक उनके साथ जो उपेक्षा हुई उस पर एक फैसला किया गया जोकि एक अभिनन्दनीय कदम था। मैं मानता हूं कि इसमें एक आम सहमति प्रकट हुई थी। मेरे जैसा व्यक्ति जोकि महाराष्ट्र से चुनकर आया है उसने भी यह महसूस किया कि एक अच्छा निर्णय इस सम्बन्ध में हुआ।

मण्डल कमीशन के बारे में भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है, दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। पहले शुरू में यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हजारों सालों से जो पिछड़ी जाति के लोग माने जाते थे उनके ऊपर सामाजिक और आर्थिक अन्याय होता रहा। उनको समाज में कोई उचित स्थान नहीं मिलता था। इस कारण इसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी। छुआछूत को दूर करने के अलावा उन गरीबों का सामाजिक और आर्थिक स्तर भी उठाने की बहुत आवश्यकता थी। इस भूमिका में मण्डल आयोग का जो रपट है उसको हमें देखना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। ये काम हमको सबको साथ में लेकर करना होगा।

जो दबे हुए लोग हैं उनको ऊपर उठाने की आवश्यकता है। इसमें कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए। दलगत भावना से ऊपर उठकर इस काम को करना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से हमें मण्डल आयोग को देखना चाहिए। अगर हम राजनीति या पार्टीबाजी को बीच में लायेंगे तो पिछड़े हुए समाज को ऊपर नहीं उठा पायेंगे। इनको ऊपर उठाने के लिए हमें कौन-सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए—हमें संघर्ष का दृष्टिकोण अपनाना है या समन्वय का दृष्टिकोण अपनाना है यह देखना होगा। मेरा राय यह है कि अगर हम पिछड़े हुए समाज को ऊपर उठाने के लिए और उन्हें समाज के साथ जोड़ने के लिए समन्वय का दृष्टिकोण अपनाएंगे तो हम उस समाज को आगे ले जा सकते हैं। और इस भूमिका में हमें, मण्डल कमीशन की जो एक समस्या खड़ी हुई है, उसकी ओर देखना चाहिए।

कल कांग्रेस की ओर से हरीश रावत जी का जोरदार भाषण हुआ और उन्होंने यह कहा कि मण्डल आयोग के बारे में उनकी पार्टी ने भी अपने मैनीफेस्टो में कुछ कहा है। कल जब मैं उनका भाषण सुन रहा था तब मुझे थोड़ा लगता था कि मैंने भी कांग्रेस पार्टी का मैनीफेस्टो पढ़ा है तो लगता था कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा था कि कांग्रेस ने मैनीफेस्टो में सचमुच में आरक्षण के बारे में और मण्डल कमीशन के बारे में कुछ कहा है या नहीं, ऐसा मेरे मन में सन्देह था। मैं आज देखकर आया और आपके मैनीफेस्टो की वही असली कापी होगी तो मैं यह बताना चाहता हूं कि उससे मण्डल आयोग का कहीं भी जिक्र कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में नहीं किया है, यह बात साफ है। इस प्रकार की गलत बात इस सदन में रखना मैं समझता हूं कि उचित नहीं था···

प्रधानमन्त्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : मैं एक सूचना दे दूं, आपने तो मैनीफेस्टो पढ़ा तब पता चला और कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष राजीव गांधी ने स्वयं अपने मुंह से मुझे बताया कि मण्डल आयोग मेरे मैनीफेस्टो मे नहीं है।

श्री राम नाईक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे तो यह साफ होता है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो अपना घोषणा पत्र पढ़ा है, इससे कम से कम ऐसा मालूम होता है इसलिए मैं राजीव गांधी जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं···

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उनके संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। जिसमें इस बात की आवश्यकता हो कि उन्हें अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। (व्यवधान)

4.27 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

श्री ए० जे० अकबर (किशनगंज) : क्या आपने अपना संविधान अथवा घोषणा पत्र पढ़ा है? क्या आपने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ा है? (व्यवधान)

सभापति महोदय : हमने इसके बारे में अपने कई नेताओं से पहले ही चर्चा की है। हमें मण्डल आयोग की रिपोर्ट को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। यदि हम इस मुद्दे से ध्यान हटाएंगे और इसकी महत्ता को कम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अध्यक्षपीठ से सहयोग करें। श्री राम नाईक, कृपया जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : हमारे घोषणा पत्र के बारे में चिन्ता मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस सरकार ने 10 साल के लिए मण्डल आयोग पर कोई निर्णय क्यों नहीं किया और इसके लिए आप देश के प्रति जवाबदेह हैं। आपको यह कहना चाहिए कि यह मण्डल आयोग के बारे में आपने निर्णय क्यों नहीं किया। मैं यह मानता हूं कि यह महत्व की बात है कि आपका मौन यह बता देता है कि आप मण्डल आयोग का समर्थन नहीं करना चाहते थे। गए 10 साल में कुछ किया नहीं आपका मौन ही बोलता है कि आप मण्डल आयोग का समर्थन नहीं करना चाहते हैं, उस प्रकार से कोई काम नहीं करना चाहते हैं···(व्यवधान)···

मैं मेरी बात तो करूंगा। हमारे मुम्बई के माननीय सदस्य मुरली देवड़ा जी कह रहे थे कि मैं मेरी बात कर दूं। मैं मेरी पार्टी की बात भी करना चाहता हूं, क्योंकि, हम लोगों ने भी मैनीफेस्टो बनाया था और विचार करके बनाया था। इसीलिए मैं सदन के सामने पार्टी के मैनीफेस्टो में क्या भूमिका थी, पहले उस मैनीफेस्टो का पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहता हूं, रिजर्वेशन पालिसी के बारे में :

[अनुवाद]

मैं अपनी आरक्षण नीति को उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है :

"भारतीय जनता पार्टी के विचार से आरक्षण के प्रश्न को खुले दिमाग से बिना किसी पूर्वाग्रह के लेना चाहिए।"

इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सिफारिश करती है :

"(एक) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पहले की तरह जारी रहना चाहिए;

(दो) अन्य पिछड़े वर्गों को भी मुख्यतः मण्डल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए जिसमें इन वर्गों में सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए; और

(तीन) पिछड़ेपन में गरीबी का एक महत्वपूर्ण योगदान है अतः अन्य जातियों के लोगों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए···"

[हिन्दी]

और इसलिए हमारी भूमिका साफ स्पष्ट है, जो शब्दों में लिखी हुई है···

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : इसी बात पर क्रिश्चियन लोगों को धर्म परिवर्तन के आधार पर नहीं दिया गया, मुसलमान लोगों को नहीं दिया गया तो इसमें नहीं है नियम ? (**व्यवधान**)

आपने जब धर्म परिवर्तन करके बुद्धिस्ट लोगों को रिजर्वेशन दिया है तो इन लोगों को भी देना चाहिए। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि उन्हें बोलने का अवसर मिलेगा। जिसने भी नाम दिया है, उन्हें बुलाया जाएगा। विशेषकर इस विषय पर इस बारे में कोई पाबन्दी नहीं है। यह एक बहुत संवेदनशील तथा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्र को हमारे से अधिक आशा है। इसलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अतः जब एक सदस्य बोल रहा है तो कृपया उसकी बात में व्यवधान मत डालिए।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर उस समय दूंगा, अब नहीं। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(**व्यवधान**)

श्री पीयूष तीरकी : क्या आप सोचते हैं कि इसाई भारतीय नहीं हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो या इसाई हो कोई अन्तर नहीं है। सभी भारतीय हैं। इस बारे में कोई विवाद नहीं है। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे सदस्य महोदय को उत्तेजित न करें।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे दूसरों को न भड़काएं। यदि आप भड़काएंगे तो निश्चित रूप से मुद्दे से हट जाएंगे और आप विषय पर नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने पर संयम बरतें। कृपया, जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो उसकी बात में बाधा मत डालें।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : माननीय सभापति महोदय, जातियों की रचना हिन्दू धर्म के लिए अभिशाप

है। इसलिए जो धर्म में सोचा नहीं गया, इस प्रकार की कुरीतियां बन गई और ये कुरीतियां हिन्दू समाज में थीं तथा इसलिए यह जो सुविधा देनी है और छुआछूत की बात है तो क्रिश्चियन में नहीं है। छुआछूत की बात…(व्यवधान)…इस प्रकार की रचना छुआछूत की और छोटी जाति मानने की कल्पना हिन्दू धर्म में है। इसलिए यह सुविधा हिन्दू धर्म की कुरीतियों को समाप्त करने की दृष्टि से और उसके कारण जो कई हजार सालों से लोग नीचे दबाए गए हैं, उनको ऊपर लाने की बात है। इसलिए ऐसे लोगों को ऊपर लाने की दृष्टि से यह शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का आरक्षण था, यह तो कायम रखना ही है और इसके साथ-ही-साथ मण्डल आयोग में जो जातियों की बात है, जातियों की संख्या कम करना है या ज्यादा करना है, वह हो सकता है। लेकिन इसमें जो बात है और इस प्रकार के जो लोग हैं, उनको सामान्यतः (ब्राडली) एक प्रकार का आरक्षण देना चाहिए। ब्राडली मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों कि ब्राडली के साथ ही साथ उसमें यह बात भी जोड़ी गई कि आर्थिक निदेश होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। हमारे महाराष्ट्र में सोनार एक जाति है, हो सकता है बाकी जगहों पर सोनी जाति हो या गोल्ड-स्मिथ, हमारे जो मुम्बई शहर के जो हैं, तो उन गोल्ड-स्मिथ की आमदनी लाखों रुपयों की होगी और देहात में जो गोल्ड-स्मिथ होगा उसकी आमदनी चार-पांच सौ रुपए होगी। इस लिए केवल जाति के आधार पर आरक्षण करने की कोशिश की, उसमें आर्थिक आयाम नहीं लगाया, तो हमारे जो मुम्बई के जो गोल्ड-स्मिथ हैं, वे सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यह लाभ जो आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर हैं, ऐसे वर्गों को देना चाहिए। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि ओ० बी० सी० का भी इस प्रकार कोई आयाम लगाना चाहिए।

मण्डल कमीशन में जिनको लिया गया है, उनको छोड़कर जो समाज बचता है, उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हैं और ऐसे कमजोर लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम कमजोर है और ऐसे कमजोर लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो आरक्षक करना होगा। इस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेनीफेस्टो में रखी और इसलिए इन बातों को सामने रखते हुए हमने कहा कि मण्डल आयोग के तहत इन बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, एक कारण है, जिसकी वजह से काफी गड़बड़ी हुई है, जिसकी तरह से आपस में, पार्टियों में, एक घर में इस प्रकार की जो बातें पैदा हुई हैं, उनका मुख्य कारण मुझे ऐसा लगता है कि यही है। आज तक, जब से सरकार बनी है, तब से प्रधानमन्त्री माननीय श्री वी० पी० सिंह जी की नीति रही कि जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आपस में बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके एक सहमति के आधार पर ऐसे महत्वपूर्ण कदम लेने चाहिए। यह एक बहुत अच्छा व्यवहार प्रधानमंत्री जी का है और केवल समर्थन देने वाली पार्टियों के साथ ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के साथ भी बातचीत होती रही है। इसलिए यह जो सहमति का रास्ता बना था, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण और अच्छे निर्णय हो गए, उस रास्ते को प्रधानमन्त्री जी ने क्यों छोड़ा, यह भी महत्व का विषय है। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को सभागृह में बताना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। उसके कारण आज जो कोई सुझाव देना चाहते हैं, जो कोई नई व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें हमको लग रहा है कि—

[अनुवाद]

उपचार रोग से बदतर बन गया है।

[हिन्दी]

यानी आयोग के सुझाव हैं वे कार्यान्वित करने चाहिए, लेकिन करते समय आपने नया ऐसा मामला खड़ा कर दिया है जिसके कारण सब जगह पर लोगों के मन में दीवार खड़ी हो गई है।

[अनुवाद]

हमने एक सुनहरी अवसर खो दिया है। जल्दबाजी में कार्य करके हमने एक सुनहरी अवसर गंवा दिया है जिसकी देश पिछले एक महीने से बहुत भारी कीमत चुका रहा है।

[हिन्दी]

गये एक महीने में क्या हुआ, कई जगहों पर गड़बड़ी पैदा हुई। यदि लोगों को पहले विश्वास में लिया जाता तो शायद यह बात नहीं होती। मुझे गौरव है कि महाराष्ट्र में कम से कम आज तक इसके बारे में कोई आंदोलन नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यह है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां इस सवाल के बारे में पहले से कई दफा चर्चा कर चुकी थीं और इसलिए एक सहमति बन गई थी।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : ऐसा मत करिए, नहीं तो वहां भी शुरू हो जाएगा।

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : सहमति बनाना क्यों जरूरी है, इसलिए यह बात कही जा रही है।

श्री राम नाईक : अगर सहमति बन जाती तो ऐसी बातें नहीं होतीं। इसलिए प्रधानमन्त्री जी को यह बताना चाहिए। इसके लिए हमको भी बहुत दुख है, जिनका हम साथ दे रहे हैं, आपने अपने मित्रों को बाजू कैसे कर दिया, हम समर्थन करना चाहते हैं और आज भी समर्थन करने वाले हैं।

(व्यवधान)

आप लोगों को मालूम होगा कि अमरीका में एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं डेल कार्निगी, उसने एक किताब लिखी है "हाऊ टू विन फ्रेंड्स," मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस मामले में "हाऊ टू लूज फ्रेंड्स," ऐसा काम किया है यह अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए फिर से इस विषय पर सहमति के रास्ते पर आना चाहिए। मेरा प्रधानमन्त्री जी से निवेदन है कि जब सहमति के रास्ते पर आते हैं तो क्या होता है, "प्रसार भारती" बिल पहले मन्जूर नहीं होने वाला था, बातचीत हो गई और बातचीत होने के बाद कम से कम इस सदन में एक राय पर हम लोग आ गए, लगभग 400 अमेंडमेंट्स उसमें थी, लेकिन आम सहमति हो गई। **(व्यवधान)**

वह विधेयक सर्वसम्मति से इस सभागृह में पास हुआ। यह बात अलग है, जैसाकि मुरली देवरा जी ने कहा कि राज्य सभा में क्या हुआ, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ···**(व्यवधान)** देश चर्चा करेगा और देश यह चर्चा करेगा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि लोक सभा में मानती है और राज्य सभा में विरोध करती है।···**(व्यवधान)** यह बड़े महत्व का है और सहमति के आधार पर हो सकता है।

आपने बताया है 27 अगस्त को कि पांच से दस परसेंट इकोनोमिक कंसीडरेशन के आधार पर कुछ आरक्षण देने वाले हैं। मुझे लगता है कि स्पष्ट होने की बहुत आवश्यकता है। पांच से दस परसेंट

की आपने घोषणा की है। जो आन्दोलन युवकों ने शुरू किया है उसके दबाव में आकर आपने किया है। उसके दबाव में आप पांच या दस परसेंट रखना चाहते हैं। उसका कारण क्या है और उसका रीजनींग क्या है। यह सभागृह को मालूम होना चाहिए। इस आन्दोलन का ठीक से बर्ताव करें। इसमें से कई बातें स्पष्ट हो सकती हैं। पांच से दस परसेंट जो इकोनोमिक कंसीडरेशन है वह एस० सी० एस० टी० के लोगों को मिलने वाला है। जो ओ० बी० सी० हैं उनको मिलने वाला है और जो तथाकथित ऊंचा वर्ग है जिनको मंडल कमीशन ने सम्मिलित नहीं किया है जिसमें एस० सी० एस० टी० के नाते कांस्टीच्युशन के आधार पर आरक्षण पांच से दस परसेंट उनको छोड़कर देने वाले हैं। इसके स्पष्ट होने की आवश्यकता है। ऐसी बातों के बारे में कई गड़बड़ियां देश में पैदा हो रही हैं, इस पर आपको विचार करना चाहिए।

मैंने यह कहा कि जाति व्यवस्था हिन्दू धर्म का एक लांछन था हटाने का, समाप्त करने का प्रयास हम लोग मिलकर कर रहे हैं। जो विशेष कुरीतियां है वे हिन्दू धर्म की हैं और मुसलमान या क्रिश्चियन धर्म में इस प्रकार की कोई जातीय व्यवस्था नहीं है। कोई छुआछूत की बात नहीं है। सब समान मानते हैं। ऐसा जो धर्म है जिसमें उस धर्म के लोगों को आरक्षण की मांग करना उचित है या नहीं, इस बात को भी तय करने की आवश्यकता है।···(व्यवधान) बाकी पचास परसेंट के लोग जिस प्रकार से रहते हैं, उसी प्रकार से हिन्दू समाज का जो तथाकथित ऊंचा वर्ग भाग है मुसलमान, क्रिश्चियन रहेंगे और जो नहीं मानते हैं तो ऐसे लोग भी रहेंगे। प्रधानमन्त्री जी ने बाहर कहा है उससे ऐसा अहसास होने लगा है। बाकी जगह पर आर्थिक आधार नहीं देना चाहते हैं। क्रिश्चियन और मुसलमान को आप जातीय व्यवस्था न होते हुए भी आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ऐसा लोगों के मन में आ रहा है। अगर आप करना चाहोगे तो देश में एक और विघटन का बीज बोओगे। ऐसा बीज न बोया जाए। ऐसी प्रार्थना हमने आपको······

प्रो० मधु दण्डवते : मुसलमानों में बैकवर्ड क्लास का जिक्र है।

श्री राम नाईक : मुझे मालूम है। मंडल आयोग ने जिनको इंक्ल्युड किया है उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं और उसके बारे में कोई आपत्ति नहीं है। समाज में लगने लगा है कि देश में कितना आरक्षण होने वाला है। पचास परसेंट से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है तो वह देना चाहिए या नहीं। इस बारे में बहस होनी चाहिए और भूमिका ऐसी बातों को लेकर बनाएंगे तो आप 80 परसेंट और 90 परसेंट आरक्षण पर जाएंगे। तो फिर देश में और एक असन्तोष खड़ा होगा जो देश के लिए नुकसान देने वाला होगा। इसलिए मेरी प्रधानमन्त्री जी से प्रार्थना है कि आपको धर्म के आधार पर क्रिश्चियन, मुसलमान और पारसियों, इन लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहिए और जो धर्म नहीं मानते हैं उनको भी नहीं मिलना चाहिए···(व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी : हिन्दू धर्म में सुधार करो, अगर खराबी है।

श्री राम नाईक : यह देश हमको जोड़ना है और जोड़ते समय ऐसा दिखाई देता है, प्रधानमन्त्री जी के वक्तव्यों से भी झलकता है और उनके कुछ मुख्यमन्त्रियों की बातों से भी यह चीज सामने आई जैसे उड़ीसा के मुख्यमन्त्री श्री पटनायक साहब ने बताया कि इसको अमल में नहीं लाएंगे, प्रधानमन्त्री जी अभी-अभी अहमदाबाद गए थे और उन्होंने वहां कहा कि राज्यों को लागू करना या न करना यह राज्यों पर ही निर्भर है। हम एक देश में रहते हैं, आरक्षण जैसे विषय के बारे में नीति बना रहे हैं तब सारे देश में एक नीति होनी चाहिए। केन्द्रीय स्तर पर एक नीति और राज्य स्तर पर दूसरी नीति यह

लोगों को जोड़ने का काम नहीं होगा। आज लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है इसलिए सारे देश के लिए एक नीति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी एक नीति आम सहमति के आधार पर इस विषय पर बन सकती है। सारा समाज इसके लिए उत्सुक है, मुझे ऐसा लगता है कि विचार-विनिमय ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है।

अब स्थिति ऐसी बन गई है जैसे अभिमन्यु की स्थिति हुई थी जब वह चक्रव्यूह में गया और बाहर कैसे निकले, इस झमेले में फंस गया। हम ऐसा मानते हैं कि प्रधानमन्त्री जी भी उस स्थिति में पहुंच गए हैं। लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सारा समाज, सारा देश आपके साथ रह सकता है यदि आपने सहमति के आधार पर कोई फैसला किया तो कितना भी कड़वा फैसला क्यों न हो सारा देश उसे सहन कर सकता है। इसलिए सहमति की आवश्यकता है।

दो दिन पहले आपने ऐसी सहमति बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई। एक मीटिंग से कोई फैसला नहीं हो सका, सहमति नहीं हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पहली मीटिंग में फैसला नहीं हो सका, तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी या दस बार मीटिंग बुलाएं, यह रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए और देश में इस विषय पर सहमति बनाना सबका कर्तव्य हो जाता है।

इसके साथ ही साथ एक बात और है कि सहमति राजनीतिक दलों की होगी यह तो आवश्यक है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है जोकि आन्दोलन कर रहे हैं उनके साथ भी आपकी बात करनी चाहिए। हमें मालूम पड़ा था कि आप बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक उनसे वार्ता नहीं हो सकी। इसलिए जैसे राजनीतिक दलों की सहमति आवश्यक है इसी तरह से युवा पीढ़ी और आन्दोलन करने वालों के साथ भी वार्ता करना जरूरी है। सारे देश के जो युवा संगठन हैं, उन संगठनों को आप अपनी बात समझाएं और यह बात समझाने के बाद जो फैसला होगा वह देश के हित में होगा और जहां आप जाएंगे हम आपके साथ हैं।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो समय दिया मुझे बोलने के लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : सभापति महोदय, चूंकि आज बाहर का वातावरण भावनाओं से बोझिल है, इस सभा के समक्ष मुद्दों का तटस्थतापूर्वक विश्लेषण करना बहुत मुश्किल है, बल्कि कभी-कभी तो आपको नागवार बातों का भी सामना करना पड़ता है।

कल मैंने माननीय सदस्य श्री हुक्मदेव नारायण यादव के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने इस पक्ष के लोगों से अपील की थी कि इस विषय पर कांग्रेस दल की ओर से बहस करने हेतु किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को खड़ा कर दें। यह बात मानते हुए कि वह एक अत्यधिक पिछड़े वर्ग से हैं, उन्होंने उन कठिनाइयों का उल्लेख किया जिनका उनको सामना करना पड़ा।

महोदय, मेरा जन्म कर्नाटक के सबसे कमजोर वर्ग में हुआ था और मेरे माता-पिता सबसे गरीब परिवार से थे। जब मैं स्कूल में गया तो केवल पजामा पहन कर ही गया था, मेरे पास कमीज भी नहीं थी। मैने अपनी पढ़ाई छात्रवृत्ति से ही जारी रखी। मैं उन सभी कठिनाइयों का उल्लेख कर

रहा हूं जिनका मैंने सामना किया क्योंकि श्री हुक्मदेव नारायण यादव कल कह रहे थे कि उन्होंने गरीबी को झेला है, गरीबी देखी है और कांग्रेस दल से कोई भी व्यक्ति जिसने गरीबी देखी है वह बोले। यही कारण है कि मैं बोल रहा हूं। मैं आपको अपनी पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि मैं जीवन में कैसे उभर कर आया हूं। बहुत कठिनाइयां झेल कर और यहां तक कि बिना भोजन के मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और जब मैं मुम्बई में न्यू लॉ कालेज में विधि का अध्ययन कर रहा था। तो मैं दो दिन तक भूखा रहा और मैंने केवल दो केले खाए। यह मेरी दशा थी। जब मैं अधिवक्ता बना और वकालत शुरू की तो स्वर्ण जाति के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वकालत करना पिछड़े वर्ग के लोगों का काम नहीं और मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। इसके बावजूद मैंने वकालत की और यह धुआंधार चली। जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो मेरे चैम्बर में मेरे नीचे सात कनिष्ठ अधिवक्ता थे।

मेरी प्रारम्भिक शिक्षा नगरपालिका विद्यालय में हुई न कि किसी पब्लिक स्कूल में। मैं किसी भी प्रकार की फीस देने की स्थिति में नहीं था। यह मेरी पृष्ठभूमि है।

राजनीति में प्रवेश के बाद, 1982 में मुझे उप-वित्त मन्त्री बनाया गया। उस समय इस बात के लिए लोगों ने इन्दिरा जी की आलोचना की थी कि चूंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, मुझे वित्त मन्त्रालय में नहीं लिया जाना चाहिए था···(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बता रहे हैं, वह कहना चाहते हैं कि चूंकि वह एक पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हैं, उन्हें क्या कष्ट झेलने पड़े थे। यदि आप उन्हें सुनने को तैयार नहीं हैं तो मैं नहीं जानता कि आप जनता की बात कैसे सुनेंगे। इसे गम्भीरतापूर्वक लीजिए। इसे आप गम्भीरतापूर्वक लेंगे केवल तभी इसका कार्यान्वियन होगा। कृपया इस पर गम्भीर होइए। आपको इस पर टिप्पणी ही नहीं करते रहना चाहिए और इसे तमाशा ही बनाते नहीं रहना चाहिए।

श्री कालका दास (करोलबाग) : परन्तु वह केवल अपनी ही कहानी सुना रहे है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह एक कहानी लग सकती है परन्तु वह जब कल बोले तो हमने व्यवधान नहीं डाला, वास्तव में जब कोई माननीय सदस्य बोलता है तो मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता कृपया कम से कम वही शिष्टाचार दिखाइए।

जब स्वर्गीय इन्दिरा जी ने मुझे वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री बनाया तो मेरे जिले में ऊंचे वर्ग के लोगों ने यह कह कर मेरी आलोचना की थी कि यह आदमी मन्त्रीमण्डल में छः महीने से अधिक नहीं रहेगा। मुझे इस प्रकार की आलोचना का सामना करना पड़ा। जब राजीव जी आए तो उसी मन्त्रालय में मेरी पदोन्नति कर दी गई और जब से माननीय प्रधानमन्त्री के पास वित्त मन्त्रालय का कार्य भार रहा, मैंने उनके साथ कार्य किया। मैं वित्त मन्त्रालय में 6 वर्ष एक महीने तक कार्य करता रहा। उसके बाद, जब मैं वित्त मन्त्रालय में कार्यरत था तो मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद मुझे कांग्रेस पार्टी में कार्य समिति का सदस्य बनाया गया।

मैं माननीय सदस्यों, विशेषतौर पर श्री यादव और श्री पासवान की पिछड़े वर्गों के प्रति वचनबद्धता से अवगत हूं। हम आरक्षण के विरोध में नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बात को बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि हम आरक्षण के विरुद्ध नहीं हैं। परन्तु हमें इस बात का विश्लेषण करने दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री जनार्दन पुजारी : राजनीति में प्रवेश से पहले मैंने वकालत की और मैं जीवन में उभरा और मैं मन्त्री बन गया। यादव जी, पासवान जी या शिवशंकर जी भी आज अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में हैं। कल, मान लीजिए कोई साक्षात्कार है और 5 उम्मीदवार हैं। ये पांचों उम्मीदवार वे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके घर शादी करने के लिए बहनें हैं। साथी साक्षात्कार में पुजारी का बेटा, यादव जी का बेटा, पासवान जी का बेटा और शिव शंकर जी का बेटा है। अब, नियुक्ति किसे मिलेगी ? क्या पुजारी के बेटे को मिलेगी या यादव, पासवान या शिव शंकर के बेटे को नियुक्ति मिलेगी ? अथवा नियुक्ति उस उम्मीदवार को मिलेगी जो सबसे गरीब है, जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है और जिसके पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं हैं ? मैं खड़ा होकर कहूंगा कि "पुजारी को यह लाभ नहीं मिलना चाहिए। जनार्दन पुजारी यह लाभ नहीं चाहता। सबसे गरीब व्यक्ति को यह मिलना चाहिए।" और यही बात हमारे नेता राजीव गांधी कहते हैं।

पिछड़े वर्गों को शिक्षा की जरूरत है। आप कितनी ही नौकरियां दीजिए, इनसे उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। कल, श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने भी एक बात कही थी और मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं और वह बात यह है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं; गरीब परिवारों के लोगों को शिक्षा के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं। अब, सरकार का दायित्व क्या है ? चाहे वह यह सरकार हो या वह सरकार हो, सरकार को गरीब लोगों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। परन्तु आज गांवों में क्या हो रहा है ?

5.00 म० प०

यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोग शिक्षा प्राप्त करना भी चाहते हैं, तो इसके लिए स्कूलों की सुविधा कहां उपलब्ध है ? इन स्कूलों के लिए कोई भवन नहीं हैं। अगर हैं भी, तो अध्यापक नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : पहले आपके मुंह में आवाज नहीं थी, आज आपके मुंह में आवाज है, यह किया है कांग्रेस ने पिछले 40 सालों में।

[अनुवाद]

आप गरीब लोगों का शोषण कर रहे है। आप उन्हें सड़कों पर ले आए हैं। आज यह स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल हुक्मदेव नारायण यादव ने पब्लिक मंच वाली स्पीच यहां पर दी। हमने एक शब्द नहीं कहा। हमने आराम से, शांतिपूर्ण ढंग से उनको सुना कि आखिर पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन के विषय में उनके क्या विचार हैं। आप हमें क्यों नहीं सुनना चाहते हैं ? आप में हमें सुनने की पेशेंस होनी चाहिए।

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष महोदय, हुक्मदेव नारायण ने तो मण्डल कमीशन के बारे में स्पीच दी थी। ये तो यह कहानी बता रहे हैं कि ये मिनिस्टर कैसे बने। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बाहर बैठे लोग भी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि अन्दर क्या चर्चा हो रही है। इस मुद्दे पर शान्तिपूर्वक तथा निर्विघ्न रूप से चर्चा होनी चाहिए। मैं सदन में सभी वर्गों से यह निवेदन करता हूं कि वे वक्ताओं को बिना किसी बाधा के अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करें।

सभापति महोदय : मैंने माननीय सदस्यों को पहले ही बता दिया है कि हम प्रत्येक सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। हम चर्चा के लिए दिए जाने वाले समय में कोई कमी नहीं करेंगे। जो भी इस चर्चा में भाग लेना चाहता है, उसे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। सदस्यों को बिना किसी बाधा के बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। अगर आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो जब आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा, तब आप उसे उठा सकते हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : दूसरे वक्ताओं के विचार सुनने का हम में धैर्य नहीं है। यही सारी समस्या है। कोई भी सदस्य दूसरे सदस्य के विचारों को सहन नहीं कर सकता। **(व्यवधान)**

श्री जनार्दन पुजारी : आपने सिफारिशों को देखा है। प्रधान मन्त्री ने भी मण्डल आयोग की सिफारिशों को देखा होगा। अब उनका यह कहना है कि श्री राजीव गांधी मण्डल आयोग के पक्ष में नहीं हैं।

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैंने यही कहा था कि उनका यह कहना है कि मण्डल आयोग का चुनाव घोषणा पत्र में उल्लेख नहीं किया गया था।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं भी मण्डल आयोग के पक्ष में नहीं था। मैंने पहले ही कहा था कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं। मैंने यह भी कहा था कि कर्नाटक में एक सौ नई जातियां शामिल कर ली गई हैं। इस रिपोर्ट में बहुत-सी अनियमितताएं हैं। वास्तव में, पिछड़े वर्ग के लोगों को इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी। अब यह देखना है कि क्या आप मण्डल आयोग के पक्ष में हैं। श्री यादव और श्री पासवान इसके लिए वचनबद्ध हैं परन्तु मैं प्रधान मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इसके प्रति पूर्णतया वचनबद्ध हैं। हमें इस पहलू का विवेचन करना चाहिए। आप इस कागज के टुकड़े को आज संसद में लेकर आए हैं। उन्होंने मण्डल आयोग की सिफारिशों को कम कर दिया है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि उन्होंने मण्डल आयोग के मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन किया है। इस प्रकार, मण्डल आयोग के मूल ढांचे को ही तबाह कर दिया गया है। वास्तविकता यह है कि उन्होंने इसे नष्ट कर दिया है। इसका क्या कारण है ?

मैं इसे स्वीकार करता हूं कि आप मण्डल आयोग के पक्ष में हैं। मण्डल आयोग ने जो भी कहा है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। आप किस प्रकार की आधारभूत प्रणाली अपनाना चाहते हैं ? आप उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश दिलवाइए। आप उन्हें शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान कीजिए। आप उन्हें आर्थिक सहायता भी दीजिए। कृपया मण्डल आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 57, 58 तथा 59 को देखिए। प्रधान मन्त्री महोदय, क्या आपने उस सिफारिश के अनुरूप कदम उठाए हैं ? अगर आप इस रिपोर्ट के प्रति पूर्णतया वचनबद्ध हैं तो आप इस सिफारिश के अनुसार कार्यवाही करने में असफल क्यों रहे ? इसलिए, आप इस रिपोर्ट के पक्षधर नहीं हैं।

आपने एक ढोंग रचा है; यह किसने कहा ? मैं यह नहीं कह रहा कि आप ढोंगी हैं। 'स्टेट्समैन'

को दिए गए एक साक्षात्कार में आपके उप-प्रधान मन्त्री ने यह कहा है कि आपकी राजनीति एक ढोंग है। पुजारी ने ऐसा नहीं कहा।

आप क्या कर रहे हैं? आप अधिकतम लाभ कमजोर तथा दलित वर्ग के लोगों को नहीं दे रहे हैं। आप उन्हें इससे वंचित कर रहे हैं। आपने केवल दिखावा किया है। आप उन्हें अपने जीवन में ऊपर उठने नहीं देना चाहते। यही आपकी मंशा है। आपका कहना है कि आपको कल लोगों के पास जाना है। आप भी उन्हीं समस्याओं का सामना करेंगे। यह श्री हुक्मदेव नारायण यादव का कहना है। मैं जनता दल के नेताओं से यह पूछना चाहता हूं कि क्या श्री पुजारी और श्री पासवान के पुत्रों को यह लाभ मिलना चाहिए था फिर गरीबों में भी अत्यधिक गरीब लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए? मैं लोगों से इस प्रश्न पर निर्णय देने के लिए कहूंगा। मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से भी कहूंगा। यह हमारी वचनबद्धता होगी। आप किसी भुलावे में नहीं रहें।

आपका कहना है कि आप इन सिफारिशों को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लाए हैं। आपने क्या नई बात की है? आपने कुछ भी नया नहीं किया है। हमने एक संशोधन का प्रस्ताव किया है। हमने संविधान में संशोधन का भी एक प्रस्ताव किया था। इसके लिए हमने संविधान में प्रावधान किया है। पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, आपके दल ने नहीं। उस प्रावधान के सहारे ही आप इसे आज प्रस्तुत कर रहे हैं।

मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को समझ सकता हूं। वे कमजोर वर्ग के सबसे कमजोर लोगों के हित के लिए हैं। हम यह नहीं भूलते हैं। (**व्यवधान**) हमें श्री शरद यादव और श्री पासवान की ओर देखना है; पिछड़े वर्गों का उच्च जाति के सभी के सभी लोगों द्वारा नहीं बल्कि कतिपय लोगों द्वारा दमन तथा उत्पीड़न किया गया है। महात्मा गांधी ब्राह्मण थे। (**व्यवधान**)

वह उच्च जाति के थे। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया शांति बनाए रखें।

श्री जनार्दन पुजारी : यह मेरी गलती है। ऐसा कहने के लिए मुझे खेद है। मुझे यह पता नहीं था। मैं अपनी बात वापस लेता हूं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : उन्होंने अपने कथन को पहले ही वापस ले लिया है तो फिर आप इस बात को क्यों उठा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे यही जानना काफी है। (**व्यवधान**)

श्री कालका दास : महात्मा गांधी के साथ तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं है।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आप सबों की प्रशंसा करता हूं। मैं आपके विचारों की सराहना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : तुम जाति के अलावा कुछ नहीं जानते हो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री कालका दास, क्या सदन का संचालन आप कर रहे हैं ? यदि ऐसा ही है तो हमारे यहां होने का प्रयोजन क्या है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कभी-कभी बोलने के क्रम में भूल से कोई सदस्य तथ्यों के विपरीत भी कुछ कह सकता है। जब उन्होंने अपने कथन पर अफसोस व्यक्त कर ही दिया है तो आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : यहां उच्च जाति के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कमजोर वर्ग के हित की बात करते हैं; चाहे वे कम्युनिष्ट पार्टी के हों अथवा किसी अन्य पार्टी के हों, उनमें भी उच्च जाति के लोग हैं जो कमजोर वर्ग के लोगों के हित की बात करते हैं। वे भी उनकी सहायता करना चाहते हैं। आपकी क्या मंशा है ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब 5.10 बज चुके हैं; 5.30 बजे हम आधे-घण्टे की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए आप अपनी बात कृपया संक्षेप में कहें।

श्री जनार्दन पुजारी : हम यह नहीं कह सकते कि सभी राष्ट्रीय नेता उच्च जाति के हैं। यहां तक कि डा० अम्बेडकर कांग्रेस के नहीं थे फिर भी उन्हें केन्द्र में विधि मन्त्री बनाया गया था। (व्यवधान) वे देश के महान् सपूतों में से एक थे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : शांति बनाए रखें।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : उन सभी ने लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया था। (व्यवधान) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनके अनुभव का उपयोग किया। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भावना थी। (व्यवधान) भारतीय संविधान में अनेक ऐसे उपबन्ध हैं जो काफी लम्बे समय से हैं; इन उपबन्धों से समाज के कमजोर वर्गों की सहायता की जा रही है।

मैं अब प्रधान मंत्री की मंशा के प्रश्न पर आता हूं। प्रधानमन्त्री की मंशा क्या है ? भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था जिसके अन्तर्गत उन्होंने तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की बात कही थी। अब प्रधान मन्त्री ने 49.5 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को पहले ही पार कर लिया है। हमारी प्रतिशतता के विषय में आप क्या कहेंगे ? क्या हमें यह मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा ? आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है। आप इस बात से अवगत थे कि सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय देगा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत है। इस बात को भली-भांति जानते हुए भी आपने इस सीमा को पार कर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि आप इसके प्रति गम्भीर नहीं हैं; आप उनकी सहायता करना नहीं चाहते। आप यह जानते थे कि सर्वोच्च न्यायालय इसे निरस्त कर देगा। इसका तात्पर्य यह है कि आपको यह कहने का बहाना मिल जायेगा कि आप आरक्षण देना चाहते थे परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया।

अत: आप इस बारे में कुछ नहीं कर सके। क्या आप संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं ? आपकी क्या मंशा है ? अत:, मेरा निवेदन है कि इस आदेश के कारण ही यह अव्यवस्था उत्पन्न हुई है।

श्री पासवान और श्री यादव ने संसद में कहा था कि देश के युवक सड़कों पर उतर आयेंगे और चुनौती का मुकाबला करेंगे। इसी कारण ये निराश व्यक्ति एवं गुमराह युवक हिंसा कर रहे हैं। क्या यह आपका मामला है ? ऐसा भी प्राय: होता रहता है। आप केवल पिछड़े वर्गों के ही मंत्री नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के मंत्री हैं। आपको उन युवकों की ओर भी देखना है जो उच्च वर्ग से सम्बन्धित हैं। अन्यथा मैं आपको बताता हूं कि आप भी शोषण करने वाले, निहित स्वार्थ वाले कहे जायेंगे।

परन्तु इसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखें कि आपको शोषकों के रूप में बातें नहीं करनी चाहिए। (व्यवधान) ऐसा न हो कि इतिहास आपको निहित स्वार्थ वाले कहे। आप इस बात को ध्यान में रखकर आगे कार्यवाही करें। यही जिम्मेदारी आप पर सौंपी गयी है।

प्रो० मधु दण्डवते : सभापति महोदय, मैं एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी चर्चा पहले ही आरम्भ हो चुकी है और जैसाकि आप कहते हैं, यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चर्चा है। हमें 5.30 बजे आधे-घण्टे की चर्चा करनी है। परन्तु अनेक अवसरों पर जबकि कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो रही हो, तो हमने आधे-घण्टे की चर्चा को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करके चर्चा को जारी रखा है। यदि सभा की ऐसी इच्छा है, तो हम आधे-घण्टे की चर्चा को स्थगित कर सकते हैं और मंडल आयोग की रिपोर्ट पर हो रही चर्चा को जारी रख सकते हैं।

सभापति महोदय : यदि आप सभी को यह बात स्वीकार्य है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य : सहमत हैं।

सभापति महोदय : हम इसे कल अथवा सुविधानुसार किसी अन्य दिन ले सकते हैं।

श्री रामधन।

[हिन्दी]

श्री राम धन (लालगंज) : सभापति महोदय, जब कभी दुनिया में परिवर्तन की लहर आई है, तब-तब स्थिर स्वार्थी, रूढ़िवादी, सड़े-गले समाज में बौखलाहट पैदा हुई है, खलबली मची है। जब-जब दुनिया में कोई भी क्रान्ति हुई, तब-तब भी वेस्टेड इण्टरैस्ट और जितने भी स्थिर स्वार्थ वर्ग के लोग हैं, जिनके पैरों के नीचे से धरती खिसकने लगी, जिनकी सत्ता पर हमला हुआ, सत्ता छिन गई तो वह इसी तरह से पागल हुए, जैसे आज लोग हो रहे हैं। मण्डल कमीशन की एक या दो सिफारिशों को लागू करने पर इतना तूफान और बवंडर खड़ा किया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह किस के द्वारा किया जा रहा है, एक विशेष वर्ग द्वारा, जिसका आज तक इस देश पर कब्जा रहा है, जिसका जमीन पर, धरती पर, आकाश पर, जल पर, सब पर कब्जा रहा, आज वह सोच रहा है कि उसका अधिकार छिन जाएगा और जो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण जो वह करता रहा, आज उसमें खलबली मची हुई है इसलिए हमें सोचना है, हमारे मित्र पुजारी जी ने कहा, कांग्रेस के बारे में, लेकिन हमने तो देखा है, कांग्रेस को इस सदन में और उनका सदन में क्या रोल रहा है। जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग के सम्बन्ध में संविधान संशोधन विधेयक आया तो एक दिन वॉक आउट करके चले गए। जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों ने उन पर दबाव डाला तो दूसरे ही दिन आकर उन्होंने अपनी बात वापस ले ली···(व्यवधान)

...यह बात हाऊस के रिकार्ड्स में है, उसको क्यों नकारते हैं ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : वह सही नहीं है। वे जो कुछ कह रहे हैं वह सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आप जानते ही हैं कि यह कितना असत्य है : क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे प्रमाणित करूं ? (व्यवधान) हमारे सहयोग के बिना आप इसे नहीं ला सकते थे।

(व्यवधान)

श्री० एच० के० एल० भगत : श्री राम धन, एक मिनट के लिए रुकिये।

सभापति महोदय : श्री राम धन, आप अपनी बात बाद में कह सकते हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : सभापति महोदय, मेरे मन में राम धन जी के प्रति बहुत अधिक सम्मान है। श्री राम धन एक सच्चे व्यक्ति हैं और सामान्यतः उनसे सच्ची बात कहने की आशा की जाती है। मैं उन्हें पसन्द करता हूं। परन्तु वे गलत सूचना दे रहे हैं। हमने अपने सर्वोच्च मंच, कांग्रेस संसदीय दल की राजनैतिक मामलों की समिति में सोच-विचार कर निर्णय किया था और उस विधेयक का समर्थन किया था। हमने ऐसा निर्णय किया था। (व्यवधान) मैं अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नहीं हूं। परन्तु मैंने इसका समर्थन किया था और प्रत्येक व्यक्ति ने इसका समर्थन किया था। हमने इस विधेयक को समर्थन का निर्णय सोच-विचार कर लिया था। वे जो कुछ कह रहे हैं, वह पूरी तरह गलत है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम धन : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भगत जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जो संसद की कार्यवाही है, उसको आप क्यों नकारते हो। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : आप कार्यवाही देख लीजिए, आपके जितने मेम्बर्स थे उनको आप यहां ला नहीं पाए, बिल फेल हो जाता यदि हम सपोर्ट नहीं करते। इस बात को क्यों आप भूले जा रहे हो।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हमने यह प्रूव किया कि आप लोगों की उस दिन इच्छा नहीं थी। इसलिए आदमी नहीं लाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमारे सभी सदस्य उस विधेयक के पक्ष में बोले थे। कृपया कार्यवाही-वृत्तान्त को देख लीजिए। पहले ही दिन आप आवश्यक बहुमत नहीं जुटा पाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम धन : उसकी सारी फोटो कॉपी है, जितने आपके मैम्बर्स मौजूद...(व्यवधान)...

राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने सत्ता में आने के बाद परिवर्तन की दिशा में ठोस कदम उठाया है। बाबा-साहब डा० अम्बेडकर को भारत-रत्न और सेन्ट्रल हाल में, जहां पर उन्होंने संविधान की संरचना की थी, वहां तैल-चित्र स्थापित किया गया। हमारे राम नाईक साहब ने कहा बौद्धों को जो अनुसूचित जातियों की सुविधा दी गई, दस बरस के लिए आरक्षण बढ़ाया गया और अनुसूचित जाति तथा अनु-सूचित जनजाति आयोग जिसे दस साल से आप एक तमाशा बनाए हुए थे, उसको संवैधानिक अधिकार दिया गया है। महिला आयोग का गठन किया गया। इसलिए आप यह समझ लें कि पिछले सात-आठ महीनों में कितना कार्य इस सरकार ने किया है। बाबासाहब अम्बेडकर के शताब्दी वर्ष में लैंड रिफार्म को नाइन्थ शैड्यूल में रखा गया तथा···(व्यवधान)···

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, संवैधानिक तमाशा बनाया गया, तो संवैधानिक तमाशा क्या होता है ? शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का आरक्षण सन् 1980 में हुआ था। 1980 के बाद 1990 में होना था। दस वर्ष का पहले हुआ था, समाप्त होने पर किया गया···(व्यवधान)···गलत ब्यानी की तो इनकी आदत है। आयोग के चेयरमैन बना दिए गए हैं और यदि चेयरमैन गलत ब्यानी करता है, तो कितना अनर्थ होगा। ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। आप उस समय इसका खंडन कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम धन : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, राही जी, हमारे पुराने साथी हैं। मैं उनके लिए एक गालिब का शेर सुनाता हूं :

"या रब जो न समझे हैं, न समझेंगे मेरी बात,
दे और दिल उनको, न दे मुझ को जुबां और।"

अगर मुझ को जुबां और न मिले, तो कम से कम उनको दिल तो मिलना चाहिए, जिससे वे मेरी बात को अच्छी तरह से समझ सकें।···(व्यवधान)···

5.24 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, देश में आरक्षण का इतिहास संविधान से भी पुराना है। 105 वर्षों पूर्व, हमारे सभापति महोदय अभी तमिलनाडु के कुर्सी पर आसीन थे, तमिलनाडु में यह सबसे पहले दलितों को शिक्षा संस्थाओं में कुछ रियायतें और सुविधायें दी गई, उस वक्त भी ब्राह्मणों में खलबली मची थी। आप जानते हैं कि जस्टिस पार्टी का जन्म भी इसी कारण हुआ था और पेरियार रामास्वामी नायकर ने द्रविड़ कड़गम की स्थापना की और जिसका आज द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एक साथ है। यहां पर वे नहीं हैं, कांग्रेस सांसद मैसूर के महाराजा हैं। इनके पूर्वजों ने 1918 में वहां के चीफ जस्टिस एस० सी० मिल्लर की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई थी, जिसमें राज्य सरकार की नौकरियों में गैर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाए, इस बारे में बताया गया था। 1916 के आसपास मद्रास में

ब्राह्मणों की जनसंख्या 3.1 थी लेकिन उनका सारी सरकारी नौकरियों में वर्चस्व था और ब्रिटिश शासन काल में किस की सिफारिश पर लोगों को नौकरियां मिलती थी, राय साहब, खान बहादुर, जो ब्रिटिश शासन काल के मुसाहिब थे, उन लोगों की सिफारिशों पर नौकरियां मिलती थी, उस समय ऐसी स्थिति थी। आप जानते हैं कि उसके बाद सन् 1932 में पूना पेक्ट हुआ, बाबासाहेब डा० अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। हमारे रंगा साहब यहां पर बैठे हुए हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं, स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं इसलिए उस वक्त बाबासाहेब डा० अम्बेडकर के आगे स्वर्गीय श्रीमति कमला नेहरू, कसतूरबा गांधी ने अपना आंचल फैलाया कि गांधी जी के जीवन को रक्षा आप प्रदान कीजिए, उनका जीवन बचाइए और देश के सभी हिन्दू नेताओं ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, सब लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे और कहा था कि बाबासाहेब डा० अम्बेडकर पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ दें। 1931 में जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था उस वक्त बाबासाहेब ने भी पृथक निर्वाचन की मांग की थी। मैं पूना पैक्ट में जो बातें हैं, उसमें जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि उसमें जाने से काफी समय लगेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि वे समय ऐसा था। संविधान सभा ने, कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में बाबासाहेब डा० अम्बेडकर ने कहा—

[अनुवाद]

"जो भी व्यक्ति मसौदे की भाषा को पढ़ेगा, उसे पता लगेगा कि उन्होंने इसे सरकार के निर्णय पर छोड़ दिया है।"

[हिन्दी]

उन्होंने कहा था कि इसको राज्य सरकारों और सरकारों पर छोड़ दीजिए। श्री के०एम० मुंशी ने कहा कि संविधान सभा में—

[अनुवाद]

"हम चाहते हैं कि पिछड़े वर्गों में जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं; सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए उनकी सहायता की जानी चाहिए।"

[हिन्दी]

श्री के० एम० मुंशी ने स्टेट सर्विसेज में बैकवर्ड क्लासिस को रखने की हिमायत की और आप जानते ही हैं कि हमारे शंकरानन्द जी, भूतपूर्व ला मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, आर्टीकल 338 सब क्लास 3 में बैकवर्ड क्लासिस के बारे में कहा है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं कि—

[अनुवाद]

अनुच्छेद 15(4) में राज्य को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए व्यवस्था कर सकता है।

अनुच्छेद 16(4) में राज्य को उस पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों अथवा पदों में आरक्षण की कोई व्यवस्था करने की शक्ति प्रदान की गयी है जिसे राज्य समझता है कि नौकरियों में उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है।

[हिन्दी]

इसीलिए ये जो व्यवस्था उस समय थी और आप जानते हैं कि इसी तरह से उसके बाद काका-

साहेब कालेलकर का कमीशन बिठाया और काकासाहेब कालेलकर का एक वाक्य मैं पढ़ करके आगे बढ़ता हूं।

[अनुवाद]

"वह इस बात से सहमत हैं कि उच्च वर्ग के हिन्दुओं को निम्न वर्ग के लोगों के प्रति की गयी उपेक्षा के लिए प्रायश्चित करना होगा। मैंने सरकार से यह सिफारिश की थी कि केवल पिछड़े वर्गों को ही सभी विशेष सहायता दी जानी चाहिए..."

[अनुवाद]

काका साहेब कालेलकर ने कहा :

"यहां तक कि गरीब और उच्च वर्ग के पात्र व्यक्तियों को इस विशेष सहायता के लाभ से वंचित रखा जा सकता है।"

[हिन्दी]

1956 में रिपोर्ट पेश की थी और तब कहा था। आज लोग यह तर्क देते हैं कि कास्ट नहीं क्लास है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बी० राजेन्द्रन वर्सेस मद्रास केस में रिकगनाइज किया है कास्ट को क्लास और उसने हैल्ड किया है।

[अनुवाद]

"जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है और यदि पूरी जाति सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है, तो अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत ऐसी जाति के पक्ष में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।"

[हिन्दी]

सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस जमाने में हुआ था। बालाजी वर्सेस मैसूर स्टेट का है जिसमें यह बातें कही गयीं। आज चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया। हमारे रावत साहब ने कल इसका जिक्र किया था। नाईक साहब ने बताया कि कांग्रेस को छोड़कर सभी के घोषणा पत्रों में छपा है। सन् 77 में यही बातें कही गई थीं और 89 में राष्ट्रीय मोर्चा का घोषणा पत्र बना उसमें भी यही बातें कही गई। भगत जी को याद दिलाता हूं कि आपने हम लोगों को निकाला और मुअत्तिल किया था। उसके बाद हमने जनमोर्चा बनाया था और प्रतिज्ञा पत्र में यह घोषणा की थी। जब हमें हाऊस में व्हीप इसू किया करते थे, उस वक्त की बात है...(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : आप व्हीप मानते थे लेकिन आप निकलना नहीं चाहते थे।

(व्यवधान)

श्री राम धन : कास्ट और क्लास की बात मैंने कही कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक माना है। अब मेरिट की बात है। आप इतिहास उठाकर देखें। जब तक इस देश में योग्य द्विजों का शासन चलता रहा तब तक विदेशी आक्रमण का देश शिकार रहा और हमलावरों ने देश को लूटा और गुलाम बनाया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक तर्क दिया जाता है और मेरिट की

बात कही जाती है । जब हम गुलाम थे तो आजादी की लड़ाई में सिपाही की तरह रंगा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे । उस वक्त अंग्रेजों ने क्या कहा । अंग्रेज कहते थे कि हिन्दुस्तानी निकम्मे हैं और नालायक हैं । इनको शासन देने से देश बरबाद हो जाएगा । वही तर्क आप दे रहे हैं । दूसरा तर्क आप नहीं दे रहे हैं । आप वही तर्क दे रहे हैं कि मैरिट खत्म हो जाएगी । आप मैरिट की बात करते हैं···

श्री हरीश रावत : हमने यह कभी नहीं कहा और यह तर्क कभी नहीं दिया, आप कैसे कह रहे हैं कि यह तर्क हमने दिया है, आप जबर्दस्ती थोप रहे हैं ।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : जो तर्क हाउस के बाहर सड़कों पर दे रहे हैं ।

श्री हरीश रावत : आप कहें तो जे० एन० यू० में आपके जो सदस्य हैं उनका नाम ले सकता हूं कि वे किसके लोग हैं ।

श्री राम धन : आपका जो मनु कमीशन है, "मनु कमीशन" के आधार पर आपने हमारे पर अब तक शासन किया है । तीन चौथाई से अधिक लोगों को गुलाम बनाकर रखा और शासन करते रहे । मैं उसमें अधिक नहीं जाना चाहता, जब आप कहते थे कि वेद का वाक्य हमारे कान में चला जाएगा तो सीसा पिघलाकर डाल दिया जाएगा, हमारी जुबान काट दी जाएगी, जब हम सड़कों पर निकलते थे तो डरते थे कि कहीं हमारी परछाई आप पर न पड़ जाए । आपके शासन में भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, कुनबापरस्ती और सम्प्रदायवाद खूब फला-फूला । भ्रष्टाचार इतना बढ़ा कि आप जानते हैं उसी भ्रष्टाचार के चलते आप आज उधर बैठे हैं और हम इधर आ गए हैं । हमारा आन्दोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था । आपको भगत जी याद दिलाऊं धिनेश सिंह जी नहीं हैं, जब हमारे साथ आपने इमर्जेंसी में भी ऐसा किया था तो सत्ता आपके हाथ से चली गई थी । जब हम पार्टी के सेक्रेटरी थे और आपने 20 महीने हमें जेल में डाला तो उसी वजह से आपकी सत्ता चली गई ।

श्री एच० के० एल० भगत : आप भी तब वहीं थे ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप भी हमारी वजह से वहां बैठ गए ।

श्री राम धन : श्री जनार्दन पुजारी जी हमारे पुराने मित्र हैं और मैं उनकी कद्र करता हूं । जब वह वित्त मंत्री थे और ग्रामीण विकास मंत्री रहे तो मैं उनके पास अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के केस लेकर जाता था तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होती थी, आज वह घड़ियाल के आंसू बहा रहे हैं । प्राइमरी शिक्षा के बारे में जो उन्होंने कहा उस पर जरा गौर करें···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, उन्होंने कहा है कि जब मैं मन्त्री था तो उन्होंने मेरे समक्ष कमजोर वर्गों के कुछ मामले रखे थे और उन्होंने कहा है कि मैं उन मामलों को सुनने के लिए तैयार नहीं था । महोदय, मैं श्री रामधन को एक उदाहरण दे सकता हूं कि एक हरिजन अधिकारी को यह कारण देते हुए कि उसका कार्य सन्तोषजनक नहीं है, उसे पदोन्नत नहीं किया गया था । लेकिन मैंने सभी सम्बद्ध पत्र और फाइलें मंगवाई थी और मन्त्रिमण्डल में यह बात रखी थी कि मैं कार्यालय आदेश बदलना चाहता हूं । उस समय सचिव, वित्त मन्त्रालय ने मुझे बताया कि अगर मैं उनकी पदोन्नति की सिफारिश करता हूं तो मुझे मंन्त्रिमण्डल से बाहर निकाल दिया जाएगा । फिर भी मैंने वे आदेश बदल दिए थे और अनुमोदन के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी को फाइल भेज दी थी । (व्यवधान) तब मैंने फाइल में कुछ

अधिकारियों द्वारा प्रतिस्थापन तथा दमन के बारे में लिखा था। मैंने कहा था कि पहले वाले आदेश तथा प्रतिस्थापन गलत थे। सचिव ने मुझे बताया था कि यह मामला श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रस्तुत किया जाएगा और उस स्थिति में मुझे सरकार से बाहर निकाल दिया जायेगा। उन्होंने कहा था कि यह संघ लोक सेवा आयोग तथा उनकी सिफारिश से हुआ था। लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जाति पर ध्यान दिए बिना मेरे विचारों का समर्थन किया। वह निर्धनतम वर्ग में से था और उसे पदोन्नति दी गई थी। मैंने तब यह भी कहा था कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। मैं यह श्री राम धन की जानकारी के लिए बता रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम धन : उपाध्यक्ष महोदय, ये पुजारी हैं, इसलिए भगवान से डरें। मैं भगवान के नाम पर इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इनके मन्त्रालय में कोई रिजर्वेशन सैल रहा ? मैं पार्लियामेंटरी कमेटी का चेयरमैन रहा हूं। मेरी जो रिपोर्ट हैं या मन्त्रालय के सम्बन्ध में जो मैंने कहा है, किसी ने आज तक चैलेंज नहीं किया और मेरे कार्यकाल की जितनी रिपोर्ट हैं, उसके बारे में विभिन्न मन्त्रालयों ने एतराज नहीं उठाया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन मन्त्रालय में रिजर्वेशन सैल गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के आदेशानुसार नहीं रहते हैं, वे क्या करेंगे ? (व्यवधान)

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी स्कूल की एजूकेशन के बारे में बात कही कि पेड़ के नीचे लड़के पढ़ते हैं, स्कूल नहीं हैं, पाठशाला नहीं है और टीचर्स नहीं हैं। मैं पुजारी जी की इस बात से सहमत हूं लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? आपने बड़ी भारी क्रान्ति की ? आप्रेशन ब्लैक बोर्ड की एक स्कीम चलायी लेकिन उसमें क्या हुआ ? कहीं टाट-पट्टी नहीं, बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं, कुछ भी तो नहीं है। एक बात और कहूंगा कि इनकी सरकार ने हर प्राइमरी स्कूल में टी० वी० सैट दिया, एन्टीना दिया लेकिन एक भी टी० वी० सैट नहीं चला और सारा पैसा इनके बिचौलिए खा गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो यह प्राइमरी स्कूल एजूकेशन, माध्यमिक शिक्षा……

उपाध्यक्ष महोदय : राम धन जी आप कितना टाईम और लेंगे।

श्री राम धन : मैं थोड़ा सा और ज्यादा टाईम लूंगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की जो हालत है, सामूहिक नकल गोली-बन्दूक रखकर कराते रहे। जितने भी एग्जामिनेशन्ज सैंटर थे, सब बिकते रहे हैं एक लाख-दो लाख में बिकते रहे हैं वहां नकल कराने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बात यहां मण्डल कमीशन के बारे में कही जाती है कि अगर एजूकेशन के मामले में इनको दाखिला मिल जायेगा तो वे योग्य नहीं रहेंगे, वे काबिल नहीं हो सकेंगे। मैं पूछता हूं कि कर्नाटक में प्राइवेट कालेज और स्कूल कौन चला रहा है, किसने वहां व्यवसाय खड़ा कर दिया है, व्यापार खड़ा कर दिया है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है जो एक लाख रुपए, दो लाख रुपए और तीन लाख रुपए लेकर वहां मेडिकल कालेजों तक में दाखिला देता है। वहां एक डाक्टर अम्बेडकर मेडिकल कालेज है, वह कौन चला रहा है, पैसा लेने के लिए कौन जिम्मेदार है ? कर्नाटक में कैपिटेशन फी क्यों ली जाती है। जहां पर कैपिटेशन फी लेकर नालायक लड़कों को भर्ती किया जाता है, 40 फीसदी मार्क्स वाले लड़कों को भर्ती किया जाता है, क्या पैसा देकर भर्ती होने वाले वे लड़के, बैकवर्ड क्लासेज के लड़कों से अच्छे निकल सकते हैं या शैड्यूल्ड कास्ट्स के लड़कों से अच्छे निकल सकते हैं। आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। आपने वहां प्राइवेट कालेजों का जाल बिछा रखा

है,···**

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : महोदय, इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, ऐसा किया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम धन : मैं हाथ जोड़कर रावत साहब उसके लिए सदन से क्षमा मांगता हूं इसे आप समाप्त लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री राम धन : आज क्या हालत है कि भर्ती के वक्त रिश्वत, पोस्टिंग के वक्त रिश्वत, प्रोमोशन के वक्त रिश्वत, जो 40 सालों से चलती आयी है। यहां तक कि ट्रांसफर के लिए भी रिश्वत चलती थी। अब हम लोगों ने भूमि सुधार से सम्बन्धित जो कानून लाया है, उसके बारे में, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों का देश की अधिकतर जमीन पर कब्जा रहा है। कुछ लोगों ने आज भी बेनामी तरीके से जमीन अपने कुत्तों और बिल्लियों के नाम सरकारी कागजात में दर्ज करा रखी है। उन जमीनों का लाभ कौन उठा रहा है ? यदि इसके विरुद्ध देश में आन्दोलन चले, सरकारी कागजात दुरुस्त करने के लिए आन्दोलन चले तो बात समझ में आ सकती है। आज देश के अधिकतर बड़े उद्योग या कारखाने किसके पास हैं···(व्यवधान) टाटा, बिड़ला या अम्बानी आदि क्या बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं। कौन देश के तमाम बड़े उद्योगों को चला रहा है, कारखानों को चला रहा है और मजदूरों का शोषण कर रहा है। इस देश में एक क्लास हड़पने वालों की है और दूसरी क्लास तड़पने वालों की है। हड़पने वाली क्लास में ये लोग हैं और तड़पने वाली क्लास में वे गरीब मजदूर हैं, जो तड़प रहे हैं, जिन्हें आज भी उचित मजदूरी नहीं मिलती।

उपाध्यक्ष जी, यहां पर आर्थिक आधार की बात की जाती है, जो लोग आर्थिक आधार की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भ्रष्टाचार की एक और नई दुकान खोलना चाहते हैं। लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार फर्जी सर्टिफिकेट देते हैं, मैं यहां एक-एक प्वाइंट पर बोलना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि जातियों का यहां रिकग्नीशन नहीं है, मैं पूछता हूं कि क्या भारत सरकार जातियों के आधार पर वजीफे नहीं देती, स्कॉलरशिप नहीं देती, उसे अब तक कैसे आइडैन्टिफाई किया जाता रहा है। इसलिए इस बारे में आप लोगों को सोचना है। हमारे दिनेश सिंह साहब सन् 1977 में कांग्रेस पार्टी में थे, जब हम लोग जेलों से छूट कर आए तो हमने जनता पार्टी बना ली और चुनावों में

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

जीतने के बाद हुकूमत में आ गए, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर राज्यसभा के लिए यहां चले आए और फिर छोड़कर चले गए। इस समय वे यहां हैं नहीं। और फिर छोड़कर के चले गए, आज यहां हैं नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इमरजेंसी में हम जेल में थे, उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद दिलाऊं—आप भी हमारे साथ जनता पार्टी में थे, तो हम लोगों को बाहर यह सुनाई पड़ता था—जैसा आज कांग्रेस के भूतपूर्व मन्त्री ने कहा कि महात्मा गांधी ब्राह्मण थे, तो उस वक्त जो नारा लगता था वह यह था—

"देश की नेता इंदिरा गांधी
युवाओं के नेता संजय गांधी
बच्चों के नेता राहुल गांधी।"
...*...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तिम वाक्य कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी निकृष्ट बात को कोई कह नहीं सकता और जो राम धन जी ने कहा है, यह बड़ी निन्दनीय बात है। यह रिकार्ड में नहीं जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्रीमती जे० जमुना (राजामुन्द्री) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर, ये क्या बात कर रहे हैं। ऐसी बात रिकार्ड से निकाली जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आज जमुना जी ज्यादा उमड़ रही हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम धन : इसको निकालने या न निकालने से, कुछ नहीं होगा। **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से राम धन जी को बताना चाहता हूं कि ऐसी बात कोई कांग्रेसी सोच भी नहीं सकता है, कहनी तो दूर रही। **(व्यवधान)**

श्री राम धन : रावत जी, मैं आपके माध्यम से दिनेश सिंह जी को बतलाना चाहता हूं कि जब राजा दिनेश सिंह जी, को कांग्रेस पार्टी से मुअत्तिल किया गया था, तब उनकी मुअत्तिली के खिलाफ मैंने और एक विक्रमगंज के श्री शिवपूजन शास्त्री थे, जो रेडिकल डैमोक्रेट थे, हम लोगों ने दिनेश सिंह जी के पक्ष में बयान दिया और श्रीमती इन्दिरा गांधी से इस सम्बन्ध में पूरी बात कही और फिर उनकी मुअत्तिली वापस हुई और फिर ये आज इस तरह की बातें करते हैं। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं, **(व्यवधान)** उन्होंने हमको भी कल यह कहा कि हम इधर बैठे हैं, **(व्यवधान)** लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं और उनको यह मानना चाहिए कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी अल्पमत में थीं तो उस वक्त पार्लियामेंट्री पार्टी के सैक्रेट्री थे और उस वक्त वह वामपंथी दल की सहायता से सरकार चला रही थी, हम, चन्द्रशेखर जी, कृष्णकान्त जी और मोहन धारिया, इन 4 लोगों ने कांग्रेस की नीति में परिवर्तन लाया। उसके अनुसार बैंक नैशनलाइजेशन और प्रिवीपर्स को खत्म करने का काम किया, यह काम अल्पमत सरकार ने ही किया था। 16 राज्यों में स्टेट कमीशन या कमेटी बनी है और उन्होंने रिकमैंड किया है, यूनियन टैरीटरीस में कमेटी और कमीशन बना, उन्होंने रिकमेंड किया ओ० बी० सी० के

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए। दक्षिण भारत में जहां से श्री पुजारी आते हैं, कर्नाटक में श्री देवराज अर्स ने कितना किया था, कितना आरक्षण दिया था, तमिलनाडू में कितना मिला है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं वे गुमराह करने की बात करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब तक चुनाव प्रणाली में कोई सुधार नहीं होता है तब तक यह जातिवाद खत्म होने वाला नहीं है। हम लोग मुद्दत से कहते चले आ रहे हैं कि जातिवाद को खत्म करने के लिए यह जरूरी है। जब मण्डल कमीशन की बात आती है तो आपको जातियां दिखाई देती हैं, जब वोट मांगने जाते हैं तो जातियों के नाम पर वोट मांगते हैं और उसी के आधार पर चुनकर आते हैं। जब उम्मीदवार खड़े करते हैं तब भी जाति के नाम पर देखते हैं कि किस कांसटीटूऐंसी में किसका बाहुल्य है। आज जाति की हालत यह है कि मजहब की सीमा भी पार हो गई है। गूजर की एक कान्फ्रेंस हुई, उसमें कश्मीर के प्रतिनिधि गूजर मुसलमान भी शामिल हुए। हमारे देश में इस तरह की जाति व्यवस्था है जो सारे समाज को खा रही है। मण्डल कमीशन लागू होने से जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा, आजादी के बाद से इस देश में जो चुनाव प्रणाली लागू की, उस वक्त से जातिवाद को बढ़ावा मिला। मैं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि हम जो दलित हैं वे समाज में सबसे नीचे हैं। जो पिछड़े वर्ग के भाई हैं वे हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं। ऐसा होता रहा है। हम यह बात इसलिए कहना चाहते हैं कि इसके बारे में हमारे दिल पर चोट है, हम जन्म से दबाए जाते रहे हैं। महाभारत का किस्सा रामनायक जी ने बताया। एकलव्य का अंगूठा किसने काट लिया, वह योग्य था उसका अंगूठा काट लिया। इन सारी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि जो पिछड़े वर्ग के भाई हैं वे लोग दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार न करें। इस देश में बेलछी हुआ, बिश्रामपुर, पिपरा, अरवल, दमका, आन्ध्र प्रदेश का कमंकेडू हुआ, आगरा अभी हुआ है, हम घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, यह मौलिक अधिकार भी हमारा नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम तो आजादी की लड़ाई के सिपाही हैं, उसके लिए खून भी देना पड़े तो उसके लिए भी तैयार हैं लेकिन उनकी ओर से भी ऐसा होना चाहिए कि किसी प्रकार का अन्याय हमारे साथ नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा कि क्यों यह जल्दबाजी में लागू कर दिया गया। यह जल्दबाजी में नहीं बहुत सोच-समझकर जब इलैक्शन मैनीफैस्टो और उसके लिए जनमोर्चा में नीति वक्तव्य की घोषणा सारी दुनिया में की तब ही हमने निर्णय कर लिया और हम तो यह कहते हैं कि जो लोग उस निर्णय के मुताबिक हमारे साथ चलने से रह गए हैं वे लोग भी साथ आएं।

6.00 प० म०

मैं आज यह कहना चाहता हूं कि हमें प्रधान मन्त्री के साथ रहने का और उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। मैं उनसे कहना चाहता हूं इसमें किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आनी चाहिए। हमने देश के सम्मुख जो घोषणा की है उसका पालन होना चाहिए। देश का 3/4 से अधिक बहुमत हमारे साथ है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कोई छुरा या बन्दूक लेकर नकल करते हैं वे लोग अगर सड़कों पर आन्दोलन करने के लिए निकल आए तो हम ऐसा समझते हैं कि उससे देश में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है।

वैसे हम अपने आरक्षण के बारे में भी चिंतित हैं और इसलिए चिंतित हैं कि बुढ़िया के मरने का डर नहीं फिरिश्ते घर देख लेंगे। अगर बैकवर्ड क्लासिज के कमीशन को आपने खत्म कराने की कोशिश की या उसे करवाया तो दूसरे दिन हमारे ऊपर भी हमला करेंगे। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्-

यूल्ड ट्राइब के लोगों के कमीशन के बारे में हमारे राम नाईक जी कितना भी कहते रहेंगे लेकिन वह आरक्षण को खत्म करने की बात करेंगे।

आपने इतना अधिक समय मुझे बोलने के लिए दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सचेतकों और विभिन्न पार्टियों के नेताओं से जानना चाहूंगा कि क्या वे चर्चा जारी रखना चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : कल।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अभी एक घण्टा और बैठ सकते हैं। यह तय हुआ था कि आज इसको पूरा करना है और कल दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने से सम्बन्धित संविधान संशोधन बिल आएगा (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तथा विभिन्न पार्टियों द्वारा जो सूची मुझे दी गयी है, वह बहुत लम्बी है। निःसन्देह, जनता दल, राष्ट्रीय मोर्चा ने अपनी सूची कम कर दी है उन्होंने संख्या कम करके 18 से 3 कर दी है। लेकिन, मुझे दूसरों द्वारा सूची दी गयी है और मेरे विचार से इस मुद्दे पर उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन, हमें कुछ और समय तक इसे जारी रखने दीजिए।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां। (**व्यवधान**)

डा० तम्बि दुरै (करूर) : कक्ष में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हमें देर तक बैठना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री वसन्त साठे बोलेंगे।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : हमने व्यक्त विचारों को बहुत ध्यान से सुना है और मुझे यह कहना है कि वाद-विवाद काफी उच्च स्तर पर शुरू किया गया था। कल मैं श्री हुकमदेव नारायण यादव के भाषण से बहुत प्रभावित हुआ था।

मण्डल आयोग ने स्वयं कहा है कि तथा यदि आप पिछड़ेपन की इस समस्या की जड़ तक नहीं जाते तो आरक्षण के लिए यह कदम उठाना पर्याप्त नहीं है। इसलिए, मैं शुरू में यह कहना चाहूंगा कि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर हम समस्या की जड़ तक आते हैं तो हम पाएंगे कि मुख्य समस्या इसी प्रथा के कारण पैदा हुई है जो पिछले 3,000 वर्षों या उससे अधिक समय से है।

महोदय, मैं मण्डल आयोग से उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें 'बाला जी बनाम स्टेट आफ मैसूर' के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के प्रथम निर्णय, जो इस विषय पर मुख्य निर्णय है, को उद्धृत किया

गया है :

"यद्यपि समाजशास्त्रियों और वैदिक विद्वानों के अनुसार जाति प्रथा मूलत व्यवसाय या कार्य के आधार पर शुरू हुई थी, समय के साथ-साथ यह दृढ़ व अपरिवर्तनीय होती चली गयी। जाति प्रथा के विकास का इतिहास यह बताता है कि जातियों का वृत्तिमूलक और व्यावसायिक आधार बाद में कर्मकाण्डी धारणाओं पर आधारित शुद्धता के साथ जुड़ गया और इसमें अपरिवर्तनशीलता और कठोरता आ गई..."

यह कठोरता मनुस्मृति के कारण ही आयी थी। मैं तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारी इस प्रथा का मुख्य दोषी मनु स्मृति से उत्पन्न वह धारणा है जहां उन्होंने कहा था...(व्यवधान) महोदय, इससे मुझे वह देखने का अवसर मिलता है जो कुछ उसमें कहा गया है। आपको आश्चर्य होगा कि 'युगों' का वर्णन भी वर्ण और चतुर्वर्ण के नामों पर किया गया था।

[हिन्दी]

"ब्राह्मणां कृतयुगे प्रोनद मेवक्तु क्षत्रिय युगम वैश्यो द्वापर मित्याहुः शूद्रे: कलेयुगः स्मृतः" कृतयुग ब्राह्मण का, त्रेता क्षत्रिय का, द्वापर वैश्य का और कलयुग शूद्र के कहलाए जाते हैं। सारे युग के युग, यह मनुस्मृति है। अब आप देखिए, फिर उन्होंने कहा...(व्यवधान)...ब्राह्मण के कर्म, क्षत्रियों के कर्म, वैश्यों के कर्म, शूद्र के कर्म, यह डैस्काइब करने के बाद, शुरू में कहीं भी जन्म के आधार पर वर्ण नहीं थे, यह एक महत्व की बात समझ लेने की है...(व्यवधान)...मैं आज हाथ जोड़कर यह कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप यदि अपने मित्रों से कहें...(व्यवधान)...देखिए, जरा सुन लीजिए।... (व्यवधान)...डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो कुछ बात मैं आपको बताऊंगा...(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में अगर आप यह बता दें कि "जन्मना जायते शूद्रो" यह लिखा हो तो मैं संसद सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा। आप व्यर्थ का व्यतंडावाद उठा रहे हैं।

श्री वसंत साठे : मैंने तो मनुस्मृति का बताया कि जन्म के आधार पर नहीं था, बाद में हुआ, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा। शुरू में जैसे भागवत् गीता का भी वचन है "चातुर्वर्णम मयासृष्टम्, गुण कर्म विभागतः, जन्म जाति विभागतः" कहीं भी नहीं कहा है, जो हुक्मदेव जी कल कह रहे थे...

(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (सीतामढ़ी) : कर्म को किस आधार पर छाप दिया था ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं। उन्हें उत्तर मत दीजिए।

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : जो गीता में कहा, वही चीज आदि शंकराचार्य ने कही, क्योंकि, आप देखेंगे कि अद्वैत के आधार पर फिर से जब वैदिक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हुई तो उस वक्त आदि शंकराचार्य की बात यदि मानी जाती तो आज यह सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता। आदि शंकराचार्य ने कहा था "ना जात्या ब्राह्मणाश्चक, क्षत्रिय वैश्य एवं चः, न शूद्रोनाशवा मलेच्छो भेविनः गुणकर्मण्य"

और अभी जो जोशी जी कह रहे थे "जन्मना जायते शूद्रो, संस्काराद्विज मुच्यते ।" प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र है—आदि शंकराचार्य । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन्टरप्शन रिसपांड न करें ।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश का...

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : साठे जी, आदि शंकराचार्य ने कहा है, लेकिन पुरी के शंकराचार्य ने क्या कहा है ? (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : इस देश का दुर्भाग्य है कि आदि शंकराचार्य ने जो बात कही है, वह सब को मिलाने की बात थी, अद्वैत बात थी। उन्होंने सारे मठ स्थापित किए, दुर्भाग्य से उसके बाद मठाधीश और ब्राह्मण लोगों ने उसको संस्था बना डाला, ठेकेदारी बना डाला और जन्म के आधार पर जो जाति व्यवस्था बनाई, उसी से यह सारा नुकसान भारत में हुआ है...(व्यवधान)...आज भी मैं यह कभी-कभी कहता हूं, हमारे देश के आज भी जितने शंकराचार्य हैं यदि ये वहां राम जन्म भूमि में जाने के बजाए, यदि इकट्ठे होकर केवल आदि शंकराचार्य ने जो कहा था, उस बात को दोहराएं और कहें कि जन्म के आधार पर कोई जाति नहीं होगी, तो इस देश में और समाज में क्रान्ति हो जाएगी। लेकिन आज जन्म के आधार पर जातियां बन गयीं, यह सारा भ्रष्टाचार युगों-युगों से चला आ रहा है, उसको मिटाने का निर्णय आजादी के आन्दोलन में जो लोग थे, उन सारों ने मिलकर जब यह कहा कि हमारा स्वपन यह है कि इस देश में जाति-विहीन, कास्ट-लैस और क्लास-लैस सोसाइटी का निर्माण करेंगे—यह आजाद भारत का हमारा सपना है। सब लोगों ने, एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, बाबा अम्बेडकर साहब से लेकर महात्मा गांधी तक, जिसने यह कहा कि हम जाति के आधार पर समाज बनाना चाहते हैं ।

श्री राम धन : महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के पक्ष में थे ।

श्री वसंत साठे : वर्ण-व्यवस्था का तो मैंने आपको बताया ही । वर्ण-व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी । वह यदि आप मानते हो, तो कोई झगड़ा नहीं है । जब जन्म के आधार पर आता है तो झगड़ा होता है—रामधन जी । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज जो झगड़ा हमारे यहां हो रहा है, वह किस बात का है। हम क्या समाज बनाना चाहते हैं—इस बारे में हमको कहना है। मैं तो हमारे विश्वनाथ जी को आधुनिक मनु समझता हूं । मनु ने जन्म पर आधारित, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या दुष्ट समाज बना दिया, आपको आश्चर्य होगा यदि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने यह कहा—

"विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेवर्णयोर्द्वयोः
वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्षडेते पसदाऽस्मृता ।"

ब्राह्मण से तीन वर्ण वाली स्त्रियों में, क्षत्रियों से दो वर्ण वाली स्त्रियों में, वैश्य से एक शुद्र वाली स्त्री में यदि छः पुत्र निर्माण होते हैं, तो वे निकृष्ठ कहे जाते हैं । शुद्र से वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण की कन्या में उत्पन्न पुत्र क्रमशः "आयोगव, क्षत्ता" और मनुष्यों में नीचतम चाण्डाल संज्ञक होता है—यह क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : साठे जी, इस रद्दी किताब को कृपया आप कोट न करें, तो ज्यादा अच्छा है। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : इस देश में इसको मानने वाले लोग हैं। जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था··· (व्यवधान) जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को एक बार किसी भी उत्साह, जोश या किसी भी इरादे से यदि हमने ले लिया तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, जो धोखा हम कर रहे हैं, उसमें आप वे मनु होंगे जो मनुस्मृति को वापस लायेंगे। इसलिए हमारे हिन्दू ला में ये स्पष्ट कहा गया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप मनु की बात करते रहेंगे तो आप कभी भी आधुनिक युग में नहीं आ सकेंगे।

श्री वसंत साठे : आप मनु को मण्डल के माध्यम से ला रहे हैं और मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जो पाप किया गया था, मण्डल कमीशन उसको धो रहा है।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : पहले सुन तो लो मेरे भाई, आप जो करने जा रहे हैं, उससे आप इसको धो नहीं रहे हो, मैं यह कर रहा हूं कि इसको आप वापस ला रहे हो। सर, हिन्दू ला कमेंटरी से—

[अनुवाद]

"हिन्दू ला कहता है कि यद्यपि जातिवाद असंगत है फिर भी इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि धर्म परिवर्तन के बाद कुछ पीढ़ियों तक भी इसके चिन्ह खत्म होते प्रतीत नहीं होते।"

[हिन्दी]

अब आप ये देखेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, आप मण्डल आयोग के मार्फत, उसके इम्पली-मेंटेशन करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो कांस्टीट्यूशन ने कहा था उसके विपरीत कदम लेकर आप प्योरली कास्ट बेसिस और कास्ट जो जन्म पर आधारित है, उसके आधार पर आप रिजर्वेशन देने का प्रयास कर रहे हैं, ये धोखा है। पण्डित जी ने कहा था कि ऐसा नहीं करना है मैं उनको कोट करना चाहता हूं सर, ये जो शब्द 1951 में जब ये अमेंडमेंट लाया गया तो उस समय आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4), उसके ऊपर बोलते समय कहा था—

[अनुवाद]

जवाहर लाल जी ने कहा था :

"हमारे दूसरे महत्वपूर्ण उद्देश्य पर ध्यान दें। वह है समतावादी या किसी अन्य कोई समाज का निर्माण जिसमें जन्म या आय या स्थिति के आधार पर अन्तर अधिक नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए हम अनेक मतभेदों को समाप्त करना चाहते हैं जो हमारे समाज में पैदा

हो गए हैं। मैं जातिव्यवस्था और धार्मिक भिन्नताओं के बारे में कह रहा हूं—आप उन्हें किसी भी नाम से पुकारें। आर्थिक असमानताएं भी हमारे समाज में हैं। हम उनके प्रति सजग हैं और हम इसका समाधान करना चाहते हैं यद्यपि वह हमेशा सन्तोषजनक नहीं होता। इस प्रकार यह हमारे उद्देश्यों में से एक है कि उन असमानताओं से मुक्ति पायें और हम भारत के हर व्यक्ति को अपना विकास करने का अवसर देना चाहते हैं और साथ ही एक संयुक्त राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने वर्ग या जाति के बारे में सोचने के बदले संपूर्ण समुदाय के बारे में सोचे।"

महोदय, यह उन्होंने संशोधन प्रस्तुत करते समय यह कहा था।

बाद में मुख्य मन्त्रियों को सम्बोधित करते समय पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था :

"यदि हम साम्प्रदायिक और जातिगत आधार पर आरक्षण देते रहे तो हम प्रतिभाशाली और योग्य व्यक्तियों को डुबो देंगे और दूसरे दर्जे के बनकर रह जाएंगे। मुझे यह देखकर दुःख हो रहा है कि किस हद तक हम सम्प्रदाय पर आधारित आरक्षण की व्यवस्था के बारे में सोचने लगे हैं···।"

"यह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पदोन्नतियां भी कभी-कभी सम्प्रदाय और जाति के आधार की जा रही हैं। इसमें मूर्खता ही नहीं विनाश भी है। हम पिछड़े वर्गों की हर तरह से सहायता करें परन्तु क्षमता के मूल्य पर नहीं।"

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप इस बात को इतना लम्बा क्यों कर रहे हैं? थोड़े में, आप केवल इतना कहें कि आप मण्डल आयोग का विरोध करते हैं। एक वाक्य में वे समझ जायेंगे। एक छोटा वाक्य ही अच्छा रहेगा। आप कहें "मैं मण्डल आयोग के विरुद्ध हूं।"

श्री बसन्त साठे : अपनी गलती को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। कृपया धैर्य रखें और अपनी गलती को स्वीकार करें। आप वह कह रहे हैं जिसे उन्होंने 'विनाश' की संज्ञा दी है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं। मौलिक तौर पर हमने क्या किया है?

मैं केवल उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय को मण्डल आयोग के सम्बन्ध में उद्धृत करना चाहता हूं (व्यवधान) हम यह क्यों कहते हैं कि यह संविधान के विरुद्ध है तथा संविधान के क्षेत्राधिकार से बाहर है। चूंकि वे जातिगत के आधार को ले आए हैं न कि ऐसे वर्ग आधार को जिसमें आर्थिक स्थिति का भी महत्व हो। इसीलिए यह संविधान के विरुद्ध है। मैं न्यायाधीश सुब्बा राव के द्वारा आर० चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य के मामले में दिए गए निर्णय को उद्धृत करना चाहता हूं। उनका कहना है :

"अनुच्छेद 15(4)—जाति के बारे में नहीं बल्कि केवल वर्ग के बारे में है। यदि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य जाति को भी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की इकाई मानने का होता तो उन्होंने जैसाकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में कहा है, इस बारे में भी कहते हैं।"

कहां हैं प्रो० मधु दण्डवते? उन्हें उत्तर देना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। प्रधानमन्त्री यहां हैं। (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : न्यायाधीश सुब्बा राव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा :

"यद्यपि यह सुझाव दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 15 के खण्ड (4) में 'वर्ग' की व्यापक अवधारणा दी गई है चूंकि जाति रहित समुदाय भी हैं और संविधान के निर्माताओं को 'पिछड़ा वर्ग या जाति' जैसी अभिव्यक्ति का प्रयोग करने से किसी ने रोका नहीं था। अनुच्छेद 15(4) में 'पिछड़ा वर्ग' और 'अनुसूचित जाति' दोनों अभिव्यक्तियों का साथ-साथ आना इस बात का तर्कसम्मत परिणाम है कि 'वर्ग' की जो अवधारणा है वह जाति की अवधारणा के समानार्थी नहीं है।

संवैधानिक उपबन्धों की रूपरेखा के अनुसार 'जाति' और 'वर्ग' समानार्थी नहीं माने जा सकते।

यदि हम 'वर्ग' की अवधारणा की व्याख्या 'जाति' की अवधारणा जैसी करें तो संविधान का उद्देश्य विफल हो जाएगा और वे लोग जिन्हें वास्तव में यह लाभ मिलना चाहिए इससे वंचित रह जाएंगे और यह लाभ उन लोगों को मिलेगा जो इसके पात्र नहीं हैं।"

इसे रद्द नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में वसन्त कुमार बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में निर्णय दिया गया है। उसमें इसी बात को दोहराया गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार का उद्देश्य क्या है? क्या है? क्या वे संविधान के उपबन्ध अनुच्छेद 15 और 16 के विरुद्ध जाना चाहते हैं? तो फिर उन्हें कहना चाहिए कि 'वर्ग' शब्द का अर्थ केवल 'जाति' ही है, जैसाकि मण्डल आयोग ने कहा है। यदि यही इरादा है तो साहस के साथ कहें। यदि आप चाहें तो संविधान में संशोधन कर लें। आप यह कहें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तरह ही, जैसा हमने "पिछड़ा वर्ग" कहा है उसमें "वर्ग" शब्द के स्थान पर "जाति" शब्द को रख दिया जाए। यदि आप यह करना चाहें तो ऐसा साहस करें। तब यह नहीं भूलें कि आप, जैसाकि उच्चतम न्यायालय ने कहा है, देश में जाति व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं। महोदय, जितना भी समय आप गुजार लें, जितने भी वर्ष गुजार लें, सभी यादव, सभी कुर्मी, सभी धोबी, और हमारे अन्य सभी पिछड़े समुदाय के लोग आने वाले समय में मंत्री बन सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : कर्नाटक में वर्क साहब ने कास्ट पर किया था या क्लास पर किया था?

श्री वसन्त साठे : उससे क्या लेना-देना। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप जो सेन्ट्रल ला में तब्दीली करने जा रहे हैं वह सोच-समझकर कीजिए। कास्ट का आधार एक बार लाओगे यह समझ लीजिए कि एक बार यदि आपने ओन्ली कास्ट फेक्टर रखा तो खतरा क्या है यह समझ लो मेरे भाई, आप संवैधानिक प्रोवीजन में आज सारे देश में···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चांद राम (हरदोई) : उपाध्यक्ष महोदय···(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा, मैं आपको चांस दूंगा बोलने के लिए।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतांत्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री बसन्त साठे : महोदय, नवीनतम और पहले के निर्णय में कहा गया है कि आर्थिक आधार, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण मानदण्ड है।

[हिन्दी]

बाला जी के केस में, पहले ही केस में।

[अनुवाद]

महोदय, मैं बाला जी के मामले में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या को उद्धृत करना चाहता हूं। संविधान में ऐसी व्याख्या नहीं है।···(व्यवधान)··· मैं उद्धृत करता हूं : "जिन वर्गों के नागरिक बहुत अधिक गरीब होते हैं वे स्वतः सामाजिक रूप से पिछड़ जाते हैं।" (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : एक भी राज्य नहीं है जिसने कास्ट को आधार बनाया हो।

श्री बसंत साठे : आप सुनें, आज देश में क्या करने जा रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में आपकी सरकार है। क्या आप जाति व्यवस्था के बजाए वर्ग व्यवस्था को आरक्षण देंगे ? क्या आप सभा को यह आश्वासन देंगे ? (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : इसका निर्णय आपको करना है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी, नहीं। वहां पहले से ही आपकी सरकार है। आप सभा को आश्वासन दीजिए कि आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में आप इसे रद्द करेंगे और उसके बाद विभिन्न मानदंडों में परिवर्तन करेंगे···(व्यवधान) तब हमें इस तरह के उपदेश मत देना। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : इसी वजह से वे मण्डल आयोग को लागू नहीं कर रहे हैं। आप इसे लागू कर रहे हैं। इसलिए यह बताना आपकी जिम्मेदारी है कि आप संविधान में क्या करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं आपको कल जवाब दूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे : कर देना वही तो कह रहा हूं, आज तो आग लगा रहे हो। इस देश को जातिवाद की व्यवस्था को वापस लाकर, आधुनिक मनु महाराज तोड़कर रख दोगे, देश को टुकड़ों-टुकड़ों में बांट दोगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक मिनट, मैं बीच में नहीं टोकता। साठे जी के तर्क का लब्बेलुबाब यह है कि जाति के आधार नहीं, क्लास के आधार पर होना चाहिए, इसकी दीक्षा हम लोगों को बेद से दे रहे हैं, वेदकाल से हमें यह दीक्षा मिल रही है। राजनैतिक ईमानदारी का सवाल है, अगर

आप विश्वास करते हैं तो आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक जहां आपका राज है आप स्पष्ट करें सदन में कि मेरी राजनैतिक ईमानदारी है कि यह गलत आधार है हम वहां कल पास करके इस आधार पर कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री राम धन : आज तक भारत सरकार ने जाति के आधार पर लड़कों को वजीफा दिया है, आपकी सरकार ने दिया है।

श्री बसंत साठे : मण्डल आयोग के आज इतने पक्ष में हैं, यह 1980 में आया, जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो क्या कहा था। केबिनेट में जब थे प्राइम मिनीस्टर इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी के समय तो एक बार भी आपने कुछ लिखा हो तो बता दो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मिश्रा जी के मण्डल कमीशन पर रहने जा रहे हैं, कभी दिमाग में घुसा था, कभी नहीं घुसा।

श्री बसंत साठे : आप खुद मुख्य मंत्री थे तो आपने मण्डल कमीशन को इम्प्लीमेंट कहां किया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं बताना चाहता हूं, आपने प्रश्न पूछा मैं जवाब देता हूं। उस समय जनता पार्टी के शासनकाल के बाद 1980 में मुख्यमंत्री हुआ वहां पर पिछड़े वर्ग के लिए 15 परसेन्ट आरक्षण किया था। नोटिफिकेशन में कहीं चतुराई हुई और यह कर दिया कि 15 परसेन्ट मैक्सिमम। मेरे दस्तखत से 15 परसेन्ट मिनिमम हुआ और मैरिट में जो आवेंगे, वे अलग से आयेंगे। मेरे शासनकाल के समय में स्कालरशिप का प्रावधान नहीं हो पाया था, बीच में इलेक्शन्ज आ गया था तो भी चार करोड़ रुपए का प्रावधान पिछड़े वर्ग के लिए मैंने किया था और पहली बार आजादी के बाद मेरे ही शासनकाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछड़े वर्ग का जज हुआ।

श्री बसंत साठे : यह मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ। सवाल मेरा साफ था कि आप दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री बने। इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी की कैबिनेट में रहे लेकिन आपके वक्त में नहीं हुआ कि आपका स्टेटमेंट आता कि मण्डल कमीशन इम्पलीमेंट होना चाहिए, बाकी की चीजों पर मैंने कुछ नहीं कहा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपने या राजीव जी की कैबिनेट के किसी मन्त्री ने भी यह नहीं कहा कि मण्डल कमीशन को लागू करिएगा ?

श्री बसंत साठे : कैबिनेट में आया था, आपके कहने की जरूरत नहीं है। सर, मैं यह कह रहा था···(व्यवधान)

इन्होंने कभी नहीं कहा—एक जगह भी कि मण्डल कमीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : आपने क्यों नहीं किया ?

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : प्रधानमन्त्री ने श्री बसंत साठे से बड़ा प्रासंगिक प्रश्न पूछा है कि क्या वह आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के बारे में अपनी पार्टी के अन्दर विचार-विमर्श करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री साठे, आप अपना जवाब दीजिए। उसके बाद चर्चा का रुख ही बदल जाएगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे : महाराष्ट्र में एक्नामिक क्राईटीरिया हमने लगाया हुआ है। वहां जो फैसिलीटीज देनी चाहिए, वे दी हुई हैं। इसे आप और हम सब जानते हैं। यह एक्नामिक क्राईटीरिया कांग्रेस पार्टी ने ही लगाया है। बेसिक सवाल यह है कि यह जो मण्डल कमीशन आप लगा रहे हैं, वह महत्वपूर्णतया जाति के आधार पर है बल्कि दूसरा कोई और तरीका नहीं कहा जा सकता है। सारे जितने शेडूल हैं, ये जितनी जातियां हैं, सारे मण्डल कमीशन ने "कास्ट टोटली एज होल" जो डिस्क्राईब किया है, उनको लगाया है और उनको यह रिजर्वेशन मिलने वाला है। मेरा यह कहना है कि कांस्टीट्यूशन के तो खिलाफ है ही और ये जो सारे देश को कास्टलैस सोसाइटी बनाने का था, उसके खिलाफ है और यह क्यों किया जा रहा है। (व्यवधान)

यह राजनैतिक उल्लू सीधा करने के लिए किया जा रहा है। सारा बच्चा-बच्चा। देश का कह रहा है कि विश्वनाथ प्रताप क्या करना चाहते हैं। इनको जब लगा कि देवी लाल जी ने गांव बनाम शहर के लोगों का झगड़ा खड़ा कर दिया, देश में विलेज वर्सेस उर्दन बार खड़ी कर दी। हमारे बी० जे० पी० के भाइयों ने राम-जन्म भूमि के शिलान्यास की बात उठा ली सारे हिन्दुओं के इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं। हमारे लैफ्टिस्ट पार्टीज वालों ने क्लास वार यानी वर्किंग क्लासेज वर्सेज कैपिटलिस्टस का झगड़ा खड़ा कर दिया। इन सबकी पैर तलों की जमीन खींचने के लिए, उपाध्यक्ष जी, इन सारे लोगों की नीचे की जमीन खींचने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक चाल चली है, एक दांव फेंका है कि देश में एक बात कास्ट की बेसिस पर यदि उठा तो इनकी भी जमीन खिसक जाएगी, देवी लाल जी की जमीन भी खिसक जाएगी और मुसलमानों को तो इन्होंने पहले ही अपनी तरफ कर लिया है, जो मुसलमान राष्ट्रों ने आज तक नहीं किया, उनके प्रौफेट की बर्थडे पर छुट्टी की घोषणा लालकिले से करके, इन्होंने वह कर दिखाया है। पचास लाख रुपए पहले ही बुखारी साहब को जामा मस्जिद के लिए दे दिए गए हैं। उपाध्यक्ष जी, आप देख लीजिएगा, 30 अक्तूबर को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इन बी० जे० पी० के लोगों को अंगूठा दिखाने वाले हैं : ये कहेंगे कि आओ, ले आओ राम जन्म भूमि के तुम्हारे जितने समर्थक हैं, सबको ले आओ, मैंने तुम्हारे समस्त हिन्दू समाज को जातियों के आधार पर पहले ही तोड़ दिया है और मेरा मुलायम सिंह वहां बैठा हुआ है, वह तुम्हारे सब लोगों को जेल में डाल देगा। उपाध्यक्ष जी, यह कितनी सस्ती राजनीति है इनकी। इतनी सस्ती राजनीति तो आज तक किसी ने भी इस देश में नहीं की थी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम जानना चाहते हैं कि क्या आप पैगम्बर मुहम्मद की छुट्टी का विरोध करते हैं ? क्या आपकी कांग्रेस पार्टी पैगम्बर मुहम्मद साहब के बर्थडे की छुट्टी का विरोध करती है। आप स्पष्ट कीजिए।

श्री बसंत साठे : ईमानदारी की बात है कि हम उसका विरोध नहीं करते हैं लेकिन······

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। इसका सवाल नहीं है कि मेरा वक्तव्य लेकर, 15 अगस्त के फैसले की बात को इन्होंने सदन में उठाया है। आप साफ कहिए कि आप उसका विरोध करते हैं या आपकी कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। (व्यवधान)

आप करें या न करें, वह बात अलग है, समझ में आती है, लेकिन हम यदि करें तो आप उसका विरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष जी, क्या यह सस्ती राजनीति नहीं है, सस्ती लोकप्रियता पाने का षडयन्त्र नहीं है। जिस परमपूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस जाती-व्यवस्था से अपने समाज को निकालने के लिए जीवन लगा दिया, आपने फौलोवर्स को, अनुयायियों को बुद्ध बनाया, आज ये उन्हीं बाबा साहेब अम्बेडकर की दुहाई देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह एक नाटक नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, जिन बाबा साहेब अम्बेडकर को हमने लॉ मिनिस्टर बनाया, जिन बाबा साहेब अम्बेडकर की ढाई टन की ब्रौंज मूर्ति हमने बाहर के देशों के लोगों को देखने के लिए लगायी, क्या वह सस्ती राजनीति थी। सस्ती राजनीति तो यह है कि आपने उनका एक छोटा सा फोटो यहां सेन्ट्रल हाल में लगा दिया, जिसे ज्यादा से ज्यादा 500 लोग ही देख पायेंगे। (व्यवधान)

श्री शरद यादव : यहां जितनी छोटी फोटो आपको लगती हैं, वे सब देश के बड़े लोगों की हैं, महान लोगों की हैं। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : लेकिन लालकिले से एलान करना क्या सस्ती लोकप्रियता नहीं है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरा निवेदन है कि माननीय साठे जी को ये शब्द वापस लेने चाहिए कि सेन्ट्रल हॉल में यह जितने नेताओं की फोटो लगी हैं, देश के सबसे लम्बे कद जिन लोगों के थे, उन लोगों के फोटो भी लगे हुए हैं, कोई छोटी फोटो नहीं है। इन्होंने अम्बेडकर साहब की फोटो को छोटी फोटो कहा है और कहा है कि छोटी फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं कि यह सारे नेताओं का अपमान है। (व्यवधान)

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष महोदय, सारे राष्ट्र के नेताओं का इन्होंने अपमान किया है।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : बाबा साहेब अम्बेडकर को पासवान जी, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर केवल लम्बे कद के ही आदमी नहीं थे, बल्कि इस देश के बहुत बड़े और महान व्यक्ति थे। जब मैंने कहा कि ढाई टन का, 13 फुट लम्बा हमने उनका एक पुतला बाहर, देश की जनता को देखने के लिए लगाया और आप डींग मारते हैं कि सेण्ट्रल हाल में उनकी फोटो लगाया जहां सिर्फ 500 आदमी उसको देख सकेंगे। इसकी डींग मारते हो, यह टुच्ची बात है। (व्यवधान)

यह छोटी बात है। आप समझते हैं कि इस देश के हरिजन भाई, बाबा साहब को मानने वाले भाई, इससे बुद्धू बन जाएंगे ? इस तिकड़मबाजी से ऐसा होने वाला नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, मुझे अन्त में इतना ही कहना है कि जो व्यक्ति, केवल स्वार्थ के लिए, छोटे स्वार्थ के लिए, इस देश के टुकड़े टुकड़े करने को तैयार हो, वह भी जन्म के आधार पर, वह राष्ट्र का सबसे अपराध कर रहा है। (व्यवधान)

श्री शरद यादव : स्वार्थ के लिए आदमी गाली खाएगा ? देश को जलवाएगा ? आज देश जल रहा है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : श्री विश्वनाथ प्रताप का नाम इस देश के इतिहास में इस देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के लिए लिखा जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं और इसी चेतावनी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का, जैसी कि मण्डल आयोग ने सिफारिश की है, समर्थन करता हूं। हमें इस बात पर विचार करना है कि स्वतन्त्रता के 43 वर्षों के बाद भी हम देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गों के लोगों के लिए अभी भी आरक्षण की बात करनी पड़ती है। हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि स्वतन्त्रता के बाद देश में जहां तक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े और गरीब लोगों की स्थिति का सम्बन्ध है, उनका अधिक से अधिक शोषण किया गया है और दशकों से इस देश के संसाधनों का इन वर्गों के लोगों के विकास के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं यह नहीं जानता कि क्या उन्होंने इस बात का विचार कर लिया है कि इसके बारे में उनका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने जो बात कही थी मैं उसे नहीं समझ सका। वह चाहते थे कि प्रधानमंत्री मण्डल आयोग के सम्बन्ध में 'नॉन पेपर' प्रस्तुत करें। कांग्रेस का इसके बारे में दृष्टिकोण क्या है? कांग्रेस पार्टी के किसी भी सदस्य ने अब तक यह नहीं बताया है कि क्या वे मंडल आयोग का समर्थन करते हैं अथवा विरोध। वे आरक्षण में विश्वास करते हैं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वे एकाधिकारियों के आरक्षण में विश्वास करते हैं। वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आरक्षण में विश्वास करते हैं और इसलिए वे अपने प्रिय उद्योगपतियों के आरक्षण में विश्वास करते हैं इसी वजह से देश का आर्थिक लाभ वर्षों से कुछ ऐसे लोगों तक सीमित रहा है जिन्होंने उनका खुलकर पक्ष लिया है और उन्हें इसका लाभ मिलता रहा है। हम इस प्रकार के आरक्षण के विरुद्ध हैं।

कुछ बुनियादी मुद्दों का उल्लेख करने से पहले मैं अपने दल की ओर से दो बातें कहना चाहता हूं। एक, यद्यपि प्रधानमन्त्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलायी थी—यह अच्छी बात थी कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा करने के लिए सभी दलों को बुलाया था—परन्तु यह 7 अगस्त और 27 अगस्त की घोषणा के बाद बुलाई थी। यह इतना महत्वपूर्ण मामला नहीं है जितना राजनैतिक दल बनाने का प्रयास कर रहे हैं वरना हम इसे निश्चित रूप से वरीयता देते। यह कोई रहस्य नहीं है कि पटना में जो कुछ हुआ उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : श्री बीजू पटनायक किस पार्टी के हैं? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के युवकों को, जो हमारे असली भविष्य हैं तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करते हैं, आज हिंसा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। (व्यवधान) यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमने सोचा था और अब भी सोच रहे हैं कि यदि प्रधानमन्त्री की संसद में इस घोषणा से पहले चर्चा और बातचीत की गई होती तो अच्छा रहता।

(व्यवधान)

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक इस बातचीत का सम्बन्ध है, इसमें विद्यार्थियों तथा उनके नेताओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि आखिरकार वे भी हमारे अंग हैं। जैसाकि मैंने कहा है कि वे हमारे भविष्य हैं। इसलिए उनके अन्दर ऐसी कोई धारणा नहीं होनी चाहिए कि सरकार संवेदनशील नहीं है तथा इस मामले में उनकी बात भी नहीं सुनी जाती है। अतः मुझे विश्वास है कि प्रधानमन्त्री देश के अन्य वर्गों के लोगों, समुदायों और राजनैतिक दलों के अतिरिक्त विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेंगी।

अगला महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कुछ दिनों से आन्दोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरे विचार से पन्द्रह दिन तक कोई आन्दोलन अथवा विरोध नहीं हुआ। उसके बाद कुछ समाचारपत्रों में लेखों के

प्रकाशन के साथ ही यह आन्दोलन शुरू हो गया। हमारी समझ में यही आता है। परन्तु यह बड़ा गम्भीर मामला है। दुर्भाग्यवश हिंसा फैल गई है। अमूल्य, जीवन नष्ट हुए हैं। सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। इसलिए देश के सभी वर्गों के लोगों से अपील है कि यह सुनिश्चित करें कि इन मुद्दों पर बातचीत और इनका समाधान इस ढंग से किया जाए तो सभी को स्वीकार्य हो तथा जो भी बातचीत और आन्दोलन किए जायें वे शान्तिपूर्ण ढंग किए जाने चाहिए। इसलिए समय की मांग यह है कि सहयोग और सामंजस्य की भावना से खुले दिमाग से चर्चा एवं बातचीत की जाए।

जहां तक मण्डल आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने यह कहा है और हम यह कहते रहे हैं कि इस देश में रोजगार बहुत ही कम हैं। आरक्षण सिर्फ केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में लागू किए गए हैं।

इस देश में अनेक बेरोजगार युवक हैं, शिक्षित और कम शिक्षित तथा ऐसे लोग भी हैं जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा ही प्राप्त नहीं हुई है। इस देश में अनेकों लोग बेरोजगार हैं। उनमें से अधिकांश लोग गरीब हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन पिछड़े वर्गों को आरक्षण द्वारा जो भी सुविधायें प्राप्त होती हैं, वे सुविधायें उन लोगों को प्रदान की जानी चाहिएं जिन्हें इनकी जरूरत अधिक है। मैं जानता हूं कि किसी भी मानदण्ड को लागू करने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा कहा जा सकता है कि आर्थिक मानदण्ड क्या हैं। लेकिन जब हमारे पास साधनों की कमी हो और मांग अधिक हो, तो हमें कुछ मानदण्ड अपनाने होंगे और वह मानदण्ड सिर्फ आर्थिक मानदण्ड ही हो सकते हैं। यही कारण है कि हम यह कह रहे हैं कि मण्डल आयोग की सिफारिशों के साथ-साथ एक आर्थिक मानदण्ड लोगों को अधिक स्वीकार्य होगा और दिए जा रहे सभी तर्क कि यह योग्यता के विरुद्ध होगा, इससे उन युवा और बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे, जो अपने प्रयत्न द्वारा रोजगार प्राप्त कर सकने में सक्षम हैं, ये सभी तर्क नहीं दिए जायेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहते हैं कि सिर्फ उच्च वर्ग लोग ही योग्य हो सकते हैं, यह नहीं हो सकता है। इस देश में इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है। तमिलनाडू में, कर्नाटक में अनेक वर्षों से आरक्षण लागू है और अपने आप में यह नहीं कहा जा सकता है कि तमिलनाडू या कर्नाटक प्रशासन में योग्यता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है।

स्वतन्त्रता के चार दशकों के पश्चात् जब कि ऐसा समझा जाता है कि अब तक प्रशासन में योग्य व्यक्तियों को लिया गया है, हम यह नहीं पाते कि उन राज्यों की प्रशासन व्यवस्था उच्चतम कार्य-कुशलता और ईमानदारी का उदाहरण रही है। यह हम नहीं कह सकते हैं। ऐसा कहना सम्भव नहीं है। अतः मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं कि मण्डल आयोग की सिफारिशों को इसलिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे योग्यता का हनन हो रहा है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन इस देश में जहां आए दिन शोषण होता रहा है, निर्धन लोग और निर्धन हो गए हैं। इस देश में लोगों के एक बड़े वर्ग को सुविधा से वंचित किया गया है। चार दशकों के कांग्रेस शासन के दौरान उन लोगों पर अत्यधिक अत्याचार और शोषण हुए हैं जो कि अपने बल पर खड़े हो सकने में सक्षम नहीं हैं। मैं जानता हूं कि यह हिन्दू समाज का अभिशाप है।

श्री बसन्त साठे : पश्चिम बंगाल में रुग्ण उद्योगों को बन्द कर देने का यह परिणाम है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : साठे जी, यह आपकी नीतियों का परिणाम है। यह आपकी सरकार की नीतियों का परिणाम है। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : नेहरू जी के जमाने से ही ऐसा होता रहा है। हम इसे साबित कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं समझता हूं कि मुझे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : बसन्त साठे जी, आप मंत्री नहीं बनेंगे, चाहे कितना ही हाथ मार लें। अब आपका नम्बर नहीं आएगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मक्कासर जी, आप अपने आदमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं समझता हूं कि मुझे यह साबित करने में अधिक मेहनत करनी होगी कि इस देश में 40 वर्षों के कांग्रेस शासन ने देश से साधारण लोगों का सफाया ही कर दिया है। कांग्रेस शासन के दौरान ही बेरोजगार लोगों की संख्या सर्वाधिक थी। उनके शासनकाल में ही सबसे अधिक उद्योग रुग्ण हुए थे। यह स्थिति है।

कोई राज्य सरकार उद्योग को स्थापित नहीं कर सकती। कम-से-कम इस बारे में हमने अन्तर देखा है। साठे जी क्या आप बता सकते हैं कि यदि आप पश्चिम बंगाल का आर्थिक विकास करना चाहते थे तो आपकी सरकार ने दस वर्षों तक हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स काम्प्लेक्स को स्वीकृति क्यों नहीं दी? आपने उस धनराशि को मंजूरी क्यों नहीं दी जोकि हमें ताप बिजलीघर स्थापित करने के लिए देय थी? इस रुग्णता के लिए कौन जिम्मेवार है? मैं जानता हूं उनके शासनकाल में किसी भी कम्पनी का स्थायित्व इस बात पर निर्भर था कि कितने कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी। अन्यथा वे इस देश में लाभकारी और आधुनिकीकरण सम्बन्धी योजनाओं को स्वीकृति नहीं देते थे। इसलिए कांग्रेस द्वारा इस देश में निर्धन लोगों की और उनके विकास की बात करना एक ढोंग है। यह एक दिखावे के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमने उनकी अनेक बातें सुनी हैं। लोगों ने उनके अनेक ढोंग देखे हैं। यही कारण है कि वे वहां हैं और मैं जानता हूं वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। लोक सभा में उन्होंने प्रसार भारती विधेयक का समर्थन किया और साठे जी यह दावा करते हैं कि यह विधेयक उनका है और राज्य सभा में वे पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस दल कार्य कर रहा है।

श्री वसन्त साठे : क्या आप नवीनतम स्थिति से अवगत हैं। वहां यह सर्वसम्मति से पारित हो गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सर्वसम्मति से पारित हो गया है? लेकिन मैं नहीं जानता कि उस भाषण का प्रारब्ध क्या होगा, यदि आपके नेता अचानक आते हैं और यदि वे आपकी निन्दा करते हैं। (व्यवधान) मैं नहीं जानता हूं। वे बहुत अच्छी तरह से ऐसा कर सकते हैं जिस प्रकार से उन्होंने दो बार ऐसा किया है। यह सिर्फ दस्तावेजों पर रह सकता है, मैं नहीं जानता हूं। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आपको इतना अधिक नहीं करना है****...

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुमारमंगलम जी, मेरा भतीजा इस कला में पूरी तरह से पारंगत है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आपकी कृपा से!

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि आप उनके भतीजे हैं। कुमारमंगलम जी, आपको उस शब्द को वापस ले लेना चाहिए। वह शब्द कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं होगा। यह सब कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जा रहा है। कुमारमंगलम जी ने जो कहा है, वह कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या महोदय ? भतीजा ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह कार्यवाही-वृतांत में शामिल किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या 'भतीजा' शब्द असंसदीय है? भतीजा शब्द अपमानजनक भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह न तो असंसदीय है और न ही अपमानजनक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस बात से इन्कार नहीं है कि यद्यपि इस देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है और हमारे संविधान की मौलिक संरचना में भी ऐसा माना गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची है। लेकिन, यह क्यों नहीं पहुंची ? उनकी दशा अभी तक उतनी ही खराब क्यों है जितनी कि 1951 में थी ? इसमें सिर्फ नाममात्र की वृद्धि हुई है। संशोधन कर मुझे बताया गया कि केन्द्र सरकार की वर्ग-1 सेवाओं में करीब 8.5 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा भरे गए हैं जबकि उनके लिए 22.5 प्रतिशत तक आरक्षण किया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें शिक्षा की सुविधाएं नहीं दी गई हैं। उनके आर्थिक विकास के लिए वास्तव में कोई प्रयास नहीं किया गया है।

यह सिर्फ हमारे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भाई-बहनों के परिश्रम द्वारा हुआ है जो अपने खुद के प्रयासों और योग्यता से ऊपर उठे हैं। यहां तक कि आरक्षण के द्वारा भी उन्हें इच्छित सीमा तक आगे लाना सम्भव नहीं है।

अब, इसका उत्तरदायित्व किस पर है ? आज, हम इसकी बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि हमारे संविधान में सामाजिक और पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। किन्तु कृपया यह भी मत भूलिए कि 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 में एक वर्ष के अन्दर ही, पंडित जवाहर लाल नेहरू और इस संसद ने संविधान में संशोधन करने की जरूरत महसूस की। और पहला संशोधन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाने के उद्देश्य से किया गया। क्यों ? क्योंकि यह महसूस किया गया कि जब तक कुछ सुरक्षा नहीं दी जाती, जब तक आरक्षण नहीं दिया जाता, तब तक इन लोगो के लिए प्रगति करना अत्यन्त मुश्किल है। ये लोग ब्रिटिश शासन के दौरान शोषण और अत्याचार के शिकार रहे हैं क्योंकि वे अपने साम्राज्यवादी, विदेशी हित साधना चाहते थे। उनके समक्ष अपने साम्राज्यवादी हित थे और उन्हें अपने विदेशी शासकों की सेवा करनी होती थी। उन्होंने जाति व्यवस्था को पुष्ट किया। उन्होंने धर्म, जाति के आधार पर लोगों के विभाजन को प्रोत्साहित किया, उन्होंने जमींदार पैदा किए, जोतदार बनाए और सिर्फ अपने हितों के लिए इस देश में जागीरदार भी पैदा किए गए। किन्तु, एक रात में ही इसका समाधान नहीं हो सकता था। इसीलिए, 1951 में संविधान बनाने के एक वर्ष के अन्दर ही, पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अनुभव किया, कि संविधान में मूल रूप से धारा 15(4) के अन्तर्गत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए वह संशोधन लाया गया था।

7.00 म० प०

किन लोगों के बारे में सोचा गया था ? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में किन लोगों को शामिल किया गया था ? हम इसके विरुद्ध हैं। हम जातिवाद के विरुद्ध हैं, जाति के आधार पर लोगों को बांटने के खिलाफ हैं। किन्तु क्या हम इस ऐतिहासिक तथ्य को नकार सकते हैं कि कुछ जातियों के ऐसे लोग सामाजिक, शैक्षणिक, और आर्थिक रूप से भी आज सर्वाधिक शोषित हैं ? इसलिए, उन्हें संविधान की सीमा में लाने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक समझा गया। यही कारण है कि, धारा 340 में कहा गया है कि उनके सुधार के लिए एक प्रावधान बनाने का सुझाव देने के उद्देश्य से जब भी और जहां भी जरूरी हो एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। मैं यह जानता हूं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि यह लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, यह कह कर कि संविधान में सिर्फ वर्गों का उल्लेख है, और इसलिए आप जाति को कैसे इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अधिकांश लोग—जैसाकि हम समझते हैं और जैसाकि मण्डल आयोग ने उल्लेख किया है, पिछड़े वर्गों से हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। किन्तु फिर भी, जैसा मैंने पहले कहा, हमने अनुभव यह किया कि अवसर सीमित होते हुए भी, इन जातियों के उन छात्रों पर नवयुवकों को भी ऐसे लाभ दिए जाएं— कुछ कारणों से किसी खास व्यक्ति को बेहतर अवसर प्राप्त था, यह आवश्यक नहीं कि उसे इन लोगों की अपेक्षा ज्यादा लाभ प्राप्त मिले। इसलिए, यह ऐसा मामला है, जिस पर विचार किया जा सकता है। निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है। जैसा मैंने शुरू में कहा, हम इन सुझावों के पक्ष में हैं। हम प्रधान मन्त्री के वक्तव्य का समर्थन करते हैं। जैसाकि मैंने कहा देश में पहले से ही आरक्षण जारी है। कई राज्यों में आरक्षण है। यह कुछ नया नहीं है। मैं उनसे उत्तर की आशा नहीं करता क्योंकि वे उत्तर नहीं दे सकते— मैं नहीं जानता कि प्रधान मन्त्री जी श्री साठे से उत्तर की आशा रखते हैं अथवा नहीं। क्या कर्नाटक या आन्ध्र प्रदेश में वे इसे खत्म करेंगे ? जैसे ही वे आरक्षण खत्म करेंगे वैसे ही वहां से कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूं कि आज वे बहुत चिंतित हैं। वे सोचते हैं कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मध्यावधि चुनाव की घोषणा करने जा रहे हैं और उनके पास जनता से कहने के लिए कुछ भी नही है। शायद प्रधान मन्त्री को उन्हें एक और आश्वासन देना पड़े कि कोई मध्यावधि चुनाव नहीं होगा। यही बात उन्हें बेचैन कर रही है और इसी के कारण वे चिंतित हैं। वे निर्णय नहीं कर सकते। वे एक सीधा उत्तर नहीं दे सकते···(**व्यवधान**)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा। किन्तु मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं मण्डल आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख कर रहा हूं। माननीय प्रधान मन्त्री और श्री चटर्जी ने प्रश्न उठाया था कि क्या कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में आप जाति के आधार पर आरक्षण समाप्त करने को तैयार हैं। उन्होंने यही प्रश्न उठाया है। महोदय, कृपया मण्डल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें पढ़ें।

पृष्ठ 8 पर पैरा 2.34 में कहा गया है :

"इन सिफारिशों पर आधारित 1961 के सरकारी आदेश को उच्चतम न्यायालय द्वार विख्यात बालाजी के मामले में इस टिप्पणी के साथ रद्द कर दिया गया कि राज्य सरकार ने संविधान के साथ धोखा किया है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वर्गों के स्थान पर व्यक्तियों को पिछड़ा हुआ मानकर अस्थायी तौर पर विशेष सुविधाएं देना शुरू कर दिया।

पैरा 2.35 में कहा गया है :

"अगस्त 1972 में कर्नाटक सरकार ने श्री एल० जी० हवानूर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया जिसने अपनी रिपोर्ट नवम्बर 1975 में प्रस्तुत की। अपने निष्कर्षों में आयोग ने बताया कि उसने जातियों और समुदायों के सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए जाति को मानदण्ड नहीं माना है। इसके स्थान पर उसने जातियों और समुदायों के सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए आर्थिक, आवासीय और व्यावसायिक जैसे विभिन्न पहलुओं को लिया है। आयोग ने पिछड़े वर्गों की 3 विशेष श्रेणियों की पहचान की और राज्य में उनकी जनसंख्या का प्रतिशत निकाला और निम्नलिखित आरक्षण सरकारी सेवाओं की रिक्तियों में देने की सिफारिश की :—

पिछड़े समुदाय—जनसंख्या की प्रतिशतता: 19.20 प्रतिशत, आरक्षण की प्रतिशतता: 16 प्रतिशत।

पिछड़ी जातियां—जनसंख्या की प्रतिशतता : 14.47 प्रतिशत, आरक्षण की प्रतिशतता : 10 प्रतिशत।

पिछड़ी जनजातियां—जनसंख्या की प्रतिशतता : 8 प्रतिशत, आरक्षण की प्रतिशतता : 6 प्रतिशत।"

अब कांग्रेस ने यह कहा है कि केवल जाति मापदण्ड नहीं होनी चाहिए बल्कि सारे मापदण्डों में से एक मापदण्ड जाति होनी चाहिए। यही कर्नाटक सरकार ने वहां किया है। इसी आधार पर हमारे अध्यक्ष श्री राजीव गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले जोर दे रहे हैं। कृपया इसे अपनाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जैसे कि मैंने कहा है, इस देश के कई राज्यों में अनेक वर्षों से पिछड़े वर्गों के लिए एक आरक्षण नीति अपनायी जा रही है और तब से ही इन पिछड़े वर्गों से मुख्यत: पिछड़ी जाति का व्यवहार किया जाता रहा है। इसका कारण स्पष्ट है। अब मण्डल आयोग ने कहा कि "सामाजिक पिछड़ेपन के विरुद्ध संघर्ष का एक आवश्यक अंग पिछड़े लोगों के दिमागों में लड़ा जाना है।"

अत: यह भी आवश्यक है कि उन्हें इस स्थिति में होना चाहिए कि वे अपने ऊपर लादे गए पिछड़ेपन के बारे में न सोचें क्योंकि यह पिछड़ापन उन्हें उनके जन्म के कारण या समाज के कारण मिला है। अतः यह सोचा गया कि आरक्षण आवश्यक है। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर आरक्षण 64 प्रतिशत तो कुछ राज्यों में 68 प्रतिशत तक पहुंच गया है। और यह वहां पर विधि और न्याय की सूक्ष्म परीक्षा पर खरा उतरा है। परन्तु आरक्षण के विभिन्न रूपों पर विचार किया जा सकता है। अत: देश में एक राज्य अर्थात् बिहार एक फार्मूला अपना रहा है। श्री कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक फार्मूला निकाला था जो बिहार में ठीक कार्य कर रहा है। श्री कर्पूरी ठाकुर वे नेता हैं; जिन्होंने देश में पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठाने में अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और वे देश की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष आरम्भ करने वालों में अग्रणी रहे हैं। अत: देश में पिछड़े वर्गों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना और उन्हें उनके हक से वंचित किए बिना पिछड़े वर्गों में भी अत्यधिक जरूरतमन्द लोगों को आरक्षण या सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न तरीकों से इन फार्मूलों पर विचार किया जा सकता है यह सरकार और प्रधानमन्त्री से हमारी प्रार्थना है कि इस पर विचार······(व्यवधान)

प्रधानमन्त्री जी के दूसरे वक्तव्य में और आरक्षण की बात की गई है। इस पर हमारे अपने विचार हैं। हम यह कहते हैं कि यदि आप इस 27 प्रतिशत में आर्थिक मापदण्ड सम्मिलित नहीं कर

सकते तो यह पांच से दस प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए होना चाहिए ताकि यह लाभ कुछ लोगों को दो बार न मिल सके कि 27 प्रतिशत में भी वे इसे प्राप्त करें और साथ में यह पांच से सात प्रतिशत में भी वे सम्मिलित हों। इस मामले पर प्रधानमन्त्री को विचार करना चाहिए। अब यह कहा जा रहा है कि पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जहां तक मैंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पढ़ा है, मेरा विचार है कि उसमें कोई अन्तिम घोषणा नहीं की गयी है। यदि इस देश में गरीब वर्गों को आरक्षण देने के लिए एक उचित आधार बनाया जा सकता है और मैं नहीं समझता कि गरीबी से अधिक कोई और उचित आधार हो सकता है, जिसे इस देश के लोग झेल रहे हैं, तो गरीबों वर्गों के लिए इस पांच से दस प्रतिशत आरक्षण को संविधान से बाहर कहकर रद्द करने की बात सोचना अनावश्यक है।

अब, दूसरा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है, मैं चाहता हूं कि सरकार उससे भी परिचित हो जाए। वह पहलू यह है कि पिछड़े वर्गों को दिया गया यह 27 प्रतिशत आरक्षण भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। देश में और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, शिक्षा की प्रगति और अशिक्षा से निबटने के लिए आपको हरसम्भव उपाय करने होंगे। आप कितनी नौकरियां देंगे? देश में कुल रोजगार क्षमता का कितना प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उपलब्ध होगा? यह अच्छा है कि प्रधान मन्त्री ने इसकी उद्घोषणा कर दी है कि इसे राज्यों पर थोपा नहीं जाएगा। यह केवल केन्द्रीय सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में आरम्भिक और सीधी भर्ती के लिए है किन्तु, इसके विपरीत माहौल बन गया है। ऐसा लगता है कि इसकी प्रतिक्रिया अत्यधिक है क्योंकि यह सच है कि मण्डल आयोग की कई अनुशंसाओं को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, अभी तक लागू नहीं किया गया है, पदोन्नति इत्यादि में इसे लागू नहीं किया जा रहा है अथवा रिक्तियों को और आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। ऐसा अभी तक नहीं किया गया है।

इसलिए, जैसा मैं कह रहा हूं और जैसा मेरे दल ने कहा, इस देश के गरीब लोगों के आर्थिक संकट, शिक्षा के पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण रूप से आर्थिक विकास किया जाए। इसलिए, सिर्फ आरक्षण इस समस्या का समाधान नहीं करेगा। यह एक अच्छा कदम होगा, इससे यह भावना बनेगी कि वे देश के चलाने में अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से भाग ले पायेंगे। इससे उनके विचार इस देश में सुदृढ़ होंगे कि चाहे जन्म से वे गरीब समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं, फिर भी वे सरकारी सेवा में उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं।

इस प्रसंग में हम पाते हैं कि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जिसका मण्डल आयोग ने उल्लेख किया है और जहां जात-पांत सम्बन्धी अवरोध सबसे कम हैं। पश्चिमी बंगाल में, यह जात-पांत सम्बन्धी अत्याचार, सामाजिक अत्याचार और जात-पांत के आधार पर कुछ विशेष वर्गों के लोगों का सामाजिक शोषण करीब-करीब अप्रचलित है। मण्डल आयोग ने यह स्वीकार किया है...(व्यवधान) इस सम्बन्ध में, भूमि सुधार कानूनों के लागू किए जाने की आवश्यकता है। कांग्रेस शासन के दौरान, उन्होंने कुछ विशेष कानून पारित किए थे किन्तु उन्हें लागू कभी नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने 1973 में पश्चिम बंगाल में एक पंचायत कानून भी पारित कर दिया था किन्तु 18 वर्षों तक कभी चुनाव नहीं कराए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 16 से 18 वर्ष तक नगरपालिका चुनाव नहीं करवाए। उन्होंने 1955 में भूमि सुधार कानून पारित कर दिया था किन्तु इसे कभी लागू नहीं किया। जब तक आप ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार उत्पन्न नहीं करते, जब तक आप ग्रामीण क्षेत्रों, जहां पर हमारे गरीब लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, की आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाने में सफल नहीं

होते, तब तक आप एक वास्तविक परिवर्तन नहीं ला सकते। आप जो रोजगार का आरक्षण उपलब्ध करवा रहे हैं उससे शायद पिछड़े वर्गों को कुछ मदद मिल जाएगी किन्तु, सम्पूर्ण सुधार के लिए, आपको कांग्रेस की नीतियों से पूर्ण रूप से दूर रहना आवश्यक है। इसलिए हम आपसे यह मांग कर रहे हैं कि आप यह सुनिश्चित करें कि इन भूमि सुधार कानूनों को पूर्ण रूप से लागू किया जाए और जिससे गरीब लोग, भूमि जोतने वाले इस देश में और देश के आर्थिक पुनरुद्धार में शामिल हो सकें। इसलिए, यह आवश्यक है कि कांग्रेस सरकार की धनी व्यक्तियों, जमींदारों और सामन्तवादियों की पक्षधर इन नीतियों को आपको फिर से बनाकर एक नई नीति बनानी होगी।

कांग्रेस सरकार के कारण, जिसने आम आदमी के नुकसान पर इस देश में शासन किया है, इस देश में लगभग चालीस वर्षों का कीमती समय नष्ट हो चुका है, जिससे देश के निर्धन लोगों की समस्याएं सुलझाने की अपेक्षा इसने उन्हें और अधिक कष्ट दिया है। इसलिए, हमारे द्वारा दिए गए इन सुझावों के साथ हमने आयोग की अनुशंसा को अपना समर्थन दे दिया है। किन्तु, हम चाहते हैं कि इसे ऐसे अनुकूल तरीके से लागू किया जाए, जो सभी लोगों को स्वीकार्य हो।

अन्त में, मैं सबसे यह निवेदन करता हूं कि इस विषय पर कोई हिंसात्मक प्रतिक्रिया न हो। इसे वार्ता और विचार-विमर्श द्वारा शान्तिपूर्वक किया जाना चाहिए। देश में एक भी कीमती जान को न खोने दें। देश में किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट न किया जाए। इस देश में, हमारे पास सुलझाने के लिए कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। इस देश में कई राष्टीय समस्यायें हैं, जिन्हें सुलझाया जाना है और यह आवश्यक है कि देश के सभी वर्गों के लोग मिलकर इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझायें। हमें अपने को बंटने नहीं देना चाहिए। हमें उन लोगों द्वारा दिशा भ्रमित होकर आपस में लड़कर अपनी शक्तियों का अपव्यय नहीं करना चाहिए जो राजनीति से प्रेरित हैं और आज अपने आपको इस देश के राजनैतिक जीवन की मुख्यधारा से पूर्णतया बाहर पाते हैं। इसलिए, इन निवेदनों के साथ, मैं समाप्त करता हूं और प्रधान मन्त्री से पुनः निवेदन करता हूं कि वे इन विषयों पर विचार करें।

श्री बसंत साठे : महोदय, यदि आर्थिक आधार को भी माना जाता है, यदि प्रधान मन्त्री एक आसान विषय को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं तो मुझे उम्मीद है, कि इस देश में उद्वेग समाप्त हो जाएगा।...(**व्यवधान**) इस आर्थिक मानदण्ड को स्वीकार कर लिया जाए।

7.19 म० प०

राज्य सभा से संदेश

उपाध्यक्ष महोदय : अब अपर सचिव राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देंगे।

अपर सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना सभा को देनी है :

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 5 सितम्बर, 1990 को हुई अपनी बैठक में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1990, जिसे लोक सभा ने 30 अगस्त, 1990 को पारित किया था, को निम्न संशोधनों के साथ पारित किया :—

खण्ड—4

1. पृष्ठ 4 पर पंक्ति 27 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किए जाए; अर्थात्—

(4) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति द्वारा की गयी सिफारिशें इस धारा के अधीन नियुक्ति प्रयोजनों के लिए बाध्यकारी होंगी।

खण्ड—7

2. पृष्ठ 5 पर :—

(एक) पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्तः स्थापित किए जायें; अर्थात् :—

(क) भारत का नागरिक नहीं रहता; या

(दो) (क) से (घ) की वर्तमान प्रविष्टियों को क्रमशः (ख) से (ङ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाए।

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 128 के अनुसरण में, मुझे इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ वापस लौटाने का निदेश हुआ है कि सदन को इस संशोधनों के संबंध में लोक सभा की सहमति के बारे में सूचित किया।

7.20 म० प०

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1990

राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित

अपर सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1990 को सभा-पटल पर रखता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठें। हमें अपना कार्यक्रम निश्चित करने दें।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, डा० राधाकृष्णन का जन्म शताब्दी समारोह संसदीय सौध में आयोजित किया जा रहा है। सदन में हमारी उपस्थिति के कारण हम इस समारोह में उपस्थित रहने में असमर्थ हैं···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आप सब के विचार सुन लिए हैं। अब हमें इस बात का निर्णय करना है कि क्या चर्चा जारी रखी जायें या नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैंने उन्हें सही तरह से सुना है तो मैं समझता हूं कि अपर सचिव ने अभी जानकारी दी है कि प्रसार भारती विधेयक को सशोधनों सहित हमारे सदन को लौटा दिया गया है। क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध

में क्या करेगी, क्योंकि यह विधेयक संशोधनों सहित वापिस आया है। सदन को इस संशोधनों पर पुनर्विचार करना होगा। हम यह महसूस करते हैं कि सदन को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : दो संशोधन थे जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है और मुझे यह सूचना दी गई थी कि विधेयक को संशोधनों सहित उस सदन ने पारित कर दिया है। मैं नहीं जानता कि यह इस सदन में पहुंचा है······

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : यह हमें मिल गया है और हम इन संशोधनों पर कल चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

7.22 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

मंडल आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय

और

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अतिरिक्त युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साठे और श्री सोमनाथ चटर्जी बोल चुके हैं। एक और सदस्य बोल सकते हैं। यह चर्चा 7.30 म० प० तक जारी रखी जाएगी और उसके बाद सभा स्थगित कर दी जाएगी। श्री जनेश्वर मिश्र बोलेंगे।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै (करूर) : यह निर्णय किसने लिया है कि हम 7.30 म० प० तक बैठेंगे ? हम इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। इस पर निर्णय सदन में ध्वनि मत के आधार पर होना चाहिए। इस बात पर आप हमें निदेश नहीं दे सकते। (व्यवधान)

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां जानबूझकर यह बात चलायी गयी है कि इस मुद्दे को जाति के आधार पर नहीं बल्कि वर्ण के आधार पर किया गया है। शायद वसन्त साठे ने यही कहा कि हमारे हिन्दुस्तान में बहुत जातियां पायी जाती हैं। इसलिए दुनिया के और देशों ने इस मुद्दे को बहुत नहीं उठाया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के भाई लोगों ने इस विषय को अपने देश की निगाह से नहीं देखकर देश के बाहर की निगाह से देखा है। वह बारबार उठाते हैं। यह तय करना मुश्किल है कि वर्ग पहले बना या वर्ण पहले बना लेकिन अब तो यह बन गया है और अगर इस सब को ठीक से परिभाषित कर दिया जाए तो इनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं हुआ करता। जाति जो जमी हुई चीज है और जमे हुए वर्ण को ही जाति कहते हैं और पिघलती हुई जाति को वर्ग कहते हैं। यदि इसके भीतर आप लोग बहस करेंगे तो वक्त खराब हो जाएगा लेकिन मनु महाराज ने जो कुछ भी व्यवस्था दी—धीरे-धीरे काम करने वालों की एक जाति बन गयी और एक जन्म के आधार पर जमते चले गए। जैसा श्री राम धन जी ने कहा कि हम तो पैदा ही नहीं हुए

थे, यह लड़ाई तभी से है जब बापू जी यरवंदा जेल के समय या पूना पैक्ट के समय भूख-हड़ताल पर बैठे थे। जब आजादी मिलती हुई दिखाई दे रही थी तो इस समाज के कमजोर वर्ग के लोग घबरा रहे थे कि अगर कहीं अंग्रेज चले गए, हिन्दुस्तान आजाद हो गया तो ये कास्ट हिन्दू लोग उन्हें कुएं पर पानी नहीं भरने देंगे, मन्दिर में पूजा नहीं करने देंगे और इस समाज में और इस घर में नहीं रहने देंगे। आश्वासन देते-देते बात यहां तक आ गयी कि जब देश का संविधान बनेगा तो उस समय सब लोगों को बराबर का मौका दिया जाएगा। यह बापू ने आश्वासन दिया था, आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले सभी लोगों ने कमजोर वर्ग के लोगों को आश्वासन दिया था। उसके बाद अम्बेडकर साहब का जो विधान बना, उसमें सब को समान अवसर देने की बात कही गयी है। जब हमने देखा कि कमजोर वर्गों को अभी तक समान अवसर नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि दो व्यवस्थाएं इस देश में चल रही थीं : एक व्यवस्था वह थी जिसकी चर्चा बार-बार यहां साठे साहब ने की, वह मनु महाराज की व्यवस्था थी। मनु महाराज की व्यवस्था में एक आदमी ऊपर होता है, और दूसरा आदमी नीचे होता है। दूसरी व्यवस्था अम्बेडकर साहब की थी जो संविधान में कही गयी है और जिसकी शपथ हम लोग यहां आकर लिया करते हैं, उसमें सभी लोग बराबर होते हैं। यदि ज्योमेट्री की भाषा में बोलूं तो मनु महाराज की व्यवस्था खड़ी लाइन की थी, जिसमें एक आदमी ऊपर और दूसरा नीचे होता है और अम्बेडकर साहब की व्यवस्था पड़ी लाइन की थी, पड़ी लाइन में सब बराबर होते हैं। मैं यहां अम्बेडकर साहब की व्यवस्था की बात करना चाहता हूं। जब भी हम कभी संविधान के प्रावधानों को लागू करने चलेंगे तो जो व्यक्ति पड़ी लाइन वाला, नीचे का व्यक्ति होगा, उसे ऊपर करना पड़ेगा और इसे ही हम आरक्षण कहते हैं। यह आरक्षण मनु की व्यवस्था को वापस बुलाने के लिए नहीं, बल्कि मण्डल आयोग की जो रिपोर्ट है, जिसमें पिछड़ों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी है, वह मनु की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए है, जिसे आप उल्टी निगाह से देख रहे हैं। अब रह गयी बात लड़ाई की कि सड़कों पर कुछ ऊंची जातियों के लड़के निकल आए हैं। वे कांग्रेस वाले हैं या किसी दूसरी पार्टी के है, मैं सीधे किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता। यदि आरोप की भाषा बोलने लगूंगा तो यहां साठे जी जितनी कड़ी भाषा में यहां बोल रहे थे, मैं आपके नेता पर आरोप लगा सकता हूं कि प्रधानमन्त्री बनने के बाद लगातार पांच दिनों तक कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर वे टेलीविजन पर आते रहे। इस तरह से कोई काम नहीं बनेगा। मिश्र जनेऊ पहन सकता है, राम पूजन पटेल जनेऊ पहन सकता है, लेकिन हम छोटे आदमी हैं, हमारी तसवीर दुनिया नहीं देखती। इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर, हिमालय के शिखर पर बैठ कर, पांच दिनों तक अपना जनेऊ यदि दुनिया को दिखाओगे और फिर यहां जाती-व्यवस्था की बात करोगे ··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जनेश्वर जी, आप किसी के बारे में कुछ कहे बिना, सीधे अपनी बात कह दीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के सम्बन्ध में नहीं बोल रहा हूं लेकिन जिस तरह की भाषा अभी हमारे साठे साहब सदन में बोल रहे थे, उनकी बात सुनकर मेरे मन में गुस्सा बहुत आ रहा था। मैं फिर कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहूंगा कि आप आरोप प्रत्यारोप की भाषा छोड़ दो, इस भाषा से यह मसला हल नहीं हो सकता। हमें मिल-जुलकर ही इस मसले को हल करना पड़ेगा, यह तय है। यह निश्चित है कि जब कभी साम्प्रदायिकता का सवाल, धर्म का सवाल, जाती का सवाल छिड़ता है तो वह एकबारगी ही देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल जाता है क्योंकि यह सवाल सुचालक होता है। जैसे लोहे को सुचालक माना जाता है, उसके एक कोने को आग लगा कर यदि गर्म किया जाए तो थोड़ी देर बाद उसका दूसरा कोना भी गर्म हो जाएगा। इसलिए जब कभी यह जातियों

का सवाल आता है, धर्म का सवाल आता है, मजहब या सम्प्रदाय का सवाल आता है तो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक यह लहर फैल जाती है। कुछ निहित स्वार्थ के लोग इस लहर को फैलाने का काम करते हैं। इसे कहीं न कहीं तो हमें तोड़ना पड़ेगा। इस पर बहस करनी होगी। मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ और राम धन जी एक हरिजन परिवार में पैदा हुए, पैदा होते ही, मां के पेट से निकलते ही, मैं तो समाज की निगाह में बड़ा हो गया और राम धन जी छोटे हो गए, इसका कोई न कोई रास्ता तो हमें निकालना पड़ेगा। जब हम कोई रास्ता निकालने चलेंगे तो जो लोग ऊंची जातियों में पैदा हुए हैं, वे पैदा होते ही ऊंची जगहों पर पहुंच जाते हैं, वे एकदम से नीचे उतरने को तैयार नहीं हो सकते। जब वे नीचे उतरने को तैयार नहीं होंगे और दूसरी ओर अम्बेडकर साहब द्वारा रचित संविधान की शपथ लेकर हम सब लोग यहां सदन में बैठे हैं, तो हम शपथ भंगी न बनें, शपथ को तोड़ने वाले न बनें, बल्कि उन लोगों को नीचे उतारें और जो लोग समाज में नीचे है उनको ऊपर उठाएं। अब इन्होंने जान-बूझकर हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज, बैकवर्ड कास्ट की बात कही है···

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : मैं तो अम्बेडकर साहब का कान्स्टीट्यूशन कोट कर रहा था।

श्री जनेश्वर मिश्र : ऐसा नहीं है तभी तो मैंने जाती और वर्ग की बात उठायी थी लेकिन उससे भी गम्भीर सवाल है कि आज जो व्यवस्था चल रही है और हम जानते हैं कि जाब्ता फौजदारी या ताजिरात्ते हिन्द या संविधान की किताब से ही हम अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक सड़कों पर, खेत-खलिहान में, मैदान में इस पर बहस नहीं की जाएगी, रिश्ते तो तय होते हैं इंसान के, केवल किताबी कानून से नहीं, इंसान के रिश्ते तय हुआ करते हैं सड़कों पर, खेत-खलिहान में, बाजारों में, एक आम समझौता हुआ करता है और यह बहुत दिनों में तय हुआ करता है।

अगर शरद यादव और राम विलास पासवान ने यह कह दिया कि यह बहस हम सड़क पर करेंगे, बाजार में करेंगे, खेत-खलिहान में करेंगे, तो आपको क्यों बुरा लग गया? (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : उन्होंने झगड़ा कहा।

श्री जनेश्वर मिश्र : देश को बनाने के लिए जब कभी बहस हुआ करेगी, तो केवल पार्लियामेंट में नहीं होगी, बाहर सड़क पर और खेत-खलिहान में होगी।

श्री वसन्त साठे : अरे, प्राइम मिनिस्टर साहब तो बच्चों से बहस करने के लिए तैयार ही नहीं हैं, तो आप सड़क पर कैसे बहस करेंगे?

श्री जनेश्वर मिश्र : सड़क पर बहस उन लोगों से होगी, उपाध्यक्ष जी, जो निहित-स्वार्थ के है, जिनके स्वार्थ को मण्डल कमीशन से नुकसान हो रहा है। हम को अच्छी तरह से याद आ रहा है कि जब कभी चुनाव में हम लोग वोट मांगने गए होंगे, किसी ऊंची जाति की बस्ती में जाने पर कभी-कभी सवाल पूछा गया होगा कि मण्डल कमीशन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? चुनाव के मौके पर हमने वादा किया था और हम चुनाव के मौके वाले नहीं है, बल्कि लड़कपन में, राजनीति की जो घुट्टी पड़ी थी, सीखी थी, पी थी वह डाक्टर लोहिया के स्कूल से पड़ी, सीखी और पी थी, तब नारा लगाया गया था—"पिछड़े पावें 100 में 60" तो हमारी कन्विक्शन को, हमारे अकीदे को, इतनी जल्दी नहीं बदला जा सकता है। हमने उस समय ही कह दिया था कि हमारी किताबों में, चुनाव-घोषणापत्र में, हमारे ऐलान में, यह-यह है। इसको हम करेंगे। आज हम लोग सत्ता में आए हैं। सत्ता में आने के बाद, चुनाव घोषणापत्र में जो वादा किया था, साठे साहब! आज जैसे लोग अपने वादे से भाग जाया करते थे, वही अगर हम भी करें, आपके ही रास्ते पर हमारी चलन हो जाएगी। क्योंकि अब तक जितने लोग सत्ता में बैठा करते थे—वे कहते कुछ थे, करते कुछ थे। पहली बार, चुनाव के मौके पर, अपने किए वादे को, अगर हम पूरी तरह

पूरा करने की दिशा में सही-सही जायें, तो यह हमारा गुनाह हो गया और न जाने कितने किस्म के लांछन की भाषा प्रधानमन्त्री से लेकर के इस सरकार पर लगाई गई है विपक्ष की तरफ से, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं सुन रहा था, लेकिन यह राजनीति का सदाचार नहीं है। जिसमें जनता के बीच में आकर के, कहकर के आ जायें और उसको पूरा न करें। (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : माननीय मिश्र जी महाराज, इसके पहले अगर आप राइट टू वर्क ले आते तो, ठीक रहता।

श्री जनेश्वर मिश्र : राजनीतिक में नुकसान हो सकता है, नफा हो सकता है। राजनीति केवल वोट की सौदागार ही नहीं है। नुकसान और नफा की भाषा में निर्णय लिया जाए, राजनीति में, तो यह भी चल नहीं सकेगा। अगर देश को बनाना होता है, तो उससे ऊपर उठकर कुछ करना आवश्यक होता है। संसद केवल इसीलिए नहीं बनी है कि हम लोग थोड़ी बहुत कानूनी बहस कर लेंगे, विधान में, तौर-तरीके में तरमीम कर लेंगे, केवल इसके लिए यह नहीं बनी है, बल्कि देश की पूरी-पूरी बनावट में आमूलचूल परिवर्तन के लिए इससे भी बड़े-बड़े कदम यहां उठाए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जाति किन लोगों की होती है। जाति केवल मर्दों का खेल है हिन्दू समाज में, उपाध्यक्ष महोदय, केवल मर्दों का। लड़की की तो कोई जाति ही नहीं होती है। लड़की अगर हरिजन के घर में पैदा हुई, और ठाकुर से शादी हो जाए, तो वह ठकुराइन हो जाती है और ब्राह्मण के घर में पैदा हो और हरिजन के घर में शादी हो जाए, तो वह चमारिन हो जाती है। मातृ-पक्ष की कोई जाति ही नहीं है। नारी को इस देश में इतना प्रताड़ित किया गया है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। याद रखिए, आधी आबादी इस देश में जाति-विहीन है। जो देश की जननी है, जो देश की मां है, उसकी अपनी कोई जाति नहीं है। यह जो कुछ भी शोषण है, यह उन लोगों के द्वारा हो रहा है, जिन लोगों के मुंह पर मूंछ हुआ करती हैं, जो मर्द कहलाया करते हैं। जाति हिन्दू समाज में केवल मर्दों का खेल है। इसको तोड़ने के लिए कभी न कभी हम लोगों को समग्र प्रयास करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुबारकबाद देता हूं विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रधानमन्त्री को, मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी सहयोगी पार्टियों के साथियों को, इस महत्वपूर्ण प्रयास में, इन लोगों ने अब की बार समाज-व्यवस्था को बदलने के लिए, एक मजबूत कदम उठाया है। मैं विपक्ष के भाइयों से अपील करूंगा कि अपने हीले-हवाले छोड़कर मन में जो थोड़ी-बहुत हिचक हुआ करती है, झेंप हुआ करती है उससे अपने मन को मुक्त करके मण्डल आयोग की रिपोर्ट को सफल कराने के लिए जब कभी भी बिल आएगा, खुले मन से सहयोग करेंगे और यहां पर भी विरोध करके देश के माहौल को गन्दा करने की कोशिश न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

7.35 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 6 सितम्बर, 1990/15 भाद्र, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दि इण्डियन प्रेस, देहली।